व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास

(एक अमेरिकन गांव के अध्ययन पर आधारित)

लेखक

बैजनाथ सिंह

एम० ए०, एम० एस० पी० एच० डी० (कार्नेल)

ब्रिटिश बुक डिपो हजरतगंज

लखनऊ

मूल्य ७.५० न० पै०

प्रथम हिन्दी संस्करण, १९६१

प्रकाशक—शांति प्रकाश कक्कड़
ब्रिटिश बुक डिपो
८४, हजरतगंज, लखनऊ

मुद्रक—प्रेम प्रिंटिंग प्रेस,
गोलागंज, लखनऊ।

समर्पण

श्रद्धेय पिता जी की पुण्य स्मृति में
जिन्होंने जीवन में सतत प्रयास की प्रेरणा दी।

कृतज्ञता प्रकाश

इस अध्ययन को सम्भव और सफल बनाने में जिन महानुभावों और संस्थाओं ने सहायता दी उनके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं; लेखक उन सबका हृदय से कृतज्ञ है।

१. प्रोफेसर विलियम डब्ल्यू रीडर, जिन्होंने अध्ययन का संचालन किया और समय समय पर बहुमूल्य सुझाव देकर सहायता की।

२. प्रोफेसर होमबर्ग, प्रो० विन्सर और प्रो० लैम्बर्ट जिन्होंने सहायक संचालक के रूप में सहायता दी।

३. श्री अलबर्ट मायर, जो लेखक के शुभचितक सहायक और निर्माता रहे है।

४. राकफ़ेलर फ़ाउण्डेशन और वाट्मल फ़ाउण्डेशन जिन्होंने आर्थिक सहायता दी।

५. श्री और श्रीमती अर्ल फ्रेडरिक्सन, जिन्होने इस क्षेत्र मे लेखक का नेतृत्व किया।

६. एल० डी० एस० चर्च के समस्त चर्च स्तर, स्टेक तथा वार्डस्तर के अनेक नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने अनुसंधान कार्य में अनेक सहायता दी।

७. श्री और श्रीमती आलेडेन्स जिन्होंने निवास आदि की व्यवस्था की और अपने परिवार का आत्मीय बना लिया।

८. डाक्टर पालिन महार, श्री माइकेल महार, डाक्टर अमरीख सिंह चीमा, श्री आदेश्वर प्रसाद जैन तथा जीन किज़िलबाश आदि मित्र जिन्होंने थीसिस के टंकण और प्रूफ संशोधन में पूरी पूरी सहायता दी।

———

हिंदी संस्करण के प्रकाशन में

श्री जगदीश नारायण मेहरोत्रा ने मुख्य प्रेरणा दी और मेरे अनुरोध पर अपने व्यस्त जीवन में से कुछ क्षण निकाल कर छायानुवाद का मुख्य भार लिया। श्री रामशरण दीक्षित ने इसकी पाण्डुलिपि तैयार करने में बहुत परिश्रम किया और श्री सी० पी० कक्कड़ ने प्रकाशन की शीघ्रतम व्यवस्था की। मैं इन सभी महानुभावों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

लेखक

प्रस्तावना

देश के स्वतंत्र होने के बाद भारत की सरकार और जनता देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के उत्थान में जुट पड़ी। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरम्भ किया गया। इस कार्य-क्रम के मूल तत्व ये थे :---

(१) सामुदायिक विकास की रीति नीति।

(२) राष्ट्रीय प्रसार योजना द्वारा उपलब्ध संगठन जिसके माध्यम से जनता का सहयोग प्राप्त करके राष्ट्र का विकास किया जा सके।

(३) विकास का बहुमुखी कार्यक्रम जिससे सामुदायिक सम्पर्क की नई परिपाटी दृढ़ होती है और सरकारी और गैर सरकारी कार्यकर्ता मिल जुल कर काम करते हैं।

जनता को उत्पादन तथा स्वास्थ्य और मनोरंजन की नई प्रौद्योगिक विधियों में प्रशिक्षित करने के लिए लगातार प्रयास किये गये। जनता ने निर्माण के कार्यक्रमों में सराहनीय भाग लिया परन्तु शिक्षा, समाज-शिक्षा आदि के कार्य में पूर्ण प्रत्याशित सफलता नहीं मिली। स्थायी संगठनों के संचालन और स्थानीय नेतृत्व के विकास के क्षेत्र में अभी विशेष प्रगति नहीं हुई।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनता के आन्तरिक जीवन का विकास करने के उद्देश्य से संगठित किया गया। देश में सहयोग और सामूहिक कार्य की मान्यताओं को फिर से स्थापित करने के लिए शिक्षा और सामाजिक सहयोग के कार्यक्रम संगठित करना होगा जिनके माध्यम से समुदाय की उन्नति भी हो और नेतृत्व का विकास भी हो।

इसकी समुचित विधि और रीति नीति को समझने के लिए हमें दूसरे देशों और अपने देश के दूसरे भागों से बहुत कुछ सीख सकते हैं जहां इस प्रकार के प्रयास पहले सफल हो चुके हैं।

हमने कृषि-प्रसार की व्यवस्था के सम्बंध में संयुक्त राष्ट्र अमरीका के अनुभव से काफ़ी सीखा है। पर भारत के ग्रामीण अमेरिका से प्रायः भिन्न हैं, क्योंकि वहाँ

द्वितीय पंच वर्षीय योजना, १९५६ पृष्ठ ८४

किसान अपने खेतों पर रहते हैं और केवल स्कूल, गिर्जाघर, मोटर मरम्मत व पेट्रोल के पंप तथा आवश्यक दूकानों के कुछ कार्यों के लिये एक केन्द्रीय सामुदायिक स्थान पर आते हैं। केवल यूटा के मार्मन धर्मावलंबियों के गांव ऐसे हैं जो भारत के गावों से बहुत कुछ मिलते हैं। इसलिये ग्रामीण सामुदायिक विकास के लिये उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने के लिये लेखक ने यूटा राज्य के लोगन नामक स्थान के निकट हाइडपार्क नामक गाँव चुना। इन गांवों की निम्नलिखित विशेषता विशेष उल्लेखनीय हैं—

१. लोग घने पर सुन्दरता से बसे गांव में रहते हैं—दिन को खेत पर काम करने जाते हैं और शाम को लौटकर गांव में आते हैं और समुदाय के जीवन में पूरा-पूरा भाग लेते हैं।

२. परिवार और धार्मिक तथा नैतिक मान्यताओं पर अधिक बल दिया जाता है।

३. मार्मन समुदायों में अद्भुत उन्नति हुई है यद्यपि उनके पास इतने प्राकृतिक साधन व सुविधायें नहीं हैं जितनी अमेरिका के और निवासियों के पास। पहले इनके सामने भी ऐसी ही अनेक कठिनाइयाँ थीं जैसी आज भारत के सामने हैं।

पर भारत के गाँवों में मार्मन गांवों जैसी संस्थायें नहीं हैं और न वैसी शिक्षा-व्यवस्था है इसलिये लेखक ने हाइड पार्क नामक गांव का अध्ययन किया जिससे हमें अपने गांवों में व्यवस्थित संगठन और सर्वतोमुखी शिक्षा का प्रबंध करने के लिये समुचित प्रेरणा मिल सके। इसलिये इस अध्ययन का निम्नलिखित उद्देश्य है :—

१. इस बात का पता करना कि मार्मन समुदाय में व्यक्ति का विकास कैसे होता है, भिन्न-भिन्न अवस्था क्रम के अनुसार उसकी विकास सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षात्मक, धार्मिक और मनोरंजन के कार्य-क्रमों से किस प्रकार होती है और इन कार्य क्रमों के संगठन की रीति-नीति क्या है।

२. व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य से किस हद तक सामाजिक सहयोग मिलता है और उसके मूलभूत कारण क्या हैं ?

३. उन मान्यताओं, विश्वासों और दृष्टिकोणों का पता करना जिनसे सामाजिक सहयोग और सामुदायिक जीवन में सहायता मिलती है।

४. नेतृत्व के विकास और सामुदायिक कार्यक्रम की प्रक्रिया को समझना।

५. समुदाय में एकता के तत्वों का पता करना जिनसे सामुदायिक जीवन का विकास होता है।

६. और यह देखना कि हाइड पार्क गांव के अध्ययन के परिणामों से देश के सामुदायिक विकास के लिये क्या कुछ सीखा जा सकता है।

अध्ययन की विधि

हाइड पार्क गाँव का चुनाव लोगन विश्व विद्यालय के प्रोफ़ेसरों, प्रोफेसर रीडर के परामर्श तथा श्री और श्रीमती फ्रेडरिक्शन के सहयोग से किया गया। इसकी जन-संख्या भारत के सामान्य गांव के समान (५००—१०००) थी।

प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण के अतिरिक्त गांव के लोगों से व्यक्तिगत चर्चायें हुई और विशेष कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। वहाँ के संगठनों और समितियों के लेखे जोखे से बहुत कुछ सामग्री ली गई। गाँव में रहकर वहां के निवासियों से आत्मीयता स्थापित करके गांव की प्रत्येक गतिविधि के स्वरूप से निकटतम जानकारी हुई।

लगभग ४०० प्रश्नावलियाँ वितरित की गईं थी जिसमें से ३७४ व्यक्तियों ने उत्तर दिये। १५ वर्ष की अवस्था से ऊपर के अधिकांश युवक-युवती, नर-नारी इस सर्वेक्षण में सम्मिलित हुये। सबने सराहनीय सहयोग दिया।

इस पुस्तिका के अध्याय १ में हाइडपार्क गांव की भौगोलिक, जनसंख्या सम्बंधी तथा आर्थिक संगठनात्मक आदि विषयों का ऐतिहासिक विवरण दिया गया है।

अध्याय २ और ३ में व्यक्तिगत विकास के प्रत्येक स्तर की आवश्यकताओं और मार्मन समाज में उनकी पूर्ति की विधि की विस्तृत चर्चा की गई है। अध्याय ४ में इस बात की चर्चा की गई है कि हाइडपार्क में किस हद तक समाज सहयोग पाया जाता है और उसके कारण क्या हैं ?

अध्याय ५ में नेतृत्व के विकास के सिद्धान्त का और हाइडपार्क में उसके स्वरूप का विवरण दिया गया है। नेतृत्व के प्रशिक्षण की सुविधाओं, उत्तरदायित्व संभालने के उनके दृष्टिकोण और नेतृत्व के कार्यों के अभ्यास के अगणित सुअवसरों पर प्रकाश डाला गया है।

अध्याय ६ में सामुदायिक विकास की प्रक्रिया और हाइडपार्क में सामुदायिक कार्यों का विवरण दिया गया है।

अध्याय ७ में मार्मन मान्यता पद्धति, ८ में प्रेरणा और सहयोग तथा ९ में सामाजिक एकता की चर्चा की गई है। ये संदर्भ के विषय हैं और किसी भी समाज के अध्ययन में इनका विशेष महत्व है।

दसवें अध्याय में पूर्व अध्यायों का सारांश है ताकि उनसे प्राप्त होने वाले अनुभवों और सुझावों को समझने में आसानी हो।

११ वें अध्याय में भारत की सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि की संक्षिप्त चर्चा है, १२ वें अध्याय में हाइडपार्क गांव (यूटा-संयुक्त राज्य) के अध्ययन से प्राप्त अनुभवों के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार किया गया है।

यद्यपि यह अध्ययन विदेश के एक गांव के जीवन पर आधारित है, फिर भी भारतीय सामुदायिक विकास के हर विद्यार्थी के लिये इसका एक महत्व है। हमारा गांव सामाजिक संगठन और एकता की किस सीमा तक जा सकता है इसकी एक झांकी हमें इस अमेरिकी गांव के जीवन से मिलती है, जहां सामुदायिक विकास व्यक्तिगत विकास की दृढ़ नींव पर आधारित है और जहां औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामाजिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिये अथक परिश्रम करते हैं। यदि हम अपने विधान में इंगलैंण्ड के विधान से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं तो सामुदायिक विकास के नियोजन और कार्य संचालन में हाइडपार्क मे हमें शिक्षा लेने में कोई सकोच नहीं होना चाहिये।

बैजनाथ सिंह

विषय-सूची

१ पृष्ठभूमि

संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग तीन चौथाई लोग छोटे या बड़े शहरों में रहते हैं। वहाँ के नगरों और गांवों में अन्तर भी नाम मात्र का ही है। लगभग २५०० या अधिक आबादी वाली बस्तियों को कस्बा और इससे कम आबादी वाली बस्तियों को गांव कहा जाता है। पर 'गांव' शब्द जिस बस्ती के लिये इस्तेमाल होता है उसका संगठन भी भारतवर्ष के गांव से बिलकुल भिन्न होता है। खेती करने वाले किसान प्रायः अपने खेत पर ही रहते हैं। २००-३०० या ५०० अथवा हज़ार एकड़ के उनके खेत के बीच या एक किनारे पर उनका मकान, मोटरख़ाना, कारख़ाना और यंत्र-गोदाम होता है। मकान के सामने एक घास का मैदान व फुलवारी, एक तरफ़ तरकारी उगाने की क्यारियाँ और फलों का बाग़ तथा उससे थोड़ा हटकर पशुशाला तथा अनाज और घास आदि रखने का गोदाम पाया जाता है। मुर्गी या सुअर पालने के कमरे भी नज़दीक ही बने होते हैं।

इस तरह के २५-३० फार्मों (खेतों) के किसानों की ज़रूरतें पूरी करने के लिये मुख्य सड़क (high way) के किनारे प्रायः एक बस्ती पाई जाती है, इसे ही गांव कहते हैं। इस बस्ती में गिर्जाघर, स्कूल, मोटर की मरम्मत व पेट्रोल की पूर्ति के लिये पेट्रोल पंप और किसानों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दूकानें होती हैं। यहाँ प्रायः

पोस्ट आफ़िस या कहीं कहीं टेलीफ़ोन का केन्द्र भी पाया जाता है। अमेरिकी समुदाय (community) या गांव का सामान्य स्वरूप यही होता है।

परन्तु अमेरिका में भी यूटा और आइडहो राज्यों में मार्मन धर्मावलंबियों द्वारा बसाये हुये अनेकों गांव ऐसे हैं जो भारत या विशेषकर योरोप के गांवों की तरह हैं। इनमें किसान लोग रहते हैं। खेती करने के लिये वे अपने फ़ार्मों पर १०-१२ मील तक अपनी मोटरों या ट्रैक्टरों से चले जाते हैं। दिन भर काम करके, शाम को वे गांव में लौट आते हैं और वहां के सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं। इनकी गायें या अन्य जानवर प्राय: गांव में ही रहते हैं।

इसी प्रकार के एक गांव का मैंने अध्ययन किया था, क्योंकि भारतीय गांवों और इनमें बहुत कुछ समानता थी। इस गांव का विस्तृत वर्णन अगले पृष्ठों में मिलेगा।

गांव का वर्णन

स्थिति

संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े भूभाग में कृषि को उसी तरह प्रधानता दी जाती है जिस तरह हमारे भारतवर्ष में। इस देश के यूटा राज्य में "कैशे काउन्टी" एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र है, जिसके पूर्वोत्तर में हाइड पार्क नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। यह गांव लोगन नामक शहर से ५ मील उत्तर,और उत्तरी लोगन से डेढ़ मील के फासले पर स्थित है। हाइड पार्क गांव की पश्चिमी सीमा पर बियर नदी बहती है जो चारों ओर चट्टानी पर्वतीय श्रेणियों से घिरी है।

लोगन से प्रेस्टन (आइडहो) जाने वाली मुख्य सड़क इस गांव के लगभग एक फर्लांग पश्चिम से जाती है। इस सड़क से गांव तक ३६ फीट चौड़ी पक्की सड़क बनी हुई है। उत्तरी लोगन, स्मिथ फील्ड और बेन्सन तक भी तारकोल की पक्की सड़कें गई हैं।

जलवायु

घाटी में स्थित होने के कारण हाइड पार्क की जलवायु समशीतोष्ण है। यहाँ पर सर्दियों में कम से कम तापक्रम शून्य से २५° तक और गर्मियों में ९५° (फारेन-हाइट) तक रहता है। तीस साल (१९१६-४६) के आंकड़ों से पता चलता है कि यहाँ पर १२० दिनों का समय ही खेती बाड़ी के लिये उपयुक्त रहता है। घाटी के किनारे की ऊँची भूमि और विशेष कर घाटी के मुहाने की भूमि कोहरे से बची होने के कारण खाद्य उत्पादन के लिये बहुत उपयुक्त है और एक लम्बी अवधि तक उस पर खेती बाड़ी की जा सकती है। घाटी की निचली भूमि से यह भूभाग काफी उपजाऊ है। पहाड़ों की चोटियाँ मई और जून के प्रारम्भ तक बर्फ से ढकी रहती हैं।

इस भाग में वर्षा का औसत १६.२५" प्रति वर्ष रहता है। कभी वर्षा कम हो जाती है और कभी ज्यादा। पर आमतौर पर यहाँ की जलवायु शुष्क है।

हाइड पार्क के जलवायु के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ओर पहाड़ों से घिरी हुई घाटी में होने के कारण यह गांव आंधी और बाढ़ से सर्वथा बचा हुआ है। इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे भूभागों की अपेक्षा यह भाग अधिक सुरक्षित है।

भौगोलिक परिस्थिति

हाइड पार्क समतल भूमि पर बसा हुआ है। समुद्र की सतह से इस स्थान की ऊंचाई लगभग ४४०० फीट है। गांव का पूर्वी भाग अपेक्षाकृत ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह ऊंचाई क्रमशः २ मील तक बढ़ती चली गई है। गांव के उत्तर और दक्षिण में भूमि समतल और बराबर होने के कारण बेन्सन गांव के पास बहने वाली बियर नदी की धारा प्राकृतिक रूप से बहकर गांव तक आ जाती है। लोगन-प्रेस्टन सड़क के पश्चिम की ओर की भूमि पानी के अभाव में प्रायः सूखी है। हाइड पार्क से १० मील पश्चिम की ओर पहाड़ी श्रेणियाँ हैं। यह पर्वतमाला पूर्वीय श्रेणियों की अपेक्षा नीची है और इनमें बनस्पति की कमी है। इस गांव की पृष्ठभूमि में पहाड़ों और पहाड़ियों की सुन्दरता है और समतल भूमि में खेती या आवास सम्बन्धी सुविधा भी है।

भूमि

इस गांव की भूमि, नदी और झील के बहाव से लाई हुई मिट्टी से बनी है। इसके पूर्व की ओर की भूमि ढालू है और थोड़ी ही खुदाई के बाद उसमें चट्टानी पर्त दिखाई देने लगती है। इस भूभाग में ज्यादातर चरागाह हैं और मवेशियों के लिये घास पैदा होती है। भूमि की निचली सतह के समस्त क्षेत्रफल में गहरे काले रंग की मिट्टी पाई जाती है जिसमें रसायनिक तत्त्व पर्याप्त मात्रा में हैं। यह मिट्टी नम है। इसके आगे पश्चिमी भाग में बियर नदी के पास मिट्टी सूखी है और उसमें नमक का अंश मिला हुआ है।

प्राकृतिक साधन

हाइड पार्क घाटी से कुछ दूर पर विस्तृत क्षेत्रफल में "कैशे" का राष्ट्रीय जंगल फैला हुआ है। इस जंगल के पश्चिमी और शुष्क भाग में जुनिपर वृक्ष बहुतायत से पाये जाते हैं।

अन्य भागों में 'ऐस्पन' और 'डगलस' नामक देवदार वृक्षों की भरमार है। इन जंगलों से मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल काफी मात्रा में होता है। आरम्भ में जब इस भूभाग में नये उपनिवेश बने तो घर बनाने के लिए इन्हीं वृक्षों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया।

स्मिथ फील्ड घाटी के पास जल की एक धारा बहती है जिसके पानी से रसोई सम्बन्धी आवश्यकता पूरी होती है। जल का यह स्रोत स्मिथ फील्ड शहर से ३ मील पूर्व की ओर है। गाँव के पास ही एक पाताल तोड़ कुआँ भी है जिसका पानी इस्तेमाल में आता था और गाँव वालों को उससे बड़ी सुविधा थी। यह कुआं हाइड पार्क के पादरी श्री विलियम हाइड के घर के पीछे स्थित है।

इस गाँव के पूर्व के पहाड़ों में पत्थरों की कई खानें हैं। इन खानों से सड़क और इमारतें बनाने के लिये कंकरीट और पत्थर प्राप्त होता है। पूर्व की ओर के बनों और ढालू भूमि तथा अन्य खेतों में सुन्दर चरागाह बने हुए हैं। इन चरागाहों में दुग्धशाला की गायों के लिये काफी चारा मिल जाता है। हाइड पार्क गाँव की अर्थ व्यवस्था में इन मवेशियों का महत्वपूर्ण स्थान है।

खेती बाड़ी करने वाले समाज के लिये सिंचाई के उचित साधनों का मिलना बड़ा आवश्यक है। इसका प्रभाव लोगों के जीवन पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। हाइड पार्क के सुन्दर फूलों के बाग तथा चारों ओर फैली हुई हरियाली इस बात के द्योतक हैं कि यहाँ सिंचाई के साधनों की बहुतायत है। सिंचाई के लिये 'लोगन हाइड पार्क नहर' मुख्य है, जो १८६० में लोगन के अग्रणी लोगों द्वारा बनाई गई थी। यह नहर जनता के सहयोग और पारस्परिक श्रम से बनाई गई है और छोटे छोटे बांध बना कर लोगन नदी का पानी इस नदी में लाया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अग्रणी (पायनियर) लोगों का आगमन—

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भिक दिनों में न्यूयार्क राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग में अनेक धार्मिक सम्प्रदायों का दौर दौरा था। वैसे तो अधिकांश लोग ईसाई धर्म के मानने वाले थे, पर उनमें आपस में अनेक मतभेद थे। इसी वातावरण में एक साधारण गरीब किसान के घर में एक असाधारण बालक ने जन्म लिया। इस बालक का नाम जोज़ेफ स्मिथ रक्खा गया।

लगभग १४-१५ वर्ष की अवस्था में इस नवयुवक के मन में अनेक प्रश्न उठे। आपस में लड़ने वाले धार्मिक सम्प्रदायों में वह किसकी शरण में जाकर शांति प्राप्त करे? कौन सा धर्म सत्य के पथ पर है कौन सा नहीं? ईश्वर और पैग़म्बर की वह किस रूप में करे? इनका समाधान करने के लिये उसने परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की। थोड़ी देर चिन्तन करने के बाद उसने एक दैवी दृश्य (vision) देखा। उसका कमरा प्रकाश से भर गया। एक देवदूत ने उसका पथ प्रदर्शन किया और निकट के एक पहाड़ी टीले पर खुदाई करने का संकेत किया। यहाँ खुदाई के बाद स्वर्ण पत्रों पर लिखित एक विशेष भाषा में लिखित पुस्तक मिली। इसका रूपान्तर या

अनुवाद करने की शक्ति इस देवदूत ने जोज़ेफ स्मिथ को दी। इस देवदूत का नाम मोरेनी था।

जोज़ेफ स्मिथ ने इस पुस्तक का अनुवाद करके प्रकाशित किया और लगभग २ साल बाद एक नये सम्प्रदाय की स्थापना की जिसका नाम 'बाद के संतों का मसीही गिर्जा' रक्खा गया।

इस धर्म के मानने वालों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती गई। इसके उत्साही प्रचारकों ने इंगलैंड, फ्रांस और नार्वे आदि के अग्रणी (pioneers) लोगों में से अपने संप्रदाय के मतावलंबी तैयार किये। किसान, बढ़ई और थोड़ी पूँजी वाले बहुत से प्रवासियों ने इस धर्म को स्वीकार किया। देवदूत मोरेनी के पथ पदर्शन में इसकी खोज होने के कारण इस धर्म का प्रचलित नाम मार्मन धर्म या सम्प्रदाय पड़ा।

जोज़ेफ स्मिथ इस धर्म के पैग़म्बर या प्रवर्तक बने। उन्होंने अपने सम्प्रदाय वालों के रहने के लिये एक सुन्दर और विशाल नगर का आयोजन और निर्माण कराया, सुरक्षा के लिये एक छोटी सी सेना संगठित की और स्थानीय राजनीति में भी कुछ भाग लिया।

इन बातों से वहाँ के दूसरे धर्मावलम्बी ईसाई बहुत क्रुद्ध हुये। उनकी दृष्टि में पैग़म्बर और भगवान के पुत्र तो अकेले ईसा मसीह थे। इस नये पैग़म्बर (जोज़ेफ स्मिथ) का उन्होंने घोर विरोध किया। अन्त में बात यहाँ तक बढ़ी कि उन लोगों ने मार्मन धर्मावलंबियों के मकानों में आग लगा दी, उनका सामान लूट लिया और मार्मन लोग पश्चिम की तरफ अपनी जान लेकर निकल भागे।

इसके बाद इन लोगों ने एक दूसरे नगर में पड़ाव किया, पर वहां से भी इन लोगों को भगा दिया गया। पैग़म्बर जोजेफ स्मिथ और उनके भाई हाइरम स्मिथ को कैद कर लिया गया और धोखे से उनकी हत्या कर दी गई।

जोजेफ स्मिथ के शहीद हो जाने के बाद ब्रिघम यंग नामक एक कुशल संगठन-कर्ता और निर्माता इस सम्प्रदाय का नेता बना। इस धर्म के मानने वालों के विशाल दल का नेतृत्व करते हुये ब्रिघम यंग उन्हें यूटा राज्य की अर्ध रेगिस्तानी घाटियों में ले गये। अपनी सूझ बूझ और प्रेरक शक्ति से उन्होंने यूटा के अनेक शहरों, नगरों और गाँवों की स्थापना कराई। उनका निर्माण पैगंवर जोजेफ स्मिथ की आदर्श कल्पना के अनुसार कराया। साल्ट लेक सिटी में अपने संप्रदाय की राजधानी स्थापित की और पायनियर (अग्रणी) लोगों को नई बतस्तियों को बसाने के लिये उत्साहित किया।

१८५६ की शरद ऋतु में कैशै घाटी में नये उपनिवेश बनाने के लिये पीटर माम को आदेश दिया गया। उसने माम का किला बनवाया जो बाद में वेल्स विले के

नाम से पुकारा जाने लगा। इस उपनिवेश की प्रगति १८५९-६० में हुई जब कि अनेकानेक देशों से ईसाई धर्म के अनुयायी इस स्थान में आकर बस गये। ये लोग न केवल पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही आये बल्कि इंगलैंड, डेन्मार्क, स्वीटजरलैंड, नार्वे, स्वीडन और इटली देशों से भी आये थे। इसके बाद ही प्राविडेन्स, मेन्डन, लोगन, मेलविल हाइरम, स्मिथ फील्ड, रिचमंड और हाइड पार्क नामक गांवों का निर्माण हुआ।

पानी के सुन्दर स्रोत के पास ही विलियम हाइड ने हाइड पार्क गांव की नींव डाली। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है---

"५ अप्रैल सन् १८६० को मैं अपने परिवार के साथ कैशे घाटी में उपयुक्त घर बनाने के लिये निकल पड़ा....१६ अप्रैल को मुझे ऐसा स्थान मिला जहाँ मैं निवास कर सकता था। बसन्त ऋतु में उस घाटी में विदेशों से बहुत से सन्त और पादरी आने लगे थे। मेरे बसने के बाद भी उनका आना जारी रहा। यह घाटी काफी बड़ी है और खेती बाड़ी के लिये अत्यन्त उपयुक्त है। इस पर आसानी से अन्न पैदा किया जा सकता है। मैने भी अपने लिये खेती के उपयुक्त एक स्थान चुना जो लोगन से ५ मील उत्तर की ओर था। इस स्थान के बारे में जायन के पादरी ने भी उचित परामर्श दिया था।"

उसी साल अप्रैल के महीने में राबर्ट डेन्स अपनी पत्नी जमिया और पुत्र राबर्ट एच के साथ कैशे घाटी में आये। उनके साथ जार्ज और एलिगा सीमन्स तथा ऐन्टोनी मेटकाफ और अर्मेनिया नीली भी आये। पादरी पेस्टन ने इन लोगों को सलाह दी कि वे लोगन से ५ मील उत्तर की ओर जल धारा के पास अपना निवास स्थान बनायें और अपने पसन्द की भूमि लेकर कृषि कार्य करें। इन पादरी ने इनसे यह भी बताया कि जिस स्थान पर विलियम हाइड की सीमा लिखी दिखाई दे उस भूमि को वे उपयोग में न लायें क्योंकि विलियम हाइड उस घाटी में एक साल पहले आये थे और आशा है कि वे अपने पुराने निवास स्थान से लौट कर यहाँ आवें और बसें।

१३ अप्रैल सन् १८६० को इन सात अग्रणी लोगों ने स्प्रिंग बोर्डिंग क्रीक के दक्षिण में कई फीट की एक कुटिया बनानी शुरू की और उसे लट्ठों, बेंत के टुकड़ों तथा मिट्टी से ढक दिया। सिस्टर डेन्स ने आड़ के लिये एक रजाई टांग दी और खाने पीने का सामान अन्दर रख दिया। इस तरह उस स्थान का सबसे पहला घर, जो कि बाद में हाइड पार्क के नाम से पुकारा जाने लगा, रहने के लिये तैयार किया गया। उसके बाद इन आदमियों ने अपने लिये उचित भूमि का चुनाव किया और पहले साल की याददाश्त के लिये वृक्ष लगाने आरम्भ किये। १८६० के जुलाई मास तक १६ परिवार इस स्थान में आकर बस गये। इज़रा बेन्सन ने जो कि उस समय ज़ायन क्षेत्र के सभापति

थे, पादरी पीटर माम के साथ उस उपनिवेश की स्थापना की और विलियम हाइड के सम्मान में इसका नाम हाइड पार्क रक्खा। हाइड पार्क नाम रखने का एक कारण यह भी था कि राबर्ट डेन्स लन्दन के हाइड पार्क से यहाँ रहने आये थे।

हाइड पार्क के निर्माण की योजना

१८६० की गर्मी की ऋतु में हाइड पार्क में रहने वालों ने घर बनाना शुरू किया। उन्होंने खेती के लिये फार्म खोले और लोगन नदी से एक नहर निकालने का कार्य भी शुरू किया। इन लोगों के परिवार, कच्ची ईंट के बने मकानों तथा लकड़ी के बने झोपड़ों में रहते थे। ये निवास स्थान सुरक्षा के लिये किले की शैली पर बनाये जाते थे। १८६३ के अंत तक रेड इंडियन के हमलों का भय जाता रहा और लोगों ने अपने नये वातावरण में अपने को पूरी तरह से ढाल लिया।

सन् १८६४ में नगर बसाने की एक अनोखी योजना का परीक्षण किया गया और शहर की नींव डाल दी गई। बहुत से परिवार किले से निकल कर अपने अपने स्थानों पर घर बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपने घरों के आस पास छायादार और फलदार पेड़ों का लगाना भी आरम्भ किया।

इस नगर की रूपरेखा तथा यहाँ की सड़कों और गलियों को जायन के आदर्श शहर के अनुरूप बनाया गया। जायन शहर की योजना पैगम्बर जोसेफ स्मिथ ने सन् १८३३ में ओहायो के किर्टलैण्ड में घोषित की थी। इसी योजना को पश्चिम में बसने वाले अधिकांश मार्मन ग्राम्य समुदायों ने अपनाया था।

मार्मन गांव की स्थापना उस वर्ग की सामाजिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप हुई है। इस गांव की स्थापना करने में उनकी मन्शा यह थी कि बाहर से आने वाले धर्म-अनुयायियों के लिये रहने की सुविधा हो सके। इस प्रकार कुछ प्रचलित परम्पराओं तथा नई जिम्मेदारियों और सामाजिक मान्यताओं के सहारे ही इस धर्म प्रधान समुदाय की स्थापना हुई। मार्मन गाव मौलिक रूप से नया नहीं है बल्कि उसमें सभी नवीन योजनाओं का समावेश है।

जायन—नगर की योजना में इस बात का उल्लेख है कि सभी लोग शहर में रहें, शहर एक मील की सीमा में बसा होना चाहिए--यह १० एकड़ के छोटे-छोटे खण्डों में बंटा होना चाहिए और प्रति खण्ड को आधे एकड़ के टुकड़ों में बाँटा जाना चाहिए। इस प्रकार हर खण्ड में २० मकानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। शहर की सड़क ७२ फ़ीट चौड़ी तथा समकोण पर एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर बनाई जानी चाहिए। शहर का मध्यवर्ती खंड दूसरे स्थानों की अपेक्षा ५० प्रतिशत अधिक चौड़ा होना चाहिये (इनमें से ३ खण्डों का इस्तेमाल स्कूल, गिर्जाघर और सार्वजनिक इमारतों के लिये करना

चाहिये) । अस्तबल और गोदाम शहर के बाहर होने चाहिये । खेती के फार्म शहर के उत्तर और दक्षिण में होने चाहिये । प्रत्येक टुकड़े में एक से ज्यादा मकान न होने चाहिये और सभी मकान सड़क से २५ फीट की दूरी पर ही बनने चाहिये ।

हाइड पार्क के निर्माण में कही कही कुछ हेर फेर भी किया गया । गोदाम ज्यादातर शहर के अन्दर ही बनाये गये । प्रत्येक खण्ड में मकानों की संख्या भी एक न रह सकी । जिन खण्डों में आबादी कम थी वहाँ ३ से ५ मकान और जिन खण्डों में घनी आबादी थी वहां १० से १२ मकानों की व्यवस्था की गई । इस तरह प्रति खण्ड में मकानो का औसत १० है ।

शहर के मध्य की सड़कों तथा आम सड़कों के दोनों किनारों पर पेड़ लगाये गये । प्रत्येक घर के सामने थोड़ा सा मैदान छोड़ा गया जिस पर फूल पौधे लगाये गये । घर के पीछे तरकारियाँ बोने के लिये भी जगह बनाई गई । वहां कुछ फल के पेड़ भी लगाये गये और एक गोदाम की व्यवस्था की गई ।

कुछ मकानों में, जिनके रहने वाले खेतिहर नही हैं, गोदामों की व्यवस्था नहीं है । ऐसे मकानों के पीछे खुली हुई जगह है जिनमें फूलों की क्यारियां बनाई गई हैं । प्रत्येक घर के साथ एक गैरज मोटर खाना भी बना हुआ है । गोदाम, घर से कुछ अलग और सड़क की ओर खुलने वाले बने हुए हैं । कुछ घरों की चहारदीवारी लकड़ी और कटीले तारों की बनी है जिनमें एक छोटा और सुन्दर फाटक रहता है । कुछ घरों के सामने के मैदान खुले रहते हैं । अधिकांश गलियों के किनारे पैदल चलने वालों के लिये सीमेन्ट के मार्ग बनाये गये है ।

अन्य मार्मन गांवों की तरह हाइड पार्क की एक विशेषता यह भी है कि सड़क के साथ ही सिचाई की नहरें बनी हुई है । अधिकतर सिंचाई की नहरें और नालियां प्रायः एक ही है । डाकखाने के पास से एक बड़ी नाली गई है । श्मशान भूमि के पश्चिम में नहर बहती है ।

बीच के भू-भाग में गिर्जाघर है और एक बड़ा पार्क बना हुआ है । यहां पर खेलने का मैदान और व्यायामशाला भी है । इसके उत्तर में 'स्केटिंग' हाल बना है । पूर्व की ओर स्कूल है जिसके उत्तर में खेलने का एक बड़ा मैदान है । इसी से मिला हुआ बच्चों के खेलने का एक मैदान और है जिसमें उनके खेल कूद और मनोरंजन के लिये झूले और अन्य साज सामान रक्खे हुये है । इस केन्द्र खण्ड के कोनो पर डाकखाना, दूकान और पेट्रोल पंप लगे हुये हैं ।

इस तरह हाइड पार्क एक पूर्ण रूप से आयोजित सुंदर गांव है । इसकी सड़कें सीमेंट की बनी हैं । सड़क के किनारों पर बिजली की रोशनी का अच्छा प्रबन्ध है । गांव की जनता इस प्रकार के प्रबन्धों में पूरा भाग लेती है ।

मकानों की बनावट और नाप अलग अलग है। बहुत से मकान लाल ईंट के बने हैं। कुछ में पत्थर की दीवारें हैं। लेकिन अधिकांश मकानों का बाहरी भाग लकड़ी के तख्तों से बना है। ८० प्रतिशत मकानों में रहने के कमरे लकड़ी की फर्श के होते हैं और इसके ऊपर सुन्दर कालीन बिछे रहते हैं। अधिकांश घरों में खाने के लिये अलग कमरा होता है जो रसोई घर के पास ही रहता है। कुछ मकानों में रसोई घर के अन्दर ही खाने की मेज भी रक्खी रहती है। रसोई घरों में बिजली की अंगीठियों का इंतजाम रहता है। लेखक को केवल ६ घरों में ही कोयले की अंगीठियां दिखाई पड़ीं। घर के भीतर तहखानों में फुटकर सामान, कपड़ा धोने की मशीन, सुरक्षित खाद्यान्न तथा फल वगैरह रखने की व्यवस्था रहती है। इसके अतिरिक्त तहखानों में इंजन लगे होते हैं जिनका इस्तेमाल घर में गर्माहट रखने के लिये भी किया जाता है। अधिकांश मकान एक मंजिल के बने हैं। दो मंजिले मकानों की संख्या बहुत ही कम है।

प्राय: सभी घरों में धार्मिक पुस्तकों, बालकों की पुस्तकों तथा ज्ञान कोषों (इंसाइक्लोपीडिया) आदि का संग्रह रहता है।

प्रत्येक घर में कई तरह के फर्नीचर भी रहते हैं। इनमें आराम कुर्सी,सोफ़ा सेट, एक पियानो बाजा, एक मेज और कुछ लकड़ी अथवा लोहे की कुर्सियां रहती हैं। अधिकांश जनता का रहन-सहन इसी प्रकार का है। इसके अलावा धार्मिक संस्था के पास भी कुछ फर्नीचर रहता है जो कि जरूरतमन्द परिवारों को समय समय पर दिया जाता है।

गांव की स्थापना के आरम्भिक दिनों में लोगों की आर्थिक हालत—यहां के निवासियों की आर्थिक हालत बहुत हद तक धर्म प्रधान आदर्श वादी सिद्धान्तों पर निर्भर थी।

मार्मन सम्प्रदाय का यह विश्वास है कि पृथ्वी और भौतिक साधन ईश्वर के आधीन हैं। ईश्वर की प्रेरणा से ही मनुष्य इन साधनों का इस्तेमाल करता है। इसलिये लोगों से आशा की जाती है कि वे ईमानदारी के साथ समाज की भलाई के लिये इन साधनों का प्रयोग करेंगे। मनुष्य तो केवल इन साधनों को विकसित और सुरक्षित करने के लिये एक सहायक मात्र है।

धनी धर्म अनुयायियों के लिए पैग़म्बर जोसेफ स्मिथ ने कहा है "आपको चाहिए कि अपने गरीब भाइयों के साथ अपनी अतिरिक्त सम्पत्ति का सदुपयोग करें।" दूसरों से पैगम्बर ने कहा, "आपको चाहिये कि अपनी अतिरिक्त सम्पत्ति गिर्जाघर के कामों के लिये अर्पित करें जिससे गिर्जाघर उन गरीब व्यक्तियों को, जिनके पास कि साधन नहीं हैं, सहायता देने में सफल हो।"

कैशे घाटी के अग्रणी लोगों ने गेहूं और गोश्त के लिये भूमि और चारे का उपयोग किया । उन्होंने नहरें बनवाई और खेतों में गूलें खुदवाईं । यह सब कार्य उन्होंने सामूहिक परिश्रम (श्रमदान) से किया ।

लोगन के रहने वालों ने लोगन और हाइड पार्क नहर का निर्माण किया । सिंचाई के साधनों में ये सबसे पहले कार्य थे । जब कुछ लोगों ने यह कहा "कि यह कार्य बहुत कठिन है" तो पादरी प्रेस्टन ने यह उत्तर दिया "मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है । मेरा अनुमान है कि हम नहर आसानी से खोद सकते हैं ।"

सन् १८६० की २७ मार्च को इन अग्रणी लोगों ने नहर निर्माण का कार्य आरम्भ किया था और १८ मई को वे लोगन नदी का पानी नई नहर में लाने में सफल हो गये । उनका कार्य इतने मेल-जोल और मेहनत से हुआ कि थोड़े से समय में नहर का बन जाना एक आश्चर्यजनक घटना हो गई ।

उस समय लोगों का ऐसा विचार था कि वही आदमी, जो सबसे ज्यादा अनाज काटेगा, घाटी से सबसे ज्यादा लकड़ी के लट्ठे लायेगा और फावड़े से धूल और मिट्टी हटायेगा, समाज का नेता समझा जाने के योग्य होगा ।

आवास के प्रारम्भिक सालों में लोगों को २० एकड़ के भूखण्ड चरागाह के कार्य के लिये दिये गये और सार्वजनिक चरागाह भूमि भी काउन्टी द्वारा मवेशियों और घोड़ों के चरने के लिये दी गई ।

ब्रीघम यंग ने लिखा है "आप बहुत बड़े फार्म रखने के लिये उत्सुक न हों यदि उन पर आप खेती नहीं कर सकते हैं । अच्छा तो यह होगा कि आप अपने भाइयों में इस भूमि को बांट लें और अपने को नम्र और सुखी बनायें ।" वहाँ के रहने वालों ने इन आदेशों का पूर्णतया पालन किया । भारत में आज आचार्य विनोबा जी का भी यही संदेश है ।

उस समय खेती करने के लिये लोगों के पास बहुत भद्दे किस्म के औज़ार थे । वे बैलों से जुताई करते थे और उनके हल लकड़ी के बने होते थे । फस्ल काटने के लिये वे हँसिया का इस्तेमाल करते थे और मड़नी के लिये भूसा काटने की स्थानीय मशीनों का इस्तेमाल करते थे । वे आटा पिसवाने के लिये चक्की में ले जाते थे । गेहूं में गेरुई लगने से बचाव के लिये वे नीले तूतिये का इस्तेमाल करते थे ।

शुरू शुरू में लोग घर पर दस्तकारी का सामान बनाते थे । इस समय परिवारों में चर्खे और कर्घे का भी इस्तेमाल होता था । घर में ही कपड़ा, कालीन, दस्ताने, और मोजे बनाये जाते थे । कपड़ों पर रंग करने के लिये वे पौधों से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल करते थे ।

कैशे घाटी में सबसे पहला उद्योग आरा मिल और चक्की की स्थापना थी। इसके बाद लोगन और स्मिथ फील्ड में भी उद्योग धन्धे खुले जिससे हाइड पार्क को काफी सुविधा हो गई। यहाँ पर सबसे पहले दूध और मक्खन-उद्योग आरम्भ हुआ जिसे सी० सी० ली और उनके पुत्रों ने अपने फार्म पर स्थापित किया। प्रारम्भिक वर्षों में व्यवहार की बहुतेरी वस्तुएँ किसानों के घरों में मिला करती थीं। कुछ सालों के बाद दूकानें खुलनी भी आरम्भ हो गईं।

आरम्भ में परस्पर भाई चारे और मेल से रहने के कारण अग्रणी लोगों में सहकारिता की भावना का विकास हुआ। उन लोगों ने एक दूसरे के कामों में पूरी तरह से हाथ बटाया था और उनके घरों के निर्माण में सहायता की थी। एक दूसरे के खेत जोतने बोने, सड़क बनाने और चहार दीवारी आदि बनाने में उन्होंने पूरी तरह से मेल मिलाप का आदर्श प्रस्तुत किया था। वे एक कुटुम्ब की भाँति रहते थे।

जार्ज टाम्पसन उस गांव का एक मेहनती और साहसी व्यक्ति था। उसके बगीचे में बहुत से फल के पेड़ थे और बहुत सी गायें, भैंसें और मुर्गियाँ पली हुई थीं। उसके खेतों में काफी मात्रा में अनाज होता था। उसका बगीचा शहर में सबसे पहले बना था और अपने परिवार की मदद से वह अंगूर, झरबेरी, रसभरी, स्ट्रावेरी और आलूबुखारा उत्पन्न करता था। हर साल इन सबको बेचकर वह काफी धन प्राप्त करता था। इस तरह मालूम होता है कि मार्मन समुदाय के जीवन पर धर्म प्रेरित प्रारम्भिक आर्थिक व्यवस्था का काफी असर था। उनके सामाजिक जीवन में भी सहयोग और भाई चारे की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। बाद में यही परम्परा नये रूप से संगठित होकर एक सुन्दर सहयोगी समाज की स्थापना में सफल हुई।

सामाजिक और मनोरंजन सम्बन्धी अवस्था

हाइड पार्क के अग्रणी लोगों का सामाजिक जीवन इस धार्मिक आदर्श के आधार पर बना हुआ था "कि आदमी इसलिए है कि आनन्द प्राप्त करे।" कठिन परिश्रम के बाद उन लोगों के जीवन में मनोरंजन का काफी महत्व बढ़ गया।

अग्रणी लोग गाजे बाजे के साथ अपनी यात्रा पर चलते थे। जब वे मैदानों में रहते थे तो संगीत और नृत्य उनके जीवन के अभिन्न अंग थे। इसके अलावा जब कभी यूटा के दूरस्थ भागों में कोई कैम्प होता तो खेतों और सड़क पर काम करने के अथक परिश्रम को वे मनोरंजन से भुला देते थे। उस समय अग्रणी लोगों के शिविरों में कोई भी आलसी व्यक्ति नहीं था। हर एक आदमी मेहनत करता था और उसके बाद परस्पर मिलकर मनोरंजन का साधन जुटाता था। रोजमर्रा की जिन्दगी की कशम-कश और चिन्ताओं से मुक्त होने के लिये अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन ढूंढे गये और लोग उनमें अपने को व्यस्त कर क्षण भर के लिये चिन्तामुक्त हो जाते थे।

मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय रूप नृत्य था। कभी कभी वे कैम्प फायर करके नृत्य का आयोजन करते और वाइलिन तथा "आर्गन बाजे" की लय में नृत्य करते विभोर हो जाते थे। जब उपनिवेश बसाने वाले लोग किसी जलधारा के पास निवास बनाने जाते तो अपने साथ एक न एक बाजा भी ले जाते थे और जब स्थाई रूप से एक शिविर बन जाता तो लोग खुशी से नाचते और ईश्वर की प्रशंसा करते। जिस समय उपनिवेश में कोई स्कूल या सभा स्थान बनाया जाता तो नाचने के लिये फर्श भी बनाया जाता जिस पर मोम की पालिश रहती थी।

सर्दियों के मौसम में लोग कुछ रात नाच गानों के लिये निश्चित कर लेते थे। नाच गाने और मनोरंजन का कार्यक्रम जब घोषित किया जाता तो दूर दूर से लोग आकर सम्मिलित होते थे। बर्फ पड़ने के समय वे बर्फ पर चलने वाली गाड़ी पर बैठ कर आते थे या अपने कुटुम्ब की पुरानी बन्द गाड़ी पर। इन लोगों के बीच में एक सारंगी बजाने वाला भी होता था और सारंगी की मधुर ध्वनि के वातावरण में हारमोनियम और वाइलिन की गूंज बड़ी मनोहारिणी होती थी।

यूटा के अग्रणी लोगों ने नाटकों में भी विशेष रुचि प्रदर्शित की। इस लिये कैशे घाटी के निवासियों ने स्कूलों और धार्मिक सभाओं में नाटकों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया।

ये लोग मैदानों से होकर आए थे। इन लोगों की यह यात्रा बड़ी कठिन और आनन्द रहित थी। फिर भी इतनी दिक्कतों और मुसीबतों के बीच भी वे विभिन्न मनोरंजन के साधनों द्वारा अपनी तबियत बहला लेते थे। कभी कभी वे भिन्न भिन्न जानवरों की बोलियाँ बोलते और मार्ग की कठिनाइयों से लड़ते हुये दिल में आशा व उमंग की भावना लेकर यात्रा पूर्ण करते थे। उनकी यह आशा सदैव बलवती रहती थी कि आने वाले दिनों में उनकी सारी मुसीबतें दूर हो जायेंगी और सुख व वैभव के दिन उनकी ज़िन्दगी में आकर ही रहेंगे।

साहस, सहानुभूति और लक्ष्यों की समानता में बंधे हुए अग्रणी लोग समुदाय के हितों की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते थे। उनके समस्त कार्य समुदाय की भलाई के लिये होते थे। लेकिन वे एक साथ काम करते, एक साथ पूजा व ईश्वर की आराधना करते और एक साथ ही मुसीबतें झेलते तथा सुख उठाते।

प्रत्येक असाधारण व महत्वपूर्ण घटना के समय मनोरंजन का कार्यक्रम अवश्य चलता। प्रायः शिविरों में कुछ लोग झूठमूठ का मुकदमा करते और अदालत में उसकी पेशी करते। इस तरह अपने खेलों से वे दिल बहलाते थे। कभी कभी कोई यात्री या रेड इंडियन के मित्र दल, अग्रणी लोगों से मिलते और घंटों मन बहलाव तथा आपसी बातें हुआ करतीं।

अग्रणी लोगों के सामाजिक जीवन और मनोरंजन के पहले स्थान उनके लकड़ियों के बने घर थे जहाँ कि वे आग के किनारे बैठकर मनोरंजन का कार्यक्रम प्रस्तुत करते। शाम का समय व्यतीत करने के लिये प्रायः पास पड़ोस के परिवार के लोगों को बुलाया जाता और नृत्य, खेल तथा अन्य उपयुक्त मनोरंजन द्वारा दिल बहलाया जाता। औरतों ने सीने पिरोने, चर्खा कातने और लिखने पढ़ने के कार्य भी शुरू किये। अग्रणी लोगों की स्त्रियों ने सांस्कृतिक कार्यों के लिये भी समय निकाला और अपने व्यस्त पारिवारिक जीवन में आनन्द प्राप्त करने की चेष्टा की।

इन लोगों के घर पर बड़े मनोरंजक कार्यक्रम होते, जन्मदिन पर दावतें दी जातीं और खेलों के बाद घर का बना नाश्ता दिया जाता। मैदानी खेल कूदों को भी प्रधानता दी जाती थी और दौड़, कूद तथा अन्य खेलों का आयोजन किया जाता था। सर्दियों में बर्फ की गाड़ी पर बैठकर मनोरंजन प्राप्त किया जाता और गर्मियों की चाँदनी रात में लोग घास-फूस के ढेर पर चढ़कर प्रकृति का आनन्द उठाते थे।

अग्रणी लोगों का विचार, मनोरंजन के संबंध में, ऐसा नहीं था कि वे अपने समय की बर्बादी करें। वैसे ही उनके पास समय की कमी रहती थी और वे व्यस्त जीवन व्यतीत करते थे। फिर भी इस प्रकार के उत्सव, दावतें, नृत्य और सामाजिक आयोजन उनके जीवन में उत्साह और शक्ति का संचार करते। इसी उत्साह के बल पर तो वे इतने बड़े धार्मिक सम्प्रदाय को बनाने निकले थे।

कुछ समय के पश्चात ब्रीघम यंग और अन्य नेताओं ने अग्रणी लोगों के सांस्कृतिक मनोरंजन के विकास के लिये कुछ सुझाव रक्खे। इन लोगों के कारण नाटक और संगीत में काफी सुधार हुआ। इसके बाद ही कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक दलों का निर्माण भी किया गया।

जनसंख्या—

हाइड पार्क गांव की आबादी बहुत कुछ स्थायी रही है। लगभग ५० साल के आँकड़ों से ज्ञात हुआ है कि आबादी में बहुत ही कम वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिये सन् १९०० में हाइड पार्क की आबादी ६१९ थी और सन् १९५७ में इसकी आबादी ६५३ थी। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि समय समय पर हाइड पार्क के निवासी जीविका के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे भागों में जाकर बसने लगे हैं। इस गाँव के प्राकृतिक साधन सीमित हैं, जिसके फलस्वरूप ज्यादा जन-संख्या का भरण-पोषण कठिन है।

हाइड पार्क समुदाय मुख्यतया गोरों का समाज है। अधिकांश लोग अमेरिका के और भागों के निवासी हैं जो बाद में इस गांव में आकर बस गये हैं।

वर्तमान आर्थिक स्थिति—

हाइड पार्क गाँव मुख्यतया किसानों के समुदाय से बना है। यहाँ के कुछ निवासी लोगन, आगडेन और स्मिथ फील्ड नामक निकट के कस्बों में उद्योग धन्धों और दूकानों में नौकरी करते है। कुछ निवासी यूटा राज्य के कृषि और विज्ञान विश्वविद्यालय में काम करते हैं। व्यावसायिक वितरण की दृष्टि से यहाँ की जन-संख्या के २५·५ प्रतिशत निवासी खेती के काम में लगे है। बाकी लोग अन्य व्यवसायों में लगे है, जैसे:— वकालत, डाक्टरी, अध्यापन, मजदूरी तथा क्लर्की आदि।

खेती के साथ साथ किसान गायों के पालन का काम भी करते हैं। गो सेवा का दम भरने वाले अपने देश के अनेक हिन्दू भाई बहनों की जानकारी के लिये गो-पालन का यह आँखों देखा हाल लिखना आवश्यक जान पड़ता है।

इस गांव के किसान उतनी ही गायें रखते हैं जितनी एकड़ भूमि वे गायों के लिये चरागाह के रूप में छोड़ सकते हैं। इन चरागाहों में समय समय पर खाद-पानी दिया जाता है और घास के नये बीज डाले जाते हैं। चरागाह की कुल भूमि को तीन या चार भागों में बांट दिया जाता है। एक में घास तैयार होती है जिसमें गायें या बछड़े चरते हैं, दूसरे में घास बढ़ती रहती है, तीसरे में चराई खतम होकर खाद पानी दिया जाता है।

जहां गायें बांधी जाती हैं वहां खूब सफ़ाई रहती है। प्रायः गोशाले में भी रेडियो लगा देते हैं। पानी का व सूखी घास का प्रबन्ध प्रत्येक गोशाले में होता है।

दूध प्रायः बिजली की मशीन से दुहा जाता है, क्योंकि इतनी अधिक गायों की दुहाई हाथ से करना कठिन होता है। मैं लगभग दो बजे दिन को अचानक एक गोशाला में जा पहुँचा। गायें बाहर के हरे भरे चरागाह में चर रही थीं। गोशाला की सीमेन्ट की फ़र्श धुली पुछी साफ़ और सूखी थी। वहां बैठकर धार्मिक लोग पूजा कर सकते थे। किसान जौ, मटर, जई और गेहूँ आदि अनाज का अधिकांश गायों को खिला देते है। दूध की बिक्री से जो धन मिलता है उससे खाने की चीजें खरीदते हैं। आरंभ के दिनों में गायें २० सेर से ३०-३५ सेर तक दूध प्रति दिन दे देती हैं। इनके पालन पोषण पर नई नई खोजों की जानकारी पशु-पालन की व्यापारिक संस्थायें और खेती-विभाग के कर्मचारी किसानों तक पहुँचाते रहते हैं।

कुछ किसान 'मिंक' तथा ऊदबिलाव जानवर भी पालते हैं, जिनके रोयें से कीमती कपड़े बनाये जाते हैं। कुछ निवासी भेंड़ और सुअर पालते हैं। कुछ लोग मुर्गियां पालने का काम भी करते है जिनके अंडे और गोश्त से उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। कुछ किसान आनन्द और व्यायाम के लिये घोड़े भी पालते हैं।

हाइड पार्क के किसान जौ, गेहूँ, चुकन्दर, मटर, जई आदि पैदा करते हैं। भूमि का एक बड़ा भाग घास और चारे के लिये भी निश्चित है। कुछ किसान सेम भी उगाते हैं। इससे उन्हें अच्छे दाम मिल जाते हैं। कृषि की उपज काफी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के साधनों की बहुतायत है और लोगन हाइड पार्क नहर से काफी जल मिल जाता है। इस नहर का प्रबन्ध किसानों की सहकारी समिति करती है।

हाइड पार्क की एक प्रमुख विशेषता घरेलू बाग बगीचों के उपयोग में है। यहां के अधिकांश निवासी सेम, आलू, चुकन्दर, टमाटर, मूली, गाजर, गोभी, मटर आदि तरकारियां उगाते हैं। इन तरकारियों का इस्तेमाल वे गर्मी के मौसम में करते हैं और दोस्तों तथा सम्बन्धियों में बांटने के बाद जो बच जाती है उसे डिब्बों में बंद कर शीत-काल के लिये सुरक्षित रखते हैं।

घरों के बगीचों में फल के दरख्त भी हैं। इनमें से सेब, नाश्पाती, सफतालू और आलू बुखारा के वृक्ष प्रमुख हैं। कुछ किसान रसभरी व स्ट्राबेरी भी उपजाते हैं। गृहणियां गर्मियों में इन फलों को डिब्बों में सुरक्षित रखने के काम में लगी रहती हैं। इनके पास एक फल संरक्षण का सहकारी कारखाना भी है, जहाँ फल संरक्षण की सुविधाएँ मुफ्त दी जाती हैं। निवासी केवल डिब्बों का दाम देते हैं। इस कार-खाने में विभिन्न गावों के लोग अपने फल, सेम और अनाज लेकर आते हैं। शीतकाल के लिए फल और खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखवाने के साथ साथ आने वाले लोग अपने दोस्तों के साथ बातचीत और आमोद प्रमोद करते हैं। हाइड पार्क गांव में हर घर में फल संरक्षण का काम होता है।

हाइड पार्क में इस समय मटर की फलियों से दाने निकालने के अलावा कोई अन्य कारखाना नहीं है। कुछ लोग स्मिथ फील्ड के फल-संरक्षण के कारखाने में तथा लोगन और आगडेन के उद्योग धन्धों में काम करते हैं। निश्चित रूप से यह तो नहीं कहा जा सकता है कि इनका वेतन क्या है, परन्तु लोगों से बातचीत करने के बाद यह मालूम पड़ा कि यहाँ के निवासी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत ही सजग हैं और सदैव अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये उद्यत रहते हैं। हमारे देश के किसानों की अपेक्षा यहाँ के निवासियों का आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन बहुत ही व्यवस्थित है। वस्तुतः हाइड पार्क में सहयोग और भाई चारे का जैसा वातावरण दिखाई पड़ता है वैसा अमेरिका के दूसरे भागों में भी कम दिखाई पड़ता है।

सामाजिक व्यवस्था

हाइड पार्क की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन परिवार के अध्ययन से

आरम्भ करना पड़ेगा क्योंकि परिवार ही सामाजिक सम्बन्ध, मेल जोल और सामाजिक मान्यताओं का प्राथमिक आधार है।

परिवार

मार्मन समाज में परिवार एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार का मतलब है पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों की बुनियादी इकाई। यही समाज की पहली इकाई है। इसके अलावा परिवार में सम्बन्धियों के बडे समूहों का भी समावेश होता है।

सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में ही नही बल्कि धार्मिक क्षेत्रों में भी पिता परिवार का मुखिया माना जाता है। उसका स्थान बहुत पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर वह उनकी देखभाल करता है। पादरी द्वारा अधिकार मिलने पर वह अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा भी देता है और उन्हें अपने धर्म का ज्ञान कराता है। धार्मिक संगठनों की सहायता से वह अपने बाल बच्चो के विकास पर भी पूर्ण ध्यान देता है। परिवार के अन्दर वह प्रार्थना और भोजन के वक्त प्रार्थना करवाता है। धार्मिक संगठनों के सदस्य गिर्जाघर में विवाह करते हैं और हमेशा हमेशा के लिये विवाह के पवित्र बन्धन में बंध जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न परिवारों के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तक एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाते हैं। कुछ धार्मिक नियमों के अनुसार, जिन्हें बहुत ही पवित्र माना जाता है, पूर्वजों के सम्बन्ध पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

बच्चों के लालन पालन और पारिवारिक निर्णय देने के लिये मां को उचित अधिकार मिला हुआ है। यद्यपि औरतों को धार्मिक संगठनों में पुरुष के बराबर स्थान नहीं मिला है फिर भी वे समाज में काफी प्रभाव डाल सकती हैं। इस कार्य के लिये 'जूनियर रविवारीय स्कूल,' प्राइमरी संगठन, 'यंग लेडीज़ म्युचुवल इम्प्रूवमेन्ट एसोशियेशन' और 'रिलीफ सोसाइटी' आदि संस्थाएँ बनी हैं जिनमें स्त्रियां भाग लेती हैं और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा करती हैं।

इस समाज में विवाह को काफी स्थायित्व प्राप्त है। यहां तक कि दूसरे मार्मन समाजों या यूटा राज्य के समाजों की अपेक्षा इस गांव में विवाह की प्रथा बहुत पवित्र मानी जाती है और पति-पत्नी का बन्धन सदैव के लिये होता है।

यहाँ के परिवार प्रायः बड़े हैं और उनमे सदस्यों की संख्या पर्याप्त रहती है। माता पिता ऐसे परिवारों के विषय में गर्व का अनुभव करते है। मार्मन धर्म की शिक्षा है "माता पिता को ईश्वर के बाद दूसरा दर्जा प्राप्त है।"

बच्चों को अपने माता पिता की इज्जत करना उदाहरण से समझाया जाता है। कभी कभी माता पिता अपने सगे सम्बन्धियों तथा अपने माता पिता के घर जाकर

आदर का उदाहरण प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। इस तरह मार्मन समाज में परिवार का ढांचा एक सूत्र में बंधा है और इसकी व्यवस्था पर्याप्त संतोषजनक है।

धार्मिक संस्थाएं

हाइड पार्क गांव में 'चर्च आफ जेसस क्राइस्ट आफ लैटर डे सेन्ट्स' (बाद के संतों का मसीही संप्रदाय अर्थात् मार्मन संप्रदाय) एक महत्वपूर्ण और शक्तिवान धार्मिक संस्था है।

'वार्ड'

धार्मिक संघ की स्थानीय संस्था वार्ड कहलाती है जिसमें ६०० से ८०० तक की जन-संख्या आती है।

'बिशपरिक'

'वार्ड' की मुख्य धार्मिक समिति बिशपरिक कहलाती है। बिशप की नियुक्ति साल्ट लेक के सामान्य सभासदों द्वारा 'स्टेक' के सभापति की सिफारिश से की जाती है। वह समाज का एक प्रतिष्ठित और अच्छा सेवा परायण सदस्य होता है। उसे अपने काम के लिये कोई भी वेतन नहीं मिलता। उसकी सहायता के लिये प्रथम और द्वितीय सलाहकार होते हैं। इसके अलावा वार्ड का क्लर्क भी उसकी मदद करता है। यह लोग गिर्जाघर को अपनी सेवाएं उस समय तक देते रहते हैं जब तक कि उनकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। यद्यपि विशप (पादरी) ही गिर्जाघर का सभापति होता है फिर भी उसके दोनों सलाहकार वारी वारी से पादरी के साथ धार्मिक कामों का निरीक्षण करते हैं, समय समय पर उनकी बैठकों का आयोजन करते हैं और क्रम क्रम से सभाओं के सभापति भी होते हैं।

पादरी की जिम्मेदारी रुपये पैसे के मामले में भी होती है। वह गिर्जाघर के लिये चढ़ावा स्वीकार करता है जो प्रायः लोगों की आमदनी का दसवाँ भाग होता है। पादरी ही कल्याण के कार्यक्रमों का सभापति भी होता है। समय समय पर वह अपने सलाहकार और अन्य पादरियों से सलाह मशविरा भी करता है। परन्तु धन और हिसाब-किताब की जिम्मेदारी उसी की है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि "पादरी और उनके सलाहकार जिन्हें समाज के विशिष्ट सदस्य सहायता देते हैं वार्ड के अन्दर धार्मिक कार्यों के चलाने के लिये जिम्मेदार होते हैं।"

बिशपरिक के प्रत्येक सदस्य और वार्ड क्लर्कों के कार्यों का विस्तृत उल्लेख "हेल्प्स एंड सजेशन्स फार वार्ड बिशपरिक्स" नामक पुस्तिका में दिया गया है। इसके पढ़ने से यह लोग अपने कार्यों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी बिशपरिक के निर्णयानुसार इसमें कुछ हेर फेर भी किया जा सकता है।

स्टेक

संगठन और कार्य की दृष्टि से वार्ड का सम्बध स्टेक से होता है। "एक स्टेक में आम तौर से पाँच से दस वार्ड रहते हैं। १९४९ में इसका औसत ८ था। स्टेक का सभापति अपने सलाहकारों के साथ इसका सभापतित्व ग्रहण करता है। स्टेक का क्लर्क सभा की कार्यवाही लिखता है और रुपये, पैसे तथा अन्य सूचनाओं का भी ब्योरा रखता है।"

स्टेक सभा मण्डल के लिये एक सलाहकार समिति भी होती है, जिसमें १२ से १५ सदस्य रहते हैं। इसके अलावा प्रत्येक स्टेक में अधीक्षक और सहायक भी रहते है जो स्टेक के विभिन्न धार्मिक कार्यों का निरीक्षण करते है।

सामान्य अधिकारी

धार्मिक संगठनों के अधिकांश कार्यों का संचालन 'साल्ट लेक' शहर के गिर्जाघर के साधारण अधिकारियो द्वारा किया जाता है। "इस केन्द्रीय समिति में ३० अधिकारी होते है—सभापति, प्रथम व द्वितीय सलाहकार, १२ सदस्य जिन्हें कि 'अपोसिल' कहते हैं, ७ सदस्यों की एक सभा, सभापतित्व ग्रहण करने वाला बिशपरिक और पैट्रिआर्क।"

"गिर्जाघर का सभापति सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वह १२ सदस्यों की 'अपोसिल' सभा द्वारा चुना जाता है। यह सभापति जीवन पर्यन्त काम करता है।"

गिर्जाघर का संगठन सम्बन्धी विवरण सामान्य अधिकारी स्तर तक आवश्यक है, क्योंकि हाइड पार्क का धार्मिक संघ इससे पूरी तरह से सम्बन्धित है।

धार्मिक संगठन का यह केवल एक पहलू है। इस संघ की १२ वर्ष के बालकों से ऊपर की सदस्यता धर्मशासक के निर्णयानुसार आयु, आध्यात्मिक ज्ञान तथा धर्म सम्बन्धी बातों की जानकारी पर निर्भर करती है। 'एरोनिक' पादरी का पद आयु के साथ बटा हुआ है। १२ और १३ साल के सभी लड़के धर्म की दीक्षा लेने के बाद डीकन्स कहलाते हैं। १४ व १५ साल के नवयुवक टीचर्स (शिक्षक) और १६ से १८ साल के नवयुवक प्रीस्ट (पुरोहित) कहलाते हैं।

'डीकन्स' लोग निवासियों के घर जाते है, उन्हें धर्म सम्बन्धी सूचनाएं देते हैं और अन्य धार्मिक कामों में मदद करते हैं। ये लोग गिर्जाघर के नवयुवक स्वयंसेवक होते हैं। टीचर वार्ड की पढाई लिखाई और धार्मिक सभाओं का संगठन करते हैं। प्रीस्ट लोग धार्मिक संस्कारों के अवसर पर प्रार्थना करते हैं। ये कार्य अलग अलग नहीं हैं। यह तो केवल कार्यों को समझने के लिहाज से एक सुविधाजनक बटवारा है।

'मिल्केज़िडिक' वर्ग 'एरोनिक' से उच्च होता है क्योंकि उसे आध्यात्मिक और गिर्जाघर के आंतरिक नियमों के निर्माण का श्रेय प्राप्त रहता है। यह समुदाय अन्य

वर्गों के कामों का भी सचालन कर सकता है। इसे धार्मिक सभाओं मे सभापतित्व ग्रहण करने का अधिकार होता है। मिल्केजिडिक पादरी समुदाय में ६ सदस्य होते है।

१—एल्डर जो गृह मन्त्री होता है।

२—सेवेन्टी जो कार्यवाहक मन्त्री होता है।

३—उच्च पादरी, जो आध्यात्मिक बातो का मन्त्री होता है और गिर्जाघर के कार्यक्रमों में सभापति का आसन ग्रहण करता है।

४—पैट्रिआर्क, जो गिर्जाघर के सदस्यों को आशीर्वाद देता है।

५—अपोसिल, जो यात्रिक सलाहकार होता है और समस्त ससार मे ईसामसीह का गवाह होता है।

६—उच्च पादरियो का सभा-मण्डल, जो पादरियों के सभी कार्यक्रमों में कार्य संचालन का अधिकारी होता है।

पादरी समुदाय के इस वर्गीकरण के फलस्वरूप निम्न दो कार्यो में सरलता हो जाती है।

१-संगठन करने वाला दल धार्मिक बातों को बताने तथा वाद-विवाद में हिस्सा लेने में सहायता देता है।

२-प्रेरणा प्रदान करने वाला वर्ग गिर्जाघर के क्षेत्र में आध्यात्मिक बातों का सचालन करता है। नीचे लिखे तरीके द्वारा पादरी समुदाय का संगठन अधिक सरलता से समझा जा सकेगा :

वार्ड बिशपरिक

मिल्केजिडिक (प्रौढ़ वर्ग)	**सहायक संगठन और समितियां**
१-हाई प्रीस्ट्स	१-रिलीफ सोसाइटी (सहायता समिति)
२-सेवेन्टीज़	२-'सन्डे स्कूल' (रविवारीय स्कूल)
३-एल्डर्स	३-'यग मेन्स म्यूचुअल इम्प्रूवमेन्ट एशोसियेशन' (नवयुवकों का पारस्परिक विकास संघ)
'एरोनिक' (युवक वर्ग)	४-'यग लेडीज़ म्यूचुअल इम्प्रूवमेन्ट एशोसियेशन' (नवयुवतियों का पारस्परिक विकास संघ)
१-प्रीस्ट्स	५-प्राइमरी एशोसियेशन (प्रारम्भिक सघ)
२-टीचर्स	६-बोर्ड आफ एजूकेशन (शिक्षा परिषद)
३-डीकन्स	७-वेलफेयर कमेटी (कल्याण समिति)

८-क्वायर (संगीत समितियां)

धार्मिक संगठनों की संख्या—१४

सहायक संगठन और समितियां

रिलीफ सोसाइटी

यद्यपि स्त्रियों को पुरोहित का पद नहीं दिया जाता, फिर भी वे गिर्जाघर के संचालन और उसकी सेवाओं में कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती। रिलीफ सोसाइटी में २५ वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियां सम्मिलित होती हैं। इस सोसाइटी का कार्य शिक्षा तथा सामाजिक सेवा की सुविधाएं जुटाना है। इसकी सदस्य महिलायें घर-घर जाकर औरतों को धार्मिक शिक्षा देती हैं। वे बीमार और जरूरतमन्दों के पास जाती हैं, नक़द और वस्तु के रूप में चन्दा जमा करती हैं तथा धार्मिक कल्याण के कार्यक्रमों में सहायता पहुंचाती हैं। इस सोसाइटी की सभा में भी सलाहकार और क्लर्क महिलायें ही होती हैं।

रविवारीय स्कूल

इस विभाग में एक अधीक्षक, दो सलाहकार और एक मन्त्री होते हैं। इनका कार्य गिर्जाघर के सदस्यों के लिये धार्मिक शिक्षण की व्यवस्था करना है। इस संघ के दो वर्ग होते हैं—पहला जूनियर सन्डे स्कूल और दूसरा संडे स्कूल। बिशपरिक तथा संडे स्कूल का एक एक सदस्य १२ वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये जूनियर संडे स्कूल का संचालन करता है। धार्मिक शिक्षण के दृष्टिकोण से इन बच्चों को कई आयु-वर्गों में बांटा जाता है। १२ वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिये तथा स्त्री-पुरुषों के लिये सन्डे स्कूल रहता है, जिसका संचालन बिशपरिक और विभागीय अधीक्षक द्वारा किया जाता है। रविवार को ये सब लोग सभा भवन में मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं और धार्मिक संस्कारों के पश्चात विभिन्न कक्षाओं में बंट जाते हैं। कक्षा के बाद फिर 'हाल' में एकत्रित् होते हैं और अंतिम प्रार्थना के पश्चात अपने स्थान वापस जाते हैं।

प्राइमरी एशोसियेशन (आरंभिक शिक्षा संघ)

१२ वर्ष से कम आयु के बालक-बालिकाओं के लिये यह संगठन सप्ताह में एक बार धार्मिक शिक्षाओं का आयोजन करता है। यह कक्षा एक प्रकार से छोटे बच्चों के लिये नर्सरी या किन्डर गार्टन स्कल का कार्य करती है, जिसमें धर्म को प्रधानता दी जाती है। इस संघ का कार्यक्रम एक सभापति, दो सलाहकार और एक क्लर्क द्वारा संचालित किया जाता है।

म्यूचुअल इम्प्रूवमेन्ट एशोसियेशन (युवकों-युवतियों के पारस्परिक विकास के संघ)

ये संघ नवयुवकों और नवयुवतियों के लिये होते हैं। इनके दो अलग अलग वर्ग होते हैं। इनकी सभाएं मंगलवार की शाम को आयोजित की जाती हैं जिनमें विभिन्न सामाजिक, मनोरंजन सम्बन्धी तथा शिक्षा आदि के कार्यक्रम रहते हैं और नृत्य, नाटक, संगीत, वाद-विवाद, खेल-कूद, सैर सपाटा और धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध होता है।

इन सहायक धार्मिक संघों के अलावा गिर्जाघर के संगठन मे ३ अन्य समितियां तथा १ धार्मिक संगीत मण्डली होती है।

बंशावलि समिति

इसके अध्यक्ष, दो प्रतिनिधि और मंत्री बंशावलि सम्बन्धी कार्यक्रमों की देखरेख करते हैं।

वार्ड की शिक्षा समिति उस स्थान की शिक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियों की देख-भाल करती है। इस समिति में ३ निरीक्षक और ३ सहायक निरीक्षक होते है। महीने में एक दिन वार्ड के दो अध्यापक पाँच-छः घरों में जाकर शिक्षा प्रदान करते हैं और धर्म सम्बन्धी बातों की चर्चा करते हैं। वे यह भी पता करते हैं कि क्या किसी को किसी तरह की सहायता चाहिये। इन कार्यों का विवरण लिखकर बिशप के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि किन स्थानों में सहायता की जरूरत है।

वेल्फेयर (कल्याण समिति)

बिशप इस समिति का अध्यक्ष होता है। यह समिति स्थान विशेष के कल्याण कारी कार्यक्रमों की देख-भाल करती है और चन्दा आदि जमा करने का कार्य संगठित करती है। रिलीफ सोसाइटी की सभानेत्री, बिशप के प्रथम व द्वितीय सलाहकार और पाँच अन्य व्यक्ति इस समिति के सदस्य होते हैं। यह समिति प्रत्येक सप्ताह एक बैठक आयोजित करती है।

चर्चक्वायर (धार्मिक संगीत-मंडली):—यह मंडली 'बिशपरिक' के आधीन होती है। इसमें एक संगीत निर्देशक, एक सभापति, एक मंत्री और दो संगीत-वादक होते हैं। इस मंडली का कार्य गिर्जाघर की संगीत कार्यवाहियों को आयोजित करना है।

उक्त सभी समितियाँ और पादरियों के दल अत्यंत व्यवस्थित ढंग से गिर्जाघर के नियमों के आधीन तथा आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। अन्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये शिक्षण, मनोरंजन सम्बन्धी तथा नागरिक संस्थाएं भी कार्य करती हैं। इन सबका प्रयास समाज में सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करना

तथा भाई-चारे की भावना बढ़ाना होता है। लेखक ने हाइड पार्क में इन समितियों की जो व्यवस्था देखी, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनकी व्यवस्था अत्यंत सुन्दर है और इनमें किसी भी प्रकार की स्पर्धा या होड़ नहीं दिखाई देती। कुछ अन्य संस्थाओं का वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

शिक्षण संस्था

प्राथमिक पाठशाला

हाइड पार्क गाँव की स्थापना के आरम्भ से ही एक प्राथमिक पाठशाला खोली गई। इसकी दो मंजिला इमारत सन् १९०४ में पूरी हुई थी। बाद में मनोरंजन के लिये एक कमरा भी बनाया गया। इस स्कूल में आठवीं श्रेणी तक पढ़ाई का इन्तजाम था। अभी हाल में सातवीं और आठवीं कक्षाओं को इस पाठशाला से अलग कर दिया गया है और उसके लड़के और लड़कियाँ स्मिथ फील्ड जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं। हाइड पार्क की प्राथमिक पाठशाला में तीन अध्यापक कार्य करते हैं। सन् १९५७ की शरद ऋतु में इस स्कूल की विद्यार्थी संख्या ७५ थी। ४६ लड़के और लड़कियाँ 'स्मिथ फील्ड जूनियर हाई स्कूल' में और ४६, 'रिचमंड' के पास 'नार्थ कैशे काउंटी सेन्ट्रल हाई स्कूल' में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

अभिभावक एवं शिक्षक संघ

इस संघ की स्थापना १९४६ में की गई थी। इसका उद्देश्य अभिभावकों और अध्यापकों में मेल-जोल तथा सम्पर्क बढ़ाना है जिससे बच्चों की शिक्षा में उन्नति की जा सके। इस संघ का एक सभापति, एक उप-सभापति, एक मंत्री और एक कोषाध्यक्ष होता है। इस संघ की कई अन्य समितियाँ भी होती हैं, जैसे कार्यक्रम समिति, सदस्यता और उपस्थिति समिति, स्वास्थ्य समिति, इमारत समिति, पुस्तकालय समिति तथा समाज सेवा समिति।

इस स्कूल का प्रधानाचार्य अथवा उप-प्रधानाचार्य संघ का उप- सभापति भी होता है। अभिभावकों के तौर पर केवल स्त्रियाँ ही समिति में चुनी जाती हैं। अन्य समितियों में भी केवल स्त्रियाँ ही सदस्य और अधिकारिणी बन सकती हैं। जब लेखक ने यह पूछा कि इस संघ में बच्चों के पिता को क्यों नहीं सम्मिलित किया जाता, तो उत्तर मिला 'अरे, यह तो मामूली बात है। हम सब लोग संघ की साधारण बैठक में ही हिस्सा लेते हैं। संघ की सदस्यता और कार्यकारिणी समिति में केवल स्त्रियाँ ही रहती हैं। बात यह है कि वे यह काम बड़ी सुन्दरता से संचालित करती हैं।"

'फोर-एच क्लब'

हाइड पार्क में इस प्रकार के चार संघ काम करतेदिखाई दिये । इनका संगठन चार विशेष कार्यक्रमों के लिये होता है-सीना पिरोना,बिजली का काम, मुर्गी पालना और खाना बनाना । प्रत्येक क्लब में ५ से ८ सदस्य रहते है और एक प्रौढ नेता भी होता है जो नवयुवकों के लिये विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करता है । इन नेताओं को 'काउंटी' प्रसार कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है । पर इन्हें कोई वेतन या पुरस्कार नहीं दिया जाता । सम्मान और सेवा की भावना से ये लोग युवकों की सहायता करते हैं ।

'होम मेकर्स क्लब'

हाइड पार्क गाँव में इस क्लब की दो शाखाएं काम कर रही है—'जूनियर क्लब' और'सीनियर क्लब ।' प्रत्येक क्लब में लगभग १६ से २० तक सदस्य हैं । इस क्लब का उद्देश्य है "हाइड पार्क गाँव में अधिक प्रगतिशील, महत्वाकांक्षी और सतर्क स्त्रियाँ तैयार करना ।" साल में एक बार महिला प्रदर्शन एजेंट घरेलू कठिनाइयों और कार्य-क्रमों के सम्बन्ध में व्यावहारिक प्रदर्शन भी देती है । इन क्लबो में तीन अधिकारी होते है—सभापति या उप-सभापति, मंत्री और कोषाध्यक्ष ।

'फार्म ब्यूरो' (कृषक मंडल)

इस ब्यूरो का कार्य सन् १९४९ में आरम्भ हुआ । इसका उद्देश्य दो प्रकार का है शिक्षा संबंधी और राजनीतिक । फार्म ब्यूरो के कुछ लाभ, जिनका कि पता अभि-लेखों से मिलता है, नीचे दिये जा रहे हैं---

१—मोटर गाड़ियों के लिये सस्ती बीमा सम्बन्धी सुविधा जुटाना ।

२—कृषकों के हित के कानून बनाने में सहायता ।

३—फसल का और दूध वाले जानवरों का बीमा ।

४—किसानों का आपसी सहयोग ।

५—शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं ।

इस संगठन में एक सभापति, उप-सभापति, मंत्री और कोषाध्यक्ष रहता है । पहले यह संघ 'कृषि प्रसार सेवा' से सम्बद्ध था, लेकिन अब इसका कार्यालय अलग है और संघ का दृष्टिकोण शिक्षा सुविधाएं देने की अपेक्षा आर्थिक और राजनीतिक अधिक है । सन् १९५६-५७ में हाइड पार्क में इस सघ के २६ सदस्य थे ।

व्यापार की व्यवस्था और सेवा विभाग

दूकान

हाइड पार्क में एक परचून की दूकान भी है जिस पर श्री ए०एन० वेल्स का अधिकार है । इसका संचालन उनके पुत्र श्री शैरो वेल्स करते हैं । इस दकान से गाँव

की काफी आवश्यकताये पूरी हो जाती है । इसमें फल, सब्जी, मांस. अनाज, कागज-पत्र, खिलौने आदि गाँव की जरूरत की लगभग सभी चीजे मिलती है।

पेट्रोल पप

श्री वर्नर सीमेन्स और लेमोइल हैरिस के दो पेट्रोल पप यहां भी कार्य करते है। इन केन्द्रो मे मोटर-गाडियो के लिये तेल, खेती के लिये यंत्र आदि मिलते है। इन यंत्रों की मरम्मत भी यहाँ की जाती है। इसके अलावा इन केन्द्रों में शीतल पेय, फालूदा, कुल्फी-मलाई और बच्चो के लिये शकर की मिठाइयाँ भी बिकती है।

डाकखाना

हाइड पार्क गॉव मे एक राजकीय डाकखाना भी है। यह प्रातः ६ बजे से संध्या के ६ बजे तक खुला रहता है। गॉव के निवासी डाकखाने मे आकर अपनी चिट्ठी पत्री आदि ले जाते है।

टेलीफोन

हाइड पार्क का टेलीफोन सम्बन्धी प्रबन्ध लोगन एक्सचेज से सम्बद्ध है। लोगों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये टेलीफोन स्वय-चालित पद्धति पर बनाया गया है। गॉव के १६५ परिवारों में अथवा ९३ प्रतिशत निवासियों के घर में टेलीफोन लगा हुआ है।

बिजली

प्रत्येक घर में बिजली लगी है। जिसका इस्तेमाल रोशनी करने, खाना बनाने, दूध दुहने तथा कारखाने के सचालन में होता है। ६ घरों में कोयले के चूल्हे भी हैं। इस गांव में गैस का इन्तजाम नहीं है।

टेलीविजन

गांव के १३९ घरों में (७८ प्रतिशत) टेलीविजन सेट लगे हुए हैं। जिन लोगों के पास टेलीविजन नहीं हैं, वे रेडियो रखते है।

स्वास्थ्य सेवा

लोगन की काउंटी समिति के स्वास्थ्य-अधिकारियों द्वारा प्रत्येक महीने जल-व्यवस्था का निरीक्षण होता है। हर घर में शौच आदि के लिये फ्लश की टट्टियाँ और स्नानागार आदि मे आधुनिक प्रबन्ध है। घर का कूड़ा करकट एक दूर स्थान पर जमा किया जाता है जिसे समय समय पर जला देते है। बसन्त ऋतु के आरभ में 'स्वच्छता सप्ताह' मनाया जाता है जिसमे गावों का स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जाड़े में बरफ पड़ी होने के कारण नियमित सफाई का काम रुका होता है—

इसलिये वसंत में सब लोग अपने गांव और मुहल्ले की पूरी सफाई करते हैं। इसके बाद पूरे साल भर गांव की गलियों को साफ सुथरा बनाये रखते हैं।

इस गाव में कोई डाक्टर नही रहता लेकिन चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा पास के कस्बो, लोगन और स्मिथ फील्ड, से तुरंत मिल जाती है जो गांव से क्रमश: पांच और दो मील की दूरी पर स्थित है। चिकित्सा सम्बधी सहायता मिलने में कोई भी कठिनाई नहीं होती क्योंकि ९३ प्रतिशत घरों में टेलीफोन लगे है, ८६ प्रतिशत परिवारों के पास मोटर गाड़ियां है और २६ प्रतिशत परिवारों के पास दो या उससे अधिक मोटरें है। विभिन्न महिला संघों द्वारा माताओं को शिशु पालन तथा प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी भी कराई जाती है। गांव के निवासियों का स्वास्थ्य स्तर यों भी बहुत अच्छा है।

नागरिक संगठन

टाउन बोर्ड

हाइड पार्क गांव में सन् १८९२ में टाउन बोर्ड की स्थापना की गई। यह बोर्ड गांव का प्रबन्ध बड़ी कुशलता से करता है। इसके अनेक कार्य है, जैसे सड़कों की रोशनी, गलियों और सड़कों का प्रबन्ध. पीने के पानी की व्यवस्था आदि। बोर्ड के संचालन के लिये एक समिति होती है जिसका सभापति मेयर कहलाता है। समिति में ४ सदस्य रहते हैं जिनके आधीन जल-व्यवस्था, रोशनी, यातायात और सुरक्षा के कार्यक्रम रहते हैं। थोड़े समय के लिये आंशिक वेतन पर जल और पुलिस का 'मार्शल' भी बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह एक सिंचाई का लगान वसूल करता है और दूसरा गांव की सुरक्षा का काम देखता है। टाउन बोर्ड का क्लर्क हिसाब किताब तथा अन्य विवरण रखता है।

लायन्स क्लब

इस संघ का सगठन अंतर्राष्ट्रीय लायन्स क्लब के अंतर्गत हुआ है। इसके निम्न-लिखित उद्देश्य है:—

१. व्यापार और व्यवसाय के कुछ प्रतिनिधियों का संघ बनाना और उनमें आपसी मेलजोल, सामाजिक एकता तथा व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाना।

२. व्यापार, उद्योग धन्धे और सामाजिक कल्याण के कार्यों में उन्नति करना और इनके द्वारा सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना।

हाइड पार्क में इस संघ की स्थापना सन् १९४७ में की गई थी। तब से यह संघ गांव की भलाई में बराबर अपना योगदान दे रहा है। इस संघ ने स्कूल-भवनों और पार्कों के निर्माण और उनमें मनोरंजन व खेलकूद के साज-सामान जुटाने में मदद दी

है। सन् १९५२ में इसकी सदस्य-संख्या ३२ थी जो ५६-५७ में ४५ हो गई थी। इस संघ के निम्नलिखित अधिकारी होते हैं:—

१. सभापति
२. प्रथम उप-सभापति
३. द्वितीय उप-सभापति
४. तृतीय उप-सभापति
५. सिंह पालक
६. सिंह चेतक
७. मंत्री और कोषाध्यक्ष
८. संचालक (विशेष कार्यो के लिये)

सितम्बर से मई तक इस संघ की बैठकें हर १५ वे दिन होती हैं और जून से अगस्त तक मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में भोज, चित्र-प्रदर्शन, वार्ता, हास्य व्यंग और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस संघ की सदस्यता केवल पुरुषों तक ही सीमित है। जून और अगस्त के महीनों में कुछ सामाजिक गोष्ठियां भी आयोजित की जाती है जिनमें सदस्यों की पत्नियों को भी बुलाया जाता है। सदस्यों के सहयोग से संघ का कार्यक्रम बहुत ही जनतांत्रिक ढंग से संचालित होता रहता है। इस प्रकार सदस्यों को नेतृत्व के विकास का अच्छा अवसर मिल जाता है। इस संघ की कुछ विशेष समितियां निम्नलिखित है:—

१. कार्यक्रम समिति
२. वित्त समिति
३. उपस्थिति समिति
४. विधान और सामाजिक परम्परा समिति
५. स्वास्थ्य और कल्याण समिति
६. शिक्षा समिति
७. सदस्यता समिति
८. नगर सुधार समिति
९. बालक और बालिका सूचना समिति
१०. प्रचार और सूचना समिति
११. कृषि समिति
१२. सुरक्षा समिति
१३. ग्राम सुधार समिति

इस तरह हमने देखा कि इस संघ के कुछ कार्य गिर्जाघर द्वारा संचालित कार्यों से मिलते जुलते है। गिर्जाघर के एक वयोवृद्ध सदस्य ने जो लायन्स संघ के सभापति भी रह चुके थे, यह बताया कि पादरियों का समुदाय उन सब कामों को कर सकता है जिनकी जिम्मेदारी इस क्लब पर है। लेकिन इस क्लब का कार्यक्षेत्र कुछ और विस्तृत है तथा जो लोग धार्मिक संगठनों के सक्रिय सदस्य नहीं हैं वे भी क्लब के कार्यों द्वारा समाज और गांव की भलाई में सहयोग दे सकते है।

सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन

इस गांव में पारस्परिक विकास संघ तथा 'लायन्स' संघ द्वारा पर्याप्त सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। फिर भी कुछ

अन्य संघ भी हैं जो इन कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। ऐसे संघ विशेषकर स्त्रियों द्वारा संगठित किये गये हैं। इन संघों में लगभग १६ से २० तक सदस्य होते हैं जो साहित्यिक, कलात्मक और मनोरंजन सम्बन्धी बातों में पूरी दिलचस्पी लेते हैं। हाइड पार्क गांव में इस प्रकार के निम्नलिखित संगठन हैं :—

साहित्यिक क्लब

इस क्लब की स्थापना १९३० में हुई थी। इसमें इस समय १६ महिलायें सदस्य हैं। इस संघ का कार्यक्रम है—नाटक या किसी पुस्तक को पढ़कर सुनाना, किसी पुस्तक की आलोचना, संगीत, प्रार्थना और खान-पान। इसमें तीन अधिकारी होते हैं, सभापति, उपसभापति और मंत्री व कोषाध्यक्ष। ये लोग महीने में एक बार मिलते हैं; साहित्यिक चर्चा तथा सामाजिक मिलन से अपना दृष्टिकोण व्यापक करते और मनोरंजन का आनंद लेते हैं।

'फाइन आर्ट्स क्लब'

इस क्लब की स्थापना सन् १९४१ में हुई थी। इसके कार्यक्रम साहित्यिक क्लब से मिलते-जुलते हैं जैसे किताबों की समीक्षा, वार्ता, चित्र प्रदर्शन आदि। ५६-५७ में इस क्लब के १४ सदस्य थे। कार्य संचालन के लिये एक सभापति, मंत्री व कोषाध्यक्ष होता है।

'जस्ट फार फन क्लब' (मनोरंजन क्लब)

इस क्लब में सदस्य लोग बड़े इत्मीनान से मिलते हैं और खुले तौर पर कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इसके कार्यक्रमों में पढ़ने लिखने के अलावा सीना पिरोना भी आता है। समय-समय पर सदस्य आपस में उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। इस क्लब की स्थापना १९३५ में हुई थी। इसमें १६ सदस्य हैं। इसमें सभापति, उप-सभापति और एक मंत्री-कोषाध्यक्ष होता है। इन क्लबों में सदस्यता सीमित होने के कारण प्रत्येक सदस्य को बारी-बारी से कार्यकारिणी समिति में आने का अवसर मिलता है।

यूटा के अग्रिणी लोगों की पुत्रियों का क्लब

ऊपर बताये गये क्लबों की अपेक्षा इस क्लब का संगठन कुछ भिन्न होता है। यह क्लब गिर्जाघर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। परन्तु यह पूरी तरह से धार्मिक संघ नहीं है। हाइड पार्क गांव में इस क्लब की स्थापना १९३५ में हुई थी। इसमें २८ सदस्य हैं जो यूटा के अग्रिणी लोगों के वंशज हैं। सितम्बर से मई तक इस क्लब की महीने में एक बार बैठक होती है जब सभी लोग अपने पूर्वजों के संस्मरण सुनाते हैं। इस क्लब का बहुत कुछ ऐतिहासिक महत्त्व है। इस क्लब के अधिकारियों को कप्तान, प्रथम उप-कप्तान, द्वितीय उप-कप्तान, चैप्लेन, हिस्टोरियन और पार्लियामेन्टेरियन

कहते है। मंत्री-कोषाध्यक्ष बैठकों की कार्यवाही का विवरण रखना है। इसकी बैठक गिर्जाघर में होती है जहाँ प्रार्थना के पश्चात् पूर्वजों के संस्मरण सुनाये जाते हैं और उनके सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यो पर चर्चा की जाती है।

महिलाओं के ये संघ पूर्वजों के विषय में पूरी छानबीन करते हैं और उनकी इतिहास सम्बंधी सूचनाएं संग्रहीत करते हैं। इस संघ ने सन् १८६० से १९३५ तक का हाइड पार्क का इतिहास भी लिखा है।

सामाजिक स्तर

हाइड पार्क में सामाजिक आधार पर कोई विभाजन नहीं दृष्टि-गोचर होता है। इस गांव का समाज इतना घुला मिला है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सभी परिवार एक कुटुम्ब के अंग है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी इस गांव को अलग-अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेखक ने देखा कि हाइड पार्क में रहने वाले चार अध्यापक खेती का भी काम करते है। कृषक वर्ग खेती के साथ पशुपालन का भी धंधा करता है। धार्मिक, सामाजिक और गांव की व्यवस्था में सभी लोग पूरी तरह सहयोग देते हैं। इसलिये सामाजिक आधार पर लोगों का कोई अलग-अलग वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।

हाइड पार्क गांव में शिक्षा में विशेष प्रगति हुई है। शिक्षा सम्बंधी आंकड़ों से पता चलता है कि यहाँ पर शत प्रतिशत लोग साक्षर हैं। निम्न तालिका से इस बात का पता चल जायगा—

	सदस्य संख्या	प्रतिशत
१. उच्च शिक्षा प्राप्त	२७	७·३
२. कालेज तक की शिक्षा प्राप्त	९६	२५·७
३. हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त	९३	२४·९
४. हाई स्कूल से नीचे शिक्षा प्राप्त	६२	१६·६
५. आठवीं श्रेणी और उससे कम शिक्षा प्राप्त	९५	२५·५
	३७३	१००·०

शिक्षा ही नही वरन् व्यवसाय की दृष्टि से भी यहाँ की सारी जनता काम में लगी हुई है। यहाँ कोई भी बेकार नही दिखाई देता।

नगरों से सम्पर्क

हाइड पार्क कोई एकाकी गांव नहीं है। आस पास के नगरों से इसका सीधा

सम्बन्ध है। लोगन और स्मिथ फील्ड के नगरों से यह गाँव जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग काम-काज के लिए आगडेन या दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में जाते हैं। इस प्रकार गाँव वालों का सम्पर्क नगरों से बना रहता है। हाइड पार्क गाँव में कोई मिल या कारखाना न होने के कारण उसका वातावरण पूरी तरह से ग्रामीण है। पहले यहाँ पर मवेशियों की नस्ल सुधार करने का एक केन्द्र था परन्तु अब वह गाँव से दो मील दूर पर स्थापित किया गया है। यद्यपि गाँव में शहरीपन नहीं आया है तथापि नगर सम्पर्क का प्रभाव दिखायी देता है। इन सम्पर्कों की कुछ छाप उनके रहन-सहन और विचारधारा पर भी पड़ी है।

२ व्यक्तिगत विकास और शिक्षा पद्धति

सामुदायिक विकास के तौर-तरीके जानने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्तिगत विकास का अध्ययन किया जाय और यह मालूम किया जाय कि इससे समुदाय के विकास में कहाँ तक सफलता मिलती है। समाज के उत्थान में व्यक्ति ही बुनियादी इकाई है, क्योंकि अगर व्यक्ति का विकास न हुआ तो सामाजिक उन्नति से फायदा ही क्या ? व्यक्ति का विकास उसके शारीरिक विकास से पूरी तरह से सम्बन्धित है। इसमें सामाजिक आचरण के परिवर्त्तनों का भी प्रभाव पड़ता है। इबिड के मतानुसार विकास के अर्थ हैं—'उन्नति की सुविधाएँ प्रदान करना या अवयवों की कार्य-क्षमता खोज निकालना'—हैविग्स्र्ट ने लिखा है, "विकास का कार्य वह काम है जो किसी व्यक्ति के जीवन में किसी खास समय विकसित होता है और जिसके सफल होने पर प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा असफलता मिलने पर असतोष व सामाजिक ग्लानि उत्पन्न होती है।"

इस प्रकार व्यक्तिगत विकास की परिभाषा यह दी जा सकती है, "व्यक्तिगत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्त्तनो को ज्ञान, कौशल तथा दृष्टिकोण के सहारे झेल सकने मे समर्थ होता है।"

पिछली दशाब्दियों में व्यक्तिगत विकास सम्बन्धी जो भी अध्ययन किए गए वे बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक ही सीमित थे, क्योकि औपचारिक शिक्षा के बहुत से स्कूल इन्ही दोनों अवस्थाओं तक थे। इधर कुछ वर्षों मे दो विचारधाराएँ प्रमुख रही है। पहली यह कि अधेड़ लोगों में विकास किस प्रकार होता है। दूसरी यह कि सामाजिक, आर्थिक और सास्कृतिक वातावरण में विकास के काम में किस प्रकार परिवर्त्तन होता है।

हाइड पार्क गाँव में व्यक्तिगत विकास के वर्णन में हम इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर अपने अध्ययन को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित करेगें:—

प्रारम्भिक बचपन	३ से ५ वर्ष
मध्यकालीन ,,	६ से ११ वर्ष
किशोरावस्था	१२ से १८ वर्ष
प्रारम्भिक वयस्क	१९ से ३० वर्ष
मध्य प्रौढ़ावस्था	३० से ५५ वर्ष
उत्तर अधेड़ावस्था	५५ से ६४ वर्ष
वृद्धावस्था	६५ वर्ष और उससे अधिक

प्रारम्भिक बचपन—इस अवस्था में व्यक्ति का विकास बड़े ही आश्चर्यपूर्ण ढंग से होता है। शारीरिक और सामाजिक विकास बड़ी तेजी से होता है। बालक चलना और भोजन करना सीखता है। वह अर्थपूर्ण आवाजें सीख लेता है और इनके सहारे दूसरों की बातें जानने की कोशिश करता है। वह अपने आप शौच करने की क्रिया सीखता है। उसे वस्तुओं की शक्ल और आकार का ज्ञान भी होने लगता है। बालक अपने माता-पिता से टूटी-फूटी भाषा में बातचीत करने लगता है और अपने विचारों को व्यक्त करता है।

बाल्यावस्था मनुष्य जीवन की सबसे प्रभावपूर्ण अवस्था है। इसलिए व्यक्ति के उचित विकास के लिए सुविधाएँ प्रदान करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर बालकों को उचित अवसर मिलता है तो वे भविष्य में श्रेष्ठ व्यक्ति बनते हैं।

इस अवस्था में बच्चों का अधिकतम सम्पर्क परिवार के अन्दर होता है। साथ ही वे पड़ोसियों के बच्चों से भी घुलने-मिलने की कोशिश करते हैं। मार्मन सँस्कृति में परिवार और बच्चों पर अत्यधिक ध्यान होने के कारण बच्चों का लालन-पालन बड़ी ममता और सावधानी से किया जाता है। अधिकतर माता-पिता अपने बच्चों के सम्मुख अच्छा आदर्श प्रस्तुत करने का महत्त्व जानते हैं। वे कोरी शिक्षा या अन्य बात-चीत के मुकाबले अच्छा आदर्श रखने की विधि अपनाते हैं।

परिवार द्वारा प्रार्थना—इस समाज में जैसे ही बालक बोलना सीख लेता है उसके माता-पिता उसे प्रार्थना करना सिखाते हैं। प्रत्येक दिन सबेरे या शाम परिवार का मुखिया बच्चे की माता या बच्चे को प्रार्थना के लिए बुलाता है। छोटे बच्चों को अभ्यास द्वारा प्रार्थना कहना सिखाया जाता है। इस काम में माता-पिता भी काफी सहायता देते हैं। बच्चों में उचित और अनुचित की भावना पैदा करना भी उनका कर्त्तव्य होता है। माता-पिता गिर्जाघर या अन्य सभाओं में बच्चों को साथ ले जाते हैं। इससे उनके मस्तिष्क पर सहयोग और मेल-जोल का महत्त्व अपना प्रभाव डालता है।

भोजन के समय बच्चो को ईश्वर को धन्यवाद देना सिखाया जाता है। हाइड पार्क गॉव मे ८० प्रतिशत परिवार अच्छे भोजन और जीवन की अनेक सुख सुविधाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते है। परिवार के सभी बच्चे इन कार्यक्रमों में पूरी तरह से हिस्सा लेते है।

परिवार-रात्रि—अधिकांश परिवार इस प्रकार की रात्रियों का आयोजन करते है। रात्रि का मनाया जाना मौसम पर निर्भर करता है। यह आयोजन अलग-अलग परिवारों में भिन्न-भिन्न होता है। कहीं सप्ताह में एक दिन और कहीं महीने में एक दिन। गर्मी की ऋतु में, जब हाइड पार्क के किसान अपनी खेतीबाड़ी के काम में पूर्णतया व्यस्त रहते हैं, परिवार-रात्रि कम मनाई जाती है। परिवार-रात्रि का कार्यक्रम प्रार्थना से आरम्भ होता है। परिवार का कोई सयाना बालक कार्यक्रम का मंत्री या संचालक बनता है और उसका पिता सभापति बनता है। इस आयोजन में प्रत्येक बालक को भाग लेना पड़ता है, चाहे वह कोई गाना गाए, कहानी कहे, या गिर्जाघर, परिवार के वंशज अथवा समाज या देश के बारे मे कोई सवाल-जवाब करे। बच्चे कोई खेल भी खेलते है। माता-पिता बच्चों को इन आत्म-अभिव्यक्ति के कार्यक्रमों में भाग लेने के प्रति प्रोत्साहन देते है जिससे उनमें आत्म-विश्वास और बोलने की रुचि पैदा हो सके। यह कार्यक्रम, जो लगभग चालीस मिनट से एक घंटे तक चलता है, बच्चों के विकास में बड़ा सहायक होता है और उनमें सहयोग की भावना भरने में मदद करता है।

हाइड पार्क गांव में कोई नर्सरी या किंडरगार्टेन स्कूल नही है। गिर्जाघर ही अपने प्राथमिक संघों और जूनियर रविवारीय स्कूलो के जरिए बच्चों को विकास की सुविधाएँ प्रदान करता है।

प्राथमिक संघ ('प्राइमरी एसोसियेशन')

यह सघ गिर्जाघर की सहायक संस्था है जो 'प्रीस्टहुड' के निर्देशन मे अपना काम करती है। फिर भी अपने क्षेत्र में यह स्वतंत्रता पूर्वक काम करती है जैसे कि गिर्जाघर की अन्य सहायक सस्थाएँ। प्राथमिक संघ निम्नलिखित कक्षाओं के लिए शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य कार्यक्रमो का आयोजन करता है :—

१. नर्सरी — चार वर्ष से कम आयु के बच्चो के लिए

जूनियर वर्ग			**गृह निर्माता**
२. सूर्यकिरण	(सनबीम)	— ४ वर्ष	७. लावा (लार्क) ९ वर्ष की बालिका
३. तारे	(स्टार)	— ५ ,,	८. नीलकण्ठ (ब्लूबर्ड) १० वर्ष की बालिका
४. इन्द्रधनुष	(रेनबो)	— ६ ,,	९. सीगल ११ वर्ष की बालिका

पाइलट (चालक)	ट्रेल बिल्डर्स (पद चिन्ह निर्माता)
५. को-पाइलट (सह चालक)—७ वर्ष	१०. ब्लेजर (अग्रणी)— ९ वर्ष के लड़कों के लिये
६. टाप-पाइलट (उच्च चालक)—८ वर्ष	११. ट्रेकर (सैनिक)— १० वर्ष के लड़कों के लिये
	१२. गाइड पेट्रोल (नायक)—११ वर्ष के लड़कों के लिये

"जूनियर सन्डे स्कूल के साथ साथ नर्सरी कक्षा का भी संचालन किया जाता है। इस कक्षा से उन माता पिताओं की आवश्यकता पूरी हो जाती है जो गिर्जाघर के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं। इन कक्षाओं से बच्चे दूसरे बच्चों के सम्पर्क में आते हैं और इस प्रकार उनके सामाजिक सम्बन्ध दृढ़ हो जाते हैं।"

छोटे बच्चों के लिये संगठित पाठों के कुछ विषय नीचे दिये जा रहे हैं, जिनसे वहां की पढ़ाई लिखाई का पता चल जायेगा :—

अ-हमने परिवार के साथ आनन्द मनाया

१. हमने घर पर आनन्द मनाया
२. हम एक परिवार के सदस्य हैं
३. हमने परिवार के सैर-सपाटे में आनन्द उठाया
४. हमें परिवार की प्रार्थना में आनन्द आया

ब-हम सब परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं

१. हमारे बच्चे
२. दूसरे लोगों के बच्चे
३. पशुओं और पक्षियों के बच्चे
४. बालक यीशु मसीह

स-हम अपने को तन्दुरुस्त बना सकते हैं

१. परमपिता परमात्मा हमसे कहते हैं कि कौन सी चीजें पीना अच्छा है और कौन सी चीज़ें खाना अच्छा है।
२. परमात्मा हमसे चाहता है कि हम अच्छे खेल खेलें।
३. परमात्मा ने हमें विश्राम करने के लिये समय निर्धारित किया है।

द-हम लोग अपने प्रति उदार हैं

१. हम लोग अपने मित्रों से दया का व्यवहार करते हैं।
२. हम लोग जीव-जन्तुओं पर दया करते हैं।

३. हम लोग सन्डे स्कूल में अपने सहपाठियों से दया का व्यवहार करते है।

जूनियर वर्ग

सनबीम (४ से ५ वर्ष की अवस्था के बच्चों के लिये)

अवस्था की विशेषता

तीन साल के बाद का बाल्यकाल बड़े उत्साह और उमगों से भरा होता है। इस काल मे बच्चे पास पड़ोस के बच्चों से सम्पर्क स्थापित करके खेलते कूदते हैं। किसी काम में रुचि और ध्यान बहुत थोड़ी देर के लिये लगता है। खेलकूद द्वारा ही बच्चे नई नई बातों की जानकारी प्राप्त करते है। बच्चे तेज़ी से और एक साथ बोलने का प्रयास करते है। पाँच साल के बच्चे अपना अस्तित्व समझने लगते है और समझ बूझ से काम करने की कोशिश करते है।

धार्मिक संगठन द्वारा विकास

चार से पाँच वर्ष की अवस्था के "सनबीम" (सूर्यकिरण) बालक और ५ से ६ वर्ष के "स्टार (तारक) वर्ग" के बच्चों के लिये शिक्षा का बडा ही मनोरंजक कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है जिसके कुछ विषय ये है—अपने घर और आस पड़ोस की जानकारी प्राप्त करना, कागज़ की गुड़ियों को रंगना, पत्तियों का चित्र बनाना, फसल की तस्वीरों के सहारे पुस्तक बनाना, सभी जीव-जन्तुओं से उदारता की शिक्षा प्राप्त करना, गिर्जाघर, तारों और जानवरों के चित्र बनाकर रंग भरना, लड़के और लड़कियों की तस्वीरें चिपकाना, खिलौना बनाना, कहानी कहना और किसी नाटक का अभिनय करना आदि।

जूनियर सन्डे स्कूल में भी इस आयु के बच्चों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध रहता है। इस कार्यक्रम में सगीत, कविता तथा विभिन्न खेलों का संगठन होता है। बच्चों के जीवन से सम्बन्धित कुछ उपदेश भी लिख कर टाँगे रहते है। इसके अलावा सरल भाषा में धार्मिक बातों और सामाजिक सम्बन्धों का उल्लेख भी किया जाता है।

शिक्षा संस्था द्वारा विकास—पाठशाला में

६ वर्ष की आयु के बच्चे पहली श्रेणी मे भर्ती किये जाते है। उनके पाठ्यक्रम में नागरिकता की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की शिक्षा, भाषा, कला, गणित, विज्ञान, संगीत तथा अन्य सम्बन्धित विषयों का समावेश रहता है, जैसे कार्य के घंटों की योजना बनाना, कार्य की चर्चा करना, गिनती गिनना, कहानी कहना, खेलकूद, जलपान, तथा सैरसपाटे की व्यवस्था करना।

बालकों को नागरिकता की शिक्षा भी दी जाती है जो लोगों से सच्चा सम्पर्क स्थापित करके प्राप्त की जाती है। इस शिक्षा में घर, स्कूल और निकटवर्ती स्थानों

की जानकारी कराई जाती है। कभी कभी बच्चे पिकनिक के लिए दूसरे गांवो में भी जाया करते हैं।

हर एक स्कूल में स्वास्थ्य और सुरक्षा की शिक्षा भी दी जाती है। स्कूल के साथ ही खेल का मैदान भी रहता है, जहां खेल कूद और मनोरंजन के बहुत से उपकरण रहते हैं।

यहां की शिक्षा पद्धति अत्यंत रोचक और आकर्षक है। बच्चों को रंग बिरंगी तस्वीरों की पुस्तकें दी जाती हैं जिन्हें वे बड़े उत्साह से पढ़ते हैं। उन्हें पौधों और पालतू पशुओं के बारे में भी ज्ञान कराया जाता है। साल के अंत तक अधिकांश बच्चे लगभग ५०० शब्द पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। गणित की शिक्षा बड़े रोचक ढंग से दी जाती है। संगीत की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है और बच्चे नये-नये गाने सीखने में विशेष रुचि दिखाते हैं। इन सब विषयों की शिक्षा में अध्यापक और अध्यापिकाएं पूरी तरह मदद करती हैं।

रेनबो (इन्द्रधनुष) वर्ग

६ वर्ष की आयु वाले बच्चों को 'रेनबो' कहकर पुकारा जाता है। इनकी शिक्षा श्रव्य दृश्य उपकरणों से परिपूर्ण रहती है। यहां पर प्रार्थना को विशेष स्थान दिया जाता है। बच्चे त्योहारों और विशेष उत्सवों पर संगीत में भी भाग लेते हैं। समय-समय पर सैर सपाटे द्वारा उन्हें वातावरण की शिक्षा भी दी जाती है।

'जूनियर सन्डे स्कूल' में चार विषयों पर जिसमें लगभग ५२ पाठ होते हैं, विशेष ध्यान दिया जाता है। ये विषय घर, गिर्जाघर, पास पड़ोस तथा गांव के जीवन से सम्बन्धित होते हैं।

बाल्यावस्था

अवस्था की विशेषता

यह अवस्था जो ६ वर्ष से १२ वर्ष तक रहती है विशेष महत्व की है। इस आयु से बालक बालिकाओं में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। वे घर के बाहर अपनी मित्र मंडली बनाते हैं। शरीर सम्बर्द्धन के लिये खेल खेलते हैं और दुनिया की बहुतेरी चीजों को जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। उनमें तर्क वितर्क तथा अनुभूति का विकास होने लगता है। इस अवस्था में बालक और बालिकाएं समाज के व्यवहारों और व्यक्तिगत आचरणों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं।

धार्मिक संस्था द्वारा विकास

इस श्रेणी के बालक बालिकाओं के लिये प्राइमरी एशोसियेशन और एलीमेन्ट्री स्कूल के अलावा जूनियर सन्डे स्कूल भी शिक्षा का प्रबन्ध करता है। इस स्कूल में

तीन से ग्यारह वर्ष तक के बच्चों के लिये धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध होता है। ७ से ८ वर्ष के बच्चों के लिये संगीत, प्रार्थना, वार्ता तथा अन्य धार्मिक विषयों की व्यवस्था रहती है। इस प्रकार बच्चों की शिक्षा ठोस मनोवैज्ञानिक आधार पर दी जाती है।

जूनियर सन्डे स्कूल में इस आयु के बालक बालिकाओं के लिये पाठों का वर्गीकरण निम्नलिखित चार आधारों पर होता है:—

१. ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा।
२. धार्मिक उपदेशों का पालन।
३. परिवार और समाज की उन्नति में योग देना।
४. अपनी जिम्मेदारी निभाना। (घर, स्कूल, सभा-स्थान, आस-पड़ोस, राष्ट्र और संसार के प्रति सहानुभूति और दया का भाव बताया जाता है)।

इस तरह हमने देखा कि इस स्कूल में नागरिकता की शिक्षा धार्मिक आधार पर दी जाती है। इसीलिये यहाँ के बालक अच्छे नागरिक बन कर अपने गाँव और समाज की उन्नति में पूरी तरह से हाथ बंटाते हैं।

को-पाइलट (सहचालक) वर्ग (७-८ वर्ष के बच्चों के लिये)

प्राइमरी एशोसियेशन में ७ वर्ष के बच्चों को 'पाइलट' कहा जाता है। उनका चिन्ह कुतुबनुमा होता है। यह चिन्ह धर्म प्रदर्शन का प्रतीक है। जैसे 'लैटर डे सेन्ट्स' का गिर्जाघर सही मानों में लोगों को मार्ग निर्देशन करने का साधन है उसी प्रकार सहचालक अपनी अवस्था वालों के सामने अच्छे काम का उदाहरण रखते हैं।

को-पाइलट (सहचालक)

इस वर्ग का निश्चित लक्ष्य बच्चों को धर्म की शिक्षा देना तथा उन्हें गिर्जाघर के उपयुक्त सदस्य बनाना है। इसीलिये पाठों का चुनाव धर्म के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक पाठ के लिये एक कथा भी निर्धारित रहती है जिससे बच्चे उत्सुकता पूर्वक धर्म की बात सीखते हैं। धर्म की शिक्षा के साथ-साथ चित्रकला और खेलकूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। सितम्बर के महीने में अभिभावकों को बालक बालिकाओं के सम्बन्ध में प्रगति की सूचना दी जाती है। इन अवसरों पर सभी अभिभावक स्कूल में जमा होते हैं। इस अवसर पर मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ उन्हें जलपान कराया जाता है। इसका प्रबन्ध बच्चे स्वयं करते हैं। बड़े दिन के त्यौहार पर बच्चे अपनी माताओं को भेंट भी देते हैं। ८ वर्ष की आयु में बच्चों को ईसाई धर्म की दीक्षा दी जाती है। इस अवसर पर उन्हें विशेषरूप से सम्मानित किया जाता है।

शिक्षा संस्था द्वारा विकास

७ वर्ष के बच्चे द्वितीय श्रेणी में पढ़ते हैं। निकटवर्ती स्थानों के माध्यम से उन्हें नागरिकता की शिक्षा दी जाती है। बच्चों को यह बताया जाता है कि भिन्न-भिन्न वस्तुएं कहाँ बनती हैं और किस प्रकार उनकी बिक्री की जाती है। यदाकदा वे खेतों पर भी जाया करते हैं। उन्हें कतिपय सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना भी बताया जाता है जैसे, 'धन्यवाद,' 'कृपया' 'क्षमा करें' आदि।

बच्चों को दोपहर के भोजन का महत्व समझाया जाता है और उन्हें यह बताया जाता है कि कौन सा भोजन उनके स्वास्थ्य के लिये उत्तम है। बच्चे जानते हैं कि उन्हें जल्दी ही सोना चाहिये। विश्राम और बाहरी खेलों का भी उचित प्रबन्ध किया जाता है। स्कूल के बच्चे अध्ययन, काम और खेल में पूरी तरह से भाग लेते हैं। इसी कारण-वश उनका शारीरिक और मानसिक विकास उचित ढंग से हो पाता है।

धीरे-धीरे बच्चे अध्ययन की ओर रुचि लेने लगते हैं और वे अधिकाधिक अध्य-यनशील हो जाते हैं। बच्चों को घड़ी देखना और समय बताना सिखाया जाता है। विज्ञान की शिक्षा भी "करो और जानो" के सिद्धान्त पर दी जाती है। वे प्रयोगशाला में छोटे-छोटे प्रयोग करते हैं और उनके निष्कर्षों का ब्योरा लिखकर अध्यापकों को दिखाते हैं। संगीत शिक्षा द्वारा गाना बजाना भी सिखाया जाता है।

दूसरी श्रेणी के पाठ्यक्रम में जनतांत्रिक आधार पर खेलने और काम करने के विषय रहते हैं। अध्यापक और बच्चे मिलकर काम की योजना बनाते हैं। छोटे-छोटे वर्गों में बंट कर वे कार्य का संचालन करते हैं। बच्चे बगीचों में पानी देते हैं, फूलों को सजाते हैं और स्वच्छ पानी का प्रबन्ध करते हैं। सामूहिक तथा बाहरी खेलों का भी इन्तजाम किया जाता है।

अवस्था की विशेषता

टाप-पाइलट कार्यक्रम (उच्च चालक)

यह नाम इस आयु के बच्चों को प्रिय लगने के कारण रक्खा गया है। इसके मतलब हैं "साहस और सफलता।" धर्म उपदेशों से इसका सम्बन्ध है। इसमें सत्यता और ईमानदारी की भावना छिपी हुई है। टाप-पाइलट का उद्देश्य है "मैं दुनियाँ की रोशनी हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा, वह कभी अंधेरे में नहीं भटकेगा बल्कि उसे जिन्दगी का प्रकाश सहारा देगा।"

धार्मिक संस्था द्वारा विकास के प्रयास

विद्यार्थियों को धार्मिक पुस्तकों के कुछ अंश याद कराये जाते हैं। ८ वर्ष का विद्यार्थी बड़ी सरलता से इनको रट लेता है। ईसामसीह के बारे में कुछ लेख आ दि

भी दिये जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों में ईसू के प्रति प्रेम और श्रद्धा पैदा हो। ईसा-मसीह के जीवन से सम्बन्धित कहानियों और सिद्धान्तों का उल्लेख भी किया जाता है।

इस आयु में विद्यार्थी खुद काम करके सीखने की आदत डालते हैं। दूसरों से बातचीत करना, प्रश्न पूछना और उनका उत्तर देना, गाना बजाना, कहानी कहना, निजी अनुभव आदि सुनाना और खेलकूद आदि कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके बारे में यहाँ के विद्यार्थी जानकारी प्राप्त करते हैं।

शिक्षा संस्था द्वारा—तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत दी जाने वाली नागरिकता की शिक्षा में दृश्य दर्शन और भ्रमण का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे अवसरों पर विद्यार्थी अपने गांव तथा निकटवर्ती स्थानों में जाकर जानकारी हासिल करते हैं। विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, भोजन, वस्त्र, सुरक्षा, यातायात, सम्वादवाहन, तथा गांव व समाज का सामाजिक सम्बन्ध।

इस आयु में विद्यार्थी सामूहिक कार्य में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। खेल के नियम बहुत सरल होते हैं। इन खेलों में मेलजोल और आपसी व्यवहार को महत्व दिया जाता है। स्कूल के इन कार्यक्रमों से विद्यार्थियों का न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि समझ, ज्ञान और व्यवहार आदि का भी समुचित विकास होता है।

गणित की शिक्षा बहुत ही अर्थ-पूर्ण ढंग से दी जाती है। विद्यार्थियों को जोड़-बाकी सिखाया जाता है। विज्ञान की शिक्षा प्रयोगों के आधार पर दी जाती है। पाठ्यक्रम में संगीत और चित्रकला की शिक्षा की भी व्यवस्था रहती है।

९ साल के बालकों के लिए शिक्षा तथा अन्य सुविधाएँ

अवस्था की विशेषता—९ वर्ष की अवस्था को बाल्यकाल का मध्य कहा जा सकता है। इस अवस्था में बालक उस स्थिति में पहुँच जाता है जब उसका ज्ञान और विकास कुछ सीमा तक पूरा होने लगता है। ९ वर्ष के बाद बालक की वृद्धि किशोरावस्था की ओर होने लगती है और उसके शरीर का तेजी से विकास होता है।

इस काल में कुछ बच्चे अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ते हैं। इसके अलावा ९ और १० वर्ष की अवस्था में बालक और बालिकाओं में होने वाली भिन्न भिन्न रुचियों का पता भी चल जाता है। इस काल में बालक और बालिकाएँ अलग अलग उठना बैठना पसन्द करते हैं। यद्यपि जूनियर सन्डे स्कूल में लड़के और लड़कियों की कक्षाएँ एक साथ संचालित की जाती हैं, पर प्राइमरी एशोसियेशन में उनकी अलग अलग कक्षाएँ लगती हैं।

धार्मिक संस्था द्वारा विकास

जूनियर सन्डे स्कूल

इस स्कूल में "ह्वाट इट मीन्स टू बी ए लैटर डे सेन्ट" नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। इस समय खेलकूद को उतना महत्व नहीं दिया जाता, जितना प्रारम्भिक वर्षों में दिया जाता था। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ प्राइमरी एशोसियेशन द्वारा बालचरों के कार्यक्रम का भी संचालन किया जाता है। अवस्था और वर्ग को देखते हुए विद्यार्थियों के कार्यक्रम ज्यादातर स्कूल के बाहर रहते हैं।

ब्लेजर्स-प्राइमरी एशोसियेशन

प्राइमरी एशोसियेशन में ९, १० और ११ वर्ष के बालकों के लिये चिन्ह (ट्रेल) बनाना (पथ-प्रदर्शन) एक धार्मिक और चरित्र-निर्माण का साधन है जिसे वहाँ के विद्यार्थी अपने खाली समय में करते हैं।

पथ-प्रदर्शक बालक आध्यात्म विद्या, सामान्य ज्ञान, समाज सेवा और स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। इस प्रकार की शिक्षा से बालकों में आचरण और व्यवहार की उन्नति होती है।

प्रथम वर्ष के चिन्ह बनाने वालों को 'ब्लेजर्स' कहते हैं। उन्हे 'धर्म' के पाँच "आदेश" याद करने पड़ते हैं। इसके साथ ही उन्हें नागरिक-शास्त्र तथा नीति-शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती है।

उन्हें बालचर सम्बन्धी ज्ञान भी कराया जाता है जो 'अमेरिकन ब्वाय स्काउट' संगठन के ढंग पर संगठित किया जाता है। इसमें पिकनिक, अध्ययन हेतु भ्रमण, भोज, खेलकूद, शिल्पकला और वनस्पति विज्ञान आदि विषय होते हैं।

११ और १२ वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए धार्मिक नेताओं की जीवनी पढ़ना भी आवश्यक है। इस काल में शिक्षा प्रणाली प्रत्यक्ष प्रणाली (Direct Method) पर आधारित होती है। विद्यार्थियों को प्रश्न और उत्तर द्वारा नाम, तारीख और महत्वपूर्ण विषय याद कराये जाते हैं।

शिक्षा संस्था द्वारा विकास

स्कूल

चौथी श्रेणी में पढ़ने वाले विद्यार्थी काफी सयाने हो जाते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव होने लगता है। नागरिकता की शिक्षा में अब विस्तृत भूगोल व ऐतिहासिक अध्ययन सम्मिलित हो जाता है। उन्हें नक्शों का उपयोग करना बताया जाता है। चरित्र विकास तथा नैतिक उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इसके अलावा विद्यार्थी खेल, सामूहिक-नृत्य और स्कूल के अन्य कार्यक्रमों में पूरी दिलचस्ती लेते है। इस काल मे विद्यार्थी उपन्यास, कविताएं, साहस के वृत्तान्त, विज्ञान आदि के अध्ययन में विशेष ध्यान देते है। प्रत्येक विद्यार्थी नियमित रूप से पुस्तकालय जाता है और वहाँ कुछ घंटे अध्ययन में व्यतीत करता है। गणित की शिक्षा मे गुणा और भाग के प्रश्न हल करना बताया जाता है।

सगीत की शिक्षा रोचक और आकर्षक होती है। चित्रकला की शिक्षा में इस समय कागज, लकड़ी, मिट्टी आदि के चित्र बनाना सिखाया जाता है।

ट्रेकर्स (सैनिक)

प्राइमरी एशोसियेशन कार्यक्रम में, जिसमें स्काउटिंग की शिक्षा भी सम्मिलित होती है, निम्नलिखित आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। इसलिये बालकों की प्रवृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

अवस्था की विशेषता

यह अवस्था स्फूर्ति और उमगों से भरी होती है। बालक में शारीरिक शक्ति का बाहुल्य होता है। वह दिन भर कुछ न कुछ काम में लगा रहता है, जब तक उसे कोई रोकता नही है। उसका अधिकांश समय पढने लिखने और खेलकूद में लगता है। कभी कभी वह अपने अभिभावकों के सामने भी अपने कार्यों की योजना रखता है और उनसे आशा करता है कि वे इसकी पूर्ति में सहायता दे।

धार्मिक संस्था द्वारा विकास

ट्रेकर्स वर्ग के बच्चो को (१०-११ साल की आयु) निम्न उद्देश्य से शिक्षा दी जाती है—

१—डेकन्स (पादरी का स्तर) बनाने के लिए।

२—बालचर बनाने के लिए।

३—विशेष विषयो के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिये।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालको को 'धर्म' के ८ नियम भी जबानी याद कराये जाते है। बिल्ले और तमगे देकर बालकों का उत्साह बढ़ाया जाता है।

बालको की रुचि के कुछ दूसरे कार्यक्रम है—खेल और जलपान का प्रबन्ध करना, पोस्टर बनाना, अपनी जीवन कहानी लिखना, पिकनिक तथा हाइकिंग। फरवरी के महीने में 'अभिभावक दिवस' भी मनाया जाता है जिससे वे अपने बालक बालिकाओं की प्रगति मालूम कर सकते है।

शिक्षा संस्था द्वारा विकास

स्कूल

१० वर्ष के बालक और बालिकाएँ पांचवीं श्रेणी में पढ़ते हैं। इनकी शिक्षा में स्काउटिंग को काफी महत्त्व दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा का ऐतिहासिक और भौगोलिक ज्ञान भी कराया जाता है। विद्यार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तकों का उचित उपयोग सिखाया जाता है। उन्हें अपने प्रदेश की स्थिति तथा देश के महान नेताओ का हाल पढ़ना पड़ता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति भी विद्यार्थी बहुत जिम्मेदार होते हैं। अच्छी कविताएँ और गाने याद कराये जाते हैं तथा नाटक के अभिनय का कुछ ज्ञान कराया जाता है। गणित और विज्ञान की शिक्षा उच्च स्तर पर दी जाने लगती हैं। विद्यार्थियों को कृषि, नाप तौल तथा रसायनिक क्षेत्र में भी शिक्षा दी जाती है। संगीत की शिक्षा चौथी श्रेणी के बराबर रहती है परन्तु उसका स्तर कुछ ऊँचा होता है। विद्यार्थी अपने कार्यक्रमों की योजना भी बनाते हैं।

धार्मिक सँस्था द्वारा विकास

गाइड प्रोग्राम—११ साल के बालकों के लिए

इस आयु के सभी बालक रजिस्टर्ड शुदा स्काउट होते हैं। १२ वर्ष की आयु तक जब तक कि वे प्राइमरी शिक्षा पास नहीं कर लेते वे अपना स्काउटिंग का काम जारी रखते हैं। 'प्राइमरी एशोसियेशन' से उच्च कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बालकों को नीचे लिखी शर्ते पूरी करना आवश्यक हो जाता है :—

१—उसकी आयु कम से कम १२ वर्ष की हो।

२—उसे धर्म की दीक्षा प्राप्त हो और वह "चर्च आफ जेसस क्राइस्ट आफ लैटर डे सेन्ट्स" का सदस्य रहा हो।

३—उसे 'धर्म' के सभी नियमों का ज्ञान हो।

४—वह 'एरों' की कहानियां जानता हो।

५—सभा के प्रारम्भ और अन्त में प्रार्थना करने का ज्ञान हो।

६—उसने बुद्धिमत्ता के शब्दों को याद किया हो और उनके अनुसार आचरण करता हो। (पैगम्बर जोसेफ स्मिथ के वे बचन जिनके अनुसार तम्बाकू, चाय, काफी आदि का इस्तेमाल वर्जित है)

७—वह गिर्जाघर में दान देता हो।

८—उसे गिर्जाघर के प्रथम अध्यक्ष का नाम मालूम हो तथा वह १२ सदस्यों की सभा के सभापति से परिचित हो।

९—उसने धार्मिक सभाओं में पर्याप्त रूप से भाग लिया हो ।

शिक्षा संस्था द्वारा विकास

स्कूल

इस आयु के बालक छठी श्रेणी में पढ़ते हैं । यहाँ की पढ़ाई खत्म करने के बाद वे 'स्मिथ फील्ड' के जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं । सामाजिक ज्ञान के पाठ्यक्रम में उन्हें विभिन्न देशों के इतिहास, भूगोल और संस्कृति का अध्ययन कराया जाता है । विद्यार्थी अपने गांव और प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का भी विस्तृत ज्ञान प्राप्त करते हैं । उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तकों का सदुपयोग मालूम हो जाता है तथा वह कई उपयोगी कलाओं में दक्षता प्राप्त कर लेता है ।

बालक और बालिकाएँ मिल जुल कर खेलों में हिस्सा लेते हैं । उन्हें टेनिस, बास्केट-बाल, वालीबाल, फुटबाल आदि में रुचि उत्पन्न होने लगती है और वे इन खेलों की आवश्यकता महसूस करने लगते हैं । इस श्रेणी में गणित की शिक्षा कठिन होती है और विद्यार्थियों को क्षेत्रफल, द्रव्य नाप, समय, तौल और परिमाण एवं सिक्कों के प्रश्न लगाने पड़ते हैं । जामेट्री की शिक्षा में वे ग्राफ तथा प्रमेय हल करते हैं । इसके साथ ही विद्यार्थीगण उस स्थान के मौसम के कार्यालय, अजायबघर या अन्वेषणशाला के कार्यों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं । उन्हें टेलीफोन और तारघर की कार्यप्रणाली भी समझाई जाती है । संगीत के क्षेत्र में वे बहुत से गाने याद करते हैं तथा अपने औजारों से वाद्य-यंत्र बनाना सीखते हैं । धार्मिक संघों द्वारा उन्हें नैतिकता और आध्यात्मवाद की शिक्षा भी प्रदान की जाती है ।

धार्मिक संस्था द्वारा विकास

कोकिल (लार्क) (९ से १२ वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए)

९ वर्ष की आयु से ही लड़कियां बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं । सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण उनकी रुचि के विषय बालकों से भिन्न होते हैं । पाठ्यक्रम बनाते समय प्राइमरी एशोसियेशन इस बात पर पूरा ध्यान देती है । धार्मिक शिक्षा बालकों को दी जाने वाली शिक्षा से मिलती जुलती है । लड़कियों को भी धर्म के प्रथम पांच नियम याद कराये जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि उनके जीवन में प्रार्थना का क्या स्थान है और उन्हें क्यों ईसामसीह की प्रार्थना करनी चाहिए । इन लड़कियों के लिए शिक्षा के कुछ विशेष कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

१—'लार्क गे डे' जलपान बनाना, स्त्रियों से सम्पर्क स्थापित करना, भोजन पकाना, सीना पिरोना और कढ़ाई, केक और बिस्कुट बनाना ।

२—'डैडी डेट' पिता के लिए भोज का आयोजन, गृह सुधार कार्य, माता के लिए भोज का आयोजन, टेस्टमनी दिवस आदि ।

नील कण्ठ (ब्लू बर्डस)

१० और ११ वर्ष की लड़किया ब्लू बर्ड वर्ग में आती है। इन नामों का लड़कियों के लिए बड़ा आकर्षण होता है। ब्लू बर्ड कक्षा का उद्देश्य १० साल की लड़कियों को गृह-सुधार तथा धर्म के पांच नियमों का ज्ञान कराना होता है। अध्यापिकाएँ धार्मिक नेताओं की कहानियां सुनाती हैं जिन्हें लड़कियां भी दोहराती है। जून के महीने में निम्नलिखित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है :—

१—भोजन और रसोई बनाना ।

२—बुनाई और कसीदाकारी ।

३—सिलाई ।

४—खाद्य पदार्थो का संरक्षण ।

गरुड़ (सीगल)

प्राइमरी श्रेणी में यह लड़कियो की सबसे ऊँची कक्षा है। इसके अन्तर्गत ११ वर्ष की सभी लड़कियां आ जाती हैं। उनका नामकरण उस पक्षी के अनुरूप रक्खा जाता है जिसने कि साल्ट लेक घाटी में अग्रणी लोगों का जीवन बचाया था। इस दल का उद्देश्य प्रसन्नता से सेवा करना होता है।

(गरुड़) सीगल के कार्यक्रम

इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाली लड़कियां कई सभाएँ करती हैं। सर्दियों के मौसम में 'डैटी डेट' कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह जनवरी के महीने में होता है। इस दिन 'लार्क', 'ब्लू बर्ड' और 'सीगल' वर्ग की लड़कियां अपने अपने पिता को आमंत्रित करती हैं और संध्या समय उनके मनोरंजन के लिए कार्यक्रम पेश करती है। जून के महीने में अवकाश होने पर भोज का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव के दिन उक्त वर्ग की लड़कियां अपनी माताओं को बुलाती हैं और उनके मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करती है।

(गरुड़) सीगल के पाठ्यक्रम

इस वर्ग की लड़कियों के पाठ चार भागों में विभाजित रहते हैं। वे हैं—सेवा, धार्मिक ज्ञान, ज्ञान-विज्ञान और स्वास्थ्य। इस कक्षा में पढ़ाए जाने वाले कुछ विषय निम्न है :—

१—जीवन के कार्यक्रम का चुनाव

२—जिम्मेदारी उठाना

३—शिशु-पालन

४—अपने आचरण में सावधानी

५—पादरियों का आशीर्वाद प्राप्त करना	११—'सैंडविच' बनाना
६—पूजा-पाठ की स्वतंत्रता	१२—भ्रमण का ज्ञान
७—धार्मिक सहिष्णुता	१३—आग जलाना और पिकनिक के अवसर पर खाना पकाना
८—सत्य-निष्ठा	१४—छोटी लड़कियों के प्रति दया भाव
९—सेवा-भावना	१५—पोषक आहार
१०—मित्र बनाना	१६—घरेलू चिकित्सा

इन विषयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि "सीगल" वर्ग की लड़कियां बहुत ही बुद्धिमती और समझदार हो जाती हैं। जैसे ही लड़कियां १२ वर्ष से ऊपर की होती हैं, वे "वाई० डब्लू० एम० आई० ए०" की "बी हाइव" (मधु मक्खी) कक्षा की परीक्षा पास कर लेती हैं। यह परीक्षा पास करने से पहले लड़कियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं :—

१. सभा के प्रारम्भ और अन्त में प्रार्थना करने का ज्ञान होना।
२. गिर्जाघर के प्रथम अध्यक्ष का नाम जानना तथा धार्मिक संघ के सामान्य अधिकारियों के पदों का ज्ञान होना।
३. छोटे और बड़े पादरी समुदायों से परिचित होना और धर्म के पांच नियमों को जानना।
४. 'बुद्धिमानी के शब्द' जानना, अच्छे भोजन का ज्ञान होना तथा प्रतिज्ञा का महत्त्व समझना।
५. धर्म के १३ नियम याद करके सुनाना।
६. 'न्यू टेस्टामेन्ट' से निम्न शीर्षकों का पाठ :—
   (१) ईसामसीह की धर्म दीक्षा।
   (२) आशीष देकर सांत्वना देना।
   (३) "जेलर" की धर्म दीक्षा।
   (४) लिलीज़ का ध्यान।
७. बारह वर्ष की आयु।
८. 'चर्च आफ जैसस क्राइस्ट आफ लैटर डे सेन्ट्स' की सदस्या होना।

"४—एच क्लब" का कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं द्वारा "काम करके सीखने" के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे कुक्कुट पालन, सीना पिरोना, खाना पकाना और बिजली आदि।

"४ एच क्लब" के नेता कार्यक्रम बताते हैं जिसके लिए उन्हें काउन्टी कृषि प्रसार विभाग द्वारा प्राविधिक सहायता भी दी जाती है। इस क्लब में प्रदर्शन कार्यक्रम, सम्मेलन, नुमायश तथा प्रतियोगिताएं आदि भी आयोजित की जाती हैं। उनसे नवयुवक और नवयुवतियां आगे चलकर कुशल किसान तथा गृहिणियां बनती हैं।

बच्चों को शिक्षा देने की विधि

'प्राइमरी एशोसियेशन' तथा 'सन्डे स्कूल' में संचालित होने वाली कक्षाओं में शिक्षा की जो विधि अपनाई जाती है वह आयु विशेष के बच्चों की रुचियों तथा योग्यताओं से सम्बन्धित रहती है। खद्दर ग्राफ, चित्रों तथा पोस्टरों द्वारा कहानी कहने का ढंग इन कक्षाओं में, बड़ा लोकप्रिय है। विशेष पाठों और गानों को जबानी याद कराया जाता है। श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा भी बच्चों में पढ़ने की रुचि बनाये रक्खी जाती है। स्कूल में शिक्षाप्रद सिनेमा चित्रों का साज सामान भी मौजूद रहता है।

प्राइमरी एशोसियेशन या सन्डे स्कूल में महिलाएं ही शिक्षा का कार्य करती हैं। ये हाई स्कूल या कालेज तक शिक्षा प्राप्त रहती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें पढ़ाने लिखाने का प्रशिक्षण भी मिला हो। स्टेक के नेताओं की बैठकों द्वारा, जिनमें विद्वान शिक्षाविद तथा अनुभवी व्यक्तियों को बुलाया जाता है, अध्यापिकाओं को शिक्षा सम्बन्धी सुझाव और आदेश दिये जाते हैं। गिर्जाघर द्वारा प्रकाशित 'अध्यापक निर्देशन पुस्तिका' से भी काफी सहायता मिलती है।

अध्यापक-छात्र सम्बन्ध

अध्यापक अपने छात्रों को बड़े स्नेह और प्यार से शिक्षा देते हैं। अध्यापक अपने छात्रों से निकट सम्पर्क बनाए रखते हैं। हाइड पार्क गांव के प्राइमरी एशोसियेशन में १११ बच्चों के लिए १९ अध्यापक हैं। सन्डे स्कूल में, ९६ बच्चों के लिए ८ अध्यापक थे। गिर्जाघर की प्राइमरी श्रेणी में प्रति अध्यापक ६ बच्चों का औसत है तथा सन्डे स्कूल में प्रति अध्यापक १२। अपने भाव प्रकट करने के लिए बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। कक्षा में शान्ति बनाए रखने के लिए प्रायः यह वाक्य दुहराया जाता है—"अच्छे बच्चे ऐसा काम नहीं करते या ईसामसीह चाहते हैं कि पढ़ाई के समय बच्चे शान्त रहें।" बच्चे प्रश्न पूछते हैं, कहानी सुनाते हैं और प्रार्थना करते हैं। कभी कभी वे आपस में बातचीत भी करते हैं और अपने पाठ की ओर ध्यान नहीं देते। समय-समय पर कहानी, संगीत तथा अन्य कार्यक्रमों द्वारा बच्चों का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित किया जाता है।

इस अध्याय में जूनियर सन्डे स्कूल और प्राइमरी एशोसियेशन द्वारा ११ और १२ वर्ष के बालक बालिकाओं के व्यक्तिगत विकास का वर्णन किया गया है। अगले अध्याय में किशोरावस्था का वर्णन किया जायगा जो जीवन की एक महत्त्वपूर्ण अवस्था है।

३ किशोरावस्था में व्यक्तिगत विकास और शिक्षण विधि

किशोरावस्था का आगमन तरुणाई का आरम्भ कहा जा सकता है। इस काल में लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है और उनमें युवावस्था के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते है। लड़कियो में १३ साल की आयु में तथा लड़कों में १४ वर्ष की आयु में शारीरिक पूर्णता का आभास होने लगता है। लड़कियों का मासिक स्राव १० से १६ वर्ष की आयु में आरम्भ होने लगता है और लड़कों की शारीरिक पूर्णता १२ से १६ वर्ष की आयु में दिखाई देने लगती है।

किशोरावस्था शारीरिक परिवर्तन का समय होता है। हम इसे दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते है—प्रारम्भिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। आयु के लिहाज से विकास के इन कालों का कोई निश्चित वर्गीकरण करना कठिन है, क्योकि शारीरिक विकास प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न आयु में हुआ करता है। प्रारम्भिक किशोरावस्था में हम १२ से १५ वर्ष की लड़कियों का और १२ से १६ वर्ष के लड़कों का वर्णन करेंगे। उत्तर किशोरावस्था में १६-१८ साल की लड़कियों तथा १७-१८ साल के लडकों का अध्ययन किया जायगा।

किशोरावस्था का आधारभूत सिद्धांत आत्म-परीक्षण है। किशोरों को अपने बढते हुए शरीर और उसकी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। उसे अनुभूति और व्यव-

हार से भी अवगत कराने की आवश्यकता होती है जिससे वह अपनी स्थिति से भूला न रहे। उसे वातावरण का ज्ञान होना चाहिए तथा वयस्क समाज में उठने बैठने की महत्ता मालूम होनी चाहिए। इसके अर्थ यह हुए कि आत्मज्ञान और निजी स्वतंत्रता के लिए उसे उपयुक्त अवसर और प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

इस काल में किशोर वर्गो मे स्पर्धा और ईर्षा का प्रादुर्भाव होने लगता है। वे माता-पिता, अध्यापक तथा अन्य बड़े बूढ़ो से, जो वयस्क समाज के प्रतिनिधि समझे जाते है, ईर्षालु हो जाते है।

इस ईर्षा और विरोध के कारण कभी-कभी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ उठ खड़ी होती है, जैसा कि बाल अपराध की समस्याओ से मालूम होता है। इसीलिए इस अवसर पर किशोरो के साथ सहानुभूति और सोच विचार से व्यवहार करना चाहिये।

इस काल मे होने वाला विकास निम्न पंक्तियों में वर्णित किया गया है—

किशोरों की आवश्यकता होती है

१ अपनी आयु के नवयुवक और नवयुवतियो से नये और घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना।

२. सामाजिक कार्यो में अपने वर्ग के साथ उचित भाग लेना।

इन आवश्यकताओं की चर्चा करते हुए हैवीगर्स्ट ने सुझाव दिया है कि स्कूल और विद्यालयों में शिक्षण के साथ-साथ अन्य सामाजिक कार्यक्रमो का आयोजन भी किया जाना चाहिये, जैसे क्लबो की व्यवस्था, प्रीति भोजों का आयोजन, विद्यार्थी शासन, व्यायाम व खेलकूद, सगीत और कलाए। हैवीगर्स्ट ने निम्नलिखित कार्यप्रणाली का सुझाव दिया है—

१. जितना सम्भव हो सके सामाजिक ज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था करना। इसके अर्थ हुए कि शिक्षा को यथा सम्भव अनौपचारिक होना चाहिए। इसके अन्तर्गत मनोरजन, नृत्य, सामाजिक आचरण तथा प्रीति-भोजो की व्यवस्था का आयोजन होना चाहिए।

२. सुखद सामाजिक सम्पर्क स्थापित करने की व्यवस्था करना।

३. जनतान्त्रिक प्रणाली की शिक्षा देना—किशोरों को यह सिखाया जाय कि वे मिल जुलकर महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते है।

हाइड पार्क गाव के किशोरावस्था के लडके और लड़कियों के लिए के विकास सम्बन्धी साधन कम होने के कारण उनके जीवन पर स्कूल और कालेजों के प्रभाव का अध्ययन करना कठिन है। इस गांव में बडी आयु के लड़के और लड़कियों के लिए

कोई स्कूल नही है। यहाँ के वयस्क युवक और युवतियाँ स्मिथ फील्ड और रिचमन्ड के स्कूल में पढने जाते है।

जूनियर और सीनियर हाई स्कूल में शिक्षा सम्बन्धी अनुभव

किशोरो की शिक्षा में खेलकूद, वाद-विवाद तथा श्रव्य दृश्य साधनों का महत्त्व-पूर्ण स्थान है। इनकी शिक्षा प्रणाली में एक विशेषता यह भी है कि इन्हें विभिन्न समुदायों और आसपास के स्कूलों के बालकों और बालिकाओं से मिलने का अवसर दिया जाता है। किशोरों के स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापक तथा शिक्षा के अनेकानेक उपकरणों का बाहुल्य रहता है। सामाजिक ज्ञान के लिये कभी-कभी विशेष उत्सवों और नाटकों का आयोजन किया जाता है। इन क्षेत्रों में धार्मिक संघ से भी सहायता मिलती है। स्कूलो में भाषा, साहित्य, सामाजिक ज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्यापन पर विशेष बल दिया जाता है।

नवयुवक पारस्परिक विकास संघ तथा नवयुवती पारस्परिक विकास संघ

किशोरावस्था के लड़के और लड़कियों के लिये ये दोनों संस्थाएं अनेकानेक कार्यक्रमों का सचालन करती हैं। इन दोनों संस्थाओं द्वारा उन्हें काफी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। रविवारीय स्कूल और धार्मिक संघ द्वारा धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

किशोरावस्था के लड़के और लड़कियों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की तालिका नीचे दी गई है :—

कक्षा	पाठ्यक्रम	वैकल्पिक विषय
७.	अग्रेजी, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, गृह-कला, शिल्प-कला, सगीत और औद्योगिक शिक्षा।	
८.	अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान तथा उपभोक्ता सबधी शिक्षा, गणित, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गृह-कला, शिल्प-कला, सगीत और औद्योगिक शिक्षा।	
९.	कक्षा ८ के समान सभी विषय।	विदेशी भाषा, कृषि (इसे विज्ञान के स्थान पर लिया जा सकता है), व्यापारिक शिक्षा (यह विषय

		सामाजिक ज्ञान के स्थान पर लिया जा सकता है)
१०	अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा।	विदेशी भाषा, व्यापारिक शिक्षा, गृह अर्थशास्त्र या कृषि, व्यावसायिक शिक्षा।
११	अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान, शारीरिक शिक्षा।	गणित, विज्ञान, विदेशी भाषा, व्यापारिक शिक्षा, गृह अर्थशास्त्र या कृषि तथा व्यावसायिक शिक्षा।
१२	अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान, शारीरिक शिक्षा।	गणित, विज्ञान, विदेशी भाषा, व्यापारिक शिक्षा, गृह अर्थशास्त्र या कृषि, व्यावसायिक शिक्षा।

कार्य पद्धति

पारस्परिक विकास संघ अपनी उचित कार्यवाहियों द्वारा किशोरों और वयस्कों की आवश्यकताएँ पूरी करता है। मंगलवार की रात्रि को (सभी गिर्जाघरों में यह पा० वि० संघ की रात्रि मानी जाती है (निम्न कार्य-पद्धति के अनुसार कार्य होता है—

प्रारम्भिक अभ्यास

७.३०—७.४५ सायं　　गायन

प्रार्थना या अन्य गीत, कार्यारम्भ के समय प्रार्थना विषय का निरूपण (श्रोता खड़े होते हैं, पहले संदर्भ देते हैं और तत्पश्चात् विषय दोहराते हैं)

इन कार्यवाहियों के अतिरिक्त निम्न कार्यक्रमों का भी समावेश किया जाता है—

अल्पकालीन सभा

प्रत्येक मास की प्रथम अल्पकालीन सभा (चार पाँच मिनट की वार्ता—जो वार्ता निर्देशक के अनुसार लिखी जाती है) प्रत्येक मास की दूसरी अल्पकालीन सभा—(संगीत निर्देशक की अध्यक्षता में चार या पांच मिनट का संगीत होता है।) तृतीय अल्पकालीन सभा—(वार्ता निर्देशक के निर्देशन में चार या पाँच मिनट की धार्मिक वार्ता होती है।)

साधारण सभा के पश्चात् विशिष्ट वर्गों के लिए कक्षा-कार्य आरम्भ हो जाता है। समय का विभाजन निम्न प्रकार से होता है—

७.५०—८.४० रात्रि	कक्षा—कार्य
८.४०—९.००	विशेष कक्षा की परियोजनाएं, कार्य काल, आदि (उन विद्यार्थियों के लिए जो रिहर्सल में नहीं रहते हैं)। प्रार्थना के पश्चात् कक्षा विसर्जन।
९.००—९.३०	रिहर्सल का विशेष आयोजन। पा० वि० संघ के सभी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। ९.३० रात्रि को अंतिम प्रार्थना।

दीर्घ-कालीन सभा

ग्रीष्मकाल के अतिरिक्त प्रत्येक मास में एक बार दीर्घकालीन सभा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ग्रीष्मकाल में खेलकूद और वाह्य कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। सन् १९५७-५८ में सात दीर्घकालीन सभाएँ आयोजित हुई थीं।

आयोजन को साधारण सभा में प्रस्तुत करने से पहले प्रत्येक वर्ग को प्रशिक्षण और रिहर्सल की सुविधा प्रदान की जाती है। नृत्य, खेलकूद तथा व्यायाम का संगठन अलग से किया जाता है। अगस्त के मध्य तक 'बेसबाल' तथा 'साफ्टबाल' एवं अन्य बाह्य खेलकूद के कार्यक्रमों का आयोजन होता है।

प्रारम्भिक किशोरावस्था

निम्नलिखित पंक्तियों में हम प्रत्येक आयु वर्ग के अनुसार पा० वि० संघ द्वारा होने वाले व्यक्तिगत विकास का अध्ययन करेंगे।

'बी हाइव'

१२-१३ साल की लड़कियों (प्रथम वर्ष) के बी-हाइव वर्ग को 'गैदरर्स' कहते हैं। द्वितीय वर्ष के वर्ग को (१३-१४ साल) 'गार्जियन' कहते हैं। इनका कार्यक्रम इस प्रण पर आधारित होता है, "मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं प्रतिदिन 'हाइव' के नियमानुसार रहने की चेष्टा करूँगी विश्वास रक्खूंगी, ज्ञान प्राप्त करूँगी, स्वास्थ्य की रक्षा करूँगी, स्त्रियों की इज्जत करूँगी, सौन्दर्य की कद्र करूँगी, कार्य की प्रतिष्ठा करूँगी, सत्यता से प्रेम करूँगी, सेवा के मधुर फलों का आस्वादन करूँगी और इस प्रकार आनन्द प्राप्त करूँगी।"

'ब्वाय स्काउट'

१२ और १३ वर्ष की आयु के बालक 'ब्वाय स्काउट' संस्था में सम्मिलित होते हैं। इस कार्य का देखभाल स्काउट मास्टर करते है। बालकों की प्रमुख क्रियाएं इस प्रकार होती हैं—ईश्वर के प्रति भक्ति, सामाजिक सम्पर्क रखना और अन्य नागरिक अधिकारों का पालन करना। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा, खेल-कूद, भाषणकला आदि अन्य कार्यो का भी सचालन किया जाता है। जो बालक 'स्काउटिंग' में सफलता प्राप्त कर लेते है, उन्हें प्रमाण पत्र और 'बैज' दिये जाते है। बालचरों की सस्था द्वारा धार्मिक कार्यो पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे धार्मिक सभाओं में हिस्सा लेना, प्रार्थना करना तथा वार्ड के नये सदस्यो को प्रोत्साहित करना।

पारस्परिक विकास संघ की युवतियाँ (मेड्स)

१४ व १५ वर्ष की अवस्था की प्रत्येक बालिका, जिसका नाम वार्ड में अकित रहता है, स्वतः पा० वि० सघ में भर्ती हो जाती है। इस वर्ग का चिह्न लाल गुलाब होता है। सघ की लड़किया वार्ड की प्रत्येक लड़की से परिचित रहती है। उनसे आशा की जाती है कि वे एक दूसरे के प्रति वफादार रहे तथा पारस्परिक रूप से मिलजुल कर व्यवहार करे। दुखी और सन्तप्त लड़कियों को सहारा और सुख पहुँचाने का काम भी वे बड़े उत्साह से करती है। तीज-त्यौहारों के अवसर पर वे सामूहिक उत्सव में भाग लेती है। उनकी शिक्षा में विवाह, घर की देखरेख तथा धर्म सम्बधी विषयों का समावेश रहता है। इन लड़कियों को चुने हुए गीत भी याद करने पड़ते हैं।

पा० वि० सघ की 'मेड' कक्षाओं में खेलकूद, सैर सपाटा तथा हास्य का प्रमुख स्थान रहता है। इन सैर सपाटों के अवसर पर लड़कियों की उचित देखभाल की जाती है।

अन्वेषण कर्त्ता 'एक्सप्लोरर'

१४ से १६ साल के लड़के इस वर्ग में सम्मिलित है। इन्हें 'अन्वेषणकर्त्ता' कहा जाता है। इस कार्यक्रम की देखभाल 'स्टेक' के अन्वषक नेता द्वारा की जाती है। इन लड़कों के पाठ्यक्रम में निम्न विषय सम्मिलित रहते हैं—

(१) अन्वेषक नेता के कार्यक्रम का वर्णन।

(१) अन्वेषक का त्रैमासिक कार्यक्रम।

(३) बालचरों की कार्यवाही के रिकार्ड का अध्ययन।

जब ये लडके धार्मिक संघ में भाग लेते हैं तो वे गिर्जाघर की प्रार्थना, सभा एवं अन्य कार्यक्रमों में पूरी दिलचस्पी रखते हैं। इन कार्यों से किशोरों के शारीरिक और मानसिक उत्थान में सहायता मिलती है।

'जूनियर एम० मेन'—'जूनियर ग्लीनर'

इस समय प्रारम्भिक किशोरावस्था समाप्त हो जाती है और नवयुवक नवयुवतियाँ पूर्णता की ओर बढ़ने लगते हैं। ९ वर्ष से १५-१६ साल तक के लड़के और लड़कियों के कार्यक्रम अलग रहते हैं। केवल नृत्य के समय ही वे परस्पर भाग लेते हैं। इसके बाद वह अवस्था आती है जब नवयुवक और नवयुवतियों में सम्पर्क बढ़ता है। १७ से १८ साल के नवयुवक तथा १६ से १८ साल की नवयुवतियाँ सामूहिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

दोनों वर्गों के लिये अलग-अलग कक्षाएं संचालित की जाती है। 'जूनियर एम० मेन' का कार्यक्रम वीरता और बहादुरी के कार्यों से परिपूर्ण रहता है। इस अवस्था के युवक आपसी हितों की रक्षा के लिये कटिबद्ध रहते हैं। कभी-कभी युवक परा-मर्श करने के लिये सभा का आयोजन भी करते हैं। इस अवस्था में खेलकूद और व्यायाम के प्रति प्रमुख रुचि होती है। यह कार्यक्रम धार्मिक संघ द्वारा भली प्रकार चलाया जाता है। नवम्बर के महीने में पितृ रात्रि का आयोजन किया जाता है जब युवकों के पिता कार्य में भाग लेने के लिये पधारते हैं। गर्मियों के महीनों में भी कई वार्त्ता सभाएँ और गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। अपनी समिति के लिये वे एक सभापति, मंत्री और अन्य सदस्य भी चुन लेते हैं।इसके अतिरिक्त धार्मिक सभाओं, गिर्जाघर के कार्यों तथा 'वार्ड' के अन्यान्य कार्यक्रमों में वे पूरा हाथ बटाते हैं। इस प्रकार इन युवकों को अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है और वे एक कुशल नागरिक की भाँति अपने जीवन में प्रवेश करते हैं।

'जूनियर ग्लीनर'

१६-१७ और १८ वर्ष की सभी लड़कियाँ इस वर्ग में शामिल होती हैं। वे किशोरावस्था को पार कर चुकती हैं और एक ऐसे आयु वर्ग में प्रवेश करती हैं जिसका समुदाय में बड़ा महत्त्व होता है। वे पूर्णता की ओर बढ़ने लगती हैं। अपनी उम्र की लड़कियों से मिलकर धन के महत्त्व, सुन्दरता की रक्षा, घर गृहस्थी की देखभाल आदि विषयों पर बातचीत करती हैं। इसके अतिरिक्त वे अपनी रुचियों, सहेलियों, विश्वासों और सम्बन्धियों के बारे में भी चर्चा करती हैं। उन्हें धार्मिक तथा सामाजिक विषयों से भी अवगत कराया जाता है। खेलकूद में हिस्सा लेने के लिये उनका अपना दल होता है। विशेष अवसरों पर वे वालीबाल भी खेलती हैं और सैर सपाटे द्वारा मनोरंजन प्राप्त करती हैं।

'जूनियर होम मेकर्स क्लब'

इस क्लब में सदस्यो को गृह निर्माण की अच्छी शिक्षा मिल जाती है। इसमें सांस्कृनिक कार्यक्रमो पर विशेष ध्यान दिया जाता है।· इस क्लब की मासिक बैठकें भी होती है जिसमें कन्द बनाना, टोकरी बनाना, पुस्तक समीक्षा, घर की सजावट, सगीत और बालकों की शिक्षा आदि के कार्य सम्मिलित रहते है।

इन कार्यो से युवकों और युवतियों में जीवन के प्रति रुचि बढती है और वे अपना मार्ग दर्शन भली भांति कर सकने में सफल हो जाते हैं। इस क्लब में प्रति रविवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है, जब सभी सदस्य आग के चारों ओर बैठकर सामान्य जीवन की चर्चा करते है। वे विवाह, प्रेम, घर की सजावट और धार्मिक सिद्धान्तों पर बातचीत भी करते है। प्राय: अविवाहित युवक ही इन कार्यो में भाग लेते है।

युवावस्था

युवावस्था वह अवस्था होती है जब व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। यह अवस्था जीवन का नया मोड़ है। व्यवहार की दृष्टि से युवक अपनी बाल्यावस्था के अनुभवों को साकार रूप देते है। देखा जाय तो युवावस्था मनुष्य के निर्माण की अवस्था है। इस समय युवकों में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास होता है। समाज और राष्ट्र की उपादेयना की दृष्टि से यह अवस्था विशेष महत्त्व की है।

अब हम हाइड पार्क गांव के उस वर्ग का अध्ययन करेंगे जो १९ वर्ष से २५ वर्ष तक आता है। इस अवस्था मे युवक सामाजिक और आर्थिक दबावो से प्रभावित होता है। वह समाज में मान की अपेक्षा करता है। उसका ध्येय केवल पारिवारिक सुख और शान्ति प्राप्त करना ही नही होता बल्कि वह यह भी चाहता है कि समाज का बड़ा वर्ग उसे चाहे और सम्मानित करे। अमेरिका के इस प्रदेश के निवासी बहुधा अपने राष्ट्र के विषय मे जागरूक होते है और वे अच्छे नागरिक बन कर देश के कल्याण में योग देने के लिए तत्पर रहते है।

मार्मन समाज में प्रचलित प्रथाए इस प्रकार की नही होती कि युवक अपनी प्रारम्भिक युवावस्था में ही ससार की मुसीबतो को स्वय बर्दाश्त करे। धार्मिक सघों मे इस प्रकार की बहुत सी सुविधाए होती है जहाँ युवकों को भली भाँति प्रशिक्षित किया जाता है। फिर भी यहाँ के युवक जीवन की समस्याओं से परिचित रहते है।

१९ से २६ साल के नवयुवक और नवयुवतियाँ

विद्यालय

मेरे अध्ययन के समय यूटा के कृषि तथा विज्ञान विश्वविद्यालय में, जो लोगन में स्थित है, हाइड पार्क के २० नवयुवक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इसके अलावा बहुत से नवयुवक अमेरिका के अन्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हुए थे।

यूटा राज्य विश्वविद्यालय का वातावरण बडा ही सुखद और स्वास्थ्यवर्धक है। विश्वविद्यालय के बहुत से कर्मचारी और अध्यापक हाइड पार्क में ही रहते है। विद्यार्थी इंजीनियरिग, कृषि, विज्ञान, व्यापार संगठन तथा अन्य विषयों का पठन पाठन करते हैं।

शिक्षा कार्य-क्रम की एक दिलचस्प विशेषता समाज के सामुदायिक जीवन में विद्यार्थियों का भाग लेना है। अधिकांश विद्यार्थी अपना व्यय पूरा करने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं। विश्वविद्यालय की दुग्धशाला तथा कृषि फार्म पर कार्य करने की उचित प्रेरणा विद्यमान रहती है।

'एम० मेन ग्लीनर्स'

१९ से २६ वर्ष के सभी युवक और युवतियाँ जो इस सगठन में भाग लेते है, 'एम० मेन ग्लीनर्स' के नाम से घोषित किए जाते है। यह संघ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के सम्मिश्रण का अच्छा उदाहरण है। यद्यपि इसके कार्य बहुमुखी है फिर भी संघ द्वारा संचालित होने वाले कार्यक्रमों का एकीकृत लक्ष्य होता है।

संघ का लक्ष्य युवकों और युवतियों को गिर्जाघर के निकट लाना है अर्थात् उनमें धार्मिक भावना का प्रादुर्भाव करना है। युवकों और युवतियों के पारस्परिक मेल जोल से स्वस्थ चारित्रिक निर्माण सम्भव होता है और वे उच्च स्तर का आदर्श सामने रखकर जीवन में प्रवेश करते हैं।

एम० मेन का अभिप्राय युवक से और 'ग्लीनर' का अभिप्राय उसी अवस्था की युवती से होता है। ये दोनों साथ-साथ कार्य करते है और अपने कार्यो के प्रति पूर्ण जिम्मेदार होते हैं। उनकी एक 'वार्ड' सभा भी होती है जिसमें एक सभापति, एक पुरुष सलाहकार तथा एक महिला सलाहकार चुने जाते है।

इस 'वार्ड' का कार्यक्रम निम्न प्रकार से होता है—

१. कक्षा में आने वाले सभी नए युवकों और युवतियों के स्वागत के लिए (Howdy) रात्रि का आयोजन।
२. युवकों तथा युवतियों के लिए पृथक रात्रि का आयोजन।

३. ग्रीष्म कालीन अवधि के लिए आठ पाठों का आयोजन। इनमें पारस्परिक प्रश्न और उत्तर भी सम्मिलित रहते हैं।
४. 'हमारे नेताओं का युवकों से सम्बोधन' शीर्षक के अंतर्गत बीस पाठों का संचालन करना।
५. संगीत, भाषण, नृत्य, अभिनय तथा खेलकूद से सम्बन्धित पाँच मनोरंजक पाठों का आयोजन करना।

संघ के कार्य

'एम० मेन ग्लीनर' संघ के कार्य 'जूनियर एम० मेन-जूनियर ग्लीनर' के कार्यो के अनुरूप होते हैं। कार्यो का वार्षिक विभाजन इस प्रकार होता है—

पहली जून से इकतीस अगस्त तक—खेलकूद और व्यायाम।

पहली सितम्बर से इकतीस अक्टूबर तक—नृत्य, नाटक और सँगीत।

पहली जनवरी से इकतीस जनवरी तक—नाटक समारोह।

पहली फरवरी से छ: मार्च तक—संगीत समारोह।

सत्रह मार्च से इकतीस मई तक—नृत्य समारोह।

पारस्परिक विकास संघ में इन कार्य-क्रमों के अतिरिक्त सेक्रामेंट संध्या का आयोजन भी होता है जिससे युवकों को मेल जोल, स्वत: विकास और शिक्षा का अवसर प्राप्त होता है।

रविवारीय स्कूल में प्रत्येक आयु वर्ग के लिए उपयुक्त अवसर रहता है। स्कूल में इस आयु वर्ग के लिए दो कक्षाएँ होती हैं। १९ से २१ वर्ष की आयु वाले युवक और युवतियाँ "धार्मिक आदेशों की प्रस्तावना" का अध्ययन करते हैं तथा नवविवाहित दम्पति "अभिभावक एवं युवक" का अध्ययन करते है।

इन पाठ्यक्रमों में जीवन की आध्यात्मिक तथा धार्मिक समस्याओं का विवेचन रहता है तथा वे वर्तमान समस्याओं पर भी कुछ प्रकाश डालते हैं।

'मिल्केजिडिक' प्रीस्टहुड कार्यक्रम में इस आयु वर्ग के नवयुवक संघ की इकाई अथवा 'कोरम' की पूर्ति करते हैं। उन्हें पर्याप्त शिक्षण प्रदान किया जाता है। नेता के निम्नलिखित कर्तव्यों को देखने से पता चलता है कि 'प्रीस्टहुड', व्यक्तिगत विकास और समन्वय के प्रति कितना जागरूक है। कुछ प्रमुख कर्तव्य इस प्रकार हैं—

१. 'कोरम' के सभी सदस्यों के आचरण, योग्यता तथा दृष्टिकोण का परिचय प्राप्त करना।
२. वर्ष में कम से कम एक बार 'कोरम' के सदस्यों के घर जाकर व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना तथा बीमार एवं सन्तप्त व्यक्तियों को सांत्वना देना।

(३) सदस्यों में सेवा भाव उत्पन्न करना।

(४) गिर्जाघर के कार्यो का विकास करना

(५) विदेशो में रहने वाले सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करके उन्हे अपने समुदाय के क्रिया कलापों से अवगत कराते रहना।

(६) उपयुक्त अध्यापकों एव अन्य सुविधाओ द्वारा शिक्षण का स्तर ऊँचा बनाना।

(७) सभी सदस्यों को 'प्रीस्ट हुड' के नियमो से परिचित कराना।

व्यक्तिगत विकास का महत्वपूर्ण कार्य, नवयुवकों का सेवा कार्य के लिए भ्रमण करना है। नवयुवक और नवयुवतियां अमेरिका के अन्य भागों या विदेशो में जाकर अपने धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करते है। वे परिवारों में जाकर उनके सदस्यों से मिलते तथा सामाजिक और धार्मिक बातों पर मैत्रीपूर्ण चर्चा करते है।

गृह-निर्माता क्लब (होममेकर्स क्लब)

इस क्लब मे भाग लेने वाली महिलाओं को शिक्षा की पर्याप्त सुविधाए उपलब्ध रहती हैं। शिक्षा के लिए क्लब में कक्षाएं लगती हैं और वादविवाद, भाषण, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के कार्य संचालित किए जाते है।

प्रत्येक बैठक के अवसर पर दो सदस्याएं अतिथि सत्कार का कार्य करती हैं। सदस्यों में से कुछ लोग वक्ता या प्रदर्शन कर्ता भी होते हैं। कभी-कभी बाहर के वक्ता भी बैठक में भाग लेते हैं। यह क्लब गृह प्रदर्शन कर्मचारियों द्वारा संचालित और मार्गदर्शित किया जाता है।

प्रौढ़ावस्था:—

इसमे ३० से ५५ साल के स्त्री और पुरुष आते है। इस अवस्था मे उनका समाज में मान बढ जाता है और वे नागरिक तथा सामाजिक कार्यों को जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। इस अवस्था पर पहुँचने के लिए वे अपने बचपन और किशोरवस्था से इच्छुक रहते है। प्रौढावस्था में होने वाले विकास कार्य समाज के वातावरण तथा व्यक्ति के निजी कर्तव्यों और अभिलाषाओं के फलस्वरूप किए जाते हैं। व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से विकास कार्यों में दिलचस्पी लेते हैं। ये कार्य संक्षेप में इस प्रकार होते हैः—

(१) वयस्क नागरिक और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना।

(२) रहन सहन का आर्थिक स्तर बनाए रखना।

(३) बालकों और किशोरों को जिम्मेदार तथा प्रसन्न वयस्क बनने मे सहायता करना।

(४) खाली समय के सदुपयोग के लिए श्रेष्ठ कार्यों का संचालन करना।
ये कार्य निम्नलिखित माध्यमों द्वारा पूरे किए जाते हैं:—

(१) नवयुवक और नवयुवती पारस्परिक विकास संघ के विशिष्ट वर्ग द्वारा।
(२) पारस्परिक विकास संघ के युवक कल्याण वर्ग द्वारा।
(३) रिलीफ समिति के कार्यक्रमों द्वारा।
(४) गिरजाघर में नेतृत्व के विस्तृत कार्यक्रम द्वारा।

समिति

विशेष अभिरुचि:—

इस समिति का कार्यक्रम विशेष अभिरुचि नेता के अन्तर्गत संचालित होता है जो या तो स्वयं अध्यापन का कार्य करता है या पारस्परिक विकास संघ की कार्यकारिणी की स्वीकृति से अन्य अध्यापकों को इस कार्य के लिए नियुक्त करता है।

वार्ड के सभी सदस्य जो २६ वर्ष या इससे अधिक आयु के होते हैं इस समिति के सदस्य होते हैं। समिति के आध्यात्मिक विकास के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में कुछ प्रमुख धार्मिक सिद्धान्तों का वर्णन रहता है।

रविवारीय स्कूलों में 'धार्मिक सिद्धान्त के अनुसार जीवन' पर पाठ पढ़ाए जाते हैं।

स्कूलों की पुस्तकें प्रतिवर्ष बदलती रहती हैं। 'प्रीस्ट हुड' कोरम सामाजिक तथा कल्याणकारी कार्यों का सचालन करता है। वे मास में एक बार स्टेक की बैठक में भाग लेते हैं तथा अपने कार्यों के लिए धार्मिक अथवा विशेष आदेश प्राप्त करते हैं।

नागरिक संस्थाएं:—

फार्म ब्यूरो, लायन्स क्लब, टाउन बोर्ड तथा अभिभावक शिक्षक संघ अपने सदस्यों को व्यक्तिगत विकास के अवसर प्रदान करते हैं। वे औपचारिक संगठन के आधार पर अपनी बैठकें करते हैं और सामाजिक तथा सामुदायिक विकास कार्यों का संचालन करते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीकों से बैठकों, समिति-निर्णयों, सामाजिक सम्पर्कों तथा सामूहिक क्रियाओं से विकाससम्बन्धी कार्य आयोजित होते हैं। नेतृत्व तथा जिम्मेदारी के बहुमुखी कार्य प्रौढ़ व्यक्तियों के सहयोग द्वारा पूरे किए जाते हैं।

वार्ड शिक्षण:—

'प्रीस्ट हुड' के सभी सदस्य जिनसे अध्यापन कार्य करने के लिए कहा जाता है, वार्ड शिक्षण का कार्य करते हैं। गिरजा घर का यह कार्यक्रम पहले से ही निश्चित

कर लिया जाता है। 'प्रीस्टहुड' की कार्यकारिणी के सदस्य तथा अन्य सहायक सस्थाओं के पदाधिकारी प्रत्येक मास एक या कई बार सध्या समय अध्यापन कार्य के लिए नियत किए जाते हैं।

वार्ड के प्रत्येक परिवार के यहां नियमित रूप से जाने से सम्पर्क बढ़ता है और सदस्यों को उनका हाल चाल मालूम होता रहता है। साथ ही परिवार के लोग भली भांति अपना कर्तव्य निभाते हैं।

हाइड पार्क गांव में ८४ वार्ड अध्यापक हैं। प्रत्येक अध्यापक दो परिवारों में जाया करता है।

रिलीफ समिति:—

यह संस्था गिरजाघर की सबसे पुरानी संस्था है जिसमे १८ वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियां ही सदस्याएं होती हैं। अधिकांश सदस्याएं विवाहिता होती हैं। यह संस्था 'दया भाव' से प्रेरित होकर कार्य करती है तथा समिति के व्यक्तियों में श्रद्धा, आशा तथा दान वृत्ति जैसे सद्गुणों का विकास करती है। यह सदस्याओं को संगठन, शिक्षा और मनोरंजन सम्बन्धी कार्यों के प्रति उचित अवसर प्रदान करती है।

रिलीफ समिति के कार्य:—

यह समिति स्नेह और प्रेमभाव से प्रेरित होकर कल्याण कार्य करती है। इसी भाव के लिए इस समिति का काफी मान है। दुखी और सन्तप्त व्यक्तियों को उपयुक्त सहायता देना तथा उन्हें सहानुभूति के साथ धीरज बंधाना इस समिति का प्रमुख लक्ष्य रहा है। समिति के कुछ कार्य इस प्रकार हैं:—

(१) रोगी तथा शय्या पर पडे हुए लोगो के घर जाकर उनकी देखभाल करना।

(२) रोगी की सेवा सुश्रुषा करना।

(३) मृत्यु के अवसर पर अंतिम संस्कार का प्रबन्ध करना।

(४) गिरजाघर के कल्याण कार्यों में सहयोग देना।

(५) सामान्य रूप से सभी प्रकार की समाज सेवा करना।

शिक्षा, गृह व समाज सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से रिलीफ समिति के सदस्य अपने व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरणा प्राप्त करते है। इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार रहता है:—

(१) **धर्म विद्या (Theology)** धार्मिक तथा आध्यामिक विकास हेतु।

(२) **घर पर जाने वाली अध्यापिकाओं का सन्देश**—घर घर जाने वाली अध्यापिकाओं को शिक्षा सम्बन्धी परामर्श देना।

(३) **साहित्य**—सांस्कृतिक तथा साहित्यिक विकास के लिए उचित साहित्य का पठन पाठन ।

(४) **समाज विज्ञान**—सामाजिक सम्पर्क बढ़ाने के लिए ।

पाठ्यक्रम सम्बन्धी बैठक सप्ताह में एक बार होती है । (सदस्यों की सुविधानुसार प्रायः बुधवार की सन्ध्या समय बठक का आयोजन किया जाता है ।) जानकारी के लिए पाठों का वर्णन समिति की पत्रिका में प्रत्येक मास प्रकाशित कर दिया जाता है । मास में एक बार कार्य सम्बन्धी बैठक भी होती है जिसमें आधुनिक गृह-निर्माण विद्या पर सलाह मशविरा किया जाता है । स्त्रियां सीने पिरोने, बुनने तथा कढ़ाई करने के काम करती हैं ।

समय समय पर बाजार लगाने, चन्दा जमा करने और सामान्य कल्याण के कार्यों को संचालित करने के कार्य किए जाते है । इन कार्यों से व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ पहुंचता है ।

महिला क्लब—

यद्यपि महिलाओं के बहुतेरे कार्य 'रिलीफ' समिति में चलते है फिर भी इस गांव की महिलाओं के लिए 'महिला साहित्यिक क्लब' 'जस्ट फार फन क्लब' शिल्प कला क्लब तथा ' डाटर्स आफ यूटा पायनियर क्लब' संचालित किए जाते है जिनमें महिला सम्बन्धी प्रत्एक कार्य पर पूरा ध्यान दिया जाता है । इन क्लबों में साहित्य चर्चा, सिलाई, बुनाई, कशीदाकारी तथा अन्य मनोरंजन सम्बन्धी कार्य संगठित किए जाते है । इन कार्यों से महिलाओं को काफी सुविधाएं मिल जाती हैं और वे अपने घरेलू जीवन को अधिक सुखमय बनाने में सफल हो जाती है । इन क्लबों में काफी संख्या में महिलाएं भाग लेती हैं और इनके द्वारा उनके जीवन की बहुत बड़ी कमी पूरी होती है । यह वस्तु-स्थिति भारत में नहीं है । यहां की महिलाएं विशेषकर अपने घरों में ही रहकर जीवन गुजारती हैं । कहीं कहीं इस प्रकार के संगठन अवश्य संचालित किए गए हैं परन्तु अधिकांश भारतीय महिलाएं शिक्षित न होने के कारण अपने को क्लब के योग्य नहीं समझतीं और इसे ढकोसला मानती हैं । इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रचार की आवश्यकता है जिससे भारतीय महिलाएं अपने समय का सदुपयोग करते हुए इन क्लबों के प्रति जागरूक हो सकें ।

सामुदायिक विकास खण्डों की स्थापना से भारत के अनेक गाँवों में महिला कल्याण कार्य पर विशेष बल दिया जाने लगा है । अधिकांश गांवों में महिला-कल्याण केन्द्र स्थापित किए गए हैं जहां महिलाएं अपने खाली समय में जाया करती हैं । वस्तुतः भारतीय महिलाओं के भविष्य में यह एक सुखद स्थिति कही जा सकती है ।

अधेड़ावस्था तथा वृद्धावस्था

अन्त में दुखदायी वृद्धावस्था आती है जो जीवन की अनिवार्य अवस्था है और व्यक्तियों को अपने दुखद अनुभवों से निराश कर देती है। वह वृद्धावस्था जो अपने जीर्ण शीर्ण कलेवर में व्यक्ति की पहचान भुला देती है, सर पर आकर ही रहती है। परन्तु इस गांव के वृद्धों का जीवन संसार के अनेक गांवों के वृद्धों से भिन्न है। इस सम्बन्ध में हैवी गर्स्ट ने लिखा है—

"वृद्ध व्यक्तियों के सीखने के कार्य से यह विदित होता है कि व्यक्ति अपने जीवन से सीखता रहता है। उनके सम्मुख अब भी अनुभवों का द्वार खुला रहता है। ६५ वर्ष की आयु में जब व्यक्ति अपने कार्यभार से मुक्त हो जाता है तो उसे जीवन का और अधिक विस्तृत अवसर मिलता है जो शायद अगले १० वर्षों में उपलब्ध न हो सके। इस अवधि में पुरुष अथवा गृहिणी को कुछ अनुभव होते हैं जैसे, आमदनी कम होना, छोटे घर में स्थानान्तरण करना, पति-पत्नी में से किसी एक की मृत्यु, दुर्घटना या अन्य बीमारी, व्यापार में हानि तथा जीवन स्तर में ह्रास आदि। इन घटनाओं के पश्चात् ऐसी स्थिति आ जाती है कि वृद्ध व्यक्ति जीवन के नए तरीके सीख सकें"।

"इस अवस्था के कार्य अन्य अवस्थाओं से थोड़े भिन्न होते हैं। वृद्धों को अपना पूर्व रहन सहन बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। उनके शारीरिक मानसिक और आर्थिक क्षेत्र में कमी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यद्यपि सामाजिक सम्पर्कों में थोड़ी कमी आ जाती है फिर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास होता है और वृद्ध व्यक्ति इन कार्यों में अधिक रुचि प्रदर्शित करते हैं"।

हाइड पार्क गाँव के वृद्ध व्यक्तियों का आध्यात्मिक अनुभव काफी विस्तृत होता है। गाँव के अधिकांश वृद्ध लोगन के गिरजाघर से उचित परामर्श और मार्ग निर्देशन प्राप्त करते हैं। सुसंगठित कल्याण कार्यों के आयोजन से वृद्धों को पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की ओर से सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएँ भी उपलब्ध रहती हैं। यदि बिशप को मालूम हो जाता है कि किसी वृद्ध परिवार में सहायता की आवश्यकता है तो वह लोगन की 'विशप दूकान' में एक गुप्त पर्चा भेज-कर उस परिवार के लिए भोजन, वस्त्र, दवा, मेज-कुर्सी तथा पुस्तकों का प्रबन्ध कर देता है। लोगन की यह दूकान 'गिरजाघर के कल्याण कार्यक्रम' के अन्तर्गत संचालित होती है।

शिक्षक के रूप में कार्य करके अथवा उच्च प्रीस्ट वर्ग के अधिकारी की हैसियत से वृद्धों को शिक्षा सम्बन्धी अवसर मिलता है। कुछ महिलाएँ 'रिलीफ' समिति,

प्राथमिक संघ या रविवारीय स्कूल में शिक्षक का कार्य करना पसन्द करती है और यह कार्य चालू रखती हैं। कुछ पुरुष 'प्रीस्टहुड' या रविवारीय स्कूल में शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से भी वे शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। शरीर सुधार के अवसर मिलते रहने से वृद्ध जन गिरजाघर तथा सामाजिक कल्याण के छोटे मोटे काम करते रहते है। इन कार्यो मे शारीरिक मज़-बूरी अड़चन नही उपस्थित करती है।

इस गांव मे एक 'वृद्ध जन समिति' भी है जो वर्ष में एक या दो बार अपनी बैठक करती है तथा वृद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर विचार विमर्श करती है। लेखक ने इस गांव में तीन या चार वृद्ध व्यक्ति ऐसे देखे जो ७१, ७३ या ७९ वर्ष के होते हुए भी धार्मिक तथा गांव के सामाजिक जीवन मे पूर्ण उत्साह से योग दे रहे थे। वे पर्याप्त सक्रियता के साथ जीवन यापन कर रहे थे। अन्य वृद्ध लोगो से मुलाकात करने पर यह विदित हुआ कि वे पूर्ण सन्तुष्ट तथा प्रसन्न है और जीवन के सद्कार्यों में विश्वास रखते है।

इस गांव के परिवारों में उच्च मान्यता होने के फलस्वरूप तथा परिवारो को महत्वपूर्ण स्थान मिलने के कारण पुत्र, पुत्री तथा नाती पोते बड़े बूढ़ों का पूरा ध्यान रखते हैं और उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। अधिकांश भारतीय परिवारों की तरह उनकी उपेक्षा नहीं की जाती है वरन प्रेम और श्रद्धा के साथ उनसे व्यवहार किया जाता है। लेखक ने इस गांव में अधिकांश वृद्ध महिलाओं को आशाजनक रूप से स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट देखा। वे अपने पति की अपेक्षा अधिक सबल दिखाई पड़ीं और पति की सेवा सुश्रूषा करती है। वृद्धावस्था का इतना सुखद जीवन वस्तुतः इस धार्मिक गांव मे एक आदर्श के समान मौजूद है। अन्यत्र इस प्रकार का जीवन अभी कम ही दृष्टि-गोचर होगा। जहाँ तक मुझे भारत के गाँवों और शहरों को देखने और समझने का मौका मिला है वहाँ मैंने अधिकांश परिवारों मे वृद्धों को दयनीय अवस्था में पाया है। वे जीवन को दुखद नाटक की भाँति समाप्त करते हैं और अपने जीवन के भार को बोझ के समान परिवार पर ढाये रहते है जब तक उनका नश्वर शरीर इह लोक की लीला समाप्त नहीं कर लेता। इस वस्तुस्थिति को हमें गम्भीरता के साथ विचार करना है कि आया हम यह कार्य न्यायसंगत रूप से कर रहे है या सर्वथा कर्तव्य विमुख होकर। इसका निर्णय भारत का भविष्य बतायेगा।

४ व्यक्तिगत विकास के कार्यक्रमों में सामाजिक सहयोग

सामाजिक सहयोग एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तित्व के विकास में सहायता लेते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ है—व्यक्ति का सारा आचरण जो हम पर विशेष प्रकार का प्रभाव डालता है। व्यक्तित्व वातावरण और सामाजिक क्रियाओं से प्रभावित होता रहता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि प्रत्येक व्यक्ति उतने ही प्रकार का व्यक्तित्व रखता है जितने लोग उसके सम्पर्क में आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन तरह-तरह से करता है। उसका यह व्यवहार परिस्थिति और वातावरण से प्रभावित होता है। साथ ही उस पर विचारों के आदान-प्रदान का भी काफी प्रभाव पड़ता है। दूसरा सबसे अधिक व्यावहारिक और प्रचलित तरीका मौखिक होता है।

भाषण

सामाजिक सम्बन्धों और व्यक्तिगत व्यवहारों का मूल स्रोत भाषण है। इसे प्रभावोत्पादक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को भाषण की कला के शिक्षण और अभ्यास का अवसर प्रदान किया जाय।

हाइड पार्क गाँव में व्यक्तिगत विकास के लिए जिन १३ कार्यक्रमों का सहारा

लिया जाता है उनमे ८ कार्य भाषण या मौखिक विचार विनिमय से सम्बन्धित हैं। नवें कार्यक्रम में, जिसमें प्रायः नाटक या प्रहसन में भाग लेना आवश्यक होता है, भाषण की योग्यता विशेष तौर से लाभकर होती है। इस विचार को ध्यान में रखने पर भाषण कला का महत्त्व और बढ़ जाता है।

प्रभावपूर्ण वाणी से व्यक्ति मे आत्मविश्वास, ज्ञान और दक्षता की वृद्धि होती है जिससे सर्वांगीण विकास सम्भव होता है। बोलने और भाषण देने की कला जिस समाज में जितनी ही अधिक विकसित होती है उतना ही अधिक नेतृत्व का विकास सम्भव होता है। जो लोग अपनी बात को आकर्षक और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने में कुशल होते हैं वे बहुधा ऊँचे व्यक्तित्व के भागी होते हैं। इस समाज में नवयुवकों में भाषण देने की कला का जो रूप लेखक को दिखाई पड़ा उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस समुदाय के सामाजिक सहयोग का अधिकांश श्रेय लोगों की भाषण कुशलता पर निर्भर है।

भाषण देने की कला मे नवयुवकों को यथोचित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। शुरू-शुरू में उन्हें १-२ मिनट के लिए अपनी बात कहना सिखाया जाता है। अध्यापिकाएँ या बड़े लोग आधे या १ मिनट में वक्तव्य रटा देते हैं फिर सबके सामने सुनवाते हैं। यदि बच्चे रुकते या घबड़ाते हैं तो उन्हें भूले हुए वाक्य बताकर सहारा दिया जाता है और प्रोत्साहन देकर उनका भाषण पूरा कराया जाता है। तत्पश्चात् सामूहिक चर्चा द्वारा उनका अभ्यास बढाया जाता है। होते-होते नवयुवक १०-१५ मिनट तक भाषण देना सीख लेते हैं। इस गाव के रविवारीय स्कूल मे हर बार दो वक्ता चुने जाते हैं जो दो या ढाई मिनट तक किसी विषय पर भाषण देते है। एक दो नवयुवक या नवयुवतियों को धार्मिक बैठकों के अवसर पर पाँच मिनट के लिए बोलना पड़ता है। जूनियर रविवारीय स्कूल के बालक और बालिकाएँ भी एक-एक मिनट के लिए भाषण देते हैं। इन संक्षिप्त वार्त्ताओं के फलस्वरूप उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और जनसमूह के सामने भाषण करने में वे हिचकिचाते नही है। आरम्भ में तो लड़के और लड़कियाँ श्रोताओं के सम्मुख कुछ संकोच से डरते हुए जाते हैं लेकिन धीरे-धीरे यह डर जाता रहता है और वे धारा प्रवाह बोलने में कुशलता प्राप्त कर लेते है। आँकड़ों से यह पता चलता है कि ७१ प्रतिशत लड़के और लड़कियाँ वर्ष में एक बार एक से दस मिनट की वार्त्ता में भाग लेते हैं। इनकी आयु ५ से १४ के बीच होती है। १५ से २४ साल के नवयुवक और नवयुवतियों में से ८२ प्रतिशत भाषण देने में भाग लेते हैं। २५ से ३४ साल के लोगों में यह प्रतिशत ७७ और ३५ से ५४ साल के लोगों में ८९ पाया जाता है।

इन आँकड़ों से पता चलता है कि भाषण की कला के इतने व्यापक विकास से वहाँ की जनता में सामाजिक सहयोग पर्याप्त रूप से विकसित हुआ है।

दस मिनट या उससे अधिक समय तक भाषण देना

प्रत्येक रविवार की शाम को धार्मिक बैठकों में दस मिनट से अधिक के दो भाषण दिए जाते हैं। रिलीफ सोसाइटी में सप्ताह में एक बार और महीने में कम से कम दो बार लम्बे भाषण दिये जाते हैं। भाषण देने के काफी समय पहले वक्ता को विषय बता दिया जाता है जिससे वह भलीभाँति उसकी तैयारी करके सुन्दर रूप से भाषण दे सके। धार्मिक सम्मेलनों के अवसर पर बीस-पच्चीस मिनट के भाषण भी दिये जाते हैं। स्कूल में भाषण की अवधि प्रायः दस मिनट तक ही होती है। भाषण देने के कार्यों में नियमित रूप से भाग लेने से वक्ताओं में नेतृत्व का विकास होता है और वे धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में लोगों को सही मार्ग दिखाने में सफल होते हैं। लम्बे भाषणों के आँकड़ों से यह पता चलता है कि ५ से १४ साल के बालक-बालिकाओं में से लगभग ३० प्रतिशत १० मिनट और उससे अधिक भाषण देते रहते हैं। यद्यपि यह औसत कोई अधिक नहीं है फिर भी बालक और बालिकाओं की अवस्था देखते हुए उनका यह विकास और अभ्यास बहुत महत्व-पूर्ण तथा संतोषजनक कहा जा सकता है।

प्रार्थना द्वारा सभा का आरम्भ और अन्त

यह एक आवश्यक कार्य है जिसके लिए लोगों को आमन्त्रित किया जाता है। धार्मिक बैठकों, रविवारीय स्कल, रिलीफ समिति और पारस्परिक विकास संघों तथा विभिन्न कक्षाओं की अन्तिम बैठकों में सदस्यों को इस बात का विस्तृत अवसर मिलता है कि वे सभा को प्रार्थना से आरम्भ या अन्त करने की विधि समझ सकें।

कार्यकारिणी के अधिकारी द्वारा प्रार्थना से सभा आरम्भ करने के लिए विशेष व्यक्ति चुन लिया जाता है। भाषण संचालक इस काम में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रार्थना के उपयुक्त भाषण के प्रशिक्षण द्वारा उसका स्तर ऊँचा उठता है और गिरजा घर की अन्य बैठकों में इसका विशेष प्रभाव पड़ता है।

प्रार्थना की भाषा तथा उसकी शैली जटिल या दुरूह नहीं होती। जिस व्यक्ति को इसके लिए बुलाया जाता है वह स्थिति के अनुकूल प्रार्थना में नवीनता लाने का प्रयास करता है। अतः विश्वास तथा पवित्रता की भावना के अतिरिक्त प्रार्थना में रचनात्मक भावना की भी आवश्यकता होती है। किसी बैठक के आरम्भ तथा अन्त में रोचकता आ जाती है और विनय तथा श्रद्धापूर्ण वातावरण का भी निर्माण होता

है। इस प्रथा का पालन अधिकांशतः नागरिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी संगठनों में होता है।

प्रायः बैठकों को प्रार्थना से आरम्भ अथवा अन्त करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कम है। कार्यकारिणी का अध्यक्ष विभिन्न अवसरों पर विभिन्न व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों की पूर्ति के लिए बुलाता है। अतः इसका विभाजन अत्यधिक विस्तार के साथ हुआ है। ५ से १४ वर्ष की आयु के ८१ प्रतिशत तथा १५ से २४ वर्ष की आयु के ८६ प्रतिशत व्यक्ति प्रार्थना से सभा का आरम्भ तथा अन्त करते हैं। इससे अधिक अवस्था के प्रायः ७०-८० प्रतिशत लोग इस कार्य में भाग लेते हैं।

धार्मिक कक्षाओं में अध्यापन

रविवारीय स्कूलों, प्राथमिक पाठशालाओं, पारस्परिक विकास संघों, रिलीफ समितियों व अन्य संगठनों में अध्यापन का कार्य किया जाता है।

हाइड पार्क की धार्मिक तथा अन्य छोटी संस्थाओं में ७४ अध्यापक थे जो ४७ कक्षाएँ पढ़ाते थे। इस शिक्षण का मुख्य ध्येय धार्मिक है, परन्तु इनमें अनेक विषयों पर चर्चा होती है। अधिकांश विषय पारिवारिक जीवन तथा समुदाय से सम्बन्धित होते हैं। ये अध्यापक वहाँ के सामान्य स्कूलों में शिक्षक नहीं होते परन्तु शिक्षण कला की सहायक पुस्तकें हर कक्षा के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं।

नेतृत्व के विकास की सभाओं में अध्यापकों को शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सलाह दी जाती है। निर्देशक पुस्तिकाएँ ऐसे लोगों द्वारा लिखी जाती हैं जो उस विषय में विशेषज्ञ होते हैं।

५ से १४ वर्ष की आयु के बालक-बालिकाएँ भी धार्मिक कक्षाओं में अध्यापन का कार्य करती हैं। यह बाहर के लोगों के लिए आश्चर्य की बात लगती है पर इस समुदाय में यह सामान्य प्रचलन है।

१५ से २४ वर्ष की आयु के ५४ प्रतिशत व्यक्ति इनमें भाग लेते हैं। २५ से ५४ वर्ष के व्यक्तियों में अध्यापन के कार्य का अधिकतम प्रतिशत २९ से ६१ तक हो जाता है। फिर भी प्रत्येक आयु वर्ग के अध्यापकों को अध्यापन के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुछ लोग वर्ष के मध्य में कार्य छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर दूसरों को बुलाया जाता है। इस प्रकार अधिक से अधिक लोगों को अध्यापन का अवसर मिल जाता है।

जो सप्ताह में एक बार से भी कम पढ़ाते हैं वे प्रायः बच्चों को या सहायता समिति की ओर से बड़ों को पढ़ाने में लगे होते हैं।

अध्यापन में हुए अनुभव से पढ़ाए गए विषय तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम के बारे में लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाता है। इस कार्यक्रम से आत्मसंतोष होता है तथा अध्यापकों और उनकी कक्षा के सदस्यों में निकटतम सम्बन्ध स्थापित होता है।

चर्चा का नेतृत्व

चर्चा की कला प्रजातांत्रिक ध्येय की प्राप्ति के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त समुदाय के व्यक्तियों के तल्लीन होकर काम करने में सामूहिक चर्चा बहुत प्रभावपूर्ण होती है जैसा कि कर्ट लेवीन ने अपने मनोवैज्ञानिक प्रयोग 'सामूहिक निर्णय और सामाजिक परिवर्तन' द्वारा सिद्ध किया है। सामूहिक चर्चा का नेतृत्व कक्षा के पढ़ाने के कार्य के साथ चलता रहता है। कई अध्यापक चर्चा के रूप में अपनी कक्षा का संचालन करते हैं, परन्तु उन व्यक्तियों की संख्या, जो चर्चा का नेतृत्व करते हैं, इससे कम होती है क्योंकि चर्चा के नेतृत्व के लिए अधिक योग्यता, आत्मसंयम और धीरज की आवश्यकता होती है।

इस गांव के लगभग ५ प्रतिशत व्यक्तियों ने चर्चा में भाग नही लिया। वर्ष में एक से ६ बार तक अधिकांश व्यक्तियों ने चर्चा का संचालन किया। प्राथमिक संगठन (प्राइमरी एशोसियेशन सेक्रामेंट) की बैठकों में चर्चा, का संचालन नहीं होता। सामूहिक चर्चा,विशेषकर धार्मिक बैठकों, रविवारीय स्कूलों, रिलीफ समितियों तथा पारस्परिक विकास संघों की विशेष बैठकों या अधिवेशनों में ही होती है। १५ से ५४ वर्ष की आयु के अधिकांश व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं।

यदि हम कार्य की कठिनता का ध्यान न रक्खें तो चर्चा में नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के भाग लेने की सख्या अधिक होगी। यह उस धार्मिक वर्ग के सदस्यों की सक्रियता प्रदर्शित करती है। कक्षा को पढ़ाने अथवा चर्चा में भाग लेने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत देखने से स्पष्ट होता है कि २५ से ५४ वर्ष के व्यक्तियों में ५६ से ६० प्रतिशत लोग इसमें सहयोग देते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने तथा उनके लिए उत्साहित करने में सामूहिक चर्चा का स्थान ऊँचा है। इस दृष्टि से चर्चा पर बल देने की एवं इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करने की बहुत आवश्यकता है।

बैठक या अधिवेशन का संचालन

जिस समुदाय में प्रायः सभी नेतृत्व करते हैं वहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि लोग बैठकों अथवा अधिवेशनों का संचालन करें। बैठकों का संचालन प्रायः अधिकारियों द्वारा होता है, इसलिए यह कार्य पदाधिकारियों से अधिक सम्बन्धित है। धार्मिक संगठनों में जो लोग सक्रिय रहते है वे प्रायः बैठकों के संचालन करने का अवसर पा जाते है यह स्मरण रखना चाहिए कि ऐसा अवसर अधिकतर वर्ष में

एक बार आता है, इसलिए बैठकों या अधिवेशनों का संचालन करने वालों की संख्या बहुत कम होती है।

समिति की रिपोर्ट देना

विभिन्न प्रोजेक्टों तथा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में समितियों का संगठन किया जाता है जो धार्मिक संगठनों, उसकी उपशाखाओं तथा शिक्षक अभिभावक संघ, लायन्स क्लब, टाउन बोर्ड आदि के द्वारा संचालित होती हैं। सामूहिक चर्चा का तात्पर्य निकालने और सर्व सम्मति से परिणाम पर पहुँचने, इसे व्यवस्थित ढंग से लिखने और आम सभा के सामने रखने में विशेष कुशलता की आवश्यकता होती है जो अभ्यास और अनुभव से प्राप्त होती है। इस कार्य के लिए भाषण कला के अतिरिक्त दूसरी तरह के नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती।

चर्चा में वक्ता से प्रश्न पूछना

वादविवाद में वक्ता से उचित प्रश्न पूछना सामूहिक चर्चा का आधार है। इसके द्वारा न केवल वक्ता तथा प्रश्नकर्ता में सम्बन्ध ही होता है बल्कि इससे अनेक कठिन शंकाओं का समाधान भी हो जाता है जो वर्ग में ऐसे दूसरे लोगों के मस्तिष्क को विकृत कर सकते हैं जिनमें प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं होती। बिना प्रश्न के किसी वार्तालाप में रोचकता नही आती। रविवारीय स्कूल व पारस्परिक विकास संघों की कक्षाओं में प्रश्नों का आरम्भ स्वयं वक्ता करता है। वर्ग के सदस्य उसका जवाब देते हैं। प्रश्नों तथा उत्तरों का यह क्रम चलता रहता है। प्रश्न पूछना प्रायः सरल होता है इसलिये प्रश्न पूछने में काफी अधिक संख्या में लोग भाग लेते हैं।

एकांकी नाटक में भाग लेना

इस अध्याय में जिन कार्यक्रमों का वर्णन किया जा रहा है उनका वर्गीकरण रचनात्मक तथा मनोरंजक वर्गो में किया जा सकता है। मनोरंजन के इन दोनों स्वरूपों में अभिव्यक्ति का माध्यम स्पष्ट रहता है और इससे मौखिक वार्तालाप का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अब हम जिन कार्यक्रमों का वर्णन करेंगे वे नाटक या मनोरंजन से सम्बन्धित हैं।

किल्पैट्रिक का कथन है—"शिक्षा सम्बन्धी चर्चाओं में शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिस पर लोगों में इतना कम मतैक्य हो।"

मनोरंजन के स्वरूप को समझने के लिए बहुत से सिद्धान्त निकाले गए हैं परन्तु उनमें से अब अधिकतर केवल ऐतिहासिक महत्व के ही रह गए हैं।

अब हम आत्म अभिव्यक्ति के सिद्धान्त पर चर्चा करेंगे जो धार्मिक संगठनों, विद्यालयों तथा अन्य सामाजिक संगठनों में प्रचलित है।

कूले ने कहा है, "व्यक्ति की मुख्य आवश्यकता आत्म अभिव्यक्ति है।"

मनोरंजन और नाटक आदि के कार्यक्रम में लोग निम्नलिखित कारणों से विशेष रुचि लेते हैं :—

१. व्यक्ति स्वभावत: स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क दोनों से क्रियाशील है।

२. मनुष्य की शारीरिक बनावट की कुछ विशेषताएं और परिसीमाएं हैं जिनके कारण वह कुछ विशेष ढंग के कामों में लग सकता है।

३. शरीर की स्वस्थता उस समय में व्यक्त कार्यक्रम पर प्रभाव डालती है।

४. शरीर गठन के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त विशेष मनोरंजन और खेल-कूद के कार्यक्रम में व्यक्ति को लगाते हैं।

अब हम जिन कार्यक्रमों पर विचार करने जा रहे हैं वे खेलों के इस साधारण वर्गीकरण में आ सकते हैं :—

१. एकांकी नाटक में भाग लेना

२. खेलकूद

३. नृत्य करना

४. अकेले या समूह में गायन

५. वाद्य वादन

मार्मन समाज में खेल तथा मनोरंजन का विशेष महत्त्व है। वे लोग खुशी मनाते, उसमें आनन्द लेते और उसका सबसे अच्छा लाभ उठाते हैं। इसके अतिरिक्त खेल, विचारों और मान्यताओं को व्यक्त करने का प्रभावपूर्ण माध्यम है।

एकांकी स्किट में भाग लेना

धार्मिक संगठनों में खेल लम्बी असेम्बली कार्यक्रम में चलता है—यह कार्यक्रम पारस्परिक विकास संघों तथा अन्य शाखाओं में हुए हैं। विद्यालयों में नाटक तथा सामाजिक नाटक से शिक्षा का कार्य भी होता है। नाटक के कार्यक्रम का ध्येय नीचे दिया जा रहा है :—

पारस्परिक विकास संघ का नाटक मस्तिष्क के विकास और जनता के मनोरंजन के लिए अवसर प्रदान करता है। कदाचित ही कोई दूसरी कला या कार्यक्रम बढ़ते हुए तथा शर्मीले युवक और युवतियों में इतना विश्वास उत्पन्न कर सकता है। अच्छी तरह से खेला हुआ खेल खिलाड़ियों और दर्शकों में अत्यधिक दिलचस्पी पैदा करता है।

इन ध्येयों को ध्यान में रखते हुए ड्रामा निर्देशक को पारस्परिक विकास संघ के कार्यक्रम को पूरा करने के पहले नाटक में हर युवक को भाग लेने का एक अवसर

देना चाहिए। लगभग ७० प्रतिशत लोग इनमें भाग लेते है। प्राय: ये सभी लोग ५ से २४ वर्ष की अवस्था के होते है।

खेल कूद

लोग शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में खेल कूद के कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण भाग लेते है। गिरजाघर भी खेलकूद के कार्यक्रम में पारस्परिक विकास संघ के प्रोग्राम द्वारा प्रमुख हाथ बटाता है। पारस्परिक विकास सघ प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखता है ताकि व्यक्ति गिरजाघर के खेल कूदों में भाग ले सके।

कार्यक्रम के प्रधान ध्येय इस प्रकार हैं :—

१. भाग लेने वालों की सहायता करना ताकि वे चर्च के आदर्श के अनुकूल स्वस्थ जीवन का आनन्द ले सकें।

२. टीम खेल के महत्त्व को समझना जिससे लोगों में सहयोग के नये सम्बन्ध जुड़ें, स्वत. अनुशासन की भावना का विकास हो तथा अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सके।

३. पारस्परिक विकास संघ के कार्यक्रम में सभी उपलब्ध युवकों को एकत्र करना।

४. "उनके ज्ञान मे वृद्धि हो, स्वास्थ्य में वृद्धि हो और वे ईसामसीह की पवित्रता में विश्वास बनाए रखे।"

५ से २५ वर्ष के बालक-बालिकाएँ और तरुण खेलों में सबसे ज्यादा भाग लेते है। ५ से २५ वर्ष के बालक बालिकाओं में से लगभग ५० प्रतिशत सप्ताह में एक बार से अधिक भाग लेते है।

यद्यपि उनके खेलने के अवसर सप्ताह में एक या दो ही बार आते हैं। ५ से २४ वर्ष तक के भाग लेने वालों का प्रतिशत लगभग ८० है। बीस प्रतिशत लोगों के खेल कूद में भाग न लेने का कारण यह हो सकता है कि बालिकाएँ कम संख्या में भाग लेती है।

नृत्य में भाग लेना

मार्मन धर्म के मुख्य अधिकारियों ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि धार्मिक संगठनों तथा पारस्परिक विकास संघों के नेता इस प्रकार का मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिससे नवयुवक-नवयुवतियों को नृत्य का उचित अवसर मिल सके। सुरुचिपूर्ण नृत्य से न केवल मनोरंजन ही होता है बल्कि धर्मावलम्बियों में अच्छा नैतिक उत्साह फैलता है।

नृत्य के पक्ष में इस प्रकार का विचार प्रायः दूसरे सम्प्रदायों या धर्मों में प्रचलित धारणा के विरुद्ध है, क्योंकि प्रायः धार्मिक नेता या धर्मग्रंथ नृत्य को निषिद्ध मानते हैं।

मार्मन समुदाय में नृत्य का मुख्य उद्देश्य है युवक-युवतियों में धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न करना और आध्यात्मिक नृत्य कला का विकास करना।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नृत्य के विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। मेले और प्रदर्शन संगठित होते हैं। नृत्य संचालक युवक युवतियों को नये-नये नृत्यों की ट्रेनिंग देते और अभ्यास कराते हैं। प्रतियोगिताओं और विशेष आयोजनों द्वारा नृत्यकला का विकास किया जाता है।

लगभग ६५ प्रतिशत बालक-बालिकाएँ और युवक-युवतियां नृत्य में भाग लेते हैं। इस धर्म के अनुयायियों का विचार है कि यदि नृत्य का विकास गिर्जे के पथ-प्रदर्शन में न हुआ तो बाहर और कुरुचिपूर्ण नृत्यों में भाग लेने की लोगों की आदत पड़ सकती है।

अकेले या समूह में गाना

विद्यालयों में संगीत की शिक्षा दी जाती है और लोगो के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में इसका विशेष महत्त्व है। मार्मन धर्म की अनेक समितियों और उप संगटनों में संगीत द्वारा कार्यक्रम आरम्भ होता है। प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत बल दिया जाता है। गाने बहुत जोश और लगन से गाये जाते है और भाग लेने वालों में आशा तथा विश्वास की वृद्धि करते हैं तथा उन्हें प्रभावित करते हैं।

वाद्य वादन

यह सबसे कठिन कार्य है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। गिरजाघर, विद्यालय या अन्य संगठनों में वाद्य वादन में भाग लेने वालों की संख्या भी कम होती है क्योंकि एक या दो पियानो पर एक या दो व्यक्ति ही बजा मकते हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की अधिकतम संख्या २९ प्रतिशत से अधिक नहीं है। ५ से २४ वर्ष वालों में २६ से २९ प्रतिशत व्यक्ति भाग लेते हैं।

जहां तक इन कार्यक्रमों में भाग लेने की बात है कुछ लोग अधिक सक्रिय हैं कुछ साधारण रूप से सक्रिय हैं और कुछ लोग बिलकुल ही भाग नहीं लेते। हर एक को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि वाद्य वादन में प्रशिक्षण और कुशलता की आवश्यकता होती है।

विकास कार्यक्रमों का आयोजन

गिरजाघर के अंतर्गत कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या सबसे अधिक है। स्कूल में भाग लेने वालों की संख्या उसके बाद सबसे अधिक है और नागरिक

सस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों मे भाग लेने वालो की सख्या तीसरे नम्बर पर है। इसका एक कारण यह है कि इनमें से अधिकतर व्यक्ति गिरजाघर से सम्बन्धित है या विद्यालय मे पढ चुके है।

संस्थाओं और सगठनों के नेतृत्व में संचालित सामाजिक सम्पर्क के कार्यो में भाग लेने वालों की तालिका

कार्यक्रम	गिरजाघर		विद्यालय		नागरिक सॅस्था	
	सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१. एक से १० मिनट की वार्ता	३६०	८९	३५३	७९	३४८	५०
२. दस मिनट से अधिक की वार्ता देना	३४२	६६	३२९	५३	३२९	३७
३. प्रार्थना से सभा का आरम्भ तथा अन्त करना	३६७	९५	३३५	६२	३३०	४४
४. एक कक्षा को पढाना	३६२	७१	३२८	२४	३३२	२३
५. चर्चा का नेतृत्व करना	३५४	६२	३४०	५६	३३८	३९
६. सभा या अधिवेशन का सचालन करना	३३५	५४	३३४	३६	३३९	३८
७. समिति की रिपोर्ट देना	३४४	५४	३३१	४८	३३४	४२
८. वादविवाद करने वाले वक्ता से प्रश्न पूछना	३५७	८१	३३४	७५	३३१	५९
९. एकांकी नाटक में भाग लेना	३६०	७५	३३२	५९	३२९	३२
१०. खेलकूद	३४७	७६	३३०	७६	३३१	५१
११. नृत्य में भाग लेना	३५२	५४	३२८	४२	३३०	२६
१२. अकेले या समूह मे गायन	३५२	५४	३२८	४२	३३०	२६
१३. वाद्य-वादन	३४९	२२	३३२	१९	३३१	१५

अभिलेखों के अनुसार सामाजिक सहयोग का विस्तार :—

सामाजिक सहयोग का अनुमान विभिन्न संगठनों के हाजरी के रिकार्ड को देखने से हो सकता है। आगे आने वाली तालिका में इन रिकार्डो के अनुसार भाग लेने के स्तर का पता चलता है। सेक्रामेंट सभा में भाग लेने वालों की संख्या लगभग ४० प्रतिशत है।

उपस्थिति के रिकार्डो के अनुसार सामाजिक सहयोग की स्थिति :—

संगठन का प्रकार	सगठन का नाम	कुल संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
गिरजाघर	आरोनिक प्रीस्ट मीटिंग	२१	५५ प्रतिशत
	सेक्रामेंट मीटिग	७१	३५ ,,

सगठन का प्रकार	सगठन का नाम	कुल सख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
गिरजाघर	वृद्धजनों की साप्ताहिक बैठक (सेक्रामेंट सभा)	१०४	२७ ,,
	सेविन्टीज साप्ताहिक बैठक	२३	६२ ,,
	सेक्रामेंट सभा	२३	६९ ,,
	उच्च पादरी	६१	४४ ,,
	सन्डे स्कूल	—	४८ ,,
	जूनियर सन्डे स्कूल	२३	७६ ,,
	प्राथमिक संस्था	१०२	८६ ,,
	वाई० डब्लू० एम० आई० ए०	८७	६५ ,,
	वाई० एम० एम० आई० ए०	८२	९० ,,
	सहायता समिति	११०	—
	डार्टस आफ उटाह् पाइनियर्स	३२	६६ ,,
शैक्षिक	शिक्षक अभि भावक सघ	—	—
	जूनियर होममेकर्स क्लब	१६	७० ,,
	होम मेकर्स क्लब	१६	९० ,,
	४ एच० क्लब	४०	—
नागरिक	ल्वायन्स क्लब	४८	८५ ,,
	टाउन बोर्ड	६	९० ,,
	कार्य व्यूरो	२६	७२ ,,
सामाजिक तथा मनोरंजन प्रधान	महिला साहित्य समाज	१६	७० ,,
	ललित कला समाज	१६	७४ ,,
	मनोरजन क्लब	१५	७१ ,,

सामाजिक सहयोग और सपर्क से सम्बन्धित सामाजिक मान्यताओं को विकसित करने के तरीको के बारे में हम यहा विचार करेगे । निम्नलिखित तालिका में अंकित १७ शैक्षिक माध्यमो मे से लोगों ने किन्ही ५ की उपयोगिता के प्रति अपनी राय दी । समाज के सदस्यों में सामाजिक सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए निश्चित प्रशिक्षण कोर्स, कार्य में अभ्यास, देख रेख तथा निरीक्षण और मार्ग दर्शन, मिशनरी प्रचार के अनुभव तथा चर्चा सबसे अच्छे साधन माने जाते है ।

सामाजिक संपर्क की क्षमता उत्पन्न करने के माध्यम और तरीके

क्रम संख्या	माध्यम	भाग लेने वालों की संख्या
१	निर्धारित प्रशिक्षण कोर्सों के माध्यम से	२७०
२	कार्य के अभ्यास से	२४३
३	देख रेख तथा निरीक्षण	२२६
४	मिशनरी प्रचार के अनुभव	१५४
५	सामूहिक चर्चा	१२९
६	भाषण	१२४
७	सेमिनार	११२
८	प्रोत्साहन और पुरस्कार	१०२
९	व्यावहारिक शिक्षण	६४
१०	अधिवेशन	६२
११	श्रव्य दृश्य साधन	५७
१२	प्रतियोगिताएं	५३
१३	कार्यकर्ताओं की सभाएं	२८
१४	नाटक	२६
१५	शिविर	२२
१६	अध्ययन यात्रा (दृश्य दर्शन)	१७
१७	अन्य	४

सामाजिक कार्यक्रमों में पुरुष स्त्रियों से अधिक सक्रिय होते हैं।

संगठन के प्रति व्यवहार तथा जिम्मेदारी स्वीकार करना

हमने देखा है कि किसी संगठन के अनुकूल या विरुद्ध विचार उस संगठन में व्यक्ति के पद से बहुत घनिष्ट रूप में सम्बन्धित है। गिरजाघर के संगठन में वे लोग विशेष दिलचस्पी रखते हैं जो उसके किसी पद पर होते हैं।

यही स्थिति नागरिक संगठनों तथा उनमें जिम्मेदारी लेने वालों की है। जो नागरिक संगठनों के पदों के प्रति रुचि नहीं लेते वे प्रायः उनके प्रति उत्साही नहीं हैं। ७२ प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं जो यह सोचते हैं कि इन संगठनों में हर एक को भाग लेना चाहिए।

५ नेतृत्व का विकास

सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत नेतृत्व के अर्थ मार्ग निर्देशन अथवा वर्ग के निर्देशन की क्षमता से होता है। नेता वह है जो किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने समुदाय का मार्ग निर्देशन करता है। सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सगठनों द्वारा किए गए प्रयत्नों को सुचारु रूप से चलाना ही नेतृत्व है।

नेता का निर्धारित कार्य संगठन विशेष के अनुसार बदल सकता है। एक नेता यदि अधिनायकवादी सगठन में कार्य करता है तो वह कार्यों को स्वयं निर्धारित कर सकता है परन्तु यदि वह प्रजातांत्रिक सगठन मे कार्य करता है तो उसे दूसरो की राय का सम्मान करना पड़ता है। संगठन किसी भी प्रकार का हो, नेता का वास्तविक गण है कि वह अच्छी योजना बना सके, संगठन के हित के लिए अच्छी नीति निर्धारित कर सके, सगठन का प्रतिनिधित्व कर सके, उसके आंतरिक सम्बन्ध मधुर बनाए रखे, इनाम और दंड की उचित व्यवस्था कर सके, और विरोध या वाद-विवाद में मध्यस्थता या बीच बचाव कर सके और इस प्रकार अपने कार्यों का आदर्श प्रस्तुत कर सके।

अपने कार्यो को सफलतापूर्वक सचालित करने के लिए एक नेता को उपयुक्त प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। अपने विषय में विशेष ज्ञान के साथ

साथ उसमें इतनी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए कि वह अपने समुदाय के सदस्यों से भली भाँति सम्पर्क स्थापित कर सके और उन्हें एकता के सूत्र में बाँधे रहे।

परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व बदल सकता है इसलिए नेतृत्व की विशेषता और स्वरूप पर कोई निश्चित मत निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ व्यक्तिगत गुणों द्वारा नेतृत्व का विकास होता है।

नेतृत्व की विशेषता का अध्ययन करते समय निम्नलिखित गुणों की चर्चा होती है—

१. शारीरिक शक्ति—अच्छा स्वास्थ्य तथा जिम्मेदारी लेने का साहस और शक्ति
२. बुद्धि और भावना की स्थिरता
३. विषय की जानकारी, कार्य कुशलता और कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण
४. आत्म-विश्वास
५. मिलन सारिता
६. संकल्प शक्ति (महत्वाकांक्षा, अभिक्रम और लगन) एवं दूसरों पर प्रभाव डालने की शक्ति
७. विनोद प्रियता, उत्साह, सतर्कता तथा आत्माभिव्यक्ति की कुशलता।

इन गुणों से सम्पन्न व्यक्तियों को व्यक्तित्व के वैज्ञानिक परीक्षण से पाना कठिन है। जनमत द्वारा और संस्थाओं और संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा नेतृत्व के विषय में पर्याप्त जानकारी मिल सकती है।

नेतृत्व के इन साधारण गुणों के अलावा समुदाय के कुछ लोगों का मत है कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं वैसे वैसे नेतृत्व का स्वरूप भी बदलता जाता है। संस्था के सदस्यों में व्यक्तित्व का अंतर होने के कारण भिन्न भिन्न लोग अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं।

नेतृत्व का संचालन निरंकुश ढग से या प्रजातांत्रिक ढंग से किया जा सकता है। यह व्यक्ति विशेष या संगठन पर केन्द्रित हो सकता है। परम्परा के अनुसार नेतृत्व का स्वरूप अधिक समय के लिए निश्चित किया जा सकता है अथवा समयानुसार संगठन के सदस्यों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप बदला जा सकता है।

बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नेतृत्व के गुण बदल सकते हैं। हाइडं पार्क गांव में नेतृत्व संभालने के लिए तथा नेतृत्व के गुणों में विकास करने के लिए नेताओं का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है।

नेतृत्व के विकास की प्रक्रिया संक्षेप में निम्नलिखित है—

नेतृत्व एक संगठित समाज में ही पाया जाता है। नेतृत्व की प्रक्रिया उस समय विकसित होती है जब दो या दो से अधिक मनुष्य संगठित होकर कोई कार्य करना चाहते है। होता यह है कि संगठन का कोई सदस्य कुछ कार्य करता है, प्रश्न करता है, कार्य का सुझाव देता है, कुछ आवश्यक तथ्यो को सामने रखता है और उस समय तक जो कुछ भी कार्य हुआ रहता है उस पर विचार करता है। यह कार्य सगठन के सदस्यों को उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करता है। उन कार्यो को जिन्हें वह व्यक्ति करता है तथा जिससे सगठन के दूसरे सदस्य प्रभावित होकर अपने विचारों और शक्तियों को दिशा विशेष में लगाते है, नेतृत्व कहते हैं और इस कार्य को करने वाले व्यक्ति को नेता कहते हैं।

संगठन में आत्मीयता और सहकारिता की भावना को बनाए रखना नेता का सामाजिक कर्तव्य हो जाता है। हाइड पार्क के धार्मिक, शिक्षा सम्बन्धी, नागरिक, सामाजिक और मनोरंजन सम्बन्धी कार्यक्रम नेताओं द्वारा उचित ढग से संगठित किए जाते है। हाइड पार्क गॉव में संस्थाओं के सचालन के लिए निम्नलिखित तालिका के अनुसार सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है।

गॉव में संस्था और पदों का विवरण

संस्था की श्रेणी	उप संस्था	अधिकारियों की संख्या	अध्यापकों की सख्या	अन्य	योग
धार्मिक					
	विशपरिक पौरोहित्य	३	—	१	४
	हाई प्रीस्ट (पुरोहित)	३	१	१	५
	'सेवेन्टीज' (वृद्धजन)	३	१	१	५
	एल्डर्स (प्रौढ़जन)	—	—	—	—
	तरुण पादरी	९	२	३	१४
	युवक				
	किशोर				
	मुहल्ला शिक्षक	३	८४	—	८७
रविवारीय स्कूल	(सीनियर) रविवारीय स्कूल	३	११	१	१५
	(जूनियर) रविवारीय स्कूल	३	७	१	११
पारस्परिक विकास संघ	नवयवक पा०वि० संघ	१९	२	१	२२

सस्था की श्रेणी		उप संस्था	अधि-कारियो की सख्या	अध्या-पकों की संख्या	अन्य	योग
		नवयुवती पा०वि०सघ	१७	५	१	२३
	प्राथमिक सघ		९	२०	१	३०
	रिलीफ समिति, (सहायता समिति)		३	४१	१	४५
	यूटा कन्यासघ		१०	—	२	१२
	कल्याण समिति		७	—	—	७
शैक्षिक						
	शिक्षक अभिभावक सघ		३	५ माताएँ	—	८
	सहकारी प्रसार समिति	४-एच क्लब	३	—	—	३
		गृह-सेवा क्लब				
		जूनियर गृह सेवा	३	—	--	३
		क्लब	३	—	--	३
नागरिक	अतर्राष्ट्रीय लायस क्लब-उसकी समितियाँ		७	१४	--	२१
	टाउन बोर्ड (नगर परिषद)		४	—	१	५
सामाजिक						
	महिला क्लब	साहित्यिक क्लब	३	—	--	३
मनोरंजन		'फाइन आर्टस (ललित कला क्लब')	३	—	--	३
		'जस्ट फार फन (केवल मनोरंजन क्लब')	३	—	--	३
		कुल योग	१२४	१९४	१५	३३३

नेतृत्व का चुनाव

गिरजाघरों एव अन्य सगठनों में इतने नेताओं की आवश्यकता पड़ती है कि कोई भी अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति एक या एक से अधिक बार नेतृत्व का अवसर प्राप्त कर सकता हैं। नेतृत्व के चुनाव मे आयु, लिंगभेद या सामाजिक प्रतिष्ठा का कोई महत्त्व नही है। इसलिए नेतृत्व के पद के लिए आपस में होड़ और ईर्ष्या द्वेष नही चलता।

धार्मिक संस्थाओं में व्यक्तियों को विशेष पदों पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है। नेतृत्व का यह कार्य बदलता रहता है। सामान्य बैठक की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी प्रस्तावों को सदस्यों के सम्मुख रखता है जो हाथ उठा कर उसकी पुष्टि करते हैं। सदस्यों को प्रस्ताव का विरोध करने की छूट रहती है परन्तु शायद ही कभी वे विरोध करते हों। गिरजाघरों के उच्च अधिकारियों के नाम भी नेतृत्व के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं और मतदान के लिए सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। ये प्रस्ताव काफी सोच विचार और परामर्श के साथ रक्खे जाते हैं जिससे सर्वसम्मति से चुनाव करने में सफलता होती है। वार्ड के पदाधिकारियों के लिए ऐसे सदस्यों के नाम प्रस्तुत किए जाते हैं जो धार्मिक शिक्षा पर पूर्ण आस्था रखते हैं और सदैव उच्च आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। वार्ड में नेतृत्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर रहते हैं जिसमें उच्च पदाधिकारियों तथा सदस्यों द्वारा शिक्षा भी दी जाती है। साथ ही पारस्परिक विकास संघ में भाग लेते रहने से भी नेतृत्व का विकास होता है। नेतृत्व के विकास के सम्बंध में विस्तृत पुस्तकें और पुस्तिकाएँ भी अनुभवी व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती हैं जिनसे इस दिशा में काफी सहायता मिलती है।

जिम्मेदारी ग्रहण करने के प्रति दृष्टिकोण

हाइड पार्क में धार्मिक संघ अथवा अन्य संस्थाओं में काम करने वाला सदस्य धर्म और सेवा भाव से प्रेरित होकर संस्था का कार्य करता है। वह इस कार्य को "ईश्वर के प्रति कर्तव्य" समझता है। वार्ड (मुहल्ला) के एकाध सामान्य सदस्य वार्ड की सदस्यता या सेवा कार्य के प्रति अधिक सजग नहीं होते। फिर भी अधिकाँश सदस्य संस्था की कार्यकारिणी समिति में चुने जाने पर बड़ी लगन और सेवा भावना से काम करते हैं।

लेखक ने जिम्मेदारी ग्रहण करने के बारे में बहुत से लोगों से पूछताछ की। इससे यह निष्कर्ष निकला कि ७४ प्रतिशत लोग बिना किसी शर्त के धार्मिक संघों में कार्य करने के लिए पूर्णतः तत्पर दिखाई दिए। १४ प्रतिशत लोग इस दशा में काम करने के लिए तैयार थे यदि उनके अनुकूल कार्य सौंपा जाय।

धार्मिक संघों की अपेक्षा लोगों में गैर धार्मिक संघों में जिम्मेदारी ग्रहण करने के प्रति कम रुचि रहती है। इन संस्थाओं में बिना किसी शर्त के काम करने के लिए कम लोग तैयार होते हैं। फिर भी लेखक ने ५५ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे पाये जो इन संस्थाओं में सहयोग देने को तैयार थे। सामान्य सहयोग की दृष्टि से यह प्रतिशत बुरा नहीं है।

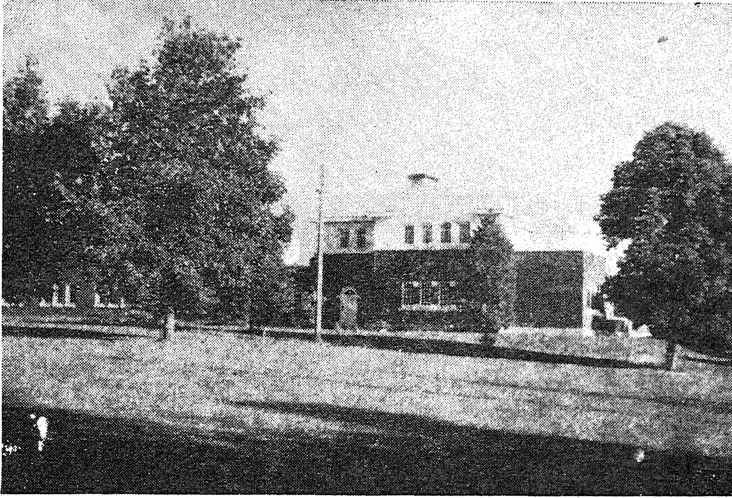
नागरिक संस्थाओं में भी लोग भाग लेते हैं परन्तु धार्मिक संघों की अपेक्षा यहाँ सहयोग का प्रतिशत कम रहता है। फिर भी इनमें सहयोग लेने वालों का प्रतिशत लगभग ७३ पाया गया। नागरिक संस्थाओं में लोग पद ग्रहण करने के लिए इतने लालायित नहीं रहते, जितने उसमें काम करने और सेवाभाव से लोगों की सहायता करने में दिलचस्पी लेते है। सभापति या अध्यक्ष पद के लिए लोगों में मनमुटाव नहीं होता और न वे इसके लिए होड़ ही लगाते हैं। ऐसे लोगों का प्रतिशत भी कम नही रहता जो अध्यक्ष पद पर काम करने के लिए इनकार कर देते है। उच्च पद के लिए कम लोग ही अपनी सेवाएँ अर्पित करते हैं क्योंकि बहुतेरे यही समझते है कि वे इन पदों के लिए योग्य नही हैं और इनकी जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ हैं।

नेतृत्व स्वीकृत करने की वास्तविक स्थिति

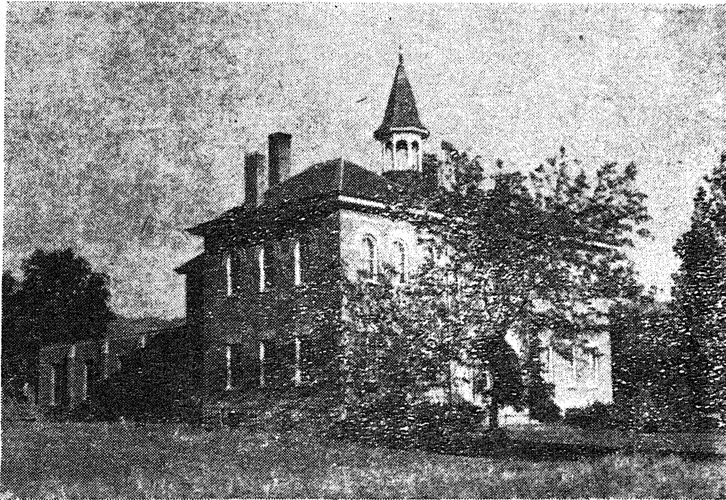
नेतृत्व ग्रहण करने की दिशा में अनुकूल और प्रतिकूल दृष्टिकोण का वास्तविक परीक्षण उस समय होता है जब संस्थाओं में पद ग्रहण करने या अस्वीकार करने की स्थिति पर विचार किया जाता है। इस अध्ययन से हमने यह पता चलाया कि इस गाँव में लगभग ९१ प्रतिशत लोग धार्मिक संस्थाओं के किसी न किसी पद पर काम करते रहे हैं। ये पदाधिकारी अपने नेतृत्व की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सदैव सजग रहते हैं और अपने कार्य को कुशलता के साथ संचालित करते हैं। यदि हम गैर धार्मिक संस्थाओं में होने वाले नेतृत्व की क्रियाओं की तुलना धार्मिक संस्थाओं की क्रियाओं से करें तो विदित होगा कि गैर धार्मिक संस्थाओं में लगभग ४९ प्रतिशत पदों के प्रति तत्पर नहीं रहते। जबकि धार्मिक संस्थाओं में पद ग्रहण करने की असमर्थता केवल ९ प्रतिशत ने व्यक्त की। शेष लोग उनमें पद ग्रहण करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे।

प्रथम पद भार ग्रहण करने की आयु

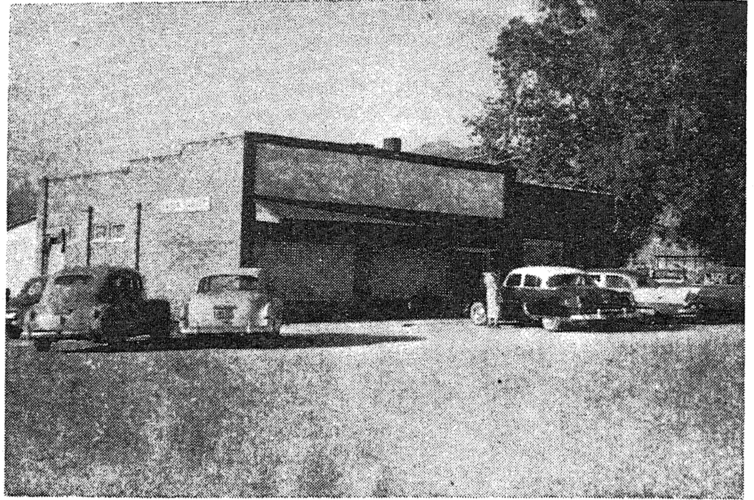
हाइडपार्क में नेतृत्व सम्बन्धी अनुभव लोगों को प्रारम्भिक जीवन में ही मिलता है। जिससे जीवन पर्यन्त लोग संस्थाओं में भाग लेते रहते हैं तथा नेतृत्व के विकास में सहायता पहुंचाते है। लेखक ने जिन लोगों से पूछताछ की उनमें से ७९ प्रतिशत का यह उत्तर था कि उन्हें ३० वर्ष की आयु से पहिले ही संस्थाओं में पद ग्रहण करने का अनुभव है। लगभग ५० प्रतिशत व्यक्ति १८ वर्ष की आयु से पहिले नेतृत्व सम्बन्धी अनुभव प्राप्त कर चुके थे। यद्यपि कुछ लोगों ने ४० वर्ष की आयु में प्रथम पद ग्रहण किया था तथापि ऐसे लोगों की संख्या कम है। संस्थाओं में अनेक पद होने के कारण अधिकांश लोग काफ़ी समय तक कोई न कोई पदभार ग्रहण किए रहते हैं। २ प्रतिशत



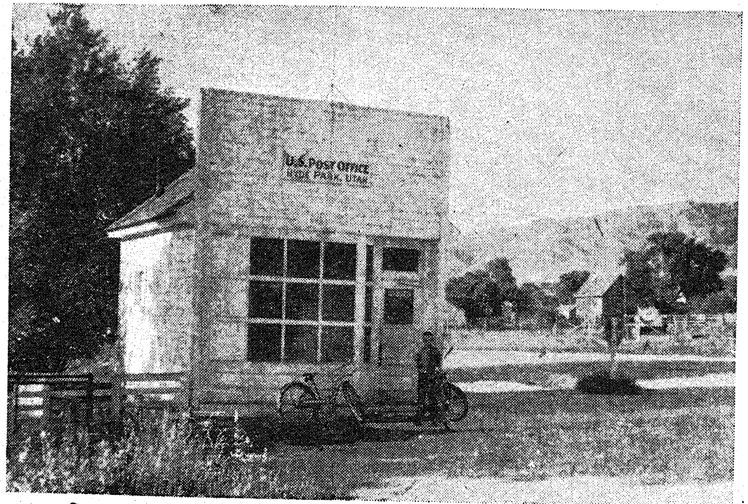
हाइड पार्क की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रवृत्तियों का
केन्द्र—गिर्जाघर



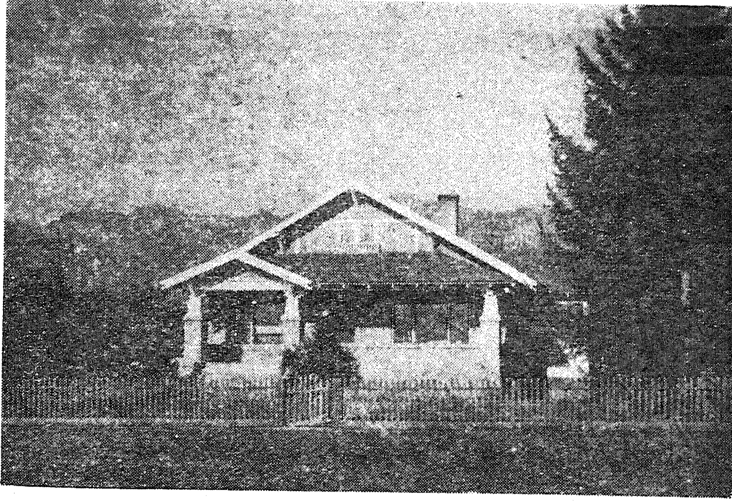
सन् १९०५ में निर्मित हाइड पार्क की दुमंजिला प्रारम्भिक पाठशाला



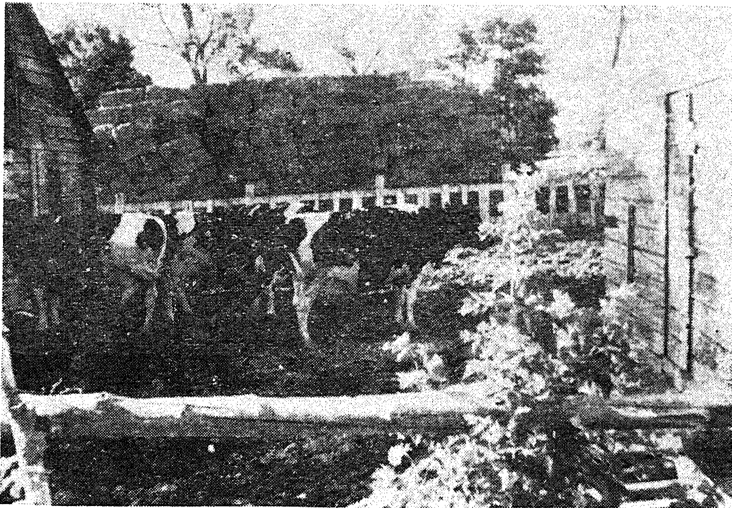
सर्वोपयोगी दूकान जहाँ जरूरत की हर चीज़ मिलती है



गांव का डाकघर



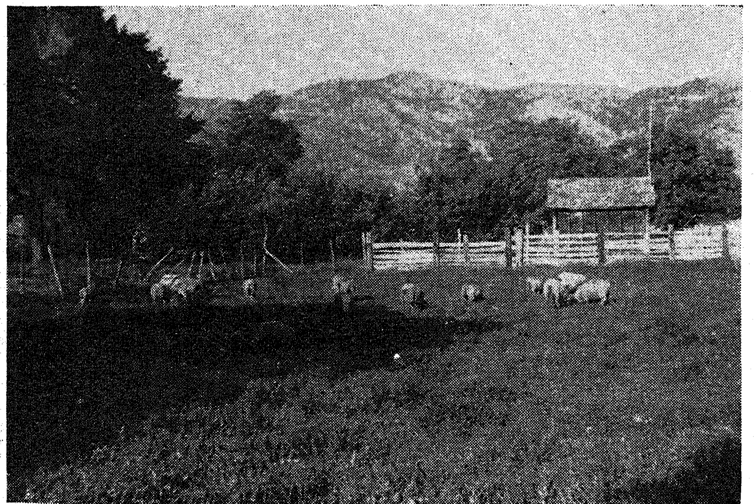
हाइड पार्क के एक किसान का घर



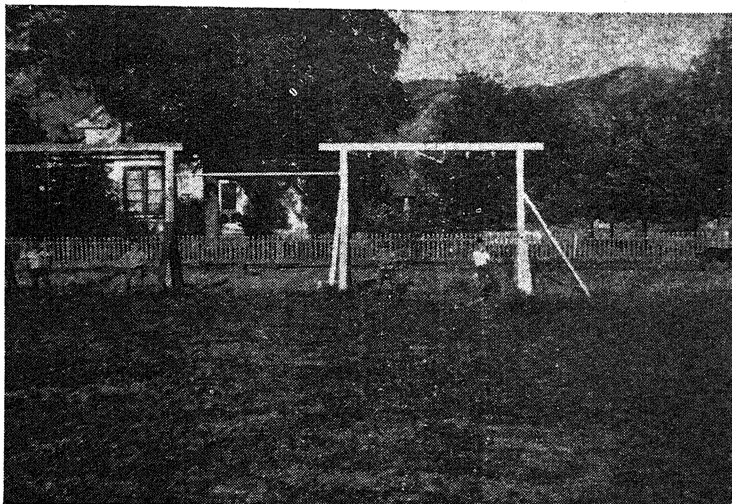
एक किसान की शानदार गायें—पृष्ठभूमि में
अलफ़ालफ़ा घास की गांठें



रसोई बाग और घास के मैदानों से गिरे हुये हाइड पार्क के मकान—
सामने चौड़ी सड़क



भेड़ों का चरागाह—इसी प्रकार के विस्तृत चरागाह गायों व
दूसरे पशुओं के लिये होते हैं



पाठशाला के मैदान में बच्चों के व्यायाम व खेल के सामान



बाल कृषक—ट्रैक्टर चलाते और उसकी सवारी का आनंद लेते हुये



११ वर्षीय छात्र निजी आय के लिए मैदान की घास काटते हुये



फ़ोर एच० क्लब की लड़कियां, केक बनाना सीख रही हैं

लोगों ने यह बतलाया कि उन्हें विभिन्न संस्थाओं में पद संभाले हुए सब मिलाकर ८५ वर्ष हो गए हैं। यह संख्या कई संस्थाओं में भाग लेने के कारण इतनी बड़ी हो गई है। इसका मतलब यह है कि वे लगभग ५-६ संस्थाओं में से प्रत्येक में १५-२० वर्ष काम कर चुके हैं। गैर धार्मिक संस्थाओं में ३ प्रतिशत लोगों ने २५ साल तक भिन्न-भिन्न पदों पर काम किया है।

समस्त पदों पर कार्य करने का औसतन कार्य काल

धार्मिक और गैर धार्मिक संस्थाओं में नेतृत्व के काम का उचित पुरस्कार मिलता है। उन्हें सामाजिक मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वे लोगों की सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं। विभिन्न संस्थाओं में नेतृत्व के लिए लगाया जाने वाला औसतन समय निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

समस्त पदों पर कार्य करने का औसतन कार्य काल

औसतन कार्य-काल (वर्षों में)	संख्या	प्रतिशत
कोई नहीं	१६	५
१ वर्ष	९०	२७
२ ,,	६३	१९
३ ,,	४८	१४
४ ,,	३३	१०
५ ,,	२८	८
६ ,,	१७	५
७ ,,	८	२
८ ,,	१०	३
९ ,,	५	१
१० ,,	४	१
१० वर्ष तथा उससे अधिक	१७	५
	३३९	१००

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि ५.४ प्रतिशत व्यक्तियों के पास एक या अनेक पदों पर काम करने का समय १० वर्ष से अधिक है। प्रायः अधिकाँश पदों पर पदाधिकारी बदलते रहते हैं। ५१ प्रतिशत व्यक्तियों ने औसतन २ वर्ष तक एक

पद पर तथा ७५ प्रतिशत व्यक्तियों ने ४ वर्ष तक कार्य किया। समस्त पदों पर औसतन कार्य काल ४ वर्ष रहा तथापि मध्यमान काल २ वर्ष ही आता है। इसका पता इस क्षेत्र में किए गए हमारे निरीक्षण से चलता है। पदाधिकारी एक पद से पृथक होने पर अन्य पदों के लिए भी नियुक्त किए जाते हैं, यदि वे उस पद पर कार्य करने के अभिलाषी और योग्य होते हैं। इससे नेताओं की रुचि बनी रहती है तथा स्वार्थ और नीरसता विकसित नहीं हो पाती है जो प्रायः एक ही पद पर बराबर काम करते रहने से आ जाती है।

वार्ड के सदस्यों ने गाँव के बाहर भी अन्य संस्थाओं में भिन्न-भिन्न पदों में नेतृत्व संभालने का कार्य किया है। जूनियर हाई स्कूल, सेन्ट्रल हाई स्कूल अथवा कालेज के विद्यार्थियों को भी उनके विद्यालयों में नेतृत्व और पद ग्रहण करने की दिशा में अवसर प्रदान किए जाते हैं। स्टेक स्तर पर 'सेवेन्टीज कोरम' अथवा उच्च धर्माध्यक्षों को भिन्न-भिन्न पदों पर कार्य करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है क्योंकि उनके अपने क्षेत्र में सम्पूर्ण कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों और पदाधिकारियों का अभाव रहता है। इसके साथ ही 'स्टेक' 'बी' परामर्शदात्री समिति में नेतृत्व संभालने और उसकी जिम्मेदारियों को वहन करने की दिशा में भी उपयुक्त अवसर मिलता रहता है।

निवास सम्बन्धी गतिशीलता से जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गई है, यह सम्भव हो सका है कि गाँव में नए अनुभवी सदस्य भी पदों पर आसीन हो सके हैं जो पहिले किसी अन्य स्थानों पर कार्य का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं और तदनुरूप कार्यों में कुशलतापूर्वक नेतृत्व ग्रहण कर सके हैं। हाइड पार्क में रहने वाले सदस्य जब बाहरी संस्थाओं में पद ग्रहण करते हैं तो इससे उनमें आत्म विश्वास बढ़ता है और उनका दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है। फिर भी नेतृत्व का विकास अधिकतर गाँव में ही होता है। इस विकास के फलस्वरूप ही वे इस योग्य बन पाते हैं कि विभिन्न संस्थाओं में उत्तरदायित्व संभालें और गाँव की सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति में योग दें। इस उन्नति का मूल आधार है पद संभालने के सुअवसरों की अधिकता, उन पर काम करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण की सुविधा और समाज के जीवन में सक्रिय भाग लेने के अनुकूल लोगों का दृष्टिकोण।

९. सामुदायिक विकास

(कार्यक्रम तथा विधियां)

इसके पहले अध्याय में हम देख चुके है कि व्यक्ति किस प्रकार धार्मिक तथा अन्य शैक्षिक एव मनोंरंजन प्रधान संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न सामाजिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमों से अपने ज्ञान, शक्ति तथा धारणाओं में वृद्धि करता है। इसीलिए व्यक्तिगत विकास सामुदायिक विकास से भिन्न नहीं है। वे एक ही कार्यक्रम के दो पहलू है।

पिछली दशाब्दी में "सामुदायिक विकास" का एक निश्चित अर्थ समझा जाने लगा है। इसके द्वारा दुनिया के नये आजाद हुए तथा अल्प विकसित देशों में विकास के अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पूरे हो सके हैं। यद्यपि हम सामुदायिक विकास शब्द की परिभाषा अपने संदर्भ के अनुसार ही करेंगे तथापि कुछ प्रचलित परिभाषाओं पर विचार कर लेना भी उपयोगी होगा।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसा आन्दोलन है जिसके द्वारा सम्पूर्ण समुदाय के जीवन स्तर में उन्नति करने का प्रयास किया जाता है। इसमें स्थानीय जनता का सक्रिय सहयोग मिलना चाहिये और यदि सम्भव हो तो उन्ही की पहल होनी चाहिये। परन्तु यदि यह समारंभ स्वतः न हो सके तो जन जागरण की नई विधियों

द्वारा जनता का अभिक्रम जगाना चाहिये, और कार्यक्रम में उनका उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

अमेरिका के एक प्रमुख ग्रामीण समाज शास्त्री डा० कार्ल सी० टेलर ने इसकी सरलतम परिभाषा की है। वह कहते है:—

"सामुदायिक विकास एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा स्थानीय गांवों में रहने वाले लोग अपनी आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार वे राष्ट्र के विकास के विभिन्न कार्य-क्रमों के लिये प्रभावशाली संगठन बना लेते हैं।"

एक समाज मनोवैज्ञानिक के अनुसार सामुदायिक विकास की परिभाषा इस प्रकार है:—

'सामुदायिक विकास के अर्थ एक वर्ग के व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता तथा योग्यता को आगे बढ़ाना है।"

ये परिभाषायें हमारे लिये कोई निश्चित स्वरूप स्पष्ट नहीं करतीं क्योंकि उनका प्रयोग आंशिक है। यह आवश्यक नहीं है कि सामुदायिक विकास एक आन्दोलन ही है। इसमें केवल एक या कुछ ही समुदाय सम्मिलित हो सकते हैं। मौजूदा साधनों के प्रयोग के अतिरिक्त इसका लक्ष्य उन साधनों को एकत्र करने तथा बढ़ाने की ओर भी हो सकता है।

सामुदायिक विकास में बाहरी सहायता का तत्व अनिवार्य रूप से निहित नहीं है। अल्प विकसित क्षेत्रों में जहाँ बाहरी सहायता विकास के लिये सहायक तथा महत्त्वपूर्ण होती है केवल वहाँ बाहरी सहायता ही आवश्यक है।

इर्विन टी० सैन्ड की रचना "ग्रामीण समाज शास्त्र" की भूमिका में सामुदायिक विकास के सिद्धान्त इस प्रकार दिये गये हैं।

"सामुदायिक विकास" के प्रचलित चार तरीके इस प्रकार हैं:—

प्रथम एक प्रणाली के तौर पर जो आपसी सहयोग की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं, द्वितीय—एक तरीके के तौर पर जो एक लक्ष्य की पूर्ति करते है, तृतीय एक प्रोग्राम के तौर पर जिसमें उसकी विषय सामग्री और शैली व्यक्त होती है, चतुर्थ—एक आन्दोलन के तौर पर जिसमें व्यक्तिगत लगन तथा भावनाओं का समावेश होता है।

इस प्रकार के व्यापक सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रम की एक सी परिभाषा देना कठिन है।

हाइड पार्क में सामुदायिक विकास का स्वरूप तथा विस्तार भारत से भिन्न है। उसका स्वरूप अमरीका तथा कनाडा में प्रचलित "सामुदायिक संगठन" के बहुत समान है। मरे जी० रास की परिभाषा इस प्रकार है:—

"सामुदायिक संगठन" एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा कोई समुदाय अपनी आवश्यकता और लक्ष्यों को व्यक्त करता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है।"

जैसे-जैसे स्थानीय संस्थायें बढ़ेंगी और योजना तथा उसके कार्यक्रमों में वृद्धि होगी वैसे ही अधिकतर सम्भावना है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सामुदायिक संगठन के रूप में परिवर्तित होता जायगा । सामुदायिक विकास की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं:—

"सामुदायिक विकास समुदाय की संस्थाओं के विकास तथा सुधार की एक प्रणाली है जिसमें अपने साधनों के अधिकाधिक प्रयोग और सदस्यों के सक्रिय सहयोग द्वारा स्थानीय समस्याओं का समाधान होता है ।

मार्मन आदर्श के अनुसार सामुदायिक जीवन का अर्थ व्यक्ति और समाज का समन्वय है ।

मार्मन समाज में व्यक्ति का सामुदायिक सम्बन्ध सामूहिक रूप में निर्णीत उद्देश्यों के प्रति बल देता है और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को टिकाऊपन तथा शक्ति देता है ।

पिछली चार-पाँच दशाब्दियों में हाइड पार्क में किये गये विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अध्ययन की क्रमानुसार सूची हम यहाँ दे रहे है।

सामुदायिक विकास के पाँच निश्चित अंगों के अनुसार हम इसको भी पांच विभिन्न विभागों में विभाजित करेंगे ।

१—समस्या
२—प्रक्रिया
३—सहयोग
४—समाधान
५—संस्थागत प्रगति

१-समस्या:—

हाइड पार्क की जनसंख्या में १८७५ में ४४३ से १९१० में ७३५ वृद्धि हुई। पहले गिरजाघर की इमारत से गाँव की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती थी, इस लिये नई बड़ी इमारत बनाने का विचार किया गया ।

२. **प्रक्रिया—**

(अ) आरम्भ में समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पादड़ी,

चार्ल्स जी० हाइड ने एक प्रस्ताव गिरजाघर की नई इमारत के लिये रखा जो एक दम मंजूर कर लिया गया। बिशाप्रिक ने स्टेट प्रेसीडेंसी के सामने प्रस्ताव रक्खा और उनके सुझावो के बाद उसे साल्ट लेक सिटी के अध्यक्ष को भेज दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने गिरजाघर के कलाकार श्री पोप को हाइड पार्क भेजा। उन्होंने गांव की आवश्यकताओ का अध्ययन किया, बिशाप्रिक से सलाह की और एक नक्शा तैयार किया। इस पर विचार-विमर्श हुआ और नक्शा बिशाप्रिक द्वारा पास कर दिया गया और निर्माण समिति, जो उसकी देख रेख में बनाने और जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए थी, दे दिया गया।

—प्रारम्भिक सहायता—

(ब) बिशाप्रिक तथा बिल्डिंग कमेटी ने बैठकर निश्चित धन की आवश्यकता पर विचार किया। उस समाज में जितने भी कुटुम्ब थे उनकी सख्या से कुल व्यय विभाजित किया गया और एक औसत धन निश्चित किया गया। कुछ कुटुम्बों की विशिष्ट हालत देखकर इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया। इसे "साधनों के अनुमानित आय व्यय" का नाम दिया गया। हर कुटुम्ब के मालिक को पत्र भेज दिया गया जिसमें कहा गया था "हम नम्रतापूर्वक प्रस्ताव करते हैं कि आप का कुटुम्ब चेपैल के निर्माण में सहयोग दे।" नींव खोदने में सहायता करने के लिए भी लोगों से कहा गया, कंकरीट के काम के लिए अपने घोड़ों को भेजने तथा बढ़इयों को मदद करने के लिए प्रार्थना की गई। यहाँ तक कि १७-१८ वर्ष की आयु के युवकों से भी १५ डालर देने के लिए निवेदन किया गया। कुछ ऊँचे परिवार स्वामियों से अनुरोध किया गया कि वे कुछ अतिरिक्त दान दे क्योंकि कुछ कुटुम्ब अपना पूरा हिस्सा दे सकने में असमर्थ थे।

(३) सहयोग

बिशप हाइड द्वारा कहे गये निम्नलिखित सिद्धान्तों पर सम्पूर्ण रीति नीति आधारित थी—"लोगों को महसूस होना चाहिये कि वे अपने तरीके पर ही और अपनी इच्छा से कार्य कर रहे है।" इसका निश्चय करने के लिये कि लोग अपना योग दान दें, व्यक्ति गत सम्पर्क स्थापित किया गया। १० से १५ व्यक्तियों की टोलियों ने नींव खोदी। २० से २५ व्यक्तियों की टोलियों ने फर्श को समतल किया। जिन्होंने शारीरिक तथा अर्ध-शारीरिक श्रम किया उनके लिये निर्णीत धन में कमी की गई। कुछ ने दूसरों से अधिक कार्य किया।

उच्च प्रकार के मसालों के उचित प्रयोग की देख रेख निर्माण समिति के एक सदस्य मिस्टर हैनरी हेन्सी ने किया। मिस्टर एल्बर्ट पर्क्स ने सीमेंट बालू मिलाने की

देख-रेख की। गांव के मिस्त्रियों ने कार्य का निरीक्षण किया। गिरजाघर के कलाकार ने योजना के अनुसार निर्माण के समय कई बार दौरा किया। स्थानीय श्रमिकों की जितनी आवश्यकता थी, ठेकेदार ने उतने ही श्रमिकों को काम पर लगाया।

श्रम देकर करीब करीव सभी सदस्यों ने इस योजना में योगदान दिया। जो लोग गांव के बाहर किसी कार्य से गये हुये थे केवल उन्होंने श्रमदान नहीं किया।

चैपेल की अनुमानित कीमत ३६,०००, डालर थी। गिरजाघर के केन्द्रीय अधिकारियो ने २०,००० डालर अनुदान दिया। शेष १६,००० डालर समुदाय द्वारा श्रम या धन के रूप में दिया गया।

(४) **समाधान**

सम्पूर्ण चैपेल में एक अर्धगोलाकार हाल था जिसमें चार विभाग थे जो दरवाजों के द्वारा अलग-अलग किये जा सकते थे। इसमें दस अध्ययन कक्ष, एक लम्बा स्टोर तथा कोयले के लिये कमरे थे। यह १९२१ में प्रेसीडेन्ट हर्बर्ट जे० ग्रान्ट द्वारा समर्पित किया गया था। सम्पूर्ण समुदाय ने शानदार शिष्टाचार पूर्ण समारोह में भाग लिया। १९१८ में बिल्डिंग तैयार हुई, पर समर्पण तब किया गया जब चैपेल बनते समय के कर्जों को चुकता किया जा चुका था।

(५) **संस्थागत प्रगति**

इस सबका निर्देशन विशाप्रिक तथा निर्माण समिति द्वारा उचित ढंग से किया गया। जनता विशेष रूप से इसके लिये गर्व अनुभव कर रही थी क्योंकि यह इमारत उस समय आधुनिकतम ढंग की बनी थी। योजना बनाते समय नाना प्रकार के तजुर्बों से ही संगठन की प्रक्रिया आरम्भ हुई तथा व्यक्तियों का व्यक्तित्व और भी दृढ़ हो गया। चैपेल उनके सहयोग की भावना तथा उनकी सफलता का प्रतीक है।

मनोरंजन कक्ष का निर्माण

समस्या—

१९४९ में मनोरंजन हाल गिर गया। निम्नलिखित कारणों से विद्यालय की व्यायाम शाला, मनोरंजन हाल की आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकी—

(अ) सम्पूर्ण समुदाय के लिये वह अनुपयुक्त तथा छोटा था।

(ब) वह गिरजाघर से काफी दूर था।

प्रक्रिया

कुछ व्यक्तियों ने बिशप से अनुरोध किया कि मनोरंजन हाल का निर्माण किया जाय। गिरजाघर के सभी सदस्यों के सामने यह प्रस्ताव रखा गया और उन्होंने स्वीकृति दे दी। स्टेक प्रेसीडेसी द्वारा भी उसे मान्यता मिली और यह सलाह भी मिली कि बिशप साल्टलेक सिटी के प्रमुख अधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित करे। तब बिशप बिशाप्रिक के प्रेसीडेंट के पास गये और समाज की मनोरजन की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में बताया। प्रेसीडेंट ने उनसे पूछा कि क्या वे गांव से भी कुछ धन एकत्र कर सकते हैं। बिशप ने इसे स्वीकार कर लिया। बिशाप्रिक के प्रेसीडेंट ने एक गृह शिल्पकार को ४,५०० डालर में नियुक्त किया।

बिशाप्रिक तथा वित्तीय समिति की एक बैठक हर कुटुम्ब से प्राप्त होने वाले धन के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये हुई। चन्दे की उच्चतम रकम ४५ डालर प्रति कुटुम्ब तय की गई। परिवारों के मालिकों को एक पत्र लिखा गया जिसमें समिति में जो तय किया गया था उसकी सूचना दी गयी। निश्चित दर, गिरजाघर में भाग लेने वालों की संख्या, उनके साधनों तथा आय के आधार पर रखी गयी। बिशप ने सर्वप्रथम अपना निश्चित धन दिया। बाद में अन्य व्यक्तियों ने अपना-अपना हिस्सा दिया।

बिशप ने गृह शिल्पकार की योजना को प्राप्त करने के बाद उसे सामुदायिक निर्माण समिति के सदस्यों को दिया। उन्होंने उसे देखा और कुछ परिवर्तन किये। कदाचित उस समिति में कुछ स्थानीय बढ़ई भी थे। हाल की लम्वाई १० फीट बढ़ाई गई। निर्माण समिति द्वारा प्लान को स्वीकार कर लेने के बाद बिशप ने उसे गिरजाघर के अधिकारियों को दिखाया। वे बताये हुये परिवर्तन पर सहमत हो गये। यद्यपि पहले से अधिक व्यय हुआ। इसके बाद उन्होंने बिशप को कार्य करने के लिये अधिकार दिये। बिशप ने ठेकेदारों से नीलाम की बोली बुलवाई जिसमें ५ बोलियाँ मिलीं। सबसे कम की बोली वालों को स्वीकार कर लिया गया। मई १९५१ में कार्य का श्रीगणेश हुआ।

सहयोग

बिल्डिग का पूरा खर्चा ९१,००० डालर था। १९४९ में गिरी हुई बिल्डिगों से इन्श्योरेंस के तौर पर १७,००० डालर प्राप्त हुआ। शेष ७३,५०० डालर का ५० प्रतिशत साल्टलेक सिटी के मुख्य अधिकारियों द्वारा दिया गया तथा ५० प्रतिशत हाइड पार्क के व्यक्तियों द्वारा। हर कुटुम्ब ने भाग लिया। इन सब पर कोई श्रम नहीं लिया गया। जिन्होंने उसके निर्माण में कार्य किया उनके निर्धारित धन में उसका हिसाब पूरा कर लिया गया।

(४) **समाधान**

पूरी बनी हुयी बिल्डिंग में एक हाल तथा बास्केटबाल का मैदान, नृत्य के लिए एक मंच, स्काउटों का एक कमरा, दो अध्ययन कक्ष, एक सहायता समिति का कमरा, एक रसोई, दो विश्राम कक्ष तथा एक शृंगार कक्ष थे।

हाल तथा कमरों की फर्शो में पोली लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। बाहरी भाग तूफान और आँधी से बचाने के लिये ईंटों का बनाया गया।

(५) **संस्थागत प्रगति**

प्राजेक्ट संगठन की समितियों से सम्बद्ध बिशाप्रिक-वित्तीय-समिति तथा अन्य संगठनों ने साधारण अधिकारियों के स्तर पर भाग लिया। निर्माण समिति तथा बिशाप्रिक ने समर्पण समारोह की योजना बनाई और नवम्बर १९५१ में निर्माण समिति तथा बिशप्रिक ने बिल्डिग को समर्पित किया।

रिलीफ समिति कक्ष की सजावट

(१) **समस्या**

जब मनोरंजन हाल तैयार हो गया तो रिलीफ समिति को उसके कार्यालय के लिये एक कक्ष दिया गया। इसका प्रबन्ध समिति द्वारा होना था। उसमें एक प्यानों, एक मेज, दो सिलाई की मशीनें, दरियाँ, फर्श के लिये टाट, एक घड़ी तथा कुर्सियों की आवश्यकता थी।

(२) **प्रक्रिया**

रिलीफ समिति के अध्यक्ष ने विचार विमर्श किया और यह तय किया कि रिलीफ समिति का कार्यालय समिति के धन और चन्दे से सजाया जाय।

रिलीफ समिति का फन्ड कई दशाब्दियो से जमा हो रहा था। १८७० से प्रतिवर्ष गेहूँ एकत्र किया जाता और जमा कर लिया जाता। जिससे आपद काल में समुदाय की आवश्यकता पूरी सके। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सरकार को गेहूँ की आवश्यकता हुई। इस समय रिलीफ समिति के पास ६००० बुशल गेहूं था। प्रचलित मूल्य पर इसे सरकार को बेंच दिया गया। बाद में जब गेहूँ सस्ता हो गया तो पुनः खरीद कर एकत्र कर लिया गया। इस क्रय विक्रय से प्राप्त धन को समिति के फन्ड में जमा कर दिया गया।

रिलीफ समिति हर वर्ष एक बाजार लगाती है जिसमें दावत दी जाती है। मछली पकड़ने के लिये तालाब, खिलौने या मिठाई बनायी जाती तथा शृंगार का

सामान, तौलिये, रजाई तथा अन्य वस्तुओं को बेंचकर जो धन मिलता वह समिति के फन्ड में जमा कर दिया जाता।

(३) **सहयोग**

समुदाय के सदस्य सीधे तरीके से भाग नही लेते थे। समिति के उच्चाधिकारी तथा जलपान प्रबन्ध समिति व कार्यकारिणी समिति के सदस्य व सहायता समिति के अध्यापकों ने बाजार का संगठन किया तथा दरियों की सिलाई व कमरे की सजावट का प्रबन्ध किया।

(४) **समाधान**

१ मेज, ६४ कुर्सियाँ, १ प्यानो, २ सिलाई की मशीनें. ४ दरिया, १ कालीन, १ घड़ी तथा गिरजाघर के प्रथम अध्यक्ष का एक चित्र खरीदे तथा कार्यालय में सजाये गये।

(५) **संस्थागत प्रगति**

रिलीफ समिति द्वारा ही सम्पूर्ण कार्य की रूप रेखा तैयार की जाती है और कार्य रूप में परिणत की जाती है। इससे समिति के सदस्यों में स्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न हुई और उन्हें अपने कार्यालय के सजाने में गौरव महसूस हुआ।

गिरजाघर के अन्य कार्यो का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है।

गिरजाघर की साज-सज्जा

गिरजाघर के निकट आधुनिक मनोरजन हाल के तैयार होने पर हाल की पुरानी मेज कुर्सी आदि खराब दिखाई देने लगी। अत: हाल का परिवर्तन आवश्यक हो गया क्योंकि पदाधिकारियों ने महसूस किया कि पूजा का स्थान घर के समान या उससे भी अधिक आकर्षक होना चाहिये।

पादरियों ने इस योजना को सदस्यों तक पहुंचाया और उसके पक्ष में राय मांगी। तत्पश्चात् वह योजना प्रीस्ट को प्रस्तुत की गयी। उनकी स्वीकृति के बाद समस्या स्टेक प्रेसीडेंसी और मुख्य अधिकारियों से हल कराई गई। उनकी मंजूरी ली गई और तब प्रीस्टों की सभा में और संदेशवाहक द्वारा इसकी घोषणा की गई। गिरजाघर के कारीगर दो-तीन बार वहां गये और उन्होंने पूरा सहयोग दिया। स्थानीय बढ़इयों तथा रंगरेजों ने सामूहिक मार्ग प्रदर्शन किया। गिरजाघर की मरम्मत में १३,६०० डालर व्यय हुआ।

गिरजाघर के अधिकारियों ने लागत का आधा दिया। शेष ६,८०० डालर गांव वालों ने धन के रूप में भेंट किया।

गिर्जाघर में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये

(१) बेंचों को निकाल लिया गया तथा छोटी मरम्मत की मशीन से उनकी मरम्मत की गई।

(२) फर्श पर भी एक बिजली वाली मरम्मत की मशीन से कार्य हुआ।

(३) दराज वाले भाग निकाल दिये गये तथा फर्श, कुर्सी और मेज आदि पर पुनः वार्निश हुई।

(४) अन्दर का भाग हल्के रंग में रंगा गया जिसमें आधुनिकतम ढंग से रोशनी के आधुनिक तरीके अपनाये गये।

(५) नये लाउडस्पीकर की व्यवस्था की गई।

(६) संगीत मंच, गलियारे तथा सभा मंच पर नये कालीन बिछाये गये।

(७) कुर्सियों की संख्या बढ़ाई गई।

(८) शो-रूम का प्रबन्ध बदल दिया गया। पूजा की मेजें नीचे रक्खी गईं।

कार्य के दौरान में जो परिवर्तन तथा निर्माण हुये उनकी कुछ आलोचना हुयी, परन्तु कार्य पूर्ण होने के बाद हर कोई प्रसन्न था।

कल्याण फार्म का कार्य

गिरजाघर के जरूरतमन्द सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह एक कार्यक्रम है। १९३६ से यह बिशाप्रिक द्वारा प्रति वर्ष चलाया जाता है। इस कल्याणकारी संस्था के अधिकांश सदस्य किसान हैं। समय-समय पर वे सार्वजनिक कल्याण फार्म का परीक्षण करते हैं और यह तय करते हैं कि फार्म पर क्या क्या जरूरी काम हैं। उदाहरण के लिये कुदाली से खोदाई, सिंचाई, बुवाई तथा कटाई आदि विषय कल्याण-कारी-संस्था की हर रविवार को होने वाली बैठक में तय किये जाते हैं। समिति यह तय करती है कि कौन से औजारों और कितने श्रमिकों आदि की आवश्यकता कल्याणकारी फार्म के कार्य संचालन में होगी। धार्मिक बैठक में फार्म की जरूरतों की घोषणा की जाती है और सहायता के लिये स्वयसेवक मांगे जाते हैं। व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाता है जो प्रायः अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। लोग बिना वेतन लिये ही इस फार्म पर कार्य करते हैं। टैक्स के बाद कुल आय घटाकर शेष कल्याण-कारी फन्ड में जमा कर दी जाती है। १९५४ में फार्म में निम्नलिखित कार्य हुए थे।

ट्रैक्टर से खाद छिड़कना, गोड़ना, खेत समतल करना, मटर उगाना, सिंचाई, अन्न की कटाई तथा निराई। इसमें कुल ८०६ घण्टे लगाकर लोगों ने काम किया।

इस योगदान की कुल कीमत लगभग (औजारों के प्रयोग के साथ) १०००—१२०० डालर थी। वार्ड के निर्धारित धन को पूरा करने के लिये अतिरिक्त धन प्राप्त किया जाता है।

एक विशेष कल्याणकारी कार्य

श्री एक्स० एक ट्रैक्टर से बुरी तरह चोट खा गये और अस्पताल में भर्ती करा दिये गये। उनकी फसलों पर ध्यान रखने की आवश्यकता थी। पादरियों के 'कोरम' में इस समस्या पर विचार किया गया। लोग उनके फार्म पर गये, उनके चुकन्दर की निराई की, मटर की कटाई की, उनकी घास काटकर ले आये, उनके खेत में पानी डाला और फसल उगाकर उसकी आमदनी उनके परिवार को दे दी। श्री एक्स० की बीमारी के कारण उन्हें कोई हानि नही पहुँची। उनके कोरम के सदस्यों ने उनकी मदद की जो उनका धार्मिक कर्तव्य था।

लायन्स क्लब द्वारा चलाये गये कार्य : गिरजाघर के लिये एक बाजा खरीदना

(१) **समस्या**

गिरजाघर का बाजा पुराना था। लायन्स कलब के सचालकों ने महसूस किया कि एक नये बाजे की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त गिरजाघर में अंगीठी बदलने की आवश्यकता प्रतीत हुई। आग बुझाने वाला बम्बा लगाना पड़ा, हाल के बाहर लान पर एक पानी के चश्मे की आवश्यकता हुई।

(२) **प्रक्रिया**

(अ) गांव में नागरिक तथा सामाजिक उत्थान के लिये लायन्स क्लब के संचालक बोर्ड के चेयरमैन ने सुझाव मांगे। बोर्ड के विभिन्न सदस्यों द्वारा ऊपर लिखी आवश्यकताओं का सुझाव दिया गया। क्लब की साधारण बैठक में इन पर वाद विवाद हुये जिससे क्लब के सदस्यों की सतर्कता का पता चलता है। इन कार्यों को चलाने के लिये संचालकों के बोर्ड ने अंतिम निर्णय लिया।

(ब) भट्ठी के नमूने के लिये सदस्यों ने पडोस की कई भट्ठियों को देखा तथा ठेकेदारों से सम्मति ली गई जिन्होंने इन भट्ठियों को बनाया था। इसी प्रकार संगीत के बाजों के बेचने वालों से, जो लोगन तथा साल्ट लेक सिटी के थे, चेयरमैन तथा दो अन्य संचालक मिले। उन्होंने बाजों का परीक्षण किया तथा उनके गुण तथा मूल्य की तुलना की। सबसे अच्छा बाजा उपयुक्त मूल्य पर बोर्ड द्वारा अधिकृत किये जाने पर लोगन में खरीदा गया।

(३) सहयोग

विकास के इस कार्यक्रम में लायन्स क्लब के ४० से लेकर ५० सदस्यों ने भाग लिया। इनमें ये कार्य हुये—

(अ) भारी सामान ढोने के लिये गाड़ी का प्रबन्ध करना।

(ब) संगीत के कार्यक्रम का आयोजन।

(स) हाइड पार्क की महिलाओं द्वारा बनाइ हुई केक आदि मिठाइयों को नीलाम किया गया। कुछ से लगभग १०० डालर मिले। शिकार में रुचि रखने वाले लोगों को हाइड पार्क में शिकार के लिए लाइसेन्स देकर भी धन प्राप्त किया गया।

३,५०० डालर का बाजा था जिसमें से लायन्स क्लब ने १,७५० डालर दिये। शेष आधा धन गिरजाघर द्वारा दिया गया। भट्ठी के लिये सामान में १,५०० डालर के करीब लगा। ये सभी खर्चे लायन्स क्लब द्वारा चुकता किये गये।

(४) समाधान

सभी कार्य १९४९-५० तथा १९५१-५२ में पूरे किये गये।

(५) संस्थागत प्रगति

इससे गिरजाघर तथा लायन्स क्लब के सम्बन्ध दृढ़ हुये। ये सामान गिरजाघर तथा लायन्स क्लब की सभाओं और कार्यक्रमों के लिये बराबर प्रयोग किये जाते हैं। इसलिये गिरजाघर के लिये दिये हुये इस योगदान से क्लब को भी लाभ हुआ।

बेसबाल के मैदान की प्रगति

(१) समस्या

बेसबाल का मैदान छोटा था क्योंकि उत्तर पूर्व तथा पूर्व की ओर टीला था। इसलिये यह टीला खेलने वालों के लिये असुविधाजनक था। बेसबाल टीम का काम लायन्स क्लब ने अपने हाथ में ले लिया। इसके फलस्वरूप सदस्य बेसबाल के मैदान की प्रगति में विशेष रूप से दिलचस्पी लेने लगे।

(२) प्रक्रिया

लायन्स क्लब के डायरेक्टरों की सभा में इस समस्या पर विचार विमर्श हुआ। नगर विकास समिति को यह काम सौंप दिया गया। क्लब के नियमों के कारण कार्यक्रम के सम्बन्ध में निर्णय लेने में लम्बा समय लगा, परन्तु इसने सदस्यों की राय तथा उनके निर्णय से काम लिया।

चूंकि लायन्स क्लब की निम्नलिखित समितियां कार्यक्रम से सम्बन्धित हो गई, इसलिये और भी विचार विमर्श हुये—

(१) बाल तथा बालिका समिति
(२) वित्त समिति
(३) कृषि समिति
(४) प्रचार समिति

(३) सहयोग

उन्होंने धन जमा करने तथा अन्य सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिये विस्तृत रूप-रेखा बनाई। बिशाप्रिक (पादड़ी) से राय ली गई। गिरजाघर के साधारण अधिकारियों से प्राप्त धन के आधार पर कार्यक्रम का आधा खर्चा देने को वे तैयार हो गये। गिरजाघर के अधिकारियों ने हाइड पार्क के काम के लिये विशेषज्ञ भेजा। उन्होंने बिशप (पादड़ी) के साथ कार्यक्रम का निरीक्षण किया। स्थानीय नेता एक बेसबाल मैदान चाहते थे।

दो वर्ष तक कार्य का खर्च ३,००० डालर रहा। गिरजाघर से १,५०० डालर मिला। लायन्स क्लब ने १,००० डालर, अल्पाहार तथा शरबत पानी की बिक्री, बेसबाल के खेल तथा खेलों के टिकटों की बिक्री से दिया। सदस्यों ने लगभग ५०० डालर श्रम के रूप में भी दिया।

(४) समाधान

इस कार्य की पूर्ति के तरीकों में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित थे जो दो वर्षों में धीरे धीरे पूरा हो सका।

(क) डिस्क हल से भूमि की गोड़ाई।
(ख) दो या तीन बार हाथ से समतल करना तथा कंकड़ों को दूर करना।
(ग) बुलडोजर यंत्र से पूर्व तथा उत्तर-पूर्व से ४ फीट मिट्टी हटाना।
(घ) घास के लिये उपयुक्त भूमि के लिये मिट्टी छाटना तथा बरावर करना।
(ङ) घास बोना और अच्छी तरह जमने के लिये फिर से बोना।

(५) संस्थागत प्रगति

गिरजाघर तथा लायन्स क्लब में सहयोग का यह दूसरा उदाहरण था, जिसमें कार्य के प्रबन्ध तथा उसके चालू करने में लायन्स क्लब का अधिक हाथ था। सदस्य अपने सुन्दर बेसबाल मैदान तथा पार्क के लिये बहुत गर्व महसूस करते हैं। सदस्यों की आपसी कार्यवाहियों के लिये इस कार्यक्रम ने एक अवसर दिया।

बेसबाल मैदान में अल्पाहार की बिक्री के लिये भवन निर्माण

जबसे लायन्स क्लब ने बेसबाल खेलों को अपनाया तब से एक स्टैन्ड की आवश्यकता प्रतीत हुई। जब कार्यक्रम पर राय देने को कहा गया, तब एक सदस्य ने इसे एक समस्या के रूप में पेश किया; साधारण समिति के संचालकों के बोर्ड ने उसे मंजूर कर लिया।

किसी नक्शे की आवश्यकता नही हुई। कुछ सदस्य जो बढ़ई थे उन्होने अपनी राय दी। दूसरे लोगों ने लट्ठे ढोये, आरा मशीन में उन्हें कटवाया, और अन्य आवश्यक हाथ का श्रम किया। वे सन्ध्या काल में अपने दैनिक कार्य करने के बाद एकत्र होते थे और स्टैन्ड में कार्य करते थे। क्रम क्रम से सभी सदस्यों ने भाग लिया। एक समय पर ५-६ से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।

स्टैन्ड में आरम्भ में प्रयोग आने वाले सामानों का मूल्य लगभग ६५० डालर हुआ। श्रम सहयोग से ७०० डालर मिला। १९५५ की ग्रीष्म में स्टैन्ड बन गया। लोगन के कान्स्ट्रिल ब्रदर्स ने कुछ लकड़ी उधार दी। दूसरी गर्मी में सदस्यों ने अपने लट्ठों का प्रबंध कर लिया और कम्पनी को उधार लिये हुये लट्ठे वापस कर दिये।

शहरी बोर्ड द्वारा संचालित कार्य—पीनेके पानी का प्रबंध

१. समस्या

हाइड पार्क में हर व्यक्ति को शुद्ध, स्वच्छ जल की उत्कट इच्छा तथा आवश्यकता महसूस हुई। टाउन बोर्ड के नेताओं ने इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये शुद्ध जल को प्राप्त करने की कोशिश की।

२. प्रक्रिया

टाउन बोर्ड ने भूगर्भशास्त्रियों की सहायता से जमीन के अन्दर से पानी निकाला, परन्तु पानी न तो तुरन्त प्राप्त हुआ और न वह शुद्ध था। स्मिथ फील्ड के पूर्व में एक सोते का पता लगाने का निश्चय किया गया। गांव की आवश्यकताओं के लिये वह सोता पर्याप्त जल दे सकता था।

इसके बाद पानी के इस स्रोत को घरेलू कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि वह सिंचाई के कार्यों में पहले से ही प्रयोग में आता था। उन्हें सिंचाई कम्पनी के पास जाना था जिनके पास उसे प्राप्त करने के अधिकार थे अथवा उन्हें परिवर्तन स्वरूप जितने पानी की आवश्यकता थी, खरीद लेने की बात सामने आई।

कुछ हद तक कम्पनी सोते के प्रयोग की आज्ञा देने पर राजी हो गई। नल के पाइप तथा उसके लगाने के खर्चे के लिए चन्दे का धन इकट्ठा करने के लिए टाउन बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया कि एक चुनाव हो जो उनको यह अधिकार दे कि वे शहर में बाड का प्रयोग निश्चित सीमा तक कर सके। मतदाताओं की राय लेने के बाद उन्होंने बान्ड बेचना शुरू किया। तब एक अधिनियम बनाया गया। यह घोषणा की गई कि हर किसी को जिनके मकान नलो के पानी की प्रधान नली की तरफ है निर्धारित सीमा के भीतर लगभग ६० या ७० डालर तक देना होगा।

राय लेने के लिए एक सिविल इंजीनियर को नियुक्त किया गया। स्थानीय पत्रो में विज्ञापन देकर उसने खुदाई के लिए रेट लिए। वे टाउन बोर्ड तथा इजीनियर के सम्मुख खोले गए। अभियन्ता ने Blue Print तथा अन्य आवश्यक चीजे तैयार की। कार्य की कानूनी बातो पर निगाह रखने के लिए एक वकील रखा गया।

ठेकेदारो ने कार्य किया। गॉव के लोग सीधे खुदाई में शरीक थे। साधारण दैनिक वेतन के अतिरिक्त ठेकेदारों के साथ कार्य करने से प्राप्त धन से कुछ लोगों ने अपना निर्धारित धन अदा किया।

सहयोग

अधिनियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जायदाद पर निश्चित धन देने का प्रस्ताव किया गया। धन टैक्स के रूप में था। यदि कोई टैक्स न दे तो उससे वसूल करने का उनको अधिकार था। फिर भी टाउन बोर्ड को निश्चित धन में कमी करने या उसे माफ करने में छोटे परिवर्तन करने का भी अधिकार दिया गया। उन्होंने विधवा, बहुत निर्धन या बिना मकान वालो के लिए यह छूट मजूर की।

समाधान

इस कार्य मे लगभग ६०.०००-७०,००० डालर लगा। यह १९१२ में तैयार हुआ। तब से जल वितरण के लिए दो और बहुत ही अच्छी प्रगतियां हुई, जिस पर लोग गर्व कर सकते है।

१९३२ मे पहले वाला स्रोत सूख गया। गाव वाले सोते के दो मील और आगे अधिक स्थाई पानी को प्राप्त करने के सोत की ओर गए। सीमेन्ट के ढक्कनों के लिए ५ मील से ककड़ लाया गया। घोडों की टीमों के द्वारा पाइप डाले गए। इस कार्य में करीब ६००० डालर का खर्च हुआ। विशेषज्ञों की राय, धन का प्रबन्ध और ठेकेदार की सेवाएँ उसमे उसी प्रकार सम्मिलित थी। मेयर मिस्टर फ़्राक फालेट ने कहा—"मै तब तक घर वापस नही जाऊंगा, जब तक पानी नही पहुँचेगा" और

मौके पर वे लगभग एक माह रहे। क्षेत्रीय सरकार ने पानी के लिए स्थानीय चन्दे के अनुरूप धनमजूर किया। कार्यक्रम की देखभाल में स्थानीय नेताओं ने अधिकतर समय तथा ध्यान दिया।

संस्थागत प्रगति

१९५५ में जल के तरीके में फिर प्रगति हुई। जहां पर पानी प्राप्त होता था, उसके क्षेत्र को जानवरों से बचाने के लिए घेरा गया। नालियां खोदी गईं और नालियों की सतह भरी गयीं, ताकि तल का पानी सोते में न जा सके। स्थान-स्थान पर ढक्कन लगाए गए और बहाव देखा गया। इस सब में ४०० डालर खर्च हुआ। बोर्ड के सदस्यों द्वारा कार्य सम्पन्न हुआ। मदद के लिए एक बढ़ई रखा गया। स्वास्थ्य विभाग ने हाइड पार्क में प्रथम श्रेणी की जल योजना का प्रमाणपत्र दिया।

हाइड पार्क की सड़कों में प्रगति

जब तक मरम्मत न हो तब तक हाइड पार्क की सड़के जाड़ों तथा बरसात के मौसम में चलने योग्य नहीं थीं। १८८५ के आसपास टाउन बोर्ड नामक संस्था नहीं थी, अतः कुछ सार्वजनिक कार्य होना था।

समुदाय के एक नागरिक भावना वाले तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे—मिस्टर हेनरी हैन्सी। जनता उनके निर्णय की कद्र करती थी और उनमें भरोसा रखती थी। वे सड़कों की दशा के बारे में भी जानते थे। उन्होंने जनता से सम्पर्क स्थापित किया और सड़कों की उन्नति के विषय में बात की। लोगों ने उनके विचार को पसन्द किया और उनका साथ दिया। गिरजाघर में एक प्रस्ताव रखा गया और सबने राय दी। इसमें निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित थे:—

(अ) शहर के निर्माण के पूर्व काउन्टी द्वारा खरीदी गई भूमि में गड्ढे को कंकड़ों से चौरस कर दिया जाय।

(ब) प्रतिवर्ष १½ ब्लाक तैयार किया जाय। पूर्व-निर्मित सड़कों के गढ्ढे भरे जांय।

घोड़ों की लगभग ४५ टीमों तथा अनेक व्यक्तियों ने प्रति वर्ष ३० से ४० दिन काम किया। यह कार्य मौसम पर निर्भर करता था। जब काफी सर्दी होती थी तब कार्य बन्द कर दिया जाता था और बाद में शुरू किया जाता था वर्ष के कम व्यस्त महीनों में, जब मौसम ठीक होता था, तब कार्य किया जाता था। इस प्रकार सड़क निर्माण का कार्य लगभग २५ वर्ष तक चलता रहा। गांव में टाउन बोर्ड बनने के पूर्व जनता के मुख्य नेताओं ने इस कार्य में भाग लिया। टाउन बोर्ड बनने के बाद मेयर और टाउन बोर्ड के सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

सड़क का निर्माण तथा सुव्यवस्था

सड़कों पर कंक्रीट डाली गयी, परन्तु उनमें गढ्ढे हो गए और स्थान स्थान पर कीचड़ अथवा गर्द जमा हो गयी और मरम्मत करना आवश्यक हो गया । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् हाइड पार्क की सड़कों की सुव्यवस्था करने की बात तय की गई।

मेयर ने टाउन बोर्ड की एक बैठक में इस मसले को रखा। उन्होने एकमत होकर सड़कों को सुव्यवस्थित करने पर विचार किया। मेयर ने कहा—"हाइड पार्क के समान छोटे गांव में ३ : २ के अनुपात में मतदान नही मान्य है। अतः जब तक लोग एक मत न हों, तब तक यह बात विचाराधीन रहे।"

क्षेत्र के उच्चाधिकारियों को प्रति वर्ष एक बजट पेश करना होता है जिससे वे टैक्स की रिपोर्ट तैयार कर सकें। जसा निर्णय किया जाता है उसी के अनुसार चलना होता है। खर्चे तथा टैक्सो के बारे में राज्य के कानून गांव तथा काउन्टी पर लागू होते हैं। रजिस्ट्रैशन, लाइसेन्सो तथा शराब आदि की पर्मिटों की बिक्री से एकत्र धन का कुछ भाग राज्य इस गांव को दे देते है। वाहनों से प्राप्त धन को सड़कों पर खर्च किया जाता है तथा शराब के धन को स्वास्थ्य या पुलिस की सुरक्षा पर लगाया जा सकता है।

टाउन बोर्ड का एक सदस्य सड़को का अधिकारी होता है जो सड़को के कार्यक्रमों की देख रेख करता है।

एक मील सड़क की सुव्यवस्था १९४६-४८ मे की गयी। दो मील १९५४ तथा १९५५ मे पक्की बनी। गाव के पूर्व की दूसरी-तीसरी सड़कों के हिस्सों को छोड़कर सभी सड़के सुव्यवस्थित हो गयी। टाउन बोर्ड के लिए यह कार्यक्रम आवश्यक तथा लाभप्रद है।

सड़कों के किनारे की पगडंडी—

इस गांव में चौड़ी सड़कों के होते हुए भी पदयात्रियो द्वारा पगडंडी का प्रयोग किया जाता जो जाड़ों में कीचड़ युक्त फिसलने वाली हो जाती। सीमेन्ट की पगडडियाँ ही समस्या का हल है।

टाउन बोर्ड के सदस्य तथा मेयर ने प्रचार करके देखा कि कौन अपने घरों के सामने की पगडंडियों को कंकरीट की बनवाने के लिए तैयार थे। नकद खर्च ९ डालर था या हर टुकड़े में तीन दिन का कार्य था। लोगों की राय निश्चित कर लेने के बाद वे कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ प्रगति चाहते थे।

टाउन बोर्ड ने कार्यक्रम के लिए सीमेन्ट तथा कंकरीट की कम्पनियों से उनके

भाव मांगे। जनता से पगडंडियों के खोदने के लिए कहा गया ताकि कंकरीट और सीमेन्ट लगाया जा सके। जहां पर कुटुम्बों के स्वामी भाग लेने के लिए राजी हो गये उन स्थानों पर कार्य शुरू किया गया। जहां पर एक या दो व्यक्ति राजी नहीं हुए वहां उसे भविष्य की किसी तारीख के लिए टाल दिया गया।

पहली बार ४० कुटुम्बों ने भाग लिया। काफी लोगों ने बाद में आरम्भ किया। जहां पर मेयर का घर था, कुछ समय पूर्व तक वहां पगडंडी नहीं बनी, क्योंकि अन्य दो गृह-स्वामी राजी नहीं हुए। तात्पर्य यह है कि यह काम पूरी तरह जनता के प्रजातान्त्रिक निर्णय पर निर्भर होता है। किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जाता।

बसन्त में सामूहिक सफाई का कार्य :—

यह नया प्रयोग था, जिस की बहुत प्रशंसा हुई। जाड़ों में अक्सर बर्फ गिरने से सड़कें साफ नहीं रखी जा सकतीं। स्थान-स्थान पर कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता। लोगों ने महसूस किया कि बसन्त में साफ किया जाय।

टाउन बोर्ड के सदस्यों ने, जिनको खास सड़कें सौपीं गयीं थीं, गृह-स्वामियों से सम्पर्क स्थापित करके हर सड़क के लिए एक व्यक्ति को मुखिया बना दिया। मुखिया ने अपनी सड़क पर कार्य का प्रबन्ध किया। लोगों से निवेदन किया गया कि वे अपने भाग को सुन्दर रखने के लिए अपने क्षेत्र की सफाई कराएं तथा कूड़ा करकट फेंक दें और इस प्रकार नगर सफाई अभियान में सहायता करें।

विधवाएं, वृद्ध व्यक्ति अथवा दूसरे जिन लोगों के पास कूड़ा आदि फिकवाने का प्रबन्ध नहीं था, उनको अन्य सदस्यों द्वारा सहायता पहुंचाई गई। जनता अपना समय तथा सामान मुफ्त देती थी। नगर का सामान भी इस कार्यक्रम में प्रयोग किया गया।

इस योजना में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित थे:—

१—चट्टानों को एकत्र करना।

२—कूड़ा-करकट को हटाना।

३—सड़कों पर जिन पेड़ों की शाखें लटकती थीं, उनको काटना।

४—शहर के बाहर सीलन वाली भूमि तथा अन्य स्थानों को समतल करना।

५—गंदगी को हटाना या जलाना।

हर स्थान पर चुने हुए नेताओं द्वारा जनता को सलाह दी गई। कुछ लम्बी सड़कों पर दो नेता थे। इसमें कोई खर्च या चन्दा नहीं होता। यह वार्षिक कार्य है। टाउन

बोर्ड कार्य निरीक्षण और सहायता करता है और संस्था में लोगों का विश्वास कायम करता है।

कूड़ा करकट ढोने के लिए ट्रक का खरीदा जाना :—

सड़कों पर से बर्फ को साफ करना शहर की जिम्मेदारी है, कूड़ा उठाने के ट्रक के साथ ठेले की आवश्यकता महसूस हुई।

टाउन बोर्ड ने इस पर विचार विमर्श किया और इस योजना को अपना लिया। जनता को चन्दा देना नहीं था क्योंकि टाउन बोर्ड की मालिकयत कर से २,४०० डालर पानी के लिए निश्चित धन से १,५०० डालर, गैसलीन के टैक्स से ३,९०० डालर तथा शराब पर टैक्स से ९०० डालर अर्थात् कुल ८,७०० डालर की आमदनी थी।

मेयर तथा बोर्ड के सदस्यों ने ट्रकों के नमूने देखे और उचित मूल्य पर अच्छा सा एक ट्रक खरीद लिया।

ट्रक जाड़ों में सड़कों से बर्फ साफ करती। जो उसके प्रयोग के लिए पैसा देते हैं, गर्मी में व्यक्तिगत काम में मदद करती है ताकि इस प्रकार के धन से ट्रक का मूल्य निकाला जा सके। स्वच्छता अभियान में यह मुफ्त सहायता करती है।

कब्रिस्तान की उन्नति का कार्य

श्री हैनरी हैन्सी के साहसपूर्ण नेतृत्व में यह कार्य शुरू किया गया। यह अच्छी शक्ल में न थी। श्री हैन्सी ने जनता का ध्यान इसकी ओर आर्कषित किया। इस कार्य में टाउन बोर्ड के सदस्यों ने सहयोग दिया।

उन्होंने व्यक्तिगत सम्पर्क से अधिकाधिक जनता का सहयोग प्राप्त किया तथा गिरजाघर और स्थानीय पत्र मेसेंजर में इसका एलान किया गया। नाप जोख के लिए वेतन पर इस कार्य के लिए प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति रखे गये। कार्य ऐच्छिक श्रम से पूरा किया गया, विशेष रूप से उन लोगों ने काम किया जिनके सम्बन्धी कब्रिस्तान में गड़े थे। उनमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित था।

१—दस एकड़ भूमि में झाड़ झंखाड़ का हटाया जाना।

२—भूमि की सीमा बनाने वाले चार पंक्तियों के वृक्षों को हटाया जाना।

३—क़ब्रिस्तान में छोटे छोटे प्लाट का बनाया जाना और नाप जोख।

४—प्लाट के चारों ओर कलात्मक लोहे की चौहद्दी बनाना तथा संलग्न स्थानों पर जो चौहद्दियां हैं उनमें नीले स्प्रूस के वृक्षों का रोपा जाना।

आपसी एकता वाले इस गांव में इस कार्यक्रम ने और एकता ला दी, क्योंकि जनता उन स्थानों की साजसज्जा में दिलचस्पी लेती थी, जहां पर उनके पूर्वजन गड़े थे।

हाल ही में क़ब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क की भी मरम्मत कर दी गई है।

सम्मिलित कार्य संचालन के अन्तर्गत आने वाले कार्य

अभिभावक शिक्षक संघ तथा टाउन बोर्ड द्वारा विद्यालय की भूमि को सुसज्जित तथा सुन्दर करना :—

(१) समस्या

विद्यालय की भूमि पर ३-४ फीट मोटाई वाले बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। वे इतने ऊंचे हो गये थे कि तूफान के समय में गिर पड़ने पर विद्यालय की इमारत के लिए घातक हो सकते थे। विद्यालय की चौहद्दी घनी और अस्त व्यस्त मालूम होती थी, इसके लिए कुछ प्रबन्ध होना आवश्यक था।

(२) प्रक्रिया

कार्य के वास्तविक आरम्भ का पता न किया जा सका। संस्था के प्रसिद्ध व्यक्ति मेयर श्री जोज़ेफ नेल्सन ने कार्य की नियमावली बनाई। अभिभावक शिक्षक संघ तथा टाउन बोर्ड दोनों ने कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य की पूर्ति में योग दिया। परन्तु टाउन बोर्ड पर अधिक भार था, क्योंकि उसमें पर्याप्त श्रम, शारीरिक कार्य तथा व्यक्तियों की आवश्यकता थी।

टाउन बोर्ड की एक बैठक कार्य आरम्भ करने, उस पर निर्णय लेने तथा कार्यक्रम को गिरजाघर के अधिकारियों के सामने रखने व उनकी सहायता लेने के लिए की गयी। मेयर ने एक मास के लिए अपनी खेती का कार्य छोड़कर टाउन बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ सम्पर्क बढ़ाया और उनसे सहायता का प्रण कराया।

यूटा के राजकीय कृषि विद्यालय के बागवानी के प्राध्यापक से प्राविधिक राय ली गयी। उन्होंने वृक्षों की किस्मों तथा लगाए जाने की विधियों पर राय दी। उनके मार्फत से पेड़ तथा झाड़ियों के लिए पौधे खरीदे गये।

(३) सहयोग

इस काम में जनता ने बड़े ही जोश से भाग लिया। ५०० घन्टे का कार्य हुआ। कार्य करने वाले व्यक्तियों को अभिभावक शिक्षक संघ के अधिकारियों ने नाश्ता कराया। इस कार्य में पौधों तथा वृक्षों के मूल्य का व्यय ही आया। इसका भुगतान विद्यालय बोर्ड द्वारा किया गया।

(४) समाधान

इस कार्य मे, जो १९३७ की ग्रीष्म मे एक माह मे ही तैयार हुआ, निम्नलिखित कार्य सम्मिलित थे।

१—वृक्षो को आरे से काटना।
२—मोटे पेड़ों के भागों को पृथ्वी से खोदना।
३—तने तथा जड़ो को खोदने से बने गढ्डों को भरना।
४—बाहर से लाई गयी अच्छी मिट्टी से भूमि को भरना।
५—नये पेड़ों तथा पौधो के लिए नये गड्ढे बनाना।
६—पेड़, पौधों को रोपना और सिचाई करना।
७—भूमि से बेकार चीजों को हटाना।
८—घास रोपना।
९—लोहे की घेराबदी करना।

(५) संस्थागत प्रगति

इससे विद्यालय की भूमि स्वच्छ दिखाई देने लगी। इस कार्य से अभिभावक शिक्षक संघ तथा टाउन बोर्ड को एक साथ कार्य करने और स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ करने का अच्छा अवसर मिला।

अभिभावक शिक्षक संघ तथा लायन्स क्लब

छिड़काव का तरीका और सजावट का सामान्य कार्य

विद्यालय की भूमि को सुन्दर बनाने की योजना पूर्ण होने के १८ वर्ष के बाद इसमें अनेक परिवर्तन हुए है। कटीले तारों का घिराव अब कोई आवश्यक नही रह गया, क्योकि अधिकांश किसान अपनी गायें गांव के बाहर रखने लगे हैं। इन तारों से कभी-कभी बच्चों को खेलते समय चोट पहुँचती थी, अतः मैदानों को अच्छी दशा में रखने के लिए एक नये घिराव के तरीके की आवश्यकता हुई।

प्रधानाध्यापक ने इस मसले को अध्यापकों से तय किया और स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किया। अभिभावक शिक्षक संघ ने विचार विमर्श किया और योजना को स्वीकृत करके लायन्स क्लब के व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया। प्रधानाध्यापक भी क्लब के एक सदस्य थे। उन्होंने इस समस्या को संचालकों के बोर्ड तथा लायन्स क्लब की साधारण बैठक के सम्मुख रखा। तत्पश्चात् क्लब द्वारा कार्य स्वीकृत कर लिया गया।

विद्यालय—बोर्ड के काउन्टी निरीक्षक अधिकारी ने प्राविधिक मार्ग दर्शन दिया।

करीब २०-२५ व्यक्तियों ने दो रात्रि में कार्य किया। इसमें उच्च वर्ग के ५० बच्चों ने भी भाग लिया। फौव्वारे के पाइप में खर्च हुये १,००० डालर विद्यालय बोर्ड द्वारा दिये गये। लायन्स क्लब के सदस्यों ने बहुत अधिक कार्य किया। बच्चो का सहयोग उनके लिए शैक्षिक महत्व रखता है। मई १९५३ में यह कार्य पूरा हुआ।

इस कार्य में पुराने घेरे को हटाना, चट्टानों को बराबर करना, जोताई, बुवाई तथा मैदान में घास के बीज बोना, पूर्व में घिराव करना तथा छिड़काव का नया तरीका प्रचलित करना आदि सम्मिलित हैं।

इस कार्य से लायन्स क्लब, अभिभावक शिक्षक संघ तथा प्रधानाध्यापक में कार्य करने का अच्छा सम्बन्ध स्थापित हुआ।

विद्यालय के अन्दर के भाग की पुताई तथा रंगाई

विद्यालय का हाल तथा कमरे कई वर्षों से रंगे नहीं गए थे। श्री नेथवेल प्रधानाध्यापक ने इसे विद्यालय के सुपरिन्टेन्डेन्ट को दिखाया। उन्होंने सोचा कि विद्यालय द्वारा यह एक वर्ष में पोता नहीं जा सकता क्योंकि इस कार्य में समय तथा खर्च लगता। उन्होंने हाल, दफ्तर तथा प्रधानाध्यापक के कमरे को रंगाया पुताया। प्रधानाध्यापक ने सुपरिन्टेन्डेन्ट से पूछा कि यदि गांव के लोग मुफ्त में शेष कमरे रंग दें तो क्या रंग का मूल्य वे दे सकेंगे ? वे राजी हो गए।

समस्या को लायन्स क्लब के सम्मुख रखा गया। उन्होंने समाज सुधार समिति में इस पर विचार किया और कार्य करना तय कर लिया। ७८ व्यक्ति अपने ब्रुशों के साथ आए। रंग के साथ कुछ ब्रुश सुपरिन्टेंन्डेन्ट ने दिये। उन्होंने पालियों में अपने को बांट लिया और विद्यालय के शेष कमरों के अन्दरूनी भाग को एक रात में रंग दिया। शिक्षक अभिभावक संघ ने परदे तैयार किए। ये सभी उसी सप्ताह में लगा दिये गये। विद्यालय बोर्ड, अ० शि० स० तथा लायन्स क्लब के सामूहिक प्रयासों द्वारा विद्यालय के कमरे सुन्दर लगने लगे।

विद्यालय के लिए आवश्यक सामान

विद्यालय की सुविधाओं में वृद्धि अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा चलाए गए कार्यों पर अवलंबित है। उदाहरण के लिए, हम कह सकते हैं कि उत्तरी लोगन के विद्यालय बेंसन तथा हाइड पार्क में एक ही चलचित्र का प्राजेक्टर था। जब कभी हाइड पार्क को उसकी आवश्यकता होती थी, वह किसी दूसरे विद्यालय में चलता

होता। प्रधानाध्यापक ने एक प्राजेक्टर लेना तय किया। उन्होने शि० अ० सघ की सहायता चाही।

इन कार्यक्रमो मे एक सा तरीका रहता है। एक अध्यापक या प्रधानाध्यापक शि० अ० सघ के सम्मुख अपनी आवश्यकताए रखता है। शि० अ० सघ के अधिकारी योजना पर विचार विमर्श करते है, उसे मान लेते है और तब फड इकट्ठा करने के लिए वे कार्यक्रम विशेष की योजना बनाते है। सबसे प्रचलित तरीका है :—कक्षा माताये (कमरे की इन्तजाम करने वाली) तथा शि० अ० सघ के अधिकारी बच्चो की माताओ से विद्यालय में बात करे और उनसे प्रार्थना करे कि वे खाना दान करे जैसे तरकारी, केक और पकाये हुये सामान। वे एक भोज का प्रबध करते है, जिसमे यह खाना मूल्य पर दिया जाता है। इस भोजन से प्राप्त धन शि० अ० सघ को दिया जाता है।

दूसरा तरीका सर्कस और विशेष मेलो का आयोजन करना है जिसमे केक, पकवान तथा अन्य मिठाइया बिकती है। मछली पकडने का नकली खेल होता है। प्रति मछली ५ सेट के हिसाब से लोग देते है। कुछ लोग भारतीय स्वामी बनकर भाग्य बनाने का विनोद करते है और इस प्रकार स्कूल के लिए धन इकट्ठा करते है। हालूविन रात्रियो मे बच्चों को यह आयोजन शरारत से बचाता है तथा इससे समुदाय के सदस्यो के मनोरजन का प्रबध होता है।

यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले दस वर्षो मे निम्नलिखित सामान स्कूल को मिला है।

खेलने के औजार

१. मेरी-गो राउण्ड
२. हाथ बल्ला सेट
३. पिग पांग मेज
४. साफ्ट बाल के गेद
५. झूला
६. सी० सा०
७. बासकेट बाल
८. वाली बाल

श्रव्य—दृश्य साधन

१. चलचित्र का प्राजेक्टर

२. रेडियो
३. स्लाइड प्रोजेक्टर और पर्दा
४. रिकार्ड प्लेयर (ग्रामोफोन)
५. टेप रिकार्ड करने वाला (भाषण में सुधार) यंत्र
६. चित्रों के सेट आदि

कार्यालय का सामान

१. साइक्लोस्टाइल करने वाली मशीन
२. दरवाजे तथा खिड़की के परदे
३. पुस्तकालय के लिये पुस्तकें

हाइड पार्क शि० अ० संघ की समृद्धि तथा ख्याति के लिए ये कार्यक्रम मुख्य साधन हैं। इनके द्वारा विद्यालय का शैक्षिक स्तर उच्च होता है तथा समाज का सामाजिक जीवन अच्छा बनता है

विद्यालय में व्यायामशाला का निर्माण

१९३०-३५ के आर्थिक मंदी के वर्षों में सरकार ने काम दिलाने के ख्याल से जनता से सार्वजनिक निर्माण कार्य शुरु कराया। विद्यालय को व्यायामशाला बनाने के लिए अवसर दिया गया। ज़िले के १८ विद्यालयों ने व्यायामशाला का निर्माण करना तय किया।

इस गांव के कुछ नेताओं ने सरकार की सहायता का लाभ उठाने के लिए व्यायामशाला की इच्छा प्रकट की। कुछ लोगों ने सोचा कि गिरजाघर का बड़ा खेलकूद का हाल पर्याप्त है। वे विद्यालय के मनोरंजन के हाल में दिलचस्पी नहीं रखते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि स्कूल में एक व्यायामशाला की आवश्यकता है क्योंकि यह हो सकता है कि विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय में मिला दिया जाय। परन्तु अगर सरकार इसमें धन लगायगी तो गांव से स्कूल का हटाना कठिन होगा। कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि व्यायामशाला बन जाने से वह गिरजाघर के मनोरंजन हाल की स्थिति को कमजोर कर देगा। अतः एक समझौता हुआ और यह तय किया गया कि विद्यालय में एक व्यायामशाला बननी चाहिए।

विद्यालय बोर्ड ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया तथा ठेकेदार के द्वारा एक व्यायामशाला बनवाया। विद्यालय बोर्ड के अध्यक्ष ने इसमें बहुत योग दिया तथा उसके निर्माण कार्य की देख रेख की। विद्यालय बोर्ड द्वारा तैयार किए गए दो उच्च

स्तर के नमूनों में से व्यायामशाला का नमूना तैयार हुआ, एक बड़े व्यायामशाला के लिए तथा दूसरा छोटे व्यायामशाला के लिए।

गाव के कुछ सदस्य प्रसन्न थे। अन्य इससे संतुष्ट न थे क्योंकि वे सोचते थे कि यह व्यायामशाला बहुत छोटी है। उनका कहना था अगर अन्य समुदायों के पास बड़ी व्यायामशालाएं है तो हमारे पास क्यों नही है। सामुदायिक विकास कार्य की अपेक्षा कल्याणकारी कार्य का यह एक अजीव ही उदाहरण था।

शि०अ० संघ की सदस्यता में परिवर्तन तथा उपस्थिति सम्बन्धी कार्य

शि० अ० सघ की बैठकों में उपस्थिति बहुत कम रहती थी और युद्ध के समय में इस संस्था ने ठीक काम भी नहीं किया था। अतः यह सोचा गया कि इस संघ को सुदृढ बनाया जाय। शि० अ० संघ की बैठक में इस विषय की चर्चा की गई और यह प्रस्ताव रखा गया कि जिस कक्षा के बच्चे अधिकांश अभिभावकों को बैठक में लाएंगे उन्हें एक पुस्तक इनाम में दी जायगी। कक्षा के अनुरूप हर महीने की बैठक मे उपस्थिति की घोषणा की गई तथा पुरस्कार दिया गया। बालक बालिकाओं द्वारा उनके अभिभावकों को पत्र भेजे गये। कमरों की माताओं (Room Mothers) ने अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया। पुस्तकों के लिए धन हालोविन रात्रि में आयोजित कार्निवल द्वारा प्राप्त हुआ।

बच्चों को अपने अभिभावकों से बैठक में आने के लिए निवेदन करने का यह अच्छा प्रयास था। इससे पुस्तकालयों की बढ़ती में भी सहायता मिली। यह कार्य काफी सफल हुआ और इसके द्वारा शि० अ० संघ ने पहले से अधिक प्रसिद्ध पाई।

विद्यालय में भोजन का कार्यक्रम

द्वितीय महायुद्ध के बाद सरकार ने कई विद्यालयो में भोजन देने का कार्यक्रम शुरू किया जिससे बच्चों के आहार का स्तर ऊंचा हो सके। इस पौष्टिक भोजन में हरी तरकारी, एक गिलास दूध, गोश्त अथवा अंडे, मक्खन, सूप (दाल) तथा रोटी रहती युद्ध संचित स्टाक से स्कूल को सामान दिया जाता और १७ सेंट की साधारण कीमत पर पौष्टिक तथा स्वादिष्ट भोजन दिया जाता।

शि० अ० संघ इस कार्यक्रम को चलाना चाहता था परन्तु इस बात मे कुछ कठिनाई थी। बडे परिवार के कई अभिभावक कुछ भी अतिरिक्त धन नही दे सकते थे। कुछ अध्यापक जो निकट रहते थे अपने घर जाकर परिवार के सदस्यों के

साथ भोजन करना पसंद करते थे। कुछ माताएं डरती थी कि घर का सा खाना स्कूल में नहीं पकाया जा सकेगा।

शि० अ० संघ की कार्यकारिणी समिति की एक बठक में इस समस्या पर विचार विमर्श हुआ। शि० अ० संघ के अधिकारी तथा कक्षाओं की देख,रेख करने वाली माताओं ने घर घर जाकर विद्यालय के भोजन की मात्रा तथा किस्म के बारे में चर्चा की। इस प्रकार उन्होंने अभिभावकों को संतुष्ट किया।

अभिभावकों के राजी हो जाने पर अध्यापक भी राजी हो गए। शि०अ० संघ के अध्यक्ष ने इस मामले को स्कूल बोर्ड में रखा। स्कूल बोर्ड इस कार्यक्रम को सम्मिलित करने के लिए राजी हो गया। शि० अ० संघ ने रसोई के बर्तन खरीदे। विद्यालय के सामने की गैलरी को रसोई की शक्ल में परिवर्तित कर दिया गया और एक रसोइया रखा गया। स्कूल बोर्ड ने भोजन तथा 'रेफरीजेरेटर' का प्रबंध किया।

यह कार्यक्रम बहुत सफल हुआ और जल्दी ही बहुत प्रसिद्ध हो गया। १९४७ से यह कार्यक्रम इसी प्रकार चल रहा है और उन्हीं माताओं के द्वारा जो आरम्भ में कट्टर तथा निराशावादी थी। इसकी बड़ी प्रशंसा हुई है।

हालोविन कार्निवल कार्यक्रम

हालोविन बच्चों का एक परम्परागत त्योहार है। बच्चे भांति भांति के वस्त्र पहनते हैं, नकली चेहरों से अपनी शकलें बनाते हैं और गांव के घरों में जाते है। वे लोक गीत गाते हैं तथा तरह तरह की बोली में बातें करते हैं। उनको मिष्ठान्न और अन्य वस्तुएँ खाने को दी जाती हैं। वे शरारत तथा अन्य खेलों द्वारा खूब उछल कूद दिखाते हैं। इस प्रकार वे अपने मनोरंजन में विभोर रहते। पर कभी इन खेलों से अन्य मनुष्यों के लिए असुविधा तथा कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इस शरारत को अन्य लाभप्रद रूप देने के लिए विचार विमर्श किया गया।

शि० अ० संघ की एक बैठक हुई और यह तय हुआ कि इस अवसर पर एक कार्निवल का प्रबंध किया जाय। समितियों को विशेष जिम्मेदारियां दी गईं जो ठीक तौर से बाँटी गई थीं। समिति के सदस्यों ने व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया और उन्होंने विद्यालय के बच्चों की माताओं से विभिन्न प्रकार का भोजन इकट्ठा किया।

कुछ लोग नवीन कार्यक्रम के प्रति शुरू में रुढ़िवादी रहे परन्तु कार्यक्रम

अधिकतर व्यक्तियो द्वारा स्वीकृत कर लिया गया और रुढिवादी व्यक्ति भी अन्त मे सहयोग देने लगे। आयोजित किए गए कार्यक्रम इस प्रकार है —

१—कार्निवल —खेल, झूलना, व्यायामशाला।

२—भाग्य बताना:—५ सेंट लेकर व्यक्तियो के बारे मे हास्य प्रधान तथा साधारण बाते बताना

३—मछलियो का तालाब:—जैसा पहले बताया जा चुका है।

४—भोज

५—चलचित्र

लोगो ने कार्यक्रम का बहुत पसद किया और उसमे दिल्चस्पी ली। हर कार्यक्रम उचित ढग से सचालित था जिसमें प्रति व्यक्ति को विशेष जिम्मेदारी निभानी पडती थी। इस कार्यक्रम मे सस्थागत कार्य भी रखा गया। शि०अ० सघ के अधिकारियो को इससे मूल्यवान तजुर्बे हुए।

निष्कर्ष

इन पृष्ठो मे हाइड पार्क गाव के गिरजाघर, लायन्स क्लब, टाउन बोर्ड, अभिभावक तथा शिक्षक सघ और इनके द्वारा कई अन्य सस्थाओ के कार्यो का सक्षिप्त वर्णन किया गया है। सडको का पक्का किया जाना तथा कब्रिस्तान की उन्नति ऐसे दो कार्य है जो केवल श्री हेनरी हैन्सी के व्यक्तिगत आधार पर पूरे किये गये। परन्तु उन्होने गिरजाघर द्वारा संदेश पहुचाने का तरीका इस्तेमाल किया, जिससे इन कार्यक्रमो के लिए जनता का सगठन बना रहे। फिर भी टाउन बोर्ड के कार्यारम्भ के पूर्व इन सगठनो द्वारा कार्य हुए और अन्य सामाजिक सस्थाओ द्वारा मनोरजन का आयोजन भी हुआ। अत हम कह सकते है कि —

१—हाइड पार्क मे सामुदायिक विकास कार्यो की सफलता सुसगठित सस्थाओ से पूरी तरह से सम्बन्धित है। साथ ही प्रस्तावित कार्यो के सचालन के प्रति जिम्मेदारी लेने में भी उनका निकट सम्बन्ध है।

२—कार्य का ध्येय समुदाय के नेताओ द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कार्यो की पूर्ति है। कार्य सचालन में अन्य सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होता है।

३—समुदाय का हर सदस्य संवाद के द्वारा अपनी विशेष जिम्मेदारी समझता है। जैसे व्यक्तिगत सम्पर्क, समिति या वर्गगत सम्पर्क, समाजगत सम्पर्क द्वारा जो आम सभाओं या स्थानीय पत्रों द्वारा घोषित किए जाते है लोगो की राय ली जाती है और धारणाओं या विचारों के प्रति उनका दृष्टिकोण समझा जाता है। अंतिम

निर्णय के पूर्व उसका संभावी सहयोग आँका जाता है जिससे उसका योगदान महत्व पूर्ण ओर उत्साहप्रद हो सके।

४—सामुदायिक कार्यों में सामूहिक सहयोग का भाव होना चाहिए। इससे सम्बन्धित व्यक्तियों की हिचक दूर हो जाती है। ऐसे कार्यक्रमों में सामाजिक तथा मनोरंजन प्रधान कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं और उनमें भी ध्येय प्राप्ति की भावना रहती है। वे दूसरे कार्यों की सफलता में बाधक नहीं वरन् सहायक होते हैं।

५—कार्यक्रम की वित्तीय समस्याओं का हल उस दशा में उत्तम रीति से होता है जब केन्द्रीय संस्था आधी आवश्यकता पूरी कर देती है। यद्यपि हाइड पार्क के करीब करीब सभी सामुदायिक विकास कार्य व्यक्तिगत तौर पर चलाए जाते है फिर भी उनके लिए एक केन्द्रीय कार्यकारिणी तथा सहायता समिति वर्तमान रहती है। शि० अ० संघ के आधे सहयोग द्वारा स्कूल बोर्ड की सभी वित्तीय आवश्यकताएं तथा स्कूल के अन्य कार्य पूरे किए जाते हैं। गिरजाघर के मुख्य अधिकारी सभी गिरजाघर के कार्यों के विषय में और टाउन बोर्ड के कार्यों के बारे में यही कार्य करते हैं। इस प्रकार हाइड पार्क के सामुदायिक विकास कार्यक्रम अल्प विकसित देशों के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से बहुत भिन्न नहीं हैं जहाँ यह कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। हाइड पार्क में लोगों का अपना धन लगता है, बाह्य सहायता केवल बड़े कार्यक्रमों में ली जाती है।

६—वित्तीय सहायता के लिए धन एकत्र करने का तरीका अप्रत्यक्ष होता है जैसे मनोरंजन प्रधान कार्यक्रम, भोजन, खेल, व्यक्तियों से प्राप्त वस्तुओं की बिक्री द्वारा। टैक्स लगाने की शुष्क मनोवृति के बजाय मूल्य के ख्याल से वस्तुओं का नीलाम और इस प्रकार से दामों को चुकता करना गर्व तथा प्रसन्नता की बात है।

७—कार्यक्रम के प्राविधिक अंगों का बहुत होशियारी से निरीक्षण किया जाता है। यह कार्य सामूहिक सहयोग के सहारे नहीं छोड़ा जाता है। हर स्थित में गिरजाघर, स्कूल या टाउन बोर्ड अपनी केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा शिल्पकारों, इंजीनियरों, वकीलों, बागवानी में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों तथा अन्य लोगों से सहायता प्राप्त करते हैं। प्राविधिक सहायता प्राप्त करने में धन की कमी के ख्याल से प्रयत्न न करना या उसे टाल देना भविष्य में अधिक खर्चीला सिद्ध होता है और सहयोग देने वाले व्यक्तियों को चिंतित कर देता है।

८—कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के तरीके समाज में सभी को ज्ञात हैं। इन तरीकों की सच्चाई में किसी भी प्रकार की शंका नहीं उत्पन्न होती है। कार्य के मूल्य तथा सामान के ख्याल से इसका ध्यान रखना चाहिए कि सबसे कम मूल्य की

वस्तुओं की खोज की जाय और सामान अच्छे प्रकार का व उच्च स्तर का हो। इस मामले में टाउन बोर्ड व गिरजाघर दोनों ने हाइड पार्क में किए गए कार्यों में ईमानदारी बरती।

९—बड़े कार्यक्रम उन व्यक्तियो अथवा सस्थाओं द्वारा लिए जाते है जो उस कार्य के लिए उपयुक्त होते है। ठेकेदारों को चैपल, गिरजाघर के मनोरंजन हाल और स्कूल में व्यायामशाला बनाने के कार्य दिए जाने की प्रशंसा की गई। चेपेल की भाँति ही कार्यक्रम के कुछ भागों के सम्बन्ध में व्यक्तियों को लगाने के लिए साधन सम्मिलित किए गए। विद्यालय के व्यायामशाला का प्रबंध ठेकेदार तथा स्कूल बोर्ड के हाथ में था इसलिए इसमें कुछ विरोध तथा झगड़े उठे परन्तु उनमें किसी ने भाग नहीं लिया और अन्त में वह झगड़ा दब गया।

१०—सामुदायिक विकास के लिए नेतृत्व का प्रसार विस्तार के साथ किया गया है। इससे उनमें जलन, ईर्ष्या तथा झंझटों के लिए अवसर नहीं मिलता। साथ ही लोगों को भाग लेने के लिए उप नियमों की परिभाषा भी स्पष्ट करदी जानी चाहिए जैसा इस समुदाय में पाया जाता है।

११—कार्यक्रमो के साथ नेतृत्व भी बदलता रहता है। औपचारिक अथवा अनौपचारिक नेतृत्व के प्रशिक्षण का अवसर विस्तृत तथा भिन्न होता है। इससे दलबंदी तथा कठोर नेतृत्व का विकास नहीं होता और विभाजन की भावना आने से समुदाय की एकता छिन्न भिन्न हो जाती है।

१२—सामुदायिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह एक उद्देश्य की पूर्ति के साथ या एक या कुछ कार्यक्रमों की पूर्ति के ध्येय के पूरे होने पर समाप्त नहीं होती है। इसमें जनता के हित की भावनाएं बढ़ती हैं, उनकी आवश्यकताएं तथा समस्याएं रहती है। इसलिए सामुदायिक विकास की नयी योजनाओ को लेने के लिए और एक जिम्मेदार समाज तथा उत्साहप्रद नेतृत्व का विकास करने के लिये कार्यक्रम तथा संस्थाओं का बढ़ना आवश्यक है।

————

७ मार्मन समाज की मान्यताएँ

मान्यता एक ऐसा शब्द है जो एक व्यक्ति अथवा समुदाय द्वारा मान्य भावनाओं, विधियों और कार्य के उद्देश्यों से सम्बन्धित है। जब कोई व्यक्ति दो विकल्पों में से एक को चुनता है तो उस चुनाव का कारण उसकी मान्यता ही होती है। प्रायः हम देखते हैं कि जीवन का स्वाभाविक लोभ होते हुये भी कुछ लोग हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं। उनके लिये उस आदर्श की मान्यता अधिक महत्वपूर्ण होती है, जिसके लिये वे आत्मोत्सर्ग के लिये इतने तत्पर होते हैं।

हम मार्मन समुदाय (हाइड पार्क) की मान्यताओं के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे।

यह देखा जाता है कि कोई दिया हुआ कार्य प्रेरणा, स्थिति, प्राप्त साधनों तथा उद्देश्यों के साथ साथ मान्यता से सम्बन्धित रहता है। प्रेरणा तथा मान्यताएं व्यक्ति के जीवन तथा संस्कृति दोनों से प्रभावित होती हैं।

'जेसस क्राइस्ट लेटर डे सेन्ट्स' के गिर्जाघर का यह विश्वास है कि तत्व शाश्वत तथा सहज होते हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अवास्तविक हो। सभी प्रभाव युक्त वस्तु हैं, परन्तु परमात्मा अधिक श्रेष्ठ तथा शुद्ध है और केवल शुद्ध दृष्टि से ही समझा और देखा जा सकता है। इन वाह्य तत्वों में से कुछ स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष होते हैं और अन्य अप्रत्यक्ष। जो हमारी चेतना के लिए प्रत्यक्ष हैं उन्हें हम भौतिक कहते

है और जो अधिक सूक्ष्म और श्रेष्ठ है उन्हे हम आध्यात्मिक कहते है। तथ्य के समान शक्ति का आदि है न अन्त है। ज्ञान अथवा सत्य का प्रकाश अनादि और अनत है।

ईसा के धार्मिक सिद्धान्त विज्ञान से भी आगे बढ जाते है। इस संप्रदाय का सिद्धान्त है कि विश्व की शक्ति के साथ मिलकर आत्म तत्व सासारिक तथ्य बन जाता है और सम्भवतः वह उससे कुछ अलग अस्तित्व भी रखता है और वही विश्व में निहित कुशलता है। वह एक शक्ति है जो उस समय महसूस होती है जब सत्य तथा शक्ति विद्यमान रहती है। विश्व की शक्ति अधी बन कर कार्य नही करती वरन् वही विश्व की चेतना की अभिव्यक्तीकरण है।

ईश्वर—उसका स्वरूप तथा विश्व में उसका स्थान

इस प्रकार के तथ्य, क्षमता और बुद्धिमता पूर्ण विश्व मे ईश्वर समय तथा स्थान का एक अग प्रतीत होता है। सच्चा ईश्वर समय तथा स्थान में विद्यमान है और उनसे ऐसा सम्बन्ध है जैसे मनुष्य अथवा दूसरे कोई जीवन मे होता है। वह ससार के निर्माण मे अनुमानित तथा प्रगतिशील है। "ससार के बनने के पूर्व ईश्वर था। वह अपरिवर्तनशील है। उनके साथ कोई परिवर्तनशीलता नही है, परन्तु वह कल, आज तथा सदा मे विद्यमान है और वह बिना परिवर्तित हुए एक पवित्र क्रम है।"

मार्मन धर्म तथा अन्य विश्वासो के अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब जगह उपस्थित तथा अजन्मा है, परन्तु इसके अर्थ भिन्न है।

जैसा पहले कहा जा चुका है विश्व मे ईश्वर का सबसे कुशल व्यक्तित्व है, जिनका ज्ञान निस्सीम है, इच्छा सुदृढ है तथा जो विश्व पर अनिश्चित शक्ति रखता है। किसी भी प्रकार यदि प्रगति के महान् नियम को मान ले तो ईश्वर आरम्भ से ही व्यस्त रहा है और भी प्रगति पूर्ण तरक्की मे व्यस्त है। जैसा कि ईश्वर अणु आज है इससे कही कम अधिकार प्राप्त भूतकाल में रहा होगा। यह भी स्पष्ट है कि अन्य व्यक्तियों के समान ईश्वर की प्रगति उनकी इच्छा के प्रयोग से आरम्भ हुई। हमें विश्वास है कि अपने प्रयासो द्वारा, ईश्वर की स्वाभाविक तथा सहज शक्ति ईश्वरीय स्तर की हो गई। इस प्रकार वह ईश्वर बना।

मार्मन गिरजाघर के सिद्धान्त मे यही विचार व्यक्त हुआ है। जैसा "कि आदमी आज है, ईश्वर एक दिन ऐसा ही था, जैसा ईश्वर है मनुष्य वैसा ही बन सकता है।"

यह सिद्धांत इस धर्म के अनुयायियो में आशावाद, प्रयत्नशीलता और सतत विकास की भावना भर देता है। इस प्रकार हम देखते है कि मार्मन की ये मान्यतायें

मार्मन समाज को सक्रिय और चैतन्य रखती हैं। इनके धर्म ग्रंथों में निश्चित आदेश है :—

"अपने हृदय को प्रसन्न रखो तथा याद रखो कि तुम अपने लिए कार्य करने तथा मृत्यु को सदा समाप्त करने अथवा आत्मिक जीवन को चुनने के लिए स्वतंत्र हो।" उनके धार्मिक साहित्य में लिखा गया है:—

"बढ़ते हुए भावनापूर्ण विश्व में उन्नति (प्रगति) का नियम मनुष्य के अधिकारों (शक्तियों) का अनन्त विस्तार है। जीवन के इस दार्शनिक सिद्धान्त के समान इसके अतिरिक्त कोई और सिद्धान्त नहीं रखा जा सकता।

उन्नति मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो जाती, परन्तु जीवनोपरान्त मानवीय उन्नति जारी रहेगी। यह कुशलता तथा इच्छा पर आधारित होगी। इस प्रगति को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति के जीवन में यह सहायक होगी।

ज्ञान प्राप्ति, विधानों तथा नियमों का पालन तथा बाइबिल के कायदे उन्नति के लिए आवश्यक हैं। ज्ञान की प्राप्ति मार्मन विश्वासों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार शिक्षा की ओर भी उनका अधिकतम घ्यान गया है। यूटा जो ६६ प्रतिशत मार्मन हैं, यद्यपि शिक्षा की सामर्थ्य में ३२ वें क्रम पर है, पर शैक्षिक सफलता में अमेरिका (यूनाइटेड स्टेट्स) में सबसे उच्च एवं महत्वपूर्ण है।

ईश्वर तथा मनुष्य में सम्बन्ध

मार्मन संप्रदाय के अनुसार ईश्वर तथा मनुष्य में सहयोग का सम्बन्ध है, परन्तु यह सहयोग बराबरी का नही। ईश्वर मनुष्य में विकास करता है परन्तु ईश्वर मनुष्य द्वारा विकसित नहीं होता। इस पर भी मनुष्य के लिए यह धर्म ईश्वरीय नियमों के पालन की ओर जोर देता है। ईश्वरीय योजना को पूरा करने के लिए व्यक्ति का व्यक्ति से सहयोग सफल प्रयास बन जाता है।

"मनुष्य की अच्छाइयाँ, संसार में उनकी क्रियाशीलता, उन्नति की ओर निरंतर प्रगति पर जोर ईसाई धर्म के महत्वपूर्ण विश्वास हैं।

इन धार्मिक आस्थाओं में नवीन तत्वों के साथ मार्मन संप्रदाय ने पुरातन सिद्धान्तों को भी रखा और अपने गिरजाघर सम्बन्धी संस्था की आवश्यकता पर बल दिया।

मार्मन सम्प्रदाय के लोगों का जीवन की सिद्धि का सिद्धान्त पूर्णरुपेण व्यक्तिगत नहीं है। यह भी कहा गया है कि मनुष्य अपनी पत्नी के साथ मुक्ति पा सकता है और इसी प्रकार पत्नी अपने पति के साथ। मंदिरों में होने वाले विवाह को वे एक

आत्मिक संस्था बना देते है। यह भी कहा गया है कि मनुष्य केवल अपने सम्बन्धियों तथा पड़ोसियों के साथ मुक्त हो सकता है और वह निकट सम्बन्धियों तथा मित्रों की आत्मिक सफलता के लिए जिम्मेदार है।

व्यक्तिगत सफलता की योजना से गिरजाघर तथा समाज के प्रति व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी की धारणा बनाता है क्योंकि वह अपने अच्छे बुरे कर्मो के अनुसार पुरस्कृत या दंडित होगा, अतः जहाँ तक उसके कार्य का सम्बन्ध है वह जागरूक हो जाता है। उसी ममय उसके कार्य अपने कुटुम्ब, वर्ग या समाज के साथ, जहाँ वह रहता है, मम्वन्धित हो जाते हैं"।

व्यक्ति—कुटुम्ब में उसका सम्बन्ध

प्रतीक्षा करती हुई आत्माओं के लिए पृथ्वी पर शरीर भेजना मार्मन के दो विवाह करने का स्पष्टीकरण है जो बहुत दिनों से निषिद्ध कर दिया गया है। फिर भी इस कृषक समुदाय में लम्बे कुटुम्बों के लिए मान्यता चली जा रही है। गिरजाघर ने कुटुम्बों के प्रति जोर देने के लिए विवाह की प्रथा को अस्वीकृत कर दिया है। जोजेफ़ स्मिथ के शब्दों में "और फिर मैं आपसे कहता हूँ, कि जो विवाह नहीं करता वह ईश्वर के नियमों से आबद्ध नहीं है, क्योंकि विवाह ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।"

मार्मन नीतिशास्त्र मे विवाह के अतिरिक्त यौन सम्बन्ध मना है। इसके अनुसार तलाक को मान्यता नही मिली है और उसे हतोत्साहित किया जाता है। तलाक "गास्पेल योजना का अंश नहीं है और हृदय की कठोरता तथा व्यक्ति के प्रति अविश्वास के कारण ही यह शुरू किया गया है। गिरजाघर भी तलाक के विपक्ष में है, क्योंकि यह समाज की कमजोरी का प्रतीक है तथा ईश्वरीय सता में प्रचलित विधानों के विपरीत है।

मदिरों में होने वाले विवाहों की उच्च मान्यताएं जब तक प्रचलित थीं विवाहित जीवन अधिक स्थायी होता था।

मार्मन परिवार में पुरुष प्रधान होता है। वह मुख्य निर्णय लेता है और प्रमुख कार्यकर्त्ता होता है।

एक अच्छी पत्नी तथा मां से यह आशा नहीं की जाती है कि वह अपने घर के बाहर कोई कार्य करे। उसका क्षेत्र घर के सुन्दर प्रबन्ध तथा अपने बच्चों का प्रबन्ध करने में है, आदमियों की तरह काम करने में नहीं।

औरतों के विभिन्न गुण हमें प्रसन्न कर सकते हैं या हमारा ध्यान आकर्षित कर

लेते है। नारी के साथ-साथ माता का जो रूप विशेष महत्त्वपूर्ण है वह उनकी कुटुम्ब तथा घर के प्रति न्योछावर करने की प्रवृति है। इस क्षेत्र में वे संसार में सबसे अच्छी सेवा करती हैं।

मां की जिम्मेदारी बच्चे की शारीरिक सुरक्षा के साथ खत्म नही हो जाती है। उसे बच्चे के सुधार, संस्कार, दयालुता तथा चरित्र के अन्य अच्छे गुणों के लिए शिक्षा देनी पड़ती है। यदि उसे अपने बच्चे को वर्गगत प्रभावों में पालना है तो उसे समाज में अन्य बच्चों की भी परवाह करनी पड़ती है। इससे उसका नेतृत्व तथा बच्चों की अन्य ऐच्छिक संस्थाओं में भाग लेना आवश्यक हो जाता है।

बच्चे छोटी ही आयु में आज्ञाकारी बनना सीखते हैं। यदि यह गुण इस अवस्था में न सिखाया गया तो वे कभी भी अपना चरित्र निर्माण नहीं कर सकते हैं।

अभिवावकों, शिक्षकों, नेताओं के प्रति बच्चों का आज्ञाकारी होना उनके चरित्र विकास के लिए अनिवार्य है।

कार्य—योजना का एक अंग कार्यक्रम है, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति केवल तभी सम्भव है जब परिश्रम व कुशलता से कार्यो को किया जाय। इस लिए कार्य मान्यता को एक साधन बना देता है। यही उन परिस्थितियों में लक्ष्य की पूर्ति भी कर सकता है।

हर कार्य के प्रति चाहे वह सरल हो या प्रारंभिक बाधाओं के कारण कठिन, सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए मनुष्य मिट्टी खोदने, जूता बनाने या किताब लिखने के कार्यो में अपना जीवन लगा दे यह कम महत्त्रपूर्ण नहीं यदि सभी कार्य उचित ढंग से किये जाँय। बड़ी योजना के लिए यह आवश्यक है और ये प्रयास मनुष्य को आन्तरिक प्रगति की ओर ले जाएंगे।

ये सभी कठिनाइयां सक्रिय प्रयास से दूर की जा सकती हैं और अपने को सफल करने के लिए अक्सर इन्हें मानना पड़ेगा।

हम अपनी सुविधानुसार कार्य को तीन प्रकार से बांट सकते हैं---गिरजाघर का काम, समाज का काम तथा कुटुम्ब का काम। इस समुदाय में सभी पर जोर दिया जाता है तथा सभी योजना के हिस्से हैं। इस प्रकार के कार्यो में ईमानदारी से कार्य करने की प्रशंसा की जाती है और सुस्ती को बहुत बड़ा पाप मानकर हतोत्साहित किया जाता है। गिरजाघर के कार्य का क्षेत्र विस्तृत करके संस्थाओं द्वारा लोगों को संगठित किया जाता है। गिरजाघर से सम्बन्धित कार्यो को संगठित करने में अधिक समय तथा प्रयास की आवश्यकता होती है, पर अपनी आस्था को व्यक्त करने का

यह प्रमुख तरीका माना जाता है। समाज की अच्छाई के लिए कार्य करना भी इस धर्म की योजना का एक मुख्य अंश है और धार्मिक दृष्टिकोण से स्वीकार किया गया है। मार्मन धर्म में यह विश्वास कि ऊंचा आदर्श व्यक्तिगत प्रयासों से प्राप्त किया जा सकता है उचित कार्य पर बल देता है। सदस्यों की जाँच मार्मन समाज में विश्वास से सम्बद्ध है। गिरजाघर के कार्यालय से ऐसा व्यक्ति कदाचित निकाल दिया जायगा जो तम्बाकू तथा शराब के प्रयोग से धार्मिक नियम को तोड़ेगा।

हमने यह देखा है कि कुछ लोग जो गिरजाघर के सिद्धान्तों को पूरी तौर से नही मानते वे भी इन व्यावहारिक विधि निषेध के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं। कुछ सिद्धान्तों का पालन न करने की वे अपनी कमजोरी समझते हैं या वे यह नहीं जानते कि कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना प्राथमिक सिद्धान्तों से सम्बन्धित है।

अमरीकी समाज सामान्यतः कार्य शीलता पर बल देता है। मार्मन सिद्धान्त तथा अन्य सिद्धान्तों के अनुसार कार्यशीलता में अन्तर केवल यह है कि मार्मन आध्यात्मिक कार्यशीलता को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका विश्वास है कि हर समय कार्य करने के लिए हर एक के पास समय होता है और कार्यशीलता एक कर्तव्य है और व्यक्ति तथा समुदाय की उन्नति के लिए एक माध्यम है। बुराइयों से अपने को अलग रखने के लिए हम हर समय कार्य किया करते हैं। यह हाइड पार्क के लोग आम तौर से कहते हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा

कार्य को पूरा करने के लिए तथा कार्य से सम्बद्ध मान्यता के लिए स्वास्थ्य तथा शिक्षा अत्यावश्यक जरिए हैं। वे व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे वह लाभदायक कार्यों में लगन से काम करे, अपनी योग्यता को बढ़ावे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

सुखी रहने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। किसी व्यक्ति के लिए जो खुशी से रहना और ठीक से सेवा करना चाहता है, स्वास्थ्य प्रथम आवश्कता है।

पादड़ी जोजेफ स्मिथ ने अपने धर्मावलंबियों से कहा—"सुस्त रहना छोड़ दो, गदगी समाप्त कर दो, एक दूसरे की गलतियां निकालना छोड़ दो, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक सोना छोड़ दो, अपने बिस्तर से जल्दी उठो, जिससे तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क सशक्त रहें, चिन्ता न करो। मार्मनवाद में शारीरिक स्वास्थ्य

केन्द्रीय धर्म सिद्धान्त बन जाता है। इस जीवन में सुख तथा उन्नति के लिए स्वास्थ्य एक मान्यता प्राप्त तथा आवश्यक साधन है।

उन्होंने संतों के लिए खाने के नियम सविस्तार बताए तथा धूम्रपान और मदिरा पान विशेष रूप से मना कर दिया।

तुममें एक एक आदमी शराब या और कोई तीव्र पेय का प्रयोग करता है तो विश्वास करो यह ठीक नहीं है, न तो वह अपने पिता की (ईश्वर) की दृष्टि में ही ठीक करता है......... और न फिर तीव्र प्रभाव वाले पेय(शराब आदि) पेट के लिए ही ठीक हैं, वे केवल तुम्हारे शरीर के नाश के लिए हैं।"

"और फिर, तम्बाकू भी शरीर और पेट के लिए नहीं है और वह आदमी के लिए उचित नहीं है, बीमार जानवरों के लिए है जिसका प्रयोग आवश्यकतानुसार पर सीमा के भीतर होना चाहिए।"

"और फिर गर्म पेय, न तो शरीर के लिए उपयोगी है न मन के लिए यह केवल सम्मति ही न थी, धीरे-धीरे चर्च द्वारा दी गई शिक्षाओं को वहां के लिए एक कायदा बना दिया गया। अच्छे मार्मन ने चाय तथा काफी पीना बन्द कर दिया। नशीली वस्तुओं के सेवन, तम्बाकू तथा शराब के सेवन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। और आगे कहा गया है:—

"मार्मन समाज में ज्ञान की अत्यधिक मान्यता होती है। शिक्षा तो ज्ञान के मनोरंजन का एक साधन है। सुन्दर वातावरण के लिए जो बंधन थे उनके होते हुए भी शिक्षा का आदर्श मार्मन समाज के लिए आनन्द तथा स्फूर्ति दायक होता है।

ईश्वर की प्रतिभा, कुशलता तथा दूसरे शब्दों में सत्य के प्रकाश में समाहित है और कोई भी व्यक्ति जितनी जल्दी ज्ञान प्राप्त करता है उतनी ही जल्दी वह मुक्त हो सकता है। यह धार्मिक नेताओं का कथन है, जो मार्मन सभ्यता की तह में बैठ गये हैं।"

मार्मन व्यक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त वहां के लोगों के साधारण जीवन में दिखाई पड़ता है। यूटा के हाईस्कूल तथा कालेजों में इधर कुछ वर्षों में शिक्षा के लिए दिए गए धन को बजट में देखने से और अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से इसका नतीजा देखा जा सकता है। दूसरे क्षेत्रों में अच्छे अधिकारियों तथा कार्यकुशल वैज्ञानिकों का सबसे अधिक भाग यूटा में है।

मार्मन धर्म में इस बात पर बल दिया गया है कि उन्हें अच्छे शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को खोने का अंदेशा था। पर शिक्षित व्यक्तियों ने सामाजिक तथा धार्मिक

संस्थाओं के प्रति अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, जिससे उन्हे नेतृत्व के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। मार्मन की मान्यता में स्वास्थ्य और शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

वर्ग

मार्मन लोगों के वर्ग को महत्त्व प्रदान करना एक सामाजिक समस्या है। मार्मन सिद्धान्त में समुदाय का समीपवर्ती है सगठन। समुदाय की मान्यता के अन्तर्गत समन्वय के अनेक नियम हैं। आपस में सहायक तथा सहयोग प्रधान समाज के प्रबंध में इस भावना का स्वरूप निखरा है। इनमें स्नेह विद्यमान है। सरलता, आज्ञा पालन और कार्यक्षमता इस मान्यता के मुख्य व्यावहारिक स्वरूप है।

मार्मन गांव के एकमत निर्णय से सामाजिक कार्यों और उदार विचारधारा में वृद्धि होती है।

एकता, प्रेम, मित्रता और समर्पण भावना (गिरजाघर के अधिकारी तथा सामाजिक नेताओं) द्वारा संगठित कार्यो में निहित है। कुटुम्ब के व्यक्तियों से आशा की जाती है कि वे धार्मिक मनोरंजन प्रधान और आर्थिक कार्यो के प्रति अपना सहयोग देंगे और मिलजुल कर आपस में कार्य करेंगे। यह सहयोग आपस में कल्याणकारी योजना में, सिंचाई कम्पनी में, पशुपालन कम्पनी में और इसी प्रकार अन्य कार्यक्रमों में वर्णित है। गिरजाघर सहयोग की एक इकाई है। व्यक्ति अपना सहयोग इस कल्याणकारी योजना में देता है। इसके साथ-साथ यदि यह आवश्यक है कि व्यक्ति गिरजाघर को आर्थिक या आत्मिक सहयोग दे तो वह ऐसा करता है।

मार्मन समाज में सहयोग की भावना व्यवस्थित गिरजाघर द्वारा विकसित की जाती है जो सम्पूर्ण समाज को प्रभावित करता है।

समाज के बीच सहयोग की भावना धर्म के नियमों द्वारा बढ़ाई जाती है। आजकल यद्यपि ये नियम अपने असली रूप में नहीं चलते फिर भी अपने प्रयासो को जनसाधारण के लाभार्थ लगाने की इच्छा मान्यता प्राप्त आदर्श के रूप में इस समुदाय में पाई जाती है।

सामूहिक जीवन में, गिरजाघर के अधिकारियों की केन्द्रीय व्यवस्था आश्चर्यजनक आदर्श के रूप में विद्यमान है। हर व्यक्ति को ईसाइयों के समुदाय का सदस्य बनना होता है। उन्हें अपनी इच्छानुसार भाग लेने तथा योजना के अनुरूप प्रगति करने के लिये हक भी प्राप्त है।

दार्शनिक सिद्धान्त

यह आश्चर्य की बात है कि बहुत से विचारक यह सोचते हैं कि पृथ्वी पर की, पृथ्वी के अन्दर की तथा पृथ्वी से ऊपर की हर वस्तु ऐसे नियम द्वारा संचालित तथा व्यवस्थित है जो टाला नहीं जा सकता।

ईश्वर शब्द सत्य एवं निश्चित है। किसी को उसे हटा देने का अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति को यह बताने का अधिकार नहीं है कि उनकी सत्ता (उनके राज्य) का प्रबंध कौन देखेगा। इस राज्य की सरकार के कुछ निश्चित नियम हैं। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करते और जो इन नियमों को स्वीकार नहीं करते, उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई सद्भावनाओं को प्राप्त करने का अधिकार नहीं। यह सार्वजनिक नियम है।

गिरजाघर की संस्थाए जन साधारण को शिक्षा देने का कार्य पूरा करती हैं। विशेष बैठकें, कान्फ्रेन्स, वाद-विवाद आदि धार्मिक आदेशों को पूर्ण करने के लिए शैक्षिक तरीके हैं।

आध्यात्मिक शुद्धता में शारीरिक शुद्धता भी मिली होती है। शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसे विशेष रूप से स्वच्छ रखना चाहिए, इसलिए धूम्रपान तथा मदिरा पान सहन नहीं किये जा सकते।

आज्ञोल्लंघन, सुस्ती, गिरजाघर जाने से बचना अथवा कौटुम्बिक जिम्मेदारियों से भागना या वाद विवाद करना धार्मिक संदेशों को अस्वीकृत करना है।

इसलिये हर व्यक्ति को नियमतः ईश्वर के प्रति, गिरजाघर के प्रति, अपने कुटुम्ब के प्रति, अपने देश तथा अपने समाज के प्रति, और अपने पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य ज्ञान कराया जाता है।

आनन्दवर्धक मानव सम्बन्धों के लिए उन्हें तरीके बताये जाते है। मनुष्य का स्नेह, स्नेह से प्रकट होता है। केवल सदस्य भावना रखना ही काफी नहीं है। यह कार्य रूप में परिणित होना चाहिये। यह सबसे उचित सोचा जाता है कि जो व्यक्ति शुद्ध जीवन नहीं व्यतीत करते, उनसे दूर रहा जाय बजाय इसके कि उन भावनाओं के प्रति किसी की ताकत का परीक्षण किया जाय।

आपत्तिकालीन व्यवस्था

खुशी

मार्मन समाज में कर्त्तव्यों तथा आज्ञाओं की इतनी लम्बी सूची है कि नवयुवक के जीवन को जिसमें इतनी अधिक रुकावटें तथा अड़चने हैं वे प्रजातांत्रिक

अमरीकन समाज में जीवन को असहनीय बना दें, परन्तु उनका ऐसा विश्वास है कि जीवन में अड़चने तथा खुशियाँ आती ही रहती है।

मार्मन विचारधारा की एक पुस्तक में मार्मन की धार्मिक वृत्तियों का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि वही मनुष्य हैं जो प्रसन्न हैं। आरम्भ में यूटा में नृत्य तथा थियेटर पर जोर दिया गया था और आज भी उन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

मार्मन गिरजाघर ने अच्छी तरह से संगठित किए हुए मनोरंजन कार्यक्रम को पाँच क्षेत्रों में बाँटा है—

१—नृत्य २—नाटक ३—भाषण, ४—संगीत ५—खेलकूद। हमने इन व्यक्तिगत प्रगति में सहायक कार्यक्रमों का वर्णन तृतीय अध्याय में किया है। स्वस्थ, सुदर मनोरंजन को उच्च मान्यता दी गई है।

मनोरंजन का एक आवश्यक कारण यह भी है कि यह मनुष्य की आवश्यकता है और यदि यह गिरजाघरों द्वारा प्राप्त नहीं होती तो लोग उसे बाहर ढूँढेगे। वाह्य मनोरंजन समाज के लोगों के नियंत्रण के बाहर की बात होगी। गिर्जे के तत्वावधान में मनोरंजन मनोविकार रहित तथा सुरुचिपूर्ण होता है। लोगों के पास सामाजिक नृत्य के लिए पर्याप्त समय है और नृत्य प्रार्थना से आरम्भ तथा समाप्त होता है। इस प्रकार मनोरंजन भी आध्यात्मिक होता है। हाइड पार्क के एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा हमारा गिरजाघर एक व्यक्ति को मान्यता देता है कि वह जहाँ चाहे जा सकता है परन्तु यदि वह बुरी संगत में पड़ जाता है तब वह सावधानी से उसे वापस लाकर उस पर अधिकार रखता है।

यह माना जाता है कि प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति प्रायः अच्छे व्यक्ति होते हैं। यदि व्यक्ति मैदान में या दूकान में तथा खेल में आनन्द लेता है तो उसे सदा आनन्द मिलता है। खेल, पिकनिक, गाने, नृत्य, कैम्प निवास, तथा स्काउटिंग आदि मनोरंजन के साधन स्वस्थ शरीर को स्वस्थ मस्तिष्क देते हैं। हां, मनोरंजन पर आवश्यकतानुसार देख रेख तथा निर्देशन होना चाहिए। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाती हैं। हाइड पार्क के बिशप (पादड़ी) तथा एथेलेटिक्स के संचालक साल्ट लेक सिटी के अखिल चर्च टूर्नामेन्ट में भाग लेते थे। टीम के खिलाड़ी नवयुवक दो मोटरों में जा रहे थे। बिशप की मोटर उनके पीछे चली। संचालक की मोटर आगे थी। बीच मे खिलाड़ी युवकों की मोटरे थी। इस प्रकार उन नवयुवकों को एक के बाद एक मोटर चलाने के लिए बाध्य किया। वे निर्धारित रफ्तार से अधिक नहीं

भगा सकते थे । इसी प्रकार नृत्य तथा नाटक के लिये विस्तृत निर्देश हर प्रकार के पहनावे दिए । ये नियंत्रण प्रसन्नता को घटाने के लिए नही, उपयुक्त सीमा में रखने के लिए किये गये ।

मार्मन समुदाय विषय विशेष के विशेषज्ञो द्वारा लिखित पुस्तकों से बच्चों तथा युवकों को सुधारने का प्रयास करता है । नवीनतम अन्वेषणो, प्रयोगों तथा अनुसंधानो के नवीनतम परिणाम का उन्हें लाभ मिलता है । इस प्रकार मार्मन समाज मे ज्ञान, कर्म और आनन्द के अनुपम समन्वय का अवसर मिलता है ।

८ प्रेरणा तथा सहयोग

पिछले तीन अध्यायों में बताया जा चुका है कि इस गाँव में सहयोग देने का स्तर उच्च है।

प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य की आन्तरिक शक्ति या आवश्यकतायें वातावरण से सचालित लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती हैं।

अधिकांश व्यक्तियों मे अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर रहने की सामाजिक प्रवृत्ति निहित होती है। दूसरों के सम्पर्क में रहने की प्रवृत्ति सम्पर्क-सम्बन्धी प्रवृत्ति कहलाती है। सामाजिक मान्यता, स्नेह, व्यक्तिगत प्रशंसा तथा समूह में सम्मान पाने की इच्छा हमारे अधिकांश प्रयासों के प्रति एक दिशा का निर्देश करती हैं।

सांस्कृतिक परम्पराओं, मान्यताओं तथा विश्वासों से इन प्रवृतियों पर अधिकांश प्रभाव पड़ता है। वे व्यवहार की दिशा का निर्धारण करती है। हो सकता है कि अमरीकी अथवा भारत के नागरिक तथा शिक्षित समाज में प्रचलित सफलता की भावना को न्यू गिनी के शांति पूर्ण 'अरापेश' अथवा अमरीका के 'होपी' आदिवासी बुरी भावना से देखें।

हाइड पार्क के व्यक्ति धार्मिक, शैक्षिक, नागरिक तथा गाॅव के सामाजिक

मनोरंजन में अपनी स्वतंत्र प्रेरणा रखते हैं। जब हम लोगों ने पूछा कि उन्होंने भिन्न भिन्न संगठन प्रधान कार्यों में क्यों सहयोग दिया तो उन्होंने जो उत्तर दिया उसे निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

१—व्यक्तिगत

२—पारिवारिक

३—सामाजिक

४—विशिष्ट, धार्मिक, शैक्षिक, नागरिक आदि।

व्यक्तिगत प्रवृत्ति

अधिकांश प्रवृत्तियां व्यक्तिगत होती हैं। वे संसार तथा संस्कृति की प्रवृत्तियों से भिन्न होती हैं। यद्यपि सभी साधारण व्यक्ति समूह में रहने वाले होते हैं फिर भी समूह में रहने की प्रवृत्ति व्यक्तिगत कार्यो से प्रकट होती है। कुछ लोग अपने परिवार अथवा पड़ोस से सम्पर्क रखने में संतुष्ट रहते हैं। जबकि कुछ लोग बड़े सामाजिक संगठनों अथवा क्लबों में भाग लेकर दूसरों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

पारिवारिक

परिवार ही प्रारम्भिक सामाजिक इकाई है। हम इसके निकटतम सम्पक में रहते हैं। परिवार द्वारा हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरणा मिलती है। लोग अपने प्रारम्भिक पारिवारिक सम्बन्धों से समाज में व्यवहार करना सीखते हैं और पारिवारिक इकाई की भांति अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। बच्चे इस लिए भाग लेते हैं कि उनके अभिभावक उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत करते है। इसी प्रकार अभिभावकों का भाग लेना भी कभी कभी बच्चों पर निर्भर करता हैं।

सामाजिक—

परिवार सहयोग की भावना का विकास मित्रों से मिलने की भावना के साथ-साथ होता है। किशोरावस्था में समूह विशेष में रहने की इच्छा प्रबल होती है और सामजिक सहयोग में सामाजिक आवश्यकताएँ तथा विचार धाराएँ अत्यधिक प्रेरक होती हैं।

विशिष्ट—

इसके अन्तर्गत हम सहयोग की उन प्रेरणाओं पर विचार करेंगे जो शैक्षिक, सामाजिक अथवा धार्मिक विचारों से सम्बद्ध हैं।

सहयोग देने की प्रेरणा के अध्ययन में लक्ष्य प्राप्ति के समर्थक अथवा विरोधी बिचारों की बात भी सामने आती है। समर्थक विचारों से लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है तथा विरोधी विचारों से कार्य सिद्धि में अड़चन होती है।

अब हम इस गांव में इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन के सिद्धान्त पर विचार करेंगे। अध्याय ७ में प्रेरणा की आधारभूत आवश्यकता के लिए मान्यताओं तथा उनके विश्वासों पर विचार किया जा चुका है।

सर्व प्रथम हम गिरजाघर अथवा धार्मिक सस्थाओं के कार्यों में व्यक्तियों की जिम्मेदारियों से सम्बंधित प्रेरणाओं पर विचार करेंगे।

कुछ सहयोग के कारण प्रेरणायें अस्पष्ट सी होती हैं इसलिए कोई व्यक्ति उन्हें विस्तार से नहीं बता सकता। उदाहरण स्वरूप "मैं भाग लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ" अथवा "क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ" कि मुझे भाग लेना चाहिए।" विरोधी कारणो में खराब स्वास्थ्य, समाज के बाहर काम करना या मिल में काम करना जहाँ गिरजाघर के समय से संघर्ष होता है कार्य की असफलता के मुख्य कारण थे।

पारिवारिक प्रभाव—

पारिवारिक प्रभाव की महत्ता पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है।

सहयोग की प्रेरणा में सहायता पहुँचाने वाली बाते प्रशिक्षण, पैत्रिक प्रभाव तथा बच्चों के सम्मुख अच्छा उदाहरण पैदा करने की इच्छा से सम्बंधित होतीं है। प्रेरणा के विपक्ष की बातें कच्ची गृहस्थी की कठिनाई से सम्बन्धित होती हैं। अनुभवों से विदित हुआ है कि गिरजाघर के कार्यों में स्त्रियाँ अधिक सक्रिय होती हैं।

विशिष्ट संस्थाओं में, विशेष रूप से सहयोग का अलग कारण हो सकता है। धार्मिक संस्थाएँ सांसारिक वास्तविकता के साथ साथ धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।

गिरजाघर के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरणा की एक दूसरी श्रेणी भी है, जो अव्यक्त प्रेरणा कही जा सकती है। परन्तु बहुसंख्यक लोगों के सहयोग के कारण वे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यह एक सामाजिक प्रेरणा है।

इन बातों से यह पता चलता है कि पर्याप्त नेतृत्व, श्रेष्ठ अध्यापक, सामाजिक कार्यक्रम और विशेष कार्यक्रमों में निश्चित जिम्मेदारियों से उपयुक्त वातावरण तथा सामाजिक प्रेरणा का निर्माण होता हैं। इससे मित्रों तथा साथियों के साथ रहने की इच्छा पूरी होती है। लज्जा और हिचक को दूर करने की पर्याप्त चेष्टा की जाती

है जिससे यह कार्य में भाग लेने में बाधक न बने। प्राथमिक संस्था तथा जूनियर रविवारीय स्कूल द्वारा आरम्भ से ही ट्रेनिंग दी जाती है। इस गाँव में झेंपू व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम है।

शिक्षा संस्थाओं में सहयोग देना

शिक्षक अभिभावक संघ, साहित्यिक संस्था तथा ४ एच० क्लब—

यद्यपि इन कार्यक्रमों में भाग लेना एक दूसरे प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति पर निर्भर करता है तथापि प्रेरणा का स्वरूप समान होता है। शि० अ० संघ, साहित्यिक संस्था तथा ४ एच० क्लब जैसी शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में लोग कुटुम्ब के समान भाग नहीं लेते हैं। इसका कारण यह है कि शि० अ० संघ साहित्यिक संस्था के समान ही मुख्य रूप से औरतों की संस्था है। ४ एच० क्लब में युवक तथा युवतियां व्यक्तिगत रूप में भाग लेते हैं।

शिक्षा सम्बन्धी—

संस्थाओं के विशिष्ट कार्यक्रम के कारण वे अधिकांश लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।

शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में भाग लेने के प्रति एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि किसी ने इन संस्थाओं की बुराई नहीं बताई और न ऐसी कठिनाई ही बताई जो इनमें भाग लेने से रोक सके। इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर लोगों में विरोधी प्रेरणा भी नहीं है। परन्तु इनमें सहयोग करने में इस बात का प्रभाव पड़ता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाते, जो इन संस्थाओं के बारे में नहीं जानते और इस प्रकार यह कमी व्यक्तिगत प्रेरणा के विकास में कठिनाई होती है।

सामाजिक—

इन संस्थाओं में गिरजाघरों की अपेक्षा अधिक सामाजिक लाभ हैं क्योंकि गिर्जे में आत्म विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। किसी भी प्रकार की संस्था में भाग लेने के लिए सामाजिक सम्बन्ध बहुत आवश्यक है। कुछ सीमा तक सेवा करने की इच्छा और आशा एक दूसरे पर आधारित नहीं है। नई प्रगति के कारण इनमें भाग लेने वालों की संख्या कम है। समय के साथ उनमें भाग लेने वालों की संख्या कहीं अधिक हो जायगी ऐसी आशा है।

नागरिक संस्थाएँ— (लायन्स क्लब, टाउन बोर्ड आदि)

हाइड पार्क में केवल दो नागरिक, संस्थाएँ हैं—

अन्तर्राष्ट्रीय लायन्स क्लब तथा टाउन बोर्ड। फार्म ब्यूरो ने भी नागरिक संस्था का रूप ले लिया है। क्योंकि ये संस्थाएँ विशिष्ट कार्यक्रम में दिलचस्पी लेती हैं और व्यावसायिक तथा नागरिक जीवन के विशेष क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं इसलिए उनकी सदस्य संख्या कम है। टाउन बोर्ड में केवल ५-६ सदस्य हैं पर ये प्रबन्धकारिणी के सदस्य हैं। फार्म ब्यूरो द्वारा किसानों की आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याएँ हल होती हैं। सदस्यता के दृष्टिकोण से लायन्स क्लब का क्षेत्र विस्तृत है परन्तु इसमें केवल पुरुष ही सदस्य होते हैं। स्त्रियाँ ग्रीष्म ऋतु की मासिक बैठकों में आती हैं परन्तु वे रजिस्टर्ड सदस्याएँ नहीं होती हैं। इन सभी संस्थाओं में केवल प्रौढ़ ही भाग लेते हैं।

विशिष्ट नागरिकता—

सभी सदस्य नागरिक संस्थाओं (क्लबों) में भाग लेने के लाभ समझते हैं। हां कुछ ऐसे भी हैं जो यह नहीं जानते कि वे क्यों भाग लेते हैं या नहीं लेते।

गिरजाघर के मनोरंजक व सामाजिक कार्यक्रम बहुत से लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं परन्तु यह बहुत ही सुधरे हुए रूप में होता है। नागरिक क्लबों का सामाजिक कार्य (टाउन बोर्ड को छोड़कर) कभी कभी दावतों तथा अन्य मनोरंजन प्रधान कार्यक्रमों से सम्पन्न होता है।

नागरिक संस्थाओं के सुचारु संगठन के लिए सामाजिक सहयोग के अतिरिक्त नेतृत्व का विकास आवश्यक है। व्यक्ति उस समय सहयोग देते हैं जब उनसे कहा जाता है या जब उनसे भाग लेने की आशा की जाती है। गिरजाघर में भाग लेने तथा मार्मन संस्कृति की साधारण मान्यताओं का यह अप्रत्यक्ष प्रभाव है। जिन लोगों ने इन नागरिक संस्थाओं में भाग लेने के बारे में अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया उन्होंने भी अपनी ओर से इनमें भाग लेने के प्रति अनिच्छा नहीं प्रकट की। उनका विचार है कि अगर उनसे कहा जाय अथवा उनको आमंत्रित किया जाय तो वे अवश्य भाग लेंगे।

गिरजाघर तथा नागरिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार का आपसी मनमुटाव नहीं है। पर गिरजाघर की संस्थाओं में समय की अधिकतम आवश्यकता तथा कार्यक्रमों की दुरूहता के कारण कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि वे नागरिक संस्थाओं में भाग नहीं ले सकते।

सामाजिक तथा मनोरंजन प्रधान कार्यक्रम—

यह कार्यक्रम किसी विशेष प्रकार की संस्थाओं के लिए नहीं हैं वरन् यह सभी संस्थाओं में संचालित होते हैं। महिलाओं की संस्थाएँ जैसे महिलाओं के साहित्यिक

क्लब, ललित कला क्लब तथा 'जस्टफार फन क्लब' अधिकांशतः सामाजिक तथा मनोरंजन के उद्देश्यों से संगठित होती हैं फिर भी उनके शैक्षिक तथा कल्याणकारी लक्ष्य भी हैं।

केवल एकाकी व्यक्ति ही सामाजिक तथा मनोरंजन प्रधान संगठनों में भाग लेने की प्रेरणा नहीं रखते हैं। अन्य व्यक्ति भी संगठनों में भाग लेते हैं। कुछ ही लोगों के साथ समय का अभाव भाग न ले सकने का कारण हो सकता है या एक बहाना मात्र हो सकता है।

पारिवारिक—

सामाजिक तथा मनोरंजन प्रधान कार्यक्रम परिवार पर निर्भर नहीं है क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों की सामाजिक जरूरतें अपने परिवारों में भिन्न भिन्न होती हैं।

धार्मिक संस्थाएँ भी इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और कुछ लोगों को इनमें आगे बढ़ाने के लिए सुझाव रखती हैं। भाग लेने वालों की संख्या कोई महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं करती क्योंकि उनका प्रत्युत्तर किसी भी प्रकार से जबरदस्ती नहीं प्राप्त किया जा सकता। इन कार्यक्रमों में भाग लेने की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रेरणा संस्था का विशेष ध्येय होती है जिसके लिए वह संगठित होती है।

सहयोग के लिए मुख्य प्रेरणा मिलकर चलने की भावना होती है। विश्राम तथा हास्य मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक आवश्यकताएँ हैं और सामाजिक तथ मनोरंजक कार्यक्रमों से उनकी पूर्ति हो सकती है।

व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएँ प्रश्नों की सूची के माध्यम से बढ़ाई जा सकती हैं। विभिन्न संगठनों में लोग क्यों भाग लेते हैं इस सम्बन्ध में वर्ग में विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रमों की गिनती में इन उत्तरों का कोई मूल्यांकन नहीं है क्योंकि इनकी न तो गिनती ही की गई और न कोई विशेष उत्तर ही मिला। सहयोग का साधारण मत समुदाय के विचार विमर्श से निश्चित किया जाता है। उसने केवल सक्रिय भाग लेने वालों के मतों का ही प्रतिनिधित्व किया तथा सक्रिय सदस्यों की सूची में से अधिकांश व्यक्ति गिरजाघर में उपस्थित थे। बैठक में निष्क्रिय सदस्यों में से कोई नहींआया। उनके कुछ उत्तर इस प्रकार थे—

१—धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परम्पराएँ।

२—आत्म—विकास

३—पारस्परिक सहायता

४—गिरजाघर अथवा अन्य संगठनो में भाग लेना बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण है ।

५—समाज की उन्नति का अवसर—उसे सुन्दरतम बनाना ।

६—समुदायगत गौरव की भावना ।

७—व्यक्तियों की आशाएँ—अपेक्षायेः—

वाह्य प्रभाव जैसे, बाहरी समाज धार्मिक संगठनों में भाग लेने पर असर डाल सकता है । यदि धार्मिक भावना सम्बन्धित व्यक्ति में प्रबल नहीं है । इस प्रकार के व्यक्ति बुरी आदतों के शिकार बन जाते है और तब अनुभव करते हैं कि गिरजाघर या अन्य संगठनों में भाग लेने में उन्हें लज्जा होती है ।

यह अध्याय समाप्त करने के पूर्व धार्मिक संघों, पारस्परिक विकास संघों तथा अन्य संगठनों में सक्रिय सहयोग देने की प्रेरणा का अध्ययन करना आवश्यक है । ये हैं:—

१—पारिवारिक शिक्षण

गिरजाघर के सदस्य एक कुटुम्ब में परिवार को पढ़ाने के लिए जाते हैं, कुटुम्ब के सदस्यों के साथ बैठते हैं और सामान्य बातों पर विचार विमर्श करते हैं । तब एक दूसरे के प्रति सम्पर्क की भावना जाग्रत होती है । इससे अलग-अलग रहने वाले लोगों की अलगाव की भावना समाप्त हो जाती है और वे भाग लेने के प्रति उत्साहित होते हैं । यह व्यक्तिगत सम्पर्क उन्हें विश्वास दिलाता है कि गिरजाघर उनमें तथा औरों के कल्याण में दिलचस्पी रखता है ।

२—रिलीफ सोसाइटी टीचिगः—

रिलीफ समिति की महिलायें हर गृहणी से मिलकर उनके साथ मासिक बैठकें करती है और इस प्रकार शिक्षा के मिशन द्वारा उनमें प्रेरणा उत्पन्न करती है । वे प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं के बारे में पता चलाती हैं और उनकी सहायता करती हैं ।

३—प्रीस्टहुड तथा सम्बन्धित संस्थाओं में कक्षाएँ चलाना

इन कक्षाओं में प्रायः धार्मिक बातें सामाजिक व्यक्तियों की प्रेरणा पर प्रभाव डालती है ।

४—विशेष बैठकें तथा सभाएंः—

विशिष्ट आगन्तुक तथा गिरजाघर के उच्चाधिकारी जनता के साथ सक्रिय भाग लेने के लिए कहते हैं । इससे कार्यक्रम में भाग लेने की प्रेरणा पैदा होती है ।

५—कार्यभार तथा पद :—

यद्यपि पदों के भागी दार बहुत हैं तथापि जो उच्च पद पर हैं वे कार्यक्रम में मनुष्यता के नाते भाग लेते हैं। इन पदों के द्वारा उच्च सामाजिक सम्मान तथा आत्म संतोष की भावना प्राप्त होती है जो सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रेरणा का आधार बनती है।

६—भोज, नृत्य, खेल आदिः—

इस गाँव में ऐसे आयोजन प्रायः हुआ करते हैं और भाग लेने की प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। गाँव के एक सज्जन ने कहा "ये युवक खेलने के लिए आते हैं तथा प्रार्थना के लिए रुकते हैं। पिता का दिवस, माता का दिवस आदि स्वागत की तिथियां कार्य-क्रमों में भाग लेने की प्रेरणा उत्पन्न करने में निश्चित रूप से सहायक होती हैं।

७—टूर्नामिंटस, मैच, बाजार, सड़क पर होने वाले खेल, भाषण की प्रतियोगिताएँ, अभिनय, गायन तथा नृत्य आदि, 'स्टेक' और गिरजाघर के स्तर के मनोरंजन के कार्य सदस्यों के लिए सबसे अधिक संतोषप्रद होते हैं तथा सक्रिय सहयोग के लिए प्रेरणा देते हैं।

८—सक्रिय सहयोग देने के लिए कार्यकर्ताओं, नेताओं तथा देखरेख करने वालों के लिए अधिक संख्या में पुरस्कार रक्खे जाते हैं। इससे उनकी उपस्थिति अच्छी होती है तथा वे अपने धर्म की प्रभावप्रद तथा स्थायी बनाए रखने में सफल होते हैं। ये संक्षेप में निम्नलिखित हैं:—

प्राथमिक सेवा का प्रमाणपत्रः—

प्राथमिक संस्था के कार्यकर्ता जो ५ वर्ष या अधिक कार्य कर चुके होते हैं इसके लिए योग्य होते हैं। कार्यकर्ता के प्रमाणपत्र पर उसकी कार्याविधि का वर्णन दिया रहता है।

प्राथमिक सेवा पिनः—

जैसा ऊपर वर्णित है कार्यकर्ता को एक प्राथमिक सेवा पिन दी जाती है जिस पर जितने वर्ष की उसकी सेवाएँ हैं वह अंकित रहती हैं, (जैसे ५,१०,१५ आदि)।

पारस्परिक विकास संघ के लिए व्यक्तिगत पुरस्कारः—

पारस्परिक विकास संघ का कोई भी सदस्य व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य होता है यदि उसकी:—

धार्मिक वैठकों में उपस्थिति २६ है।
रविवारीय स्कूल की उपस्थिति ३६ है।
पारस्परिक विकास संघ की बैठकों में उपस्थिति ३६ है।

गिरजाघर की गोष्ठी में धार्मिक चर्चा की हो।

दसवें भाग का पूरा धन दे चुका हो।

विवेक पूर्ण उपदेशों (word of wisdom) का पालन करता हो।

सेवा कार्य में सहयोग देता हो।

गिरजाघर के कार्यक्रम 'हाइकिंग', शिविरावास, खेल, नाटक, हस्तकला, गायन आदि में भाग लेता हो।

व्यक्तिगत पुरस्कारों के अतिरिक्त विशेष पुरस्कार भी हैं। पारस्परिक विकास संघ के व्यक्तियों में सहयोग देने का स्तर ऊंचा होता है तथा विशेष क्षमता की आवश्यकता होती है। नेतृत्व के पुरस्कार के लिए पा० वि० संघ के कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग तथा प्रभावयुक्त देखरेख आवश्यक है।

किसी विशेष पुरस्कार से सम्बद्ध सभी शर्तों के बारे में कहना कठिन है। कुछ पुरस्कारों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है।

संख्या	पुरस्कार के नाम	किसको दिये गए	टिप्पणी
१—	'ईमल स्काउट पुरस्कार'	ब्वाय स्काउट या एक्सप्लोरर	सफल कार्य तथा २१ योग्यता बैज।
२—	एक्सप्लोरर सिलवर पुरस्कार'	एक्सप्लोररस्	धार्मिक कर्तव्य में अगाध विश्वास वर्ग गत पात्र (Round Table Group)
३—	'ईश्वर के प्रति कर्तव्य पुरस्कार'	स्काउट या एक्सप्लोरर	राउन्ड टेबुल वर्ग
४—	'जूनियर एम० मैन वेवेस्ट क्रेस्ट'	जूनियर एम० मैन तथा एम० मेन योद्धा (१७-१८ वर्ष की आयु वाले)	१७ क्रेडिट कार्यक्रम, धार्मिक, शासकीय, तथा सांस्कृतिक
५—	'मास्टर एम० मैन'	एम० मेन (१९-३० वर्ष की आयु वाले)	
६—	अवैतनिक मास्टर एम मैन	४५ वर्ष या इससे अधिक के व्यक्ति	पा० वि० संघ के प्रमुख नेता जिन्होंने कोई विशेष सेवाएँ की हो।
७—	युवकों के नेतृत्व का प्रमाण या दृष्टान्त	कक्षा के नेता	विशेष प्रकार की सेवाओं के लिये।
८—	आनर बी० दृष्टान्त	बी० ह्वाइव लड़कियाँ	'मधु मक्खी' रखनेवाले की देख रेख करने वालों की मंजूरी पर।

संख्या	पुरस्कार के नाम	किसको दिये गए	टिप्पणी
९—	'मिया ज्वाय'	१४-१५ वर्ष की लड़कियाँ	खेल कूद, व्यक्तिगत रहन सहन, नेतृत्व के आधार पर १४ स्थान
१०—	सिल्वर ग्लीनर	(१६-१८) की लड़कियाँ	पिन तथा प्रमाणपत्र
११—	सोने का ग्लीनर	(१९-२९) की लड़कियाँ	पिन तथा प्रमाणपत्र
१२—	अवैतनिक सोने का 'ग्लीनर'	४५ वर्ष या ऊपर की आयु की स्त्रियाँ	स्टेक समिति द्वारा नाम चुने जाने पर।

ये पुरस्कार गाँव में प्रोत्साहन प्रदान करने के तरीकों का कुछ अंश है। शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं के पास अपने बैज' (बिल्ले) तथा 'प्लेज' और पुरस्कार हैं, परन्तु किसी के पास अधिक संख्या में नहीं है। कार्यक्रमों में भाग लेने पर बच्चों को छोटे पुरस्कार दिये जाते हैं जैसे एक चित्र, एक सजावट की वस्तु, झंडा तथा पिन।

आपसी झगड़े तथा मनमुटाव न आने देने के लिए तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को आँकने के लिए हर कार्यक्रम के 'गाइड' तथा निरीक्षक रहते हैं। इस प्रकार पुरस्कार तथा नेतृत्व का सम्मान उचित रूप से प्रेरणा देता रहता है।

९ सामाजिक एकता

एकता (Cohesion) अथवा समन्वय शब्द समाज शास्त्र के साहित्य में पर्यायवाची है। एकता के सिद्धान्त में संगठन और विघटन दोनों ही सम्मिलित हैं। एकता की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है:—

"यह एक प्रक्रिया या स्थिति है जो वर्ग के सदस्यों के लिए आवश्यक और एक दूसरे पर आधारित कार्यो के लिए सहमति देने में सहायक होती है। इस वक्तव्य में समाज शब्द जोड़ने से सामुदायिक या सामाजिक संगठन की परिभाषा प्राप्त कर सकते है।"

"संघटन की प्रवृत्तियां वे हैं जो सहमति उत्पन्न करने का प्रयास करती है जिससे वर्ग और व्यक्ति में समन्वय बना रहे और लोग निश्चित रूप से अपने ही वर्ग में रहें। ये शक्तियां समाज में सामाजिक संगठन की मान्यताओं तथा विश्वासों के द्वारा विकसित होती हैं।"

समन्वय या सगठन उन सभी प्रभावों का नतीजा है जो वर्ग में बने रहने के लिए सभी सदस्यों में सहमति लाते हैं। यद्यपि समन्वय के अध्ययन में हमें विशेष रुचि है पर इसके क्रम में इसकी विपरीत दशा या असंगठन को भी समझ लेना चाहिए।

समाज के असंगठन को पहचानने का तरीका है कि समाज के सदस्य किस सीमा तक सामान्य बातों पर सहमत होते हैं, इसलिए संगठित वर्गों की एक विशेषता है कि वर्ग के प्रति उनकी स्वीकृति की भावना रहती है और व्यक्तिगत परिभाषाएँ सामान्य तथा प्राथमिक स्थितियों में बनीं रहती हैं।

धर्म प्रधान गांव हाइड पार्क के बारे में अध्ययन करते समय हमें धार्मिक विश्वासों की प्रक्रिया पर विचार करना आवश्यक है। हाइड पार्क के ९९$\frac{1}{2}$ प्रतिशत व्यक्ति गिरजाघरों के सिद्धान्तों के अनुयायी हैं। पर केवल धार्मिक सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी देखना है कि उनके व्यक्तिगत विश्वास किस हद तक गिर्जाघर द्वारा प्रतिपादित विश्वासों के अनुकूल हैं।

हम निश्चित विश्वास के साथ विश्वास की गहराई का पता लगाने पर भी विचार करना चाहते हैं। हम यह देखते हैं कि उन व्यक्तियों का प्रतिशत ८७ से ९४ है जो अपने विश्वास में बहुत दृढ़ हैं। इससे समाज की धार्मिक संस्थाओं में संगठन की महत्ता पर प्रकाश पड़ता है।

सामाजिक नियंत्रण

धार्मिक नियमों के पालन से सामाजिक नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उन पर प्रकाश पड़ता है। यहां हम निम्नलिखित चारों बातों पर विचार करेंगे। मार्मन धार्मिक उपदेशों में चाय, काफी, शराब तम्बाकू आदि का निषेध तथा व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना तथा आय का दसवां भाग देना सम्मिलित हैं। अधिकांश व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हैं। केवल १४ प्रतिशत लोग ४ से कम शिक्षा का पालन करते हैं और केवल १ प्रतिशत किसी शिक्षा का पालन नहीं करते।

आंकड़ों से पता चलता है कि गिरजाघर की शिक्षा में सबसे प्रभावपूर्ण बात यह है कि सभी सदस्य पूर्ण रूप से दशम अंश को देने के लिए तैयार रहें।

गिरजाघर के फंड में सदस्यों ने जो धन दिया उनमें से महत्वपूर्ण योग दान इस प्रकार है—१९५५ में दशम भाग कुल ३२,५०० डालर के लगभग और १९५६ में ३३,५४३. ९० डालर, दिया गया। १९५६ में भवन निर्माण के लिये ३,६६० डालर मिला। हर कुटुम्ब से औसतन २०३·२३ डालर दशम भाग के रूप में मिला। ४९५ व्यक्तियों ने दशम भाग देने में भाग लिया और बच्चों को मिलाकर भाग लेने वालों की संख्या लगभग ७५ प्रतिशत रही।

हमने व्यक्तिगत लोगों से यह नहीं पूछा कि वे किन शिक्षाओं का पालन करते हैं और किन का नहीं। दशमांश के सम्बन्ध में बात गुप्त रखी जाती है और इस

प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देना कुछ लोगों के लिए संकोचपूर्ण होगा। फिर भी हमारे पास इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जिसका सारांश नीचे दिया जाता है।

धार्मिक उपदेशों का निश्चित स्वरूप

गिरजाघर की विशेष शिक्षा	प्रतिशत व्यक्ति जो उनका पालन करते हैं।
१. चाय तथा काफी का प्रयोग न करना	८५ प्रतिशत
२. मद्य निषेध	९५ प्रतिशत
३. तम्बाकू का प्रयोग न करना	९३ प्रतिशत
४. भोजन के समय ईश्वर की प्रार्थना करना	८० प्रतिशत (लगभग)
५. प्रातः सायं पारिवारिक प्रार्थना	५१ प्रतिशत
६. व्यक्तिगत प्रार्थना	७० प्रतिशत वृद्ध तथा उच्च वर्ग के लोग

सामाजिक नियमों के पालन का दूसरा आवश्यक प्रमाण है समाजगत कार्यों में व्यक्तियों द्वारा लगाया गया समय, शक्ति, तथा धन। अध्याय ८ में हमने सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में व्यक्तियों के सहयोग का अध्ययन किया है अतः यहां उसके वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है।

समुदाय के कार्यक्रमों में २६ प्रतिशत व्यक्ति अपना आधा से अधिक खाली समय देते हैं, ५७ प्रतिशन व्यक्ति अपना आधा से चौथाई तक खाली समय इन कार्यक्रमों के लिए देते हैं।

नियमों का पालन किसी भी तरह केवल प्रयोग द्वारा लागू नहीं किया जाता। गिरजाघर की शिक्षा को मानने से समाज में प्रचलित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये लोगों में विश्वास बना रहता है। गिरजाघर की संस्थाओं में वे लोग नहीं चुने जा सकते जो इनमें विश्वास नहीं रखते।

समुदाय के प्रति आत्मीयता

सामुदायिक भावनाएँ वर्ग गत आत्मीयता की अच्छी उदाहरण हैं। मर्सर ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। सामुदायिक भावना में आत्मीयता सहयोग तथा परस्पर अवलंबन की भावना सम्मिलित है। समुदाय के कल्याण में आत्मसंतोष और आवश्यक कार्य तथा भौतिक आवश्यताओं की पूर्ति के लिए मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध स्थापित करने में ही आत्मीयता की भावना व्यक्त होती है।

९७ प्रतिशत व्यक्ति हाइडपार्क गाँव को पसंद करते हैं। जो लोग गाँव में काफी समय तक रह चुके हैं उनके हृदय में लगन तथा आत्म समर्पण की भावना पैदा हो गई है। युवकों के दृष्टिकोण का इस सम्बन्ध में हम परीक्षण करेंगे।

तीस प्रतिशत युवकों का कहना है कि वे इस गाँव के महत्त्व के बारे में नहीं जानते। हो सकता है कि इसका कारण यह हो कि इस आयु में उनके विचार परिपक्व नहीं हो पाते। ७० प्रतिशत व्यक्तियों में से जिन्होंने अपना विचार प्रकट किया ५१ प्रतिशत तो हाइड पार्क को अपना निवास स्थान मानते हैं। ५ प्रतिशत से कम युवक ड्राइडेन में रहने की अपनी भविष्य की योजना बनाते हैं।

हाइड पार्क के नवयुवकों की ग्राम जीवन सम्बन्धी अभिरुचि प्रशंसनीय है। कोई भी युवक शहर में अपना मकान नहीं बनाना चाहता। प्राय: निम्नलिखित कारणों से जनता हाइड पार्क में रहना पसंद करती है। इस गाँव में प्राय: सभी लोगों का आपसी व्यवहार मैत्रीपूर्ण है, आवश्यकता पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ५२ परिवार ऐसे हैं जो हाइड पार्क को ही एक बड़ा कुटुम्ब मानते हैं। सभी व्यक्ति आपस में एक दूसरे को जानते हैं।

यहाँ कुछ अविघटन के तत्त्व भी मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस गाँव या समाज को पसंद नहीं करते परन्तु उनकी संख्या अनुपात में बहुत कम है। परिस्थिति को सुचारु रूप से देखने के लिए हमने उन बातों को भी देखा है जिसे लोग पसन्द नहीं करते।

छोटे शहरों या गाँवों में हम वहाँ आपसी गप का वातावरण पाते हैं फिर भी उनमें से अधिकतर लोग मजेदार भाव व्यक्त करते हैं, उदाहरण स्वरूप वे कहते हैं "हम लोग अधिकतर सन्तुष्ट हैं, हम एक दूसरे के अत्यधिक निकट रहते हैं", "दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में अत्यधिक दिलचस्पी लेते हैं" तथा "हममें ज्यादा मित्रता है" आदि। भारतवर्ष के गाँवों में सामाजिक विघटन के कारण प्राय: एकता का ऐसा वातावरण नहीं मिलता। यदि यहाँ लोगों से पूछा जाय कि वे अपने गाँव के बारे में क्या सोचते हैं तो प्राय: यही जवाब मिलेगा कि "मेरा गाँव आस पास के सभी गाँवों से बुरा है, लोग एक दूसरे का अहित देखते हैं या हर एक अपने मन का मालिक है, कोई किसी की बात नहीं मानता"।

वर्ग से अपने को सम्बद्ध करना तथा प्रतिज्ञा पूर्ति

वर्ग के प्रति आत्मीयता से अत्यधिक सम्बन्धित बात यह है कि लोग अपने को स्वयं उसके कार्यक्रम से सम्बद्ध करना चाहें और अपने कर्तव्यों को पूरा करें। वर्ग

की आत्मीयता का यह एक मात्र कार्य है कि समुदाय के लोग अपने कार्यो का सचालन लोगों के सहयोग पर आधारित रक्खे । समुदाय का कार्य करने तथा सहयोग देने में जितनी ही कमी होगी उतना ही अधिक उस समाज में विघटन होगा ।

गिरजाघर के संगठनों में ८८ प्रतिशत तथा नागरिक सगठनों में ८१ प्रतिशत व्यक्ति उत्तरदायित्व पूर्ण पदों को स्वीकार कर लेते है । जो अपने पदों को बिलकुल ही स्वीकार नहीं करते उनका प्रतिशत केवल तीन है । न्यूयार्क राज्य के एक दूसरे गॉव ग्रोटन वालों ने इसी प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा वह बड़े कौतूहल की बात है—

यहाँ केवल गिरजाघर तथा नागरिक संगठनों में क्रमश. ६८ प्रतिशत तथा ५२ प्रतिशत व्यक्ति पदों को स्वीकार करने के प्रति तत्पर दिखाई दिए ।

हाइड पार्क गांव में कोई भी व्यक्ति सस्थाओ व सघों में सहयोग देने को व्यर्थ समय नष्ट करना नही समझता । पर व्यक्तियों का प्रतिशत जो गिरजाघर तथा नागरिक संस्थाओं के प्रति उदासीन रहते है क्रमशः ३ और २२ है । नागरिक संस्थाओं के प्रति सामान्य रूप से उदासीन रहना उनकी कम सदस्यता के कारण हो सकता है । साथ ही यह संस्था विशेष आयु, लिग अथवा अपनी पसद के वर्ग के व्यक्तियों के लिए आकर्षक होती है । ९७ प्रतिशत तथा ७८ प्रतिशत व्यक्ति क्रमशः गिरजाघर, तथा नागरिक संस्थाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते है ।

सामाजिक सहयोग की स्थिति, जिसमें सामाजिक संघों की सदस्यता और कार्यक्रम सम्मिलित है, सामाजिक एकता की ओर सकेत करती है । जब सहयोग देने के स्तर या स्वरूप में, जो उपस्थित कार्य में सहायता या सहकारी स्थिति पर आधारित है, कुछ परिवर्तन होता है तब असंगठन होने की सम्भावना हो जाती है ।

पाँचवे तथा छठे अध्याय में हमने हाइड पार्क में सामाजिक सहयोग की बात पर विचार किया है । उसमें जो कुछ कहा गया है, उसे दोहराने की कोई आवश्यकता नही है ।

गिरजाघर में भाग लेने वाले ९९ प्रतिशत व्यक्ति यह समझते है कि वे कोई धार्मिक कार्य कर रहे है । साथ ही ८९ प्रतिशत सामाजिक तथा मनोरजन प्रधान कार्यक्रमों में, ६९ प्रतिशत शैक्षिक कार्यक्रमों में तथा ४९ प्रतिशत नागरिक कार्यक्रमों में भाग लेते है । परन्तु समुचित रूप से भाग लेने वालों की संख्या इनसे कहीं कम है । शैक्षिक तथा नगर के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी होने का एक कारण इन संस्थाओं में सदस्यता पर रोक है ।

संगठन के भीतर ही व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति

संगठन विशेष में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वर्ग की उपयुक्तता वर्ग के सदस्यों में निश्चित सांस्कृतिक लक्ष्यों की पूर्ति की ओर प्रयास इंगित करता है। समुदाय के समन्वय के लिए हाइड पार्क गांव को इस दृष्टि से देखा जा सकता है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके लिए सुविधाएँ देना समुदाय की विशेषता है, फिर भी इस सम्बन्ध में दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातें हैं—कार्य की पूरी सुविधाएँ तथा युवकों के लिए मनोरंजन। अनुभव के आधार पर पता चला है कि छात्रों के पास मनोरंजन के साधन कम नहीं हैं यद्यपि उनका संगठन काफी सावधानी से किया जाता है।

व्यक्तियों तथा उपवर्गों में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध

इस गांव में व्यक्तियों तथा समूहों के पारस्परिक व्यवहार के लिये सहायक अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। विद्यालय, गिरजाघर, तथा उनकी उप शाखाएँ, नागरिक संगठन और सामाजिक तथा मनोरंजन प्रधान क्लब आपसी सम्बन्ध तथा सहानुभूति बनाये रखने में सहायक होते हैं, जिससे सामाजिक संगठन होता है। इसका सविस्तार वर्णन अध्याय ३ में किया गया है।

सामाजिक सम्बन्ध को संगठित करने के लिए साहित्य द्वारा काफी प्रचार किया गया है। कम से कम व्यक्तिगत तथा सामाजिक झगड़ों में कमी, वर्गों की कार्य क्षमता बढ़ाना तथा सामाजिक झगड़ों का समाप्त होना ये सभी संगठन सम्बन्धी सामाजिक व्यवहारों को व्यक्त करते हैं।

लेखक ने हाइड पार्क में कोई अनिर्णीत झगड़े नहीं पाए और उसे सबसे कम व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुटबंदी देखने को मिली।

गिर्जे में निष्क्रिय सदस्यों को रोका नहीं जाता है वरन् अगर सम्भव होता है तो उनको आपसी व्यवहार से निकट लाया जाता है। इसलिए व्यक्ति तथा वर्ग में अधिक झगड़े नहीं होते। सामाजिक झगड़ों की रोकथाम गिरजाघर की संस्थाओं द्वारा होती है जिसमें उठने वाले झगड़ों की रोक थाम के उचित नियम बनाए गये हैं। यहाँ वर्ग-विषमता नहीं पाई जाती। अतः इस गाँव में उच्च स्तर की सामाजिक एकता दिखाई देती है।

समाज में संगठन का दूसरा निर्देश निम्नलिखित है।

बड़े समुदाय में संस्थाओं अथवा उप वर्गों के आपसी कार्यों की विधि तथा कार्यों की सीमा।

छोटे-छोटे अनेक टुकड़ों में बंट जाने से समुदाय के लोगों में पार्टीबंदी होती है। हाइड पार्क के अन्तर्राष्ट्रीय लायन्स क्लब के कार्यक्रमों में यह कल्पना पूरी तरह व्यक्त होती है। इसके लक्ष्य मनोरंजन, नागरिक सेवा तथा निर्माण प्रधान हैं। इस क्लब ने बिलकुल नए कार्यों को संचालित करने के बजाय सार्वजनिक पार्क की उन्नति का कार्य, गिरजाघर के लिए बाजा खरीदना तथा शि० अ० संघ के कार्यों में मदद करना आरम्भ किया, जैसे छिड़काव के लिए फौवारा लगाना तथा स्कूल की रंगाई और पुताई। लायन्स क्लब ने लोगों के आपसी मेल को और भी दृढ़ बना दिया है। उसके लक्ष्य दूसरे संगठनों के लक्ष्यों के लिए सहायक तथा पूरक हैं।

गिरजाघर की सहायक संस्थाओ के हर वर्ग के लिए अधिक संख्या में निदेशक पुस्तकें होने और दूसरे संगठनों में नियम तथा उप-कानून होने से उच्च स्तर की एकता स्थापित हो सकी हैं। उनके कर्तव्य स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। आचरण व व्यवहार के आदर्श दिए गए हैं जिन्हें सदस्यों में प्रसार के लिए गिरजाघर की पत्रिकाओं के माध्यम से बताया जाता है। व्यवहार के सम्भावित तरीकों तथा सामाजिक कार्यों की दुरूहता को टाला जाता है।

कार्यों का पारस्परिक सम्बन्ध

कार्यों के एक दूसरे पर आधारित होने का तात्पर्य है : वर्ग के सदस्यों का एक दूसरे पर आधारित होना और किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूरे समुदाय पर आधारित होना।

कार्यों के लिए एक दूसरे पर आधारित होने का प्रतीक सहयोग तथा समन्वित कार्य है। यह आवश्यक नहीं है कि ये कार्य आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में ही सीमित रहें, वरन् सम्पूर्ण समुदाय के जीवन को सम्मिलित किए रहते हैं। यह ऐसी परिस्थिति है जिसमें वर्ग के सदस्यों में सहकारिता अधिक प्रभावशाली होती है। इससे उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा भी होती है।

हाइड पार्क गाँव की जनसंख्या के ८५ प्रतिशत लोग आपस में पूर्ण मैत्री रखते हैं और १५ प्रतिशत सामान्य मैत्री रखते हैं। गाँव के सदस्यों में से २३४ व्यक्तियों ने कहा कि हाइड पार्क में जनता आपस में अब बहुत ही मैत्री पूर्ण है। जब लोगों से प्रश्न पूछा गया कि वे हाइड पार्क में क्या पसंद करते हैं, तो उनका उत्तर था 'पारस्परिक मैत्री'। उनकी पारस्परिक मैत्री की भावना का इससे अधिक क्या प्रमाण हो सकता है?

इस भावना को सहयोगी कार्यों के रूप में परिवर्तित कर देना आवश्यक है। गाँव

में पूरे होने वाले कार्यों में इनकी पूर्ति के अतिरिक्त पड़ोसियों से दिन प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सहायता इसका प्रमाण है। इस गाँव में ९८ से ९९ प्रतिशत व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करते हैं। इससे उच्चस्तर की सामाजिक एकता का पता चलता है।

श्रम विभाजन

हाइड पार्क में वैसा उद्योग सम्बन्धी संगठन नहीं पाया जाता है जैसा ग्रामीण संस्कृतियों में पाया जाता है, जहां पर विभिन्न व्यापार सहयोगी वर्गों की वस्तु सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना पूरक योगदान देते हैं। गाँव का प्रमुख उद्यम खेती है। ३४ प्रतिशत खेतिहर और खेत में कार्य करने वाले श्रमिक हैं यदि हम स्त्रियों को कुल संख्या से निकाल दें क्योंकि उनके कार्य स्वतंत्र नहीं होते हैं। खेतिहर अपनी मशीनों और औजारों को किराए पर देकर और श्रम के विनिमय द्वारा एक दूसरे की सहायता करते हैं। कुछ बौद्धिक कार्यकर्ताओं के पास भी छोटी 'दुग्धशाला' या 'कुक्कुट-शाला' होती है। इस प्रकार वे हाइड पार्क के व्यक्तियों के जीवन से अपना सम्बन्ध बनाए रखते हैं। फिर भी जैसा अध्याय ३ में बताया गया है व्यवसायों का विस्तृत विभाजन किया गया है। गिरजाघर व उसके सहायक वर्ग तथा अन्य सामाजिक संगठन व्यापारिक क्षेत्र में सम्बन्ध बनाए रखते हैं।

बहु-वर्ग सदस्यता

हाइड पार्क के व्यक्तियों का अन्य संगठनों से सम्बन्ध और बहुधंधी सदस्यता आपसी झगड़ों को नहीं बढ़ाती क्योंकि गिरजाघर ही समन्वित कार्यों की देखरेख करता है। यहाँ तक कि शैक्षिक तथा नागरिक संगठन भी गाँव के धार्मिक वातावरण से प्रभावित रहते हैं।

संगठन अथवा असंगठन के सामाजिक आंकड़े को पुनः तीन मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकते हैं (अ) व्यक्तिगत (ब) परिवार (स) समाज। सामाजिक असंगठन के व्यक्तिगत आंकड़े परिमाणगत कार्यों में मिलते हैं जैसे क़तल, मानसिक अस्वस्थता, मद्यपान, आत्महत्या आदि। परिवारिक आँकड़े परेशानी, तलाक तथा बच्चो की परवाह न करना आदि में देखे जा सकते हैं। समाज के आँकड़े बेरोजगारी, 'रिलीफ', गति शीलता, अव्यवस्थित समाज तथा सरकारी अव्यवस्था में दिखाई देते हैं।

हमने हाइड पार्क गाँव के सामाजिक असंगठन के व्यक्तिगत आँकड़ों का अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक व्यवस्था के उज्ज्वल अंशों के प्रति रुचि रखते थे, जिनमें उनके पूर्व तथा भावी-जीवन की

आशाओ का ममावेश रहता है। हमारी धारणा है कि "प्रसन्न तथा सतुष्ट व्यक्ति एक समन्वित समुदाय का निर्माण करते है।" हमे हाइड पार्क मे अपराध, मद्यपान तथा मारकाट की समस्याएँ नही दिखाई दी। पारिवारिक आकडो मे तलाक, चिन्ता या बच्चो की परवाह न करना पूर्णरूप से अनुपस्थित है। गॉव मे सम्बन्धित आकड़ो मे सहायता, अव्यवस्था नथा असगठित नियन्त्रण नही पाए जाते है। गॉव मे थोडी अल्प बेरोजगारी है परन्तु फिर भी लोगन, स्मिथ फील्ड तथा आगडैन ऐसे निकट वर्ती शहरो मे गैर-कृपको को काफी रोजगार मिलता है। कभी-कभी लोग दो-दो जगहो पर १२ या १४ घटे काम करते है ओर गर्मियो मे दुगुनी कमाई करते है, ताकि जाडे के अपेक्षाकृत खाली समय के कार्याभाव की पूर्ति हो सके। गॉव के ५० प्रतिशत व्यक्तियो की धारणा है कि उनके सभी कार्य आमतौर से अच्छी तरह से हुए। ९० प्रतिशत सोचते है कि कार्य अच्छी तरह या काफी अच्छी तरह हुए। न्यूयार्क के ग्रॉटन गाव मे यह प्रतिशत ३४ तथा ६३ था। हाइड पार्क मे जीवन के अनेक क्षेत्रो मे जैसे व्यवसाय, सामाजिक मनोरजन कार्य, पारिवारिक जीवन तथा आर्थिक मामलो मे लगभग ९७ प्रतिशत व्यक्ति संतुष्ट पाये गये। पारिवारिक जीवन के प्रति सतोष भी सबसे अच्छा रहा।

व्यक्तिगत स्थिति का आवश्यक अश यह है कि जनता किस हद तक अपने आधुनिक जीवन की अवस्थाओ के प्रति प्रसन्नता अनुभव करती है। गॉव के ८८ प्रतिशत व्यक्ति आमतौर से प्रसन्नता अनुभव करते है। अपने को अप्रसन्न समझने वालो का प्रतिशत १ है और ११ प्रतिशत यह कहते है कि वे कभी कभी अप्रसन्नता महसूस करते है।

इस गाव के ८३ प्रतिशत व्यक्तियो ने यह कहा कि वे चितित करने वाली परिस्थितियो का सामना अच्छी तरह से करते है और शायद ही कभी इनके बारे मे परेशान होते हो।

कुटुम्ब, समुदाय तथा गिरजाघर व्यक्तियो के सबसे प्रिय अग है और वे उनसे बहुत ऊची आशाए रखते है। ९९ प्रतिशत व्यक्तियो का यह विचार है कि इन सगठनो का भविष्य काफी उज्ज्वल है। ८९ प्रतिशत व्यक्ति सोचते है कि उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है और वे गॉव को उन्नतिशील मानते है। केवल १ प्रतिशत व्यक्ति सोचते है कि परिवार, उनके बच्चे, समुदाय तथा गिरजाघर के प्रति भविष्य अधकार पूर्ण है तथा ११ प्रतिशत व्यक्ति राष्ट्र के प्रति यही भावना रखते है। 'ग्रोटोनस्टध' (न्यूयार्क कार्नेल-विश्वविद्यालय) से इसका मिलान किया जा सकता है जहा १८ प्रतिशत व्यक्ति सोचते है कि राष्ट्र का भविष्य अधकारपूर्ण या बहुत ज्यादा अधकार पूर्ण है।

इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि समाज में बहुत ऊंचे स्तर की एकता पाई जाती है जो व्यक्तिगत व सामाजिक समन्वय का अप्रत्यक्ष परिणाम है।

समुदाय का स्थायित्व—संघर्ष द्वारा जीवन

हाइड पार्क १०० वर्ष से कुछ कम का एक नया गाँव है। इस अवधि में अमेरिका के अनेक ग्रामों से शहरों की ओर काफी आबादी खिचती चली गई है। परन्तु हाइड पार्क ने अपनी जनसंख्या को बनाए रक्खा है और उसका स्वरूप एक छोटे आत्म-संतोष प्रद समाज का हो गया है। कुछ व्यक्तियों को रोज़गार के लिए देश के अन्य भागों में जाना पड़ा है क्योंकि गाँव में एक निश्चित संख्या में ही लोग रह सकते हैं। इस गाँव में सीमित भूमि तथा कुछ कारखाने हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि यह गाँव अव- नति की ओर है या उसकी अवनति होगी।

बाहरी दबाव

दूसरे ईसाइयों द्वारा मार्मन की पुरातन सजाओं के कारण मार्मन समुदाय में एकता स्थापित हो गई है। हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या लोग अभी भी सामाजिक संस्था, रोजगार की स्थिति या मित्रों तथा सम्बन्धियों द्वारा मार्मन विश्वास में परिवर्तन के बारे में सोचते हैं।

लेखक ने देखा कि मार्मन नेताओं तथा प्रमुख व्यक्तियों का इतिहास प्राथमिक संस्थाओं तथा रविवारीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यूटा नेताओं की लड़कियाँ (Daughters of Utah Pioneers) एक प्रभावशाली संगठन के रूप में काम करती हैं। वे नेताओं के विषय में इतिहास लिखती हैं तथा इस विषय पर बैठकें करती हैं। ये प्रयास उनके मस्तिष्क में पुरातन इतिहास को नवीन बनाए रखते हैं।

केवल १५ प्रतिशत व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि अगर आज भी मार्मन गिरजाघर में कोई आना आरम्भ करे तो उसके मन में कोई बुरे विचार नहीं होंगे। सज़ा अथवा विषमता आज़ नहीं हो सकती हैं परन्तु पुरातनता की परिवर्तित धारणाएं चल रही हैं और वे समुदाय में एकता स्थापित करने में सहायक होती हैं।

समन्वय तथा संगठन की विशेष प्रक्रिया

हाइड पार्क में समुदाय समन्वय की बहुत ही स्पष्ट प्रक्रिया पाई जाती है जो गिरजाघर व उसके सहायक संघों के माध्यम से तथा अन्य नागरिक, शैक्षिक, सामाजिक, तथा मनोरंजन संगठनों से सम्भव होती है। उनसे प्रसार तथा नेतृत्व और सामा-

जिक कार्य-कलापों के लिए सुअवसर मिलता है जो समाज के प्रति व्यक्तिगत संकल्प की भावना देता है तथा समन्वय की वृद्धि करता है। इस गाँव के पक्ष में कई अच्छी बात है जिन पर लोग गर्व करते हैं जैसे गाँव का क्षेत्र, उसकी स्थिति, जलवायु तथा जल वितरण, अच्छा गिरजाघर, अच्छा नेतृत्व, अपराधों की कमी आदि। इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि गायों के लिए गौशालाएँ है जहाँ कुछ गन्दगी मिलती है। परन्तु क्या उन्हें ग्रामीण कृषि करने वाले समुदाय से भिन्न रख सकते हैं? गायों के रहने के स्थानों के विषय में संभवत: स्वच्छता का अभाव कहा जा सकता है। लेखक को इस कृषि-प्रधान समाज में पर्याप्त स्वच्छता दिखाई दी। कृषि कार्य में लगे गाँव में इससे अधिक स्वच्छता शायद संभव न हो सके। गाँव को सुसज्जित तथा सुंदर बनाने के प्रयास अथवा इच्छाएं उसके प्रति सतर्कता का संकेत करती हैं। लेखक द्वारा देखी गयी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अधिकतर लोगों ने कहा—यह गाँव एक बड़ा कुटुम्ब हैं, यहां पर हमारे मित्र तथा सम्बन्धी हैं, हम सब आपस में सम्बन्धित हैं। बाद में भी पूछ ताछ से पता चला कि वास्तव में वे एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

सांकेतिक समुदाय का अर्थ ऐसे समुदाय से होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को सम्बद्ध करता है। उसकी सदस्यता श्रेणी एक हो या दूसरी। सदस्यता की एक श्रेणी वह है जिसमें एक व्यक्ति एक दूसरे के द्वारा एक सम्बन्धी के रूप में माना जाता है जैसे परिवार, राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक संघ। एक व्यक्ति अपनी सदस्यता वर्ग के स्वरूप (Norm) में हिस्सा लेता है केवल इसलिए नहीं कि दूसरों ने उन्हें महत्व दिया परन्तु उसने स्वयं अपनी इच्छाओं का शमन, विभाजित Norm के प्रयोग द्वारा किया है।

इससे पता चलता है कि वे समूह जो स्थायी रह सकने के योग्य हैं "स्थाई" हैं और परिवर्तन के थपेड़ों के बावजूद एकता रख सकते हैं। जहां परिवर्तन आवश्यक होता है वहाँ संगठित वर्गों ने सफलता पूर्वक परिवर्तन को स्वीकार किया ताकि लोग 'वाह्य जिज्ञासा' के लिए संयोजक अवांछनीय परिवर्तन का समर्थन न कर सकें।

हाइड पार्क के गिरजाघर ही जिनको जनता अपनाती है, ये आदर्श समुदाय का निर्माण करते हैं। गिरजाघर से यह आशा की जाती है और उसने इस आशा की पूर्ति भी की है कि वह चरित्र के कायदे तथा तरीकों का निर्धारण करे जो सदस्यों को मार्ग दर्शन करने की ओर निर्देश करते हैं। इस प्रकार समाज या गाँव एकता के एक सूत्र में बँधा रहे।

उपसंहार

एकता तथा संगठन के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि इस गाँव का निर्माण, उसकी सांस्कृतिक स्थिति, अन्तर्जातीय विवाह, नज़दीकी रिश्तेदारी, सुदृढ़ धार्मिक संगठन तथा सहकारी विचारों आदि ने हाइड पार्क में उच्च एकीकृत समाज के निर्माण को बढ़ावा दिया है। सामूहिक आत्मीयता तथा समाजगत गौरव को लोगों में सामाजिक भाग लेने तथा नेतृत्वपूर्ण उत्तरदायित्व द्वारा लागू किया गया है। इस गाँव में शान्तिपूर्ण, पाप तथा अत्याचार से अलग वातावरण में व्यक्तियों की प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इस प्रकार बच्चों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न किया जाता है। यह गाँव संगठनों की धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से गिरजाघर के विशेष अधिकारी संघ से सम्बद्ध है। ये उनमें आत्मीयता की भावना भरते हैं। कई प्रसन्न चित्त निवासियों ने कहा कि इस समय हाइड पार्क सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ गाँव है। बाहरी व्यक्ति को यह कथन अतिशयोक्ति प्रतीत हो परन्तु श्रेष्ठता की यह गहन भावना मनोवैज्ञानिक सत्य है जो हाइड पार्क के व्यक्तियों में पाई जाती है और जो उनमें सामाजिक सहयोग तथा सामाजिक कार्य के लिए प्रेरणा उत्पन्न करती है।

१० पुनरावलोकन

इस अध्ययन का मुख्य ध्येय मार्मन गांव में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक विकास की विधियों का परीक्षण करना था, जिससे भारत में सामुदायिक विकास आंदोलन को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ नए सुझाव प्राप्त हो सकें। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:—

(क) इस गांव में माननीय विकास की प्रत्येक अवस्था–शैशव से लेकर युवावस्था और वृद्धावस्था तक की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है तथा प्रत्येक अवस्था वाले वर्ग के लिए उपयुक्त कार्यों और पाठों का प्रबन्ध किया जाता है।

(ख) इस धार्मिक संगठन के अन्तर्गत समितियों के सदस्यों को धार्मिक तथा सामाजिक शिक्षा देने के लिए आदर्श पाठों, पाठ्य पुस्तकों एवं अध्यापकों के लिए मार्ग दर्शक पुस्तकों को प्रस्तुत करने के लिए काफी विचार पूर्वक योजना बनाई जाती हैं और प्रतिवर्ष हजारों प्रतियां नई-नई पुस्तकों की छापी जाती हैं।

(ग) शिक्षा एवं मनोरंजन सम्बन्धी कार्यों में (भाषण, नाटक, नृत्य, संगीत आदि) ये कार्य पवित्र बन जाते हैं। आध्यात्मिक तत्त्व की प्रधानता के कारण वे उच्च आदर्शों की प्राप्ति में सहायक होते हैं।

(घ) शिक्षा के कार्यक्रम भी बालक के मानसिक व शारीरिक विकास की आवश्यकताओं एवं बालोचित कार्यों के अनुकूल बनाए जाते हैं। इससे व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्यायों के हल के लिए बुनियादी प्रशिक्षण एवं सामग्री प्राप्त होती है।

(ङ) शिक्षा सम्बन्धी सामुदायिक कार्यों में भाग लेने से व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है। इस सहयोग से उनमें आत्म-विश्वास, सामान्य ज्ञान, सामाजिक पटुता एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों के प्रति आस्था उतपन्न होती है।

सामाजिक सहयोग की स्थिति

इस अध्ययन के अन्तर्गत सामाजिक गतिविधि की स्थिति निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यों में भाग लेने के आधार पर निर्धारित की गई हैं।

१—एक से १० मिनट तक वार्तालाप।

२—दस या इससे अधिक मिनट की बातचीत।

३—प्रार्थना से किसी बैठक का आरम्भ तथा अन्त करना।

४—किसी कक्षा को पढ़ाना।

५—किसी वाद विवाद का नेतृत्व करना।

६—किसी गोष्ठी अथवा अधिवेशन का आयोजन करना।

७—किसी समिति का विवरण प्रस्तुत करना।

८—किसी खेल में भाग लेना।

९—किसी वाद विवाद में वक्ता से प्रश्न पूछना।

१०—कोई शारीरिक खेल खेलना।

११—कोई नृत्य करना।

१२—समूह गान।

१३—किसी वाद्य-संगीत का बजाना।

इस अध्ययन के अन्तर्गत धार्मिक, शैक्षिक, नागरिक, सामाजिक तथा मनोरंजनात्मक संस्थाओं में भाग लेने की स्थिति पर भी विचार किया गया है। क्योंकि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक विकास की मुख्य धारणा सामाजिक सहयोग है अतः उसके कुछ आधारभूत कारणों जैसेः—शिक्षा, सामाजिक स्थिति, निवास की अवधि तथा सामाजिक संतोष के सम्बन्ध पर भी अध्ययन किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि सामाजिक सहयोग का व्यक्ति, सामाजिक स्थिति, संस्थाओं के प्रति

उसके दृष्टिकोण तथा प्रसन्नता और आत्म-संतोष से गहरा सम्बन्ध है। इसके विरुद्ध सामाजिक सहयोग तथा शिक्षा. निवास की अवधि व वैवाहिक स्थिति में इतना गहरा सम्बन्ध नही दिखाई पडता।

नेतृत्व का विकास

(क) गिरजाघर में उपलब्ध पदों की सख्या इतनी अधिक है कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ कोई भी व्यक्ति उनमें से एक या कई पदों पर कार्य कर सकता है। अनेक नेतृत्वों के लिए आयु, लिंग विशेष तथा सामाजिक स्थिति बाधक नही होते।

(ख) गिरजाघर के पदों के लिए चुनाव नहीं होते। व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए सेवा कार्य सौंपा जाता है। नागरिक एवं शैक्षिक संस्थाओं में चुनाव होते है परन्तु यहां भी सर्व सम्मति से कार्य किया जाता है। यह बात भारतीय सामाजिक संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनावों से द्वेष और सघर्ष की ज्वाला भड़कती है, उससे बचने के लिए हमें संभलना होगा और चुनावों के विनाशकारी प्रभावों को कम करना होगा।

(ग) नेता लोग हर प्रकार की संस्थाओं के प्रत्एक आयु-वर्ग के व्यक्तियों का मार्ग प्रदर्शन तथा देखरेख करते हैं। गोष्ठियों, अधिवेशनों, तथा पुस्तकों द्वारा जो प्रतिवर्ष परिर्वातित तथा परिवर्धित की जाती है ये नेता अपने सेवा काल में भी उत्तम नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते है।

(घ) प्रत्एक पद वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए यह पूर्व निश्चित रहता है। कर्तव्यों, अधिकारों तथा उत्तरदायित्यों का विभाजन स्पष्ट होता है। स्थानीय कार्यो और आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती हैं। ऊपर से कोई कार्यक्रम नहीं लादा जाता है।

(ङ) अधिक संख्या में लोग गिरजाघर (८८ प्रतिशत) तथा नागरिक ८१ (प्रतिशत) उत्तरदायित्वों को पूरे उत्साह के साथ स्वीकार करते है। यह पद ग्रहण करने की उनकी तत्परता तथा सेवा भावना से प्रगट होता है। ९१ प्रतिशत लोग अपने जीवन में कभी न कभी गिरजाघर का कोई न कोई पद ग्रहण करते है तथा ४७ प्रतिशत लोग नागरिक या अन्य सस्थाओं में पद पाते है। लोगों के प्रथम पद ग्रहण करने की अवस्था सामान्यत: १५ से १८ वर्ष होती है और वृद्धावस्था तक वे एक न एक उत्तरदायित्व निभाते हैं।

सामुदायिक विकास

(क) सामुदायिक विकास योजनाओं का लक्ष्य कुछ ऐसी समस्याओं का हल करना अथवा ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करना है जिनको समुदाय के नेताओं ने अनुभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रारम्भ किया है तथा जिसमें अन्य सदस्यों ने अपनी सलाह तथा स्वेच्छा से सहयोग दिया है।

(ख) सामुदायिक विकास योजनाओं की सफलताओं का अन्य सुसंगठित संस्थाओं से गहरा सम्बन्ध है। किसी योजना की अन्तिम स्वीकृति के पूर्व व्यक्तियों के विचारों तथा परामर्शों को निश्चित रूप से समझ लिया जाता है।

(ग) सामुदायिक योजनाओं में जन साधारण के व्यापक सहयोग के कारण थोड़े से लोगों के तयार न होने से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता।

(घ) केन्द्रीय समिति द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता इन स्थानीय प्रयत्नों को बहुत सुविधा प्रदान करती है। विशेष योजनाओं में विशेषज्ञों का निर्देशन एवं परामर्श माना जाता है। परन्तु सभी योजनायें मूलतः स्वावलंबन पर आधारित होती हैं।

(ङ) अनेक कार्यों के लिए अपरोक्ष रूप से धन एकत्र किया जाता है। आन्दोलन का प्रभाव बढ़ाने के लिए पारस्परिक सहयोग, मनोरंजक आयोजनों तथा खेलकूद के टिकटों से धन का संचय किया जाता है।

(च) योजना के स्वरूप के अनुसार नेतृत्व का विभाजन तथा हस्तान्तरण होता है। सामुदायिक योजना एक क्रमिक प्रक्रिया है जिससे लोगों की बढ़ती हुई तथा नित्य बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

सामाजिक मान्यताओं को हृदयंगम करने के लिए शिक्षाः—

सहयोग तथा विकास की समर्थक मान्यताओं के प्रतिष्ठित होने से अधिकाधिक सामुदायिक विकास संभव है।

(क) मार्मन की मान्यताओं के प्रशिक्षण का आधार उनके धार्मिक दर्शन में शक्ति, ज्ञान और उनकी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को अनुशासित करने वाले दैनिक नियमों में मिलता है।

(ख) जीवन के प्रति क्रियात्मक आस्था से लोगों में धर्म-रीति, सरल जीवन, अध्यवसाय, शिक्षा, मनोरंजन एवं लोक हित के द्वारा ईश्वर भजन के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है और वे श्रेष्ठ जीवन के भागी होते हैं।

(ग) प्रत्येक कार्य लोगों की शारीरिक आवश्यकताओ तथा सामाजिक लक्ष्यो का ही फल नही है। उसके लिए आध्यात्मिक आधार की भी आवश्यकता है। मार्मन लोगो का जीवन एक नवीन सामाजिक, धार्मिक सस्कृति से अनुशासित है। इस तरह उनका दिन प्रति दिन का साधारण जीवन भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और उन्हे आध्यात्मिक और स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए प्रेरणा मिलती है।

(घ) शिक्षा तथा मनोरजन को अधिक महत्व दिया जाता है। इन मान्यताओ का आधार 'जोसेफ स्मिथ' के दो वचन है (१) ईश्वर महिमा का सबसे बडा महत्व उनका चैतन्य स्वरूप है (२) मनुष्यो का निर्माण इसीलिए हुआ है कि वे आनन्द का अनुभव करे। उन्हे जीवन के प्रति अनास्था तथा वैराग्य की शिक्षा नही दी जाती। जीवन को आनन्द युक्त बनाना ही चाहिए। यही गाव का मूलभूत सिद्धान्त है।

(ङ) हाइड पार्क जैसे मार्मन समुदाय की केन्द्रीय मान्यता का आधार उनका अगाध धार्मिक दृष्टिकोण है।

प्रेरणा —

सामाजिक सहयोग के लिए ये मान्यताये प्रेरणा देती है लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य प्रेरक शक्तियाँ भी है जिनको हम चार भागो मे बॉट सकते है।

१. व्यक्तिगत

२. पारिवारिक

३. सामाजिक

४. विशिष्ट, धार्मिक, शैक्षिक,नागरिक

यह श्रेणी विभाजन एक दूसरे से पूर्णतया अलग नही है।

१. गिरजाघर के कार्यो मे भाग लेने के कुछ व्यक्तिगत कारण है जिसे गॉव वालो ने एक प्रश्न के उत्तर के रूप मे निम्नलिखित बताया —

(क) कर्त्तव्य बुद्धि

(ख) कर्त्तव्य पूर्ति से प्राप्त आत्म-सतोष

(ग) आत्मोन्नति

(घ) सहयोग मे विश्वास

(ङ) जीवन मे सहयोग की उपादेयता पर विश्वास

(च) व्यक्तिगत रुचि

(छ) मोक्ष प्राप्ति

(ज) सहयोग की आदत

(झ) ज्ञान की प्राप्ति

२. **पारिवारिक:—**

इस क्षेत्र में लोगों की पारिवारिक अभिरुचि का कारण यह है कि वे अपने बच्चों के समक्ष एक आदर्श रखना चाहते हैं अथवा वे ऐसे वातावरण में बड़े हुए हैं जहाँ उत्तम शिक्षा का आदर्श रहता है। कभी कभी बच्चे सर्वाधिक, प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। गिरजाघर के कार्यों में भाग लेने के लिए विशिष्ट कारण विश्वास, धर्म, जिज्ञासा तथा जीवन के प्रति आस्था है।

३. **सामाजिक:—**

सामाजिक कार्यों में अभिरुचि का एक कारण मित्रों तथा सहयोगियों के साथ रहने की भावना है। अच्छा नेतृत्व, उत्तरदायित्व तथा कर्त्तव्य का आनन्द भी प्रेरणा प्रदान करता है।

४—शैक्षिक कार्यों में लोगों की अभिरुचि आत्मोन्नति, कर्त्तव्य मय जीवन की मान्यताओं के प्रति आस्था के कारण होती है। बच्चों के प्रति स्नेह तथा शिक्षाप्रद कार्यों से भी प्रेरणा मिलती है। इसमें सामाजिक सहयोग का भी मुख्य हाथ है।

५—नागरिक कार्यों में भाग लेने की मुख्य प्रेरणा है नागरिक एवं सामुदायिक उन्नति और सामाजिक सहयोग तथा नेतृत्व का अवसर। मनोरंजक कार्यों में भाग लेने का मुख्य कारण मैत्री भाव तथा मनोरंजन है।

६—इन चारों प्रकार के संगठनों में सामाजिक सहयोग में निम्नलिखित बाधायें भी पड़ती हैं पर अधिक आकर्षण प्रेरक कारणों का ही होता है।

(क) पारिवारिक जीवन में बच्चों के पालन पोषण में अधिक समय लगने के कारण सामाजिक सहयोग के लिए समय की कमी।

(ख) समुदाय के बाहर के कार्य।

(ग) ऐसे पेशे जो लोगों को अधिक समय तक व्यस्त रखते हैं।

(घ) अन्य कठिनाइयाँ।

(ङ) संकोच शीलता।

सामाजिक एकता

सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से लोगों के व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक स्तर पर इस सामाजिक दृढ़ता अथवा एकता से सहयोग की भावना पैदा होती है जिससे मेल जोल बढ़ता है।

हाइड पार्क एकता में बँधा हुआ समन्वित गाँव है। यह एकता अभिरुचि, प्रतिज्ञा, सहयोग, तथा अनुशासन से प्राप्त हुई है।

एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग से यहां की सामुदायिक योजनाओं को सहायता प्राप्त होती है। समुदाय के शत प्रतिशत लोग अपने पड़ोसियों से मैत्री रखते हैं। इसी कारण से बाहरी व्यक्ति भी हाइड पार्क गाँव को बहुत पसंद करते हैं।

गिरजाघर के सर्वोपरि संस्था के रूप में समन्वित कार्य करने के कारण और विभिन्न संगठनों की बहुमुखी सदस्यता के कारण झगड़े नहीं होते। इस एकता के कुछ आँकड़े दृष्टव्य हैं। हाइड पार्क में ८८ प्रतिशत लोग" प्रायः प्रसन्न एवं संतुष्ट" रहते है। ९९ प्रतिशत लोग सोचते हैं कि उनके लिए कार्य संचालन अच्छी तरह हुआ है। ९९ प्रतिशत लोग सोचते हैं कि उनके लिए, उनके परिवार, बच्चों के समुदाय और गिरजे के लिए भविष्य उज्जवल है। यद्यपि यहां के निवासी राष्ट्र के प्रति अधिक आशावादी नहीं हैं तो भी ८९ प्रतिशत लोग सोचते हैं कि राष्ट्र का भविष्य उज्जवल है। इस गांव पर संयुक्त राष्ट्र के राजनैतिक आन्दोलन के उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यद्यपि इस समय कोई बाहरी ख़तरा नहीं है तो भी मार्मन-निवासियों के पूर्वकालीन कष्टों और यातनाओं का प्रभाव उनकी कहानियों, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पाठों द्वारा पुनर्जीवित कर दिया गया है।

स्थान, जलवायु, भूखण्ड, धार्मिक सम्बन्ध, नेतृत्व, अपराध और बुराइयों तथा समुदाय की खुशहाली के कारण लोग इस गाँव की ओर अत्यधिक आकर्षित होते हैं। गौशाला आदि के कारण कुछ लोग गाँव को अच्छा नहीं समझते किन्तु उनकी संख्या बहुत ही कम है।

एक समन्वित धार्मिक तथा सांस्कृतिक वर्ग के रूप में हाइड पार्क के लोग इस लिए अधिक सामाजिक दृढ़ता रखते हैं कि उन्हें अपने ही समुदाय का अधिकार मानना पड़ता है विरोधी विधियों एवं मान्यताओं के कारण इनका उत्तरादयित्व अलग अलग नहीं बटा है। साल्ट लेक सिटी के चर्च अधिकारी केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, मनोरन्जनात्मक तथा शैक्षिक कार्यों के लिए भी नियम बनाते हैं। गांव वालों की धार्मिक एकता के कारण नेतृत्व के विकास तथा सामाजिक सहयोग के लिए उचित परिस्थिति उत्पन्न होती है।

अन्तर्विवाह तथा सम्बन्धों ने हाइड पार्क को एक समन्वित परिवार बना दिया है। लोगों को अपनी इस स्थिति पर अभिमान है। इसकी अन्तर्दृढ़ता के कारण बाहरी लोगों का इस गांव में आना और बिल्कुल खप जाना थोड़ा कठिन होता है। तो भी गिरजे के कार्य तथा दूसरी शिक्षा सम्बन्धी और मनोरंजनात्मक संस्थाएं इन समस्याओं को बहुत कुछ हल कर देती हैं।

११ भारत की सामाजिक अवस्था से इस अध्ययन का सम्बन्ध

भारत को सन् १९४७ में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त हुयी और सन् १९५० में वह एक सर्व प्रभुता सम्पन्न गणराज्य घोषित किया गया। संविधान में रखे गए नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार "राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा जन-कल्याण का पूर्ण प्रयत्न करेगा जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय प्राप्त हो।"

इस लक्ष्य में वैज्ञानिक आधार पर कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में गृह उद्योगों को प्रोत्साहन, लोगों के भोजन, रहन-सहन तथा स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाना, नशीली वस्तुओं का निरोध, १४ वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध एवं ग्राम-पंचायतों का संगठन इत्यादि कार्य सम्मिलित किये गये हैं।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति से भारत के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में एक रक्तहीन क्रान्ति की सम्भावना है। इसकी सफलता केवल सरकारी कार्य संचालन पर ही आधारित नहीं वरन् स्थानीय वातावरण में विकसित स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं पर भी आधारित है। समाज शिक्षा, मनोरंजन तथा सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के प्रति अभिरुचि जागृत करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इसकी ओर

योजनाकार अथवा शासक का ध्यान पहले न आकर्षित हो। परन्तु अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर जनता को प्रेरित करने के लिये ये कार्यक्रम बहुत सहायक होते हैं और इनसे जनतान्त्रिक समाज के लिए आवश्यक क्षमता तथा विचार विकसित हो सकते हैं।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संचालित कार्य व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं क्योंकि वही किसी कार्य को आरम्भ करने वाला होता है।

भारत के प्रमुख दार्शनिक और वर्तमान उप-राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने जीवन सम्बन्धी हिन्दू धारणाओं के सम्बन्ध में कहा है:—

"हिन्दू धर्म के अनुसार मनुष्य का मुख्य ध्येय व्यक्ति का विकास है। उपनिषदों के अनुसार व्यक्ति से उच्च कोई दूसरी वस्तु नहीं है। परन्तु मनुष्य केवल भौतिक तत्त्व से उत्पन्न शरीर, जीवन तथा मस्तिष्क का एकत्रित रूप नहीं है। वह प्राकृतिक व अर्ध पशु समान मानव की सत्ता को, जिससे वह अपने को भ्रम में डालता है, सम्पूर्ण अथवा वास्तविक व्यक्तित्व नहीं कह सकते।"

भारतीय दर्शन के अन्तर्गत व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन पर इतना जोर होने से वह एक एकाकी आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख हुआ।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 'डिस्कवरी आफ़ इंडिया' नामक पुस्तक में इस सम्बंध में लिखा है :—"किन्तु इस व्यक्तिवाद ने व्यक्ति के सामाजिक जीवन तथा समाज के प्रति उसके कर्त्तव्यों के महत्त्व को कम कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति के लिये जीवन विभाजित तथा निश्चित हो गया। अपने ही सीमित क्षेत्र में इस विभाजित वर्ग के अनेक कर्त्तव्य थे। समाज की वर्तमान धारणा प्रायः नवीन दृष्टिकोण पर आधारित है तथा प्राचीन युग में इसका प्रादुर्भाव न हुआ था।"

भारत की इस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं के उचित ढंग से कार्य करने का उत्तरदायित्व देश के युवकों, प्रौढ़ों तथा बच्चों के उचित प्रशिक्षण और अभिनवीकरण पर निर्भर करता है। इसलिए सामाजिक विकास के लिए व्यक्ति का विकास नितांत आवश्यक है।

मान्यता पद्धति

प्रो० मारिस एडवर्ड आपलर ने अपने सेनापुर गांव (उत्तरी भारत) के अध्ययन में निम्नलिखित मान्यताओं को समाज में प्रतिष्ठित पाया :—

१—पद-व्यवस्था और ऊँच-नीच या बड़े-छोटे का भाव

२—अनासक्ति

३—धर्म-श्रद्धा, कर्त्तव्य, नैतिकता तथा विश्वास का समन्वय ।

४—कर्म ।

जाति व्यवस्था, जो इस युग में विच्छिन्न होती जा रही है, पहले श्रम के आधार पर टिकी हुई थी । इसने बिना किसी संघर्ष के समाज को चार वर्गों में विभाजित कर दिया । बुद्धिवादी वर्ग, शासक वर्ग, कृषक व व्यवसायी तथा सेवक । बाद में जाति प्रथा में ऊँच-नीच का भाव आ गया तथा यह बहुत कठोर हो गयी और इस प्रकार समाज की एकता को स्थिर न रख सकी । संकीर्ण जातीयता की भावना हमारे समाज में इतनी दृढ़ हो गई कि भारत की संस्कृति तथा उसके पारिवारिक एवं राष्ट्रीय जीवन में भी वह व्याप्त हो गई ।

यह जाति प्रथा सामाजिक अनुशासन का मुख्य साधन है । पर आजकल वह आन्तरिक संघर्ष और द्वेष का कारण बन गई है ।

मार्मन धार्मिक संघों में अध्यक्ष, प्रधान मन्त्री, उपमन्त्री, सेक्रेटरी तथा कोषाध्यक्ष आदि होते हैं । यदि अपने देश में सामाजिक संस्थाओं का बड़े स्तर पर संगठन हो और लोगों को उसमें स्थान दिये जाएँ तो इस वर्तमान जाति प्रथा को रचनात्मक मोड़ दिया जा सकता है ।

अनासक्ति

भारतीय संस्कृति में इसका बहुत महत्त्व है । आदर्श रूप में इसका अर्थ है—"अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए जीवन की समस्याओं के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखना तथा फल की चिन्ता न करना । इसका अर्थ अकर्म नहीं है यद्यपि यह विकृत होकर पारलौकिकता की ओर उन्मुख हो गया है ।" पंडित नेहरू ने भारतीय संस्कृति का विवेचन करते हुये लिखा है :—

"भारतीय संस्कृति का मूल आधार पारलौकिकता या लोक बाह्यता नहीं था । जब दार्शनिक भाषा में संसार को माया अथवा भ्रम कहा जाता था तो यह धारणा अन्तिम नहीं थी अपितु इसका सम्बन्ध अन्तिम सत्ता से था । उन्होंने संसार को सत्य समझ कर जीवन के सौन्दर्य का उपयोग किया ।"

"भारतीय सभ्यता के प्रत्येक समुन्नत युग में जीवन में आनन्द, जीने की कला में आस्था, कला, संगीत, साहित्य, नृत्य, चित्रकला, नाटक तथा काम शास्त्र आदि में लोगों की रुचि थी । यह नहीं कहा जा सकता कि संसार को झूठा मान कर ऐसे सशक्त जीवन की रचना की जा सकती है । यह स्पष्ट है कि कोई भी संस्कृति जिसका आधार पारलौकिकता थी एक हजार वर्ष से अधिक न चल सकी । किन्तु तो भी

बहुत से लोग सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति जीवन के प्रति एक अभावात्मक दृष्टि-कोण प्रस्तुत करती है। मेरे विचार से ये दोनों सिद्धान्त सभी धर्मों और संस्कृतियों में तथा क्रिश्चियन धर्म में वर्तमान थे।"

हाइड पार्क समुदाय तथा मार्मन मान्यतायें जीवन के प्रति एक क्रियात्मक तथा आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस पर उनकी परम्परा का प्रभाव है। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जीवन के प्रति दृष्टिकोण में एक क्रान्ति हो रही है। हमें शक्ति को संगठित करके, इसका प्रयोग जीवन की मान्यताओं के अभिनवीकरण तथा उनको सजीव बनाने में लगाना चाहिए।

धर्म

धर्म के विषय में डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् का मत इस प्रकार है:—

"धर्म के माने हैं जीवन के विभिन्न कार्यो में एकता और मार्ग प्रदर्शन। यह केवल एक मत या संप्रदाय नहीं है जो सामाजिक नीति लागू करता है। यह जीवन का पूर्ण नियम तथा उस व्यक्ति की समन्वित शक्ति है जो जीवन के निर्वाह के लिए उचित तथा उप-युक्त सिद्धान्त की खोज करता है। हर व्यक्ति तथा वर्ग का, आत्मा की हर क्रिया, मस्तिष्क, तथा शरीर का अपना धर्म है। यद्यपि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उचित प्रयास करता है, जो उसके मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है, परन्तु केवल इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य नही है। मानव जीवन का सर्वोत्तम सुख प्राप्त नहीं कर सकेगा, यदि वह धर्म अथवा उचित व्यवहार के नियम का पालन नहीं करता।"

उचित व्यवहार या आचरण पर यह विशेष बल हिन्दुत्व, मार्मनवाद तथा सम्भवतः अन्य सभी धर्मों में दिया गया है। इन धर्मों में नियमों के पालन की इच्छा में अन्तर नहीं वरन् उनके प्रशिक्षण के तरीके में है। भारत में धर्म के शिक्षण के तरीके प्रभावशाली थे। पुरोहित, गुरु, सन्त तथा सन्यासी समुदाय में धार्मिक शिक्षा का प्रचार करते थे। वे जनता में धर्म के प्रति जानकारी बढ़ाते थे। धीरे-धीरे यह व्यवस्था कमजोर हो गई और धर्म एक विस्तृत परन्तु अस्पष्ट धारणा मात्र रह गया है।

मार्मन समाज के अध्ययन से यह पता चलता है कि धार्मिक शिक्षाओं के व्यापक और सुनियोजित विधियों द्वारा धार्मिक मान्यताएँ प्रभावशाली ढंग से लोगों के मन में बैठाई जा सकती हैं। भारत के ग्रामीण समाज में इस प्रकार का नियमित संगठन कहाँ तक प्रभावशाली हो सकता है इस अनुसंधानपूर्ण कार्यक्रम के लिए पूर्णरूप से निश्चित कार्यवाही की आवश्यकता है। एक प्रजातांत्रिक कल्याणकारी राज्य में सभी

वर्णों तथा अवस्थाओं के सदस्यों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए हमें नियम बनाना पड़ेगा। इसके लिए अव्यवस्थित तरीके अपनाने या जल्दबाजी करने से आपसी झगड़े हो सकते हैं। इसलिए शिक्षण तथा संगठन का अच्छा तरीका अपनाना पड़ेगा जो सभी नागरिकों में सामाजिक अव्यवस्था पैदा किए बिना शिक्षण प्रधान सुविधाएँ प्रदान करने में प्रोत्साहन देगा।

कई जातियों या उप जातियों से भरे हुए भारतीय समाज में कहाँ तक व्यवस्थित धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रबन्ध होना सम्भव है इस दिशा में महात्मा गाँधी ने मार्ग प्रदर्शित किया है। संसार के एक सबसे बड़े व्यक्ति ने अपने धर्म का निर्वाह किया। उन्होने सब धर्मों की चुनी हुई बातें संध्या तथा प्रातः की प्रार्थनाओं में सम्मिलित किया। गांधी जी ने कहा—"इसके बावजूद कि मैं कट्टर हिन्दू हूँ,मैं ईसाई मुस्लिम तथा जोरास्ट्रियन शिक्षाओं में भी विश्वास करता हूँ और इसलिए मेरे हिन्दुत्व के सम्बन्ध में कुछ भ्रम नहीं होना चाहिये। मेरा विश्वास विस्तृत है जो ईसाइयों, 'प्लाइमाउथ ब्रदर' तथा मुसलमानों के विश्वासों के विपरीत नहीं है। सहनशीलता के विस्तृत विश्वास पर यह आधारित है। मैं किसी व्यक्ति के आचरण की आलोचना करने से इन्कार करता हूँ क्योंकि मैं उसके आचरण को उसके निजी विचारों की पृष्ठ भूमि में देखता हूँ।

गांधी जी का सिद्धान्त एक ऐसा पहलू है जिसमें धार्मिक सत्य तथा धर्म निर-पेक्षता मिलती है। उनके सिद्धान्तों के प्रसार तथा उनके धार्मिक मतों तथा तरीकों को अख्तियार करने में मनुष्य, स्त्रियाँ तथा बच्चे सभी भाग ले सकते हैं चाहे वह जिस आयु, वर्ग या जाति के हों। गांधी जी केवल अन्य धर्मों को सहन ही नहीं करते थे परन्तु उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। उन्होंने कहा :—

"आज मान लें मैं गीता से अलग हो जाऊँ और उसके सभी प्रसंगों को भूल जाऊँ और बाइबिल को ले लूं तो भी मुझे उतना ही आनन्द मिलेगा जितना गीता में।"

महात्मा जी ने कहा था.

"मैं मुसलिम धर्म में विश्वास करता हूँ कि वह जैसे इसाई धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिन्दू धर्म में शान्ति की बातें हैं वैसे ही इसमें है। कोई शक नहीं कि उनमें थोड़ा सा अन्तर है परन्तु इन धर्मों का ध्येय शान्ति ही है।"

गांधीवाद की स्थापना हेतु भारत में धार्मिक सिद्धान्तों का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। तब धर्म कदाचित जीवन के साथ अधिक समन्वित और सजीव हो जाय जैसा अपने मतानुयायियों के लिए मार्मन गिरजाघर में है।

कर्म

कर्म के अर्थ हैं कार्य। साधारण व्यवहार में इसका सम्मिलित अर्थ है व्यक्तिगत कार्य तथा भाग्य। पं० जवाहर लाल नेहरू ने इसके विषय में कहा है:—

"अपने कार्यों द्वारा व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय वर्ग अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। ये पुरातन कार्य नवीन कार्यों के लिए मार्ग प्रदर्शित करते हैं और आज जो कार्य होते हैं वे ही भविष्य का निर्माण करते हैं। भारत में कर्म के बारे में जो धारणायें हैं वे मूलतः कारण तथा उसके प्रभाव के नियम पर आधारित हैं जो हमारे पुरातन कार्यों के आधार पर हमारा भविष्य बनाते हैं। यह धारणा अपरिवर्तनशील भाग्य से सम्बन्धित नहीं है और कई अन्य बातें भी उसे प्रभावित करती हैं और ऐसा विश्वास कि मनुष्य का भाग्य भी कुछ कार्य करता है। अगर पुरातन कार्यों के नतीजों को बदलने की स्वतंत्रता न होती तो हम निश्चित रूप से अपरिवर्तनशील भाग्य की लौह जंजीरों में जकड़ जाते।

विदेशी राज्य के ऐतिहासिक वातावरण के प्रभाव तथा उसके बाद की शताब्दियों ने कर्म के अर्थ में अन्तर ला दिया। आज भारत में बहुत से लोग कर्म के नियम में विश्वास करते हैं कि वह पुराने कार्यों का नहीं वरन् जीवन के पूर्व के (पूर्व जन्म के) कार्यों का फल है। यह मजबूरी की दशा से बचने का तरीका है तथा व्यक्ति के अहं को बचाने में मदद करता है। डा० आप्लर ने कर्म तथा धर्म में इस प्रकार का सम्बन्ध बताया है।

"पाश्चात्य सभ्यता के अधिकतर लोग कर्म के इस सिद्धान्त के विरुद्ध हैं और इसे निराशावादी कहकर अस्वीकृत कर देते हैं। वे इस विचार का खण्डन करते हैं कि मनुष्य की पुरानी जिन्दगी के कार्य उसके वर्तमान वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्म हिन्दुओं को वर्तमान का अर्थ बताता है उन्नति नहीं रोकता। यदि वर्तमान तथा भविष्य के कार्य धार्मिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत कर्तव्यों (धर्म) के अनुरूप हों; तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए, धर्म का सिद्धान्त (उचित कार्य करने का गुण) कर्म के निराशावादी भाव को कम कर देता है।

सच तो यह है कि मार्मन सिद्धान्त यह बताता है कि पुरातन कर्म वर्तमान को प्रभावित करते हैं। परन्तु साथ ही वर्तमान कार्य भविष्य पर प्रभाव डालते हैं यद्यपि धर्मावलम्बी व्यक्ति पुराने प्रभावों में विश्वास करते हैं तथापि उनकी आखें सदा भविष्य की ओर रहती हैं।

लेखक ने भारत के गांवों के लोगों के साथ १० वर्ष तक निकटतम सम्पर्क में

रहकर कार्य किया है अतः उसने यह देखा है कि पूर्वजन्म तथा भाग्यवादी दृष्टिकोण और विश्वास बहुत तेजी से गायब हो रहे हैं।

लेखक का यह मत है कि आर्थिक, शैक्षिक, तथा सांस्कृतिक कार्यों में कर्म को उसका प्राचीन स्वरूप देते हुए गतिवान बनाना चाहिए। उचित प्रकार के सामाजिक कार्यों तथा साधारण एवं उच्च स्तरीय कार्यक्रमों द्वारा कर्म के असली स्वरूप को सामने रखने का प्रयास करना चाहिए।

मार्मेन मान्यता पद्धति में स्वास्थ्य शिक्षा, मनोरंजन सम्बन्धी विचार आशावादी अर्थ में, कर्म से सम्बद्ध हैं। भारत के पुरातन धर्मों में तथा उसकी नई नीति में, शिक्षा पर पर्याप्त बल दिया गया है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक अर्थों में ही केवल इस शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना न था वरन् तत्वप्रधान अर्थों में भी इसका लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति थी। इस शरीर को ईश्वर का मन्दिर माना गया है और स्वस्थ शरीर सभी धर्मों का प्राथमिक साधन है। मनोरंजन का भी यहां मूल्यांकन किया गया है इसलिए खेल तथा अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम विशेष रूप से धर्म तथा लोक संगीत में पाए जाते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन की आधुनिक प्रक्रियाओं में भारत के गावों में सामाजिक व्यवस्था बहुत बढ़ गई है। देश में आत्म-अभिव्यक्ति के पुराने माध्यम तथा तरीके कमजोर पड़ गए हैं और अभी तक नए तरीके उचित रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं। फिर भी मेले तथा पर्व त्यौहार और उत्सव संस्कृति के संवहन के महत्वपूर्ण माध्यम है।

भारत की अधिकांश धार्मिक मान्यताएं मार्मेन सिद्धान्त से बिलकुल मेल खाती हैं। जैसे इस जीवन के बाद में जीवन की धारणा सदैव के लिए विवाह करना तथा लम्बे कुटुम्ब के प्रति आदर भाव रखना।

सामाजिक प्रेरणा

सामाजिक पुनर्गठन में सामाजिक सहयोग एक आवश्यक अंग है। भारत के गावों में काफी अनौपचारिक अथवा अर्ध औपचारिक सामाजिक सहयोग मिलता है। जनतांत्रिक संस्थाओं की प्रगति के लिए तथा पंच वर्षीय योजनाओं के लिए हमें सक्रिय सामाजिक सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए तदनुकूल मान्यताओं की स्थापना आवश्यक है।

भारत में आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए एक आवश्यक प्रेरणा राजनीतिक स्वतंत्रता का आभास है इसने अधिकांश व्यक्तियों में उन्नति का भाव तथा नया जोश उत्पन्न किया है। प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू का कहना है:—

हमारे आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे अब पुराने हो गए हैं, इसलिए यह अनिवार्य

हो गया है कि हम उन्हें नए जमाने की मांग के अनुसार ढालें ताकि वे हमारे देश-वासियों में खुशहाली ला सकें। हमें निश्चित रूप से सामाजिक नीति की ओर अपना लक्ष्य रखना होगा जो इस ढांचे में प्राथमिक परिवर्तन ला सके। समाज में व्यक्तिगत लाभ की धारणा तथा व्यक्तिगत लोभ से प्रभावित कार्यों का समावेश नहीं होना चाहिए। हमें राजनीतिक तथा आर्थिक साधनों का बराबर बटवारा करना है। हमें वर्ग रहित समाज की ओर लक्ष्य करना चाहिए जो सहयोग के प्रयासों पर आधारित हो और जिसमें सबके लिए समान अवसर मिलता हो। इसे समझने के लिए हमें जन-तान्त्रिक और शांति पूर्ण तरीके अपनाने पड़ेंगें।

इस समय समस्या यह है कि जनतांत्रिक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील भारत का, जिसमें भारत के अधिकांश व्यक्ति भाग ले सकें, किस प्रकार निर्माण किया जाय।

भारत में कार्य करने की प्रेरणा जो पिछले पृष्ठों में बतायी जा चुकी है व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं संयुक्त परिवार तथा कुटुम्ब सम्बन्धी विषयों तक ही सीमित है। विस्तृत सामाजिक जीवन की प्रेरणा विदेशी शासन की कठोरता के कारण जीवित नहीं रह सकी। शैक्षिक, नागरिक अथवा मनोरंजन प्रधान कार्यक्रमों तथा संगठनों को संगठित रूप में लाने के लिए कोई प्रेरणा या इस दिशा में प्रगति करने के लिए कोइ सम्भावनाएं नहीं थी। अब इस भूल प्रेरणा में प्रगति हुई है, परन्तु वर्तमान की अपेक्षा इसे अधिक प्रभाव युक्त बनाना है।

समाज-शिक्षा के विभिन्न निश्चित आयोजनों को चलाने वाले संगठनों तथा संस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता है। पुरस्कार, प्रोत्साहन और प्रेरणा के विस्तृत तरीके अपनाए जाने चाहिए। फिर भी प्रतियोगिता को सीमा के अन्दर ही रखना पड़ेगा ताकि वे आपसी संघर्ष को जन्म न दें। एक बार सामाजिक सहयोग बढ़ने पर अपने आप ही अन्य सामाजिक सहयोग के लिए प्रेरणा मिलेगी। बढ़े हुए सहयोग पूर्ण सामाजिक सम्बन्धों से उपयुक्त भावना का निर्माण होगा। हर व्यक्ति को भारत में नए जीवन के विकास के लिए सजग रहना चाहिए। भारत में सामुदायिक विकास खण्डों की स्थापना से इस ओर प्रगति आरम्भ हो गई है। परन्तु केवल खाद्य-अभियान आरम्भ होने के बजाय उनके कार्यक्रम इन मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित होने चाहिए। सहयोग की प्रेरणा व्यक्ति के अन्तःकरण से आनी चाहिए। ऐसी सामाजिक स्थिति उपयुक्त हो सकती है जब यह भावना प्रभावशाली रूप में सम्मुख आ सके।

सामाजिक संस्थाएं

विचार संवहन के माध्यम के रूप में भारत के गांव में तीन प्रमुख संस्थाएं हैं–संयुक्त

परिवार, 'घराना' तथा जाति। बहुत से गरीब गावों में प्राथमिक पाठशालाएं हैं। कुछ में मंदिर हैं पर उनमें सुसंगठित धर्म शिक्षक नहीं हैं। ब्राह्मण जाति शुद्ध धार्मिक कार्यों की रक्षा करती है। गावों की रक्षा सम्बन्धी या नागरिक जिम्मेदारियां पहले जमींदार या क्षत्रियों के पास थीं। कभी-कभी लोग गाँव पंचायत द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते थे। कृषि उनका प्रधान व्यवसाय है। गांवों में कुछ कुम्हार, लोहार तथा बढ़ई अपने पूर्व पेशे को अपनाए हुए हैं। गांवों में अन्य कुशल व्यवसाय जैसे बुनाई तथा छपाई धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं।

गांव पंचायतें तथा सहकारी समितियां गांव समाज के दो सामान्य संगठन हैं।

गांव पंचायतों के पास विस्तृत अधिकार, कर्तव्य और कार्यक्रम रहते हैं। १९४७ के उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार गांव पंचायत का कर्तव्य निम्न कार्यों का संचालन करना है :—

१—निर्माण, मरम्मत, सफाई तथा गांवों की सड़कों पर प्रकाश

२—सफाई तथा संक्रामक बीमारी से बचाने का प्रयास

३—लड़के तथा लड़कियों के लिए प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना

४—प्रसूति व्यवस्था तथा बाल कल्याण

५—पुस्तकालय या वाचनालय की स्थापना

६—पारस्परिक मेल-जोल बढ़ाने तथा विभिन्न जातियों में सामाजिक एकता उत्पन्न करने के लिए संस्थाओं का निर्माण

७—नई पुलियों व पुलों का निर्माण तथा किसी सड़क को चौड़ा, व मरम्मत करना

यह संस्था धीरे-धीरे असली सामाजिक संस्था के रूप में विकसित हो रही है। यद्यपि पंचायत धार्मिक संस्था से सम्बद्ध नहीं है, फिर भी यह भारत के गांवों की प्राचीन और परम्परागत संस्था है। ऊपर लिखे सभी कार्यों को अलग-अलग करने के लिए अलग-अलग उप-समितियाँ बनाई जाती हैं। अधिकांश ग्राम सभाओं में इन संस्थाओं ने अधिक प्रभावशाली रूप में कार्य नहीं किया है। परन्तु भारत के गांवों में सुचारु रूप से कार्य करने के लिए इन गांव पंचायतों का विकास और सुधार किया जा सकता है ताकि इन में सच्चा जीवन डाला जा सके।

हमारे हाइड पार्क के अध्ययन से यह मालूम होता है कि उचित जीवन स्तर, स्थानीय संस्थाओं और सहायक संगठन द्वारा मूल-भूत प्रजातंत्र की स्थापना की जा सकती है।

गांव पंचायत के लिए स्थानीय कार्य कर्ताओं का औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रशिक्षण आवश्यक है। अनुभव तथा मार्ग प्रदर्शन, सामाजिक सहयोग के सबसे प्रभावशाली माध्यम हैं और इनका प्रयोग नेताओं को प्रशिक्षण देने में किया जाना चाहिए। आरम्भ में कुछ उप-समितियों का संगठन अधिक उचित होगा। अन्य समितियाँ तभी खोली जायं जब आवश्यकता महसूस हो। साथ ही नेताओं को विशेष कार्यों में प्रशिक्षित किया जाय और उन्हें अपने कंधों पर अधिक जिम्मेदारी लेने तथा कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

गांव वालों को कर्ज देने के लिए सहकारी समितियाँ खोली गई हैं, जिसमें गांवों के विकास के सहकारी प्रयास सन्निहित है, अलबत्ता वे अपने प्रयासों में अभी तक सफल नहीं हो सकी हैं। परन्तु यदि उन्हें गांव पंचायतों से सम्बद्ध कर दिया जाय और यदि सहयोग के तरीके अपना कर शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम चलाये जाँय तो वे अधिक सफल हो सकती हैं।

पंचायतराज ऐक्ट में निर्धारित कार्यों में गांव के नागरिक और प्रशासकीय जीवन पर विशेष बल दिया गया है, परन्तु उनमें संस्कृत, शिक्षा तथा मनोरंजन प्रधान कार्यों पर बल नहीं दिया गया है। नेतृत्व का विकास उप-समितियों तथा उनकी शाखाओं की निश्चित क्रियाशीलता, विश्वास तथा आशा पर ही निर्भर नहीं वरन उचित शिक्षा, क्रिया-कलाप तथा शैक्षिक और मनोरंजन प्रधान कार्यक्रमों पर भी आधारित है। ऐसे कार्यक्रमों का प्रयोग जिसमें अधिक व्यक्तियों का सहयोग हो समुदाय में किया जाना चाहिए। संगठन अथवा उप-समितियों का प्रसार, संचार के तरीकों के रूप में होना चाहिए जिससे नये विचार तथा आदर्श एवं नए कार्यक्रम तथा लक्ष्य पूरे हो सकें।

नेतृत्व का विकास

गांवों में नेतृत्व परम्परागत होता था। उच्च कुलीन सबसे बड़ा जमींदार इसमें सबसे अधिक भाग लेता था। नेतृत्व में आयु भी एक आवश्यक अंग है।

भारत में ब्रिटिश सरकार ने मुखिया नियुक्त किये जो पुलिस को शान्ति स्थापना में सहायता पहुँचा सके। वे ज़िले के उच्च अधिकारियों द्वारा चुने जाते थे। वे पूर्ण रूप से पैत्रिक नहीं थे पर यदि एक मुखिया मर जाता तो चुनाव के लिए उसका पुत्र ही उपयुक्त समझा जाता था। गांव की पंचायतों में एक चौधरी भी होता था।

अब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया है। राष्ट्रीय सरकार ने मुखिया के पद को हटा दिया है, यद्यपि किन्ही राज्यों में नई पंचायतों के अध्यक्ष को भी मुखिया ही

कहते हैं। अब गांव के वयस्कों द्वारा चुने हुये लोगों की एक कार्य कारिणी समिति गांव पंचायत के रूप में स्थापित की गई है। इसमें २५-३० सदस्य तथा ये अधिकारी होते हैं:— प्रधान (अध्यक्ष) पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी, उप प्रधान (उपाध्यक्ष) तथा विभिन्न ९ समितियों के चेयरमैन। इनका कार्य सीमित रहा है। चार या पांच पंचायतों के लिए एक वैतनिक मन्त्री या सचिव रखा जाता है।

स्कूलों के अध्यापक, पुजारी या महन्त तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्ति इन संस्थाओं के स्थानीय नेता चुने जाते हैं। स्कूल के अध्यापकों का प्रभाव कम हो गया है। आधुनिक शिक्षा तथा धार्मिक सत्व के कारण महन्तों या पंडितों की महत्ता भी घट गई है।

राजनीतिक स्वतन्त्रता के आर्थिक और सामाजिक कार्यकलापों के बढ़ने के साथ ही गांवों में नेतृत्व का ढांचा काफी सीमा तक बदल गया है। श्री रुद्रदत्त सिंह ने सेनापुर गांव के विश्लेषण में लिखा है:—

"कुछ प्राथमिक संगठन जैसे जमींदारी तथा जाति प्रधान वर्गों में आकस्मिक और शीघ्र परिवर्तन होने के कारण गांव पंचायतों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया है। इससे मतदाताओं में काफी संघर्ष उत्पन्न हो गया है। उनमें से अधिकाँश ने उसका अर्थ नही समझा और गांव पंचायतों का महत्व न जान सके। इसलिए सन् १९४९ में गांव पंचायतों के चुनाव में ग्रामीणों ने अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई। निम्नवर्गीय व्यक्तियों तथा काश्तकारों ने, जमींदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और अपने पक्ष में रहने वाले व्यक्तियों को चुनकर गाँव पंचायत का निर्माण किया।

१९५५ के पिछले पंचायत निर्वाचन में जनता ने उचित नेतृत्व के चुनाव में अपनी बुद्धिमता का प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सामुदायिक विकास खण्डों के लिए अब विभिन्न प्रकार के कार्यकारी नेतृत्व की आवश्यकता अनुभव होने लगी है।

हाइड पार्क के हमारे अध्ययन से स्पष्ट है कि भारतीय ग्रामों में नेतृत्व का विकास अब भी अपर्याप्त है।

हाइड पार्क में नेतृत्व के अध्ययन से स्पष्ट है कि दो दलों के मध्य चुनाव न होना चाहिए। आयु, आचरण तथा जनतान्त्रिक चुनाव के आधार पर नेतृत्व का चुनाव परम्परागत भारतीय नेतृत्व का आधार होना चाहिए।

इसके लिए आवश्यक है कि स्थानापन्न नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाय और अनुभवी नेताओं के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाय। चुनाव के

लिए कुछ शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित कर देनी चाहिए। नेतृत्व के विकास का सरलतम तरीका यह है कि पुराने नेताओं को अधिकार दिये जांय कि वे आत्म—विश्वास तथा जनता के सहयोग से इस उत्तरदायित्व को ग्रहण करें और मौके पर मार्ग प्रदर्शन प्राप्त करें।

परम्परागत नेतृत्व का प्रयोग सावधानीसे होना चाहिए। नवीन जनतांत्रिक संस्थाओं की भांति उनका प्रयोग न किया जाना चाहिए क्योंकि इससे अनुभवों तथा बुद्धि की हानि होगी। जहां नेतृत्व की कमी पहले से ही वर्तमान है वहाँ उच्च सामाजिक विचारों द्वारा नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तभी आवश्यक पहल प्राप्त की जा सकती है, सद्प्रयास हो सकता है और अनुगामियों का आदर प्राप्त किया जा सकता है।

सामाजिक एकता

ग्राम समाज में अन्तर्जातीय तथा अर्न्तकुटुम्बीय सहयोग होता है। आर्थिक तथा रीति रिवाजों के मार्ग में सामाजिक प्रणाली में सहयोग होना चाहिए। आपसी लेन देन के सुचारु रूप से चलने पर सामुदायिक जीवन के अनेक पहलू निर्भर हैं। इन सांस्कृतिक बंधनों के अतिरिक्त सामाजिक संस्थाओं और अन्य संगठनों को ऐच्छिक सहयोग दिया जा सकता है।

लगातार सहयोग की परम्परा के बावजूद नए सामाजिक गठनों ने काफी सीमा तक झगड़े और तनातनी पैदा कर दी है। सोनबरसा गांव के अध्ययन से स्पष्ट है कि किस प्रकार चमारों (निम्न अछूत जाति) ने ग्राम पंचायत के चुनाव को तिरस्कृत किया जिससे आपसी मनमुटाव के अनेक झगड़े पैदा हो गए। जाति प्रथा के कारण अनेक झगंड़ों की सम्भावना है। परिस्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है:—

सामान्य नवचेतना के लिए गांव पंचायतों या उसकी उप-समितियों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम संगठित हो सकते हैं। लेखक ने भारत के ग्रामीण समाज में अपने १० वर्ष के जीवन में सबसे अधिक प्रभावपूर्ण तथा एकता पूर्ण बात समुदाय तथा इच्छित निर्माणों के प्रति सामुदायिक कार्य की प्रक्रिया पाई है।

आचरण सम्बन्धी नए नियमों द्वारा समाजगत भावनाएँ जगाई जा सकती हैं जिस पर ग्रामीण गर्व कर सकते हैं। इससे जनता गांवों को पसन्द करेगी। इसके अर्थ हैं रोजगारी की शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाएँ देना जिससे होशियार नवयुवकों का गांवों से शहर जाना खतम हो जाय।

परम्परागत सहयोग पुन: स्थापित किया जाना चाहिए। स्थानीय ग्रामीण नेताओं को सामाजिक एकता समझाने के लिए ऐसे विशेष कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए

उन्हें अपने गांवों के कल्याण के लिए भी सहयोग देना चाहिए। साथ ही गांवों के कल्याण के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा के नए आधार पर लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए।

बाहरी संकट, यदि अधिक भयावह न हों तो वर्ग में एकता लाने में सहायक होंगे। खेलों के मैच या अच्छी अन्तर्ग्रामीय प्रतियोगिताएँ भारतीय ग्राम समाज में एकता स्थापित करने में सहायक होंगी।

१२ भारत के सामुदायिक विकास के लिए इस अध्ययन की उपादेयता

अपने देश में सन् १९५२ में पहली पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ हुआ। इसका उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का पालन करना था। सामुदायिक विकास के उद्देश्यों का सार हम संक्षेप में यहाँ दे रहे हैं:—

१. गांव के लोगों की व्यापक बेकारी को कम करके उन्हें पूरी तौर से रोजगार देना।

२. खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए गांव वालों को सहायता व सलाह देना।

३. सहकारिता के सिद्धान्तों का अधिकाधिक प्रसार और लोगों को ऋण पाने के योग्य बनाना।

४. पूरे समुदाय के लिए लाभप्रद योजनाओं जसे सड़क, तालाब, कुआँ, स्कूल और सामुदायिक केन्द्र का निर्माण आदि।

इस कार्यक्रम का झुकाव अधिकतर आर्थिक विकास की ओर है। सामुदायिक निर्माण के कार्य को कुछ महत्व तो दिया गया है, पर उसके साथ सामुदायिक विकास की सामाजिक प्रक्रिया पर दृष्टि नहीं रक्खी गई है।

राष्ट्र के नेता चाहते हैं कि यह कार्यक्रम जो जनता के सहयोग द्वारा सम्पन्न होने वाले सरकारी कार्यक्रम के रूप में आरम्भ हुआ था अब सरकार के सहयोग द्वारा पूर्ण होने वाला जनता का कार्यक्रम बन जाये। यही नहीं, वे यह चाहते हैं कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण (Democratic Decentralization) द्वारा नियोजन और विकास का सारा कार्यक्रम जनता के ही हाथों में सौंप दिया जाय। इस दृष्टि से कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्वत: संचालित और आत्म-विकसित कार्यक्रम बन जाय। हमारा सुझाव है कि—

१. सामुदायिक विकास के उद्देश्यों में संशोधन किया जाय और जनता के सर्वतोमुखी विकास को दृष्टि में रखते हुए भी व्यक्ति के विकास को आवश्यक महत्व दिया जाय, ताकि उसका समाज के साथ ठीक समन्वय हो और उसका सामाजिक सम्पर्क और सहयोग बढ़े।

२. कार्यक्रम का उद्देश्य हो कि गांव या ग्राम समूह का संगठन नये आधार पर हो तथा अवस्था और लिंग भेद के आधार पर छोटे-छोटे समूह बनाये जांय, जिनके माध्यम से समाज-शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के कार्यक्रम संगठित किये जायँ।

३. इसके अतिरिक्त प्रौढ़ों की आर्थिक, नागरिक और सामाजिक आवश्यकताओं और उनकी विशेष रुचि के अनुकूल उनके संगठन बनाने के प्रयास किये जायँ।

४. आर्थिक विकास पर आज जो बल दिया जा रहा है वह आज की परि-स्थिति में अनिवार्य है, परन्तु सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं है—इसलिये स्वास्थ्य, शिक्षा, निरक्षरता उन्मूलन और समाज शिक्षा पर आवश्यक बल देना चाहिए, ताकि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये लोगों के मन में प्रेरणा हो।

५. इन उद्देश्यों की प्राप्ति का कोई न कोई नैतिक और आध्यात्मिक आधार होना चाहिये जिससे उक्त प्रेरणा स्थायी हो सके। राज्य की धर्मनिरपेक्षता के कारण लोगों को स्थानीय जनता के नैतिक या आध्यात्मिक उद्देश्यों के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिये।

व्यक्तिगत विकास—भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सामुदायिक बहुजनापेक्ष या सामूहिक कार्यों पर विशेष बल दिया गया है। परन्तु संकीर्ण व्यक्ति-वादी नेता या जनता इन कार्यों में पूरी तरह भाग नहीं ले पाती, क्योंकि लोग अपनी व्यक्तिवादी परिधि से बाहर नहीं निकल पाते। योजना आयोग के भूतपूर्व उपाध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया था कि योजना की बुनियादी इकाई परिवार हो, पर यह

विचार कार्यान्वित नहीं हो सका। औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से काम करने की आवश्यकता का महत्व सभी समझते हैं पर अपने गांवों में औपचारिक संगठन अभी पूर्णत: विकसित नहीं हो पाये हैं, जिससे संकीर्ण व्यक्तिवाद की बुराइयां समाप्त हो सके।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधिकारी और कर्मचारी व्यक्ति विशेष की खेती के विकास की बातें करते हैं पर केवल यही सही अर्थों में व्यक्ति के विकास की बात नहीं। व्यक्तिगत विकास का हमारा अर्थ यह है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रत्येक अवस्था-क्रम पर लगातार प्रशिक्षण मिलता रहे ताकि वह विशेष सामाजिक कुशलता और सामाजिक समन्वय प्राप्त कर सके। यह प्रशिक्षण बाल्यावस्था के आरम्भ से ही होना चाहिये और प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था तक चलता रहना चाहिए, जैसे मार्मन गाँव के पारस्परिक विकास संघों में होता है। इसके लिये काफ़ी नियोजन और तैयारी की जरूरत है ताकि भारतीय संस्कृति के एकान्तवाद में सिकुड़ा हुआ व्यक्तित्व विकसित हो सके।

शिक्षा संस्थाओं में बालक की सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। नागरिक संस्थाओं की बाल समितियों को ऐसा कार्यक्रम लेना चाहिये, जैसा हाइड पार्क की प्राइमरी एसोसियेशन के लोग करते हैं। सप्ताह में दो या तीन बार छोटे छोटे समूहों को ऐसे कार्यों में प्रासिक्षण की सुविधा मिलनी चाहिये और पक्ष या मास में एक बार पूरे गांव के लोगों को सामाजिक मिलन का सुअवसर संगठित करना चाहिये।

ये कार्यक्रम व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संगठित करना चाहिये। विशेष पाठ के साथ तदनुरूप व्यावहारिक शिक्षा देनी चाहिये। अपने समूह में सहयोग और बाहर के समूह से स्वस्थ प्रतियोगिता द्वारा लोगों में एकता और प्रयत्नशीलता की भावना भरनी चाहिये।

मान्यता पद्धति

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को चाहिये कि वे जनता की मान्यताओं को अच्छी तरह समझें और उनके अनुसार कार्य की पद्धतियां विकसित करें। उनका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये:—

१.ऊँच नीच के भाव पर आधारित परम्परा का उपयोग सुनियोजित संस्थाओं के रूप में करें, जिनमें मंत्री, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष, आदि के पद हों जिनका उत्तरदायित्व संभालने में लोग गौरव का अनुभव करें।

२.उच्च सामाजिक स्तर के लोगों को यथेष्ट सम्मान दें, पर नीचे के स्तर के लोगों

के प्रति भी उतनी ही सहानुभूति और आदर भावना रक्खें ताकि ऊँच नीच का अंतर क्रमशः समाप्त हो जाय।

३—भौतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक उन्नति के लिये मान्य प्रेरणा के साथ साँस्कृतिक मान्यता वाले विषयों को जोड़ा जाय और लोगों की उदासीनता और अनासक्ति को विश्वासपूर्ण भावना में बदल दिया जाय।

४—सामुदायिक विकास कार्यक्रम में नैतिक, आध्यात्मिक मान्यताओं का समावेश हो और इसके लिए कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को उचित प्रशिक्षण दिया जाय।

५—धार्मिक परन्तु असम्प्रदायिक विषयों के माध्यम से जनता के साथ निकट संपर्क रक्खा जाय।

६—आरंभिक कार्यक्रम सादा हो और बाद का कार्यक्रम क्रमशः कठिन होता जाय, ताकि आरम्भिक सफलता से लोगों का उत्साह और आत्म विश्वास बढ़े।

७—धीरे धीरे सक्रिय सफलता से लोगों में प्रचलित निराशा और भाग्यवाद समाप्त होना चाहिये। कुछ कार्यकर्ता जनता की धार्मिक भावनाओं के प्रति उदासीन हो सकते हैं पर उनका व्यक्तिगत विश्वास चाहे जो भी हो, जनता के धार्मिक दृष्टि कोण को समझकर ही उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जनता के विश्वासों के प्रति उदासीनता से प्रतिक्रियावादी शक्तियों को मौका मिलता है कि वे तरह तरह की विरोधी बातें करें — बुद्धिमानी से इस प्रवाह में मोड़ देना अधिक लाभ प्रद होगा।

प्रेरणा—

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के निरंतर विकास के लिए यह आवश्यक है कि इस कार्य से सम्बंधित सभी व्यक्तियों के हृदय में बराबर उत्साह और कार्य की प्रेरणा बनी रहे।

गांव वालों में प्रतिस्पर्द्धा का दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करना चाहिये। इसके लिए पुरस्कार देने और सम्मानित करने का प्रयास करना चाहिए।

इस अध्ययन से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि स्थानीय हर एक स्तर के व्यक्ति किसान, गृहिणी, स्थानीय नेता तथा सरकारी कार्यकर्त्ता को प्रोत्साहन देना चाहिये। प्रतियोगिता, सफल लोगों के नाम का प्रकाशन, सम्मान पदक, पुरस्कार प्रमाण पत्र आदि से लोगों का उत्साह बढ़ाने में सहायता मिलती है। परन्तु यह ध्यान रहे कि बहुत अधिक प्रोत्साहन प्रलोभन का रूप धारण कर लेता है और उससे व्यक्ति या समुदाय की स्वाभाविक प्रगति में बाधा पड़ती है। इसलिए उचित दृष्टिकोण, विश्वास और मान्यताओं को विकसित करने पर जोर देना चाहिये।

सामुदायिक कार्यक्रम में अधिक भाग लेने से सामजिक स्वीकृति, सम्मान और यश की अनुभूति होती है और इससे मौलिक सुरक्षा-भावना का विकास होता है। भारत के विकास के काम पर आज सारे संसार की दृष्टि है, यह समझाना चाहिये। साथ ही यह भी बताना चाहिये कि विकास कार्य में तेज़ प्रगति न होने पर देश की अर्जित स्वतंत्रता ख़तरे में पड़ सकती है।

समाज संगठन और विचार प्रवाह

गांवों में पंचायतें और सहकारी समितियाँ ही औपचारिक सामाजिक संगठन हैं। स्कूल और गांव के संगठनों में अभी समन्वय नहीं हुआ है। अधिकांश कार्य और विचार अभी तक सम्मानित प्रभावशाली व्यक्ति ही करते हैं।

हम हाइड पार्क के अध्ययन से इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सामुदायिक विकास का कार्य अधिकांश औपचारिक सामाजिक संगठनों के माध्यम से होना चाहिये। सरकारी सहायता से प्रेरित और व्यक्तियों द्वारा संचालित काम स्थायी नहीं हो सकते। इसलिये सामूहिक कार्यों को संगठनों के माध्यम से करना चाहिये। संगठनों का विकास स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिये। पंचायतों की विशेष उद्देश्यमूलक उप-समितियां यदि सक्रिय बनाई जा सकें तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। संगठनों में पदों तथा कर्त्तव्यों और अधिकारों का समन्वय ठीक ठीक होना चाहिये और सदस्यों की रुचि संगठन के कार्य में बनाये रखना चाहिये। सदस्यों को चर्चा, सलाह, सहयोग, विधिप्रदर्शन और उत्तरदायित्व संवहन द्वारा संगठनों में संलग्न रखना चाहिये।

नेतृत्व का विकास—

१९५७ में सामुदायिक विकास योजनाओं में विस्तृत ग्राम-नेता प्रशिक्षण का कार्य-क्रम चलाया गया। कई राज्यों में युवक मंगल कार्य भी आरम्भ हुआ है। महिला मंडल कार्य में भी प्रगति हुई है। समाज कल्याण विभाग के तत्त्वावधान में और भी समाज सेवा के कार्य चल रहे हैं----इन क्षेत्रों की प्रगति असमान रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की कमी रही है और इन कार्यों के प्रति सामाजिक स्वीकृति के स्तर में अन्तर रहा है।

परन्तु नेतृत्व के विकास में निम्नलिखित समस्याय हैं :---

१. स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों में नेतृत्व के विकाम के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभाव।

२. जो लोग नेतृत्व के कार्य में प्रशिक्षित या अनुभवी हैं उन्हें कार्य की सुविधा नहीं मिलती। इसके अनुसरण के लिये संगठन नहीं हैं।

३. बाल-मंडल और महिला-मंडल का काम बहुत आरंभिक स्थिति में है।

४. ग्राम नेताओं को दिया हुआ प्रशिक्षण बहुत ही संकीर्ण प्रकार का है जिसमें खेती या बागवानी आदि की केवल विषय सम्बन्धी चर्चा रहती है, जैसे जापानी पद्धति से धान की खेती। प्रेरणा सहयोग के मौलिक सिद्धान्तों पर प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

अपने इस अध्ययन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि :—

१. नेतृत्व का प्रशिक्षण बाल्यावस्था से ही होना चाहिये। बाल-मंडल, महिला-मंडल के कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिये।

२. नेतृत्व के लिये प्रशिक्षण प्रौढ़ावस्था तक चलता रहना चाहिए।

३. संगठन की सुविधा होनी चाहिये ताकि प्रशिक्षण में प्राप्त विचारों और अनुभवों पर और प्रयोग किये जा सकें।

४. व्यावहारिक प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। कार्य करते हुये उसमें कुशलता प्राप्त करना सबसे सफल विधि है।

५. प्रशिक्षण का उद्देश्य उचित दृष्टिकोण, मान्यता और विश्वास का विकास है।

६. नेतृत्व के प्रशिक्षण में लगे नेताओं को भी बराबर प्रशिक्षण मिलते रहना चाहिये।

सामाजिक एकता

सामुदायिक विकास कार्य का मुख्य उद्देश्य है गाँवों में सामाजिक एकता लाना। इस अध्ययन से इसके लिए निम्नलिखित सुझाव मिलते हैं:---

१. समूह नेतृत्व विकसित किया जाय जैसा मार्मन गिरजाघर में पाया जाता है जिसमें तीन व्यक्तियों के मंडल होते हैं।

२. कार्यकर्त्ताओं का तथा स्थानीय नेताओं और जनता का उत्साह और उल्लास कायम रखना चाहिए।

३. सामुदायिक विकास की व्यावहारिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करके मतैक्य लाना चाहिए।

४. अपने गाँव के समूहों में सहयोग और बाहर वालों से स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना बढ़ानी चाहिए।

५. कार्यकर्त्ताओं और नेताओं को सहायता करनी चाहिए कि वे ग्रामीण विकास कार्य में गर्व का अनुभव करें और गाँव वालों से नम्रता और सेवा भावना का दृष्टिकोण रक्खें।

६. समाज शिक्षा के कार्यक्रम को और व्यापक और विस्तृत बना देना चाहिये, जिसमें सफलता प्रेरित विचार और आदर्श हों।

७. कार्यक्रम और संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य सभी को ज्ञात होने चाहिये। हर एक को सुविधा और सहायता मिलनी चाहिये कि वह अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति कर सकें।

इस पर व्यापक प्रयोग करने के लिये कुछ अग्रगामी अनुसंधानात्मक प्रयोग और होना चाहिये। हमारा आदर्श ऊँचा और मार्ग गहन है इसलिये हमारे मन में अधिकाधिक सीखते रहने की भावना बनी ही रहनी चाहिये।

————

सन्दर्भ-सूची

नेल्स एन्डरसन—**दि डिजर्ट सेन्टस्**, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, शिकागो, 1942.

लोवेल एल० बेनियन— **ऐन इन्ट्रोडक्शन टू दि गोसपेल**—डिज़र्ट सन्डे स्कूल यूनियन बोर्ड, साल्ट लेक सिटी, यूटा 1956.

जिराल्ड डी० बेरेमैन—**सोशल इंटेग्रेशन**—मिमियोग्रेफ्ड पेपर, डिपार्टमेन्ट ओफ सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रापोलोजी, 1956.

हरबर्ट ए० ब्लाच—**डिसओर्गनाइजेशन--पर्सनल एन्ड सोशल**—ए० ए० नूफ न्यूयार्क, 1952.

डारविन एलविन जेन्डर एण्ड कार्टराइट—**ग्रूप डाइनेमिक्स**—रोज़ पेटर्सन एन्ड कं०, 1953.

किंग्सले डेविस-**एडोलेसेंस एन्ड सोशल स्ट्रक्चर्स**—एनल्स ओफ दि अमेरिकन एकेडेमी ओफ पोलिटिकल सोशल साइन्सेस्, नवम्बर 1944.

श्याम चरन दुबे—**इन्डियन विलेज**—कोरनेल यूनिवर्सिटी प्रेस, ईथेका न्यूयार्क 1955.

रोबर्ट जे० हैविग्हर्स्ट—**ह्यूमन डेवलपमेन्ट एन्ड एड्यूकेशन**—लोन्ग मैन ग्रीन एन्ड कं० न्यूयार्क 1953.

जोजेफ स्मिथ—**लेक्चर्स ओन फेथ**—चर्च ओफ जे० सी० ओफ एल० डी० एस० साल्ट लेक यूटा 1943.

डेविड क्रेच एन्ड रिचार्ड एस० क्रुचफील्ड—**थियरी एन्ड प्रोबलमस् ओफ सोशल साइकोलोजी**—मेक्ग्राहिल बुक कं० इन्क० न्यूयार्क 1948.

गार्डनर (एड) लिन्डज़े—**हैन्डबुक ओफ सोशल साइकोलोजी**—एडीसन वेसले पबलिशिंग कं० न्यूयार्क 1953.

फ्रेन्क मोरेस—**जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी**—मेकमिलन कं० न्यूयार्क 1956.

विलियम सी० मोर्स—**साइकोलोजी एन्ड टीचिंग**—स्काट फोर्समैन एन्ड कं० न्यूयार्क 1955.

जवाहरलाल नेहरू—**डिसकवरी ओफ इन्डिया**—मेरिडियन बुक्स लिमिटेड लन्डन 1951.

लोरी नेलसन—**दि मोरमोन विलेज**—साल्ट लेक सिटी, यूटा, यूनिवर्सिटी ओफ यूटा प्रेस 1952.

जे० एम० न्यूकोम्ब—**सोशल साइकोलोजी** ड्राइडेन प्रेस, न्यूयोर्क 1950.

एस० राधाकृष्णन्— **ईस्टर्न रेलीजन्स एन्ड वेस्टर्न थौट**—ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्डन 1940.

डब्लू० डब्लू० रीडर—**ए रिपोर्ट ओन ड्राईडेन कम्यूनिटी स्टडी**—मिमियोग्रेफ्ड पेपर रूरल सोसियोलोजी डिपार्टमेन्ट कार्नेल 1957.

प्रताप सालवी—**लीडरशीप इन फेनसप विलेज**—अनपबलिश्ड एम० एस० थीसिस, कोरनेल यूनिवर्सिटी 1957.

कैलाश कुमार सिंह—**इन्टर कास्ट टेनशन इन टू विलेजेज इन नोर्थ इन्डिया**—अनपबलिश्ड पी० एच० डी० थीसिस कोरनेल यूनिवर्सिटी 1957.

रॉबिन एम० एल० विलियम्स—**अमेरिकन सोसाइटी**—एलफ्रेड ए० नूफ न्यूयार्क 1952.

इन्डिया—1957 न्यू डेलही, दि पबलिकेशन डिवीजन, न्यू डेलही मिनिस्ट्री ओफ इनफोरमेशन एन्ड ब्रोडकास्टिंग गवर्नमेन्ट ओफ इन्डिया 1957.

सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान—प्लानिंग कमीशन गवर्नमेन्ट ओफ इन्डिया 1956.

होली बाइबिल—किंग जेम्स वरज़न

दि बुक ओफ मोरमोन—साल्ट लेक सिटी चर्च ओफ जेसस क्राइस्ट ओफ लेटर डे सेन्टस्

डोक्टरिन एन्ड कोबेनेन्टस् एन्ड पर्ल ओफ ग्रेट प्राइस—चर्च ओफ जेसस क्राइस्ट ओफ लेटर डे सेन्टस्, साल्ट लेक सिटी, यूटा 1942.
